जो लोग पश्चिमके देशोंसे यहां आते हैं, वे आपके मजूर-महाजनकी व्यवस्था और तंत्रका अध्ययन करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो एक अलौकिक मजदूर-संस्था है।

मेरे मनमें सदा आपके विषयमें ही कल्पनायें और स्वप्न बने रहते हैं। मुझे आपके निकट रहना और आपके साथ विचार करना अच्छा लगता है। यदि मैं आप लोगोंके साथ ओतप्रोत हो जाऊं, तो मुझे ऐसा लगना चाहिये कि आप उद्योग-सम्बन्धी सारा ज्ञान प्राप्त करें। यदि मैं आपके साथ रहता होऊं, तो मिलोंकी बातें जाननेके सिवा मैं मिलोंकी व्यवस्थामें भी सिर खपाऊं। ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं कंगालसे कंगाल आदमीके सुखी होने, जीवनमें उसे फुरसत मिलने तथा हिन्दुस्तानके राज्य-शासनमें उसके भाग लेनेके जो स्वप्न देखा करता हूं, उन्हें इसी जन्ममें सिद्ध हुए देख सकूं।

— गांधीजी

गांधीजीकी विशेष पुस्तकें

अहिंसक समाजवादकी ओर	१.००
अहिंसाका पहला प्रयोग	१.५०
आश्रम-जीवन	०.७५
गांधीजीकी अपेक्षा	३.००
गीताबोध	०.५०
ग्राम-स्वराज्य	३.००
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास	५.००
नई तालीमकी ओर	१.००
बुनियादी शिक्षा	१.५०
मंगल-प्रभात	०.३७
मेरा धर्म	२.००
मेरे सपनोंका भारत	२.५०
संयम और संतति-नियमन	३.००
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	२.००
सर्वोदय	२.००
स्त्रियां और उनकी समस्यायें	१.००
हम सब एक पिताके बालक	३.००
हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण	१.५०
हिन्द-स्वराज्य	०.७०

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद–१४

गांधीजी और मजदूर-प्रवृत्ति

[संस्मरण और अनुभव]

शंकरलाल बैंकर

अनुवादक
सोमेश्वर पुरोहित

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद-१४

गांधीजीकी विशेष पुस्तकें

अहिंसक समाजवादकी ओर	१.००
अहिंसाका पहला प्रयोग	१.५०
आश्रम-जीवन	०.७५
गांधीजीकी अपेक्षा	३.००
गीताबोध	०.५०
ग्राम-स्वराज्य	३.००
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास	५.००
नई तालीमकी ओर	१.००
बुनियादी शिक्षा	१.५०
मंगल-प्रभात	०.३७
मेरा धर्म	२.००
मेरे सपनोंका भारत	२.५०
संयम और संतति-नियमन	३.००
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	२.००
सर्वोदय	२.००
स्त्रियां और उनकी समस्यायें	१.००
हम सब एक पिताके बालक	३.००
हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण	१.५०
हिन्द-स्वराज्य	०.७०

गांधीजी और मजदूर-प्रवृत्ति

[संस्मरण और अनुभव]

गांधीजीकी विशेष पुस्तकें

अहिंसक समाजवादकी ओर	१.००
अहिंसाका पहला प्रयोग	१.५०
आश्रम-जीवन	०.७५
गांधीजीकी अपेक्षा	३.००
गीताबोध	०.५०
ग्राम-स्वराज्य	३.००
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास	५.००
नई तालीमकी ओर	१.००
बुनियादी शिक्षा	१.५०
मंगल-प्रभात	०.३०
मेरा धर्म	२.००
मेरे सपनोंका भारत	२.५०
संयम और संतति-नियमन	३.००
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	२.००
सर्वोदय	२.००
स्त्रियां और उनकी समस्यायें	१.००
हम सब एक पिताके बालक	३.००
हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण	१.५०
हिन्द-स्वराज्य	

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

गांधीजी और मजदूर-प्रवृत्ति

[संस्मरण और अनुभव]

शंकरलाल बैंकर

अनुवादक
सोमेश्वर पुरोहित

गांधीजीकी विशेष पुस्तकें

अहिंसक समाजवादकी ओर
अहिंसाका पहला प्रयोग
आश्रम-जीवन
गांधीजीकी अपेक्षा
गीताबोध
ग्राम-स्वराज्य
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास
नई तालीमकी ओर
बुनियादी शिक्षा
मंगल-प्रभात
मेरा धर्म
मेरे सपनोंका भारत
संयम और संतति-नियमन
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा
सर्वोदय
स्त्रियां और उनकी समस्यायें
हम सब एक पिताके बालक
हमारे गांवोंका पुनर्निर्माण
हिन्द-स्वराज्य

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

गांधीजी और मजदूर-प्रवृत्ति

[संस्मरण और अनुभव]

शंकरलाल बैंकर

अनुवादक

सोमेश्वर पुरोहित

प्रकाशकका निवेदन

गांधीजीकी कार्य-पद्धतिकी विशेषता यह थी कि वे किसी खास विचारसरणीके अनुसार अपने कार्योंकी योजना नहीं करते थे। सत्य और अहिंसा इन दो मूलभूत सिद्धान्तोंका अमल मानव-समाजके सारे व्यवहारोंमें कैसे हो, इसी बात पर उनका ध्यान केन्द्रित रहता था। किसी विशेष अवसर अथवा परिस्थितिमें अपने कार्यों द्वारा वे इन सिद्धान्तोंको व्यवहारमें उतार कर दिखा देते थे और उस परसे उनकी *कार्य-पद्धति तथा सिद्धान्तोंका ज्ञान और समझ लोगोंमें फैलती थी।*

आजके औद्योगिक युगमें कारखानोंके मालिकों और उन कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंके बीच एक विशेष प्रकारके सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धोंमें कुदरती तौर पर दोनोंके हितोंके सवाल भी पैदा होते हैं।

अहमदाबाद शहरकी कपड़े और सूतकी मिलोंके मालिकों और उनमें काम करनेवाले मजदूरोंके बीच जब दोनोंके हितका सवाल खड़ा हुआ, उस समय मजदूरोंकी सेवामें लगे हुए कार्यकर्ताओंने गांधीजीसे मार्गदर्शन मांगा। गांधीजीने उन्हें इस सम्बन्धमें मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शनके अनुसार मजदूरोंके सवालोंका निबटारा करनेवाला मजदूरोंका एक संघ — 'मजूर-महाजन' * भी अहमदाबादमें स्थापित हुआ।

जो लोग गांधीजीकी अहिंसक कार्य-पद्धतिको समझना चाहते हैं, उन सबके लिए इस मजूर-महाजनका तथा इसके कार्यके विकासका *इतिहास बड़ा महत्त्व रखता है।*

श्री शंकरलाल बैंकर लगभग आरंभसे ही श्री अनसूयाबहनके साथ इस कार्यमें शरीक हुए थे। उन्होंने इस कार्यके विकाससे सम्बन्धित शृंखलाबद्ध संस्मरण इस पुस्तकमें एकत्र किये हैं।

---

* *आगे इस पुस्तकमें अहमदाबादके इस मजदूर-संघके लिए* 'मजूर-महाजन' नामका ही उपयोग किया जायगा।

अहमदावादके मिल-मजदूरोंकी इस संस्था मजूर-महाजनकी तथा इसके कार्यकी सारे संसारमें प्रशंसा हुई है। यह बात स्वीकार की गई है कि अहमदावाद शहरकी उन्नति और समृद्धिका मुख्य कारण अहमदावादमें बनी रहनेवाली औद्योगिक शांति है। इस शांतिके फलस्वरूप मालिकोंके हितको नुकसान नहीं पहुंचा है और मजदूरोंकी सर्वांगीण उन्नति हुई है।

इन संस्मरणोंमें समाज-जीवनके इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विकासका इतिहास प्रस्तुत किया गया है। गांधीजीकी कार्य-पद्धतिके अध्ययनके लिए तथा अहिंसाके मार्ग पर समाजके प्रत्येक अंगके विकासके अध्ययनके लिए इन संस्मरणोंमें कीमती सामग्री भरी है।

ये संस्मरण तैयार करके श्री शंकरलाल बैंकरने नवजीवन ट्रस्टको प्रकाशित करनेके लिए दिये, इसके लिए ट्रस्ट उनका अत्यंत ऋणी है।

आशा है कि श्री बैंकरके संस्मरणोंकी मूल गुजराती पुस्तकका यह हिन्दी संस्करण गांधी-विचारके प्रेमियोंको पसंद आयेगा और उनके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा।

श्री शिवशंकर शुक्लने इन संस्मरणोंको व्यवस्थित रूप देनेमें प्रेमपूर्वक जो परिश्रम किया है, उसके लिए नवजीवनकी ओरसे उनका आभार माननेमें हमें बड़ी खुशी होती है।

२६–१–'६८

प्रस्तावना

आजसे वर्षों पहले गांधीजीके संपर्कमें आनेका, उनके उपदेश-वचन सुननेका तथा उनके मार्गदर्शनमें उनकी कुछ प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेका सौभाग्य ईश्वर-कृपासे मुझे प्राप्त हुआ था। प्यारेलालजीने मुझसे कहा कि उन वर्षोंमें गांधीजी तथा उनकी प्रवृत्तियोंसे सम्बन्धित जो छोटे-मोटे प्रसग मैं जानता होऊं, उन्हे व्यवस्थित रूपमें लिख डालूं। उनकी यह सूचना मेरे लिए उपकारक सिद्ध हुई। इसके फलस्वरूप मेरा मन उन प्रसगोंका चिन्तन करने लगा और गांधीजीके उपदेश तथा आदेश फिर एक बार मेरे दिमागमें ताजे हो गये।

मैं गांधीजीके संपर्कमें पहली बार आया उस समयसे आरभ करके मार्च १९४० तकके मजदूर-प्रवृत्तिसे सम्बन्धित सस्मरण अलग निकाल कर इस पुस्तकमें मैंने दिये हैं। गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकामें सार्वजनिक सेवाकार्य आरंभ किया तभीसे उन्होंने मजदूरोंके जीवनमें प्रवेश किया था। उसी समयसे गांधीजी मजदूरोंके जीवनमें ओतप्रोत होकर उनकी सेवा करते थे और खुदको भी मजदूर ही मानते थे।

दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटनेके बाद उन्होंने १९१७ में चंपारन-के किसानोंका और १९१८ में खेड़ाके किसानोंका आन्दोलन शुरू किया था। १९१८ में वे खेड़ाके किसानोंके आन्दोलनके बारेमें अहमदाबादमें सलाह-मशविरा कर रहे थे तभी उनके लिए अहमदाबादके मिल-मजदूरोंके जीवनमें प्रवेश करनेका तथा प्रत्यक्ष लड़ाईके द्वारा इस बातका बोध-पाठ प्रस्तुत करनेका अवसर उपस्थित हुआ कि सत्य और अहिंसाके मार्गसे अन्याय और शोषणका विरोध कैसे किया जाय। उस समय खेड़ा-सत्याग्रहके सम्बन्धमें मेरा अहमदाबाद आना होता था, इसलिए मुझे भी इसका लाभ मिला था।

उसके बाद तो गांधीजी जीवनके अंत तक भारतके मजदूरोंका मार्गदर्शन करते रहे। अहमदाबादके मजूर-महाजनकी स्थापना १९२० में हुई थी। उसमें गांधीजीने सत्य और अहिंसाकी पद्धतिसे मजदूर-

प्रवृत्तिके प्रयोग शुरू किये, जो देशको स्वराज्य प्राप्त होनेके समय तक चलते रहे। इन प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुए सिद्धान्तोंके आधार पर १९४७ में 'भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस' की स्थापना हुई। उसके कुछ ही समय बाद गांधीजीका निर्वाण हो गया।

मजूर-महाजनको गांधीजीने मजदूर-प्रवृत्तिकी अपनी प्रयोगशाला कहा है। इस प्रवृत्तिके सम्बन्धमें १९१८ से लेकर १९४० तक जो जो प्रयोग हुए, उनके विषयमें मेरे अपने संस्मरण यहां देनेका प्रयत्न मैंने किया है।

मजदूरोंका जीवन, उनकी तथा उनके परिवारके लोगोंकी जरूरतें, उनके जीवनका सुधार और उनका सर्वांगीण विकास, मजदूरों और मालिकोंके आपसी सम्बन्ध तथा एक-दूसरेके प्रति और देशके प्रति दोनोंका कर्तव्य — इन सबके बारेमें गांधीजीके विचार और प्रयोग अत्यन्त मौलिक थे। इसलिए गांधीजीकी मजदूर-प्रवृत्ति पश्चिमके 'ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट' से बिलकुल भिन्न थी। मजदूर-प्रवृत्तिका क्षेत्र विशाल है और दिनोंदिन उसका विकास होता जा रहा है। मजदूर जनतामें जागृति आ गई है और यह उचित है कि मजदूर अपने संघ बनाकर उनका काम स्वयं अपने हाथमें लेते जायं। फिर भी आज इनमें से अधिकांश मजदूरोंको उदात्त भावनावाले और आवश्यक कुशलतावाले मित्रों और कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। आगे भी यह जरूरत उन्हें रहेगी, ऐसा लगता है। इसलिए मजदूरों, मजदूरोंके मित्रों तथा उनकी संस्थाके कार्यकर्ताओंके लिए जन-कल्याणकी दृष्टिसे मजदूर-प्रवृत्तिके उद्देश्यों और कार्यनीतिका तथा कार्यकर्ताओंकी भावना, वृत्ति और कर्तव्य-सम्बन्धी गांधीजीके विचारोंका बहुत बड़ा महत्त्व है। इन विचारों पर ध्यान देना सबके लिए हितकर और कल्याणकारक सिद्ध होगा।

मजदूर और मालिक एक-दूसरेके हितोंके ट्रस्टी बनें और दोनों लकर देशके हितके ट्रस्टी बनें — गांधीजीके इस आदेशका पालन सबका हित है। इस आदेशके पीछे रही भावना सबके हृदयोंमें और उसे कार्यका रूप देनेका प्रयत्न हो, तो संघर्षके अवसरों- हुत कम गुंजाइश रह जाय; और ऐसे जो अवसर उपस्थित

हों, उनका निराकरण शांतिसे हो जाय। इतना ही नहीं, जिस प्रकार-की न्यायपूर्ण और सबका हित साधनेवाली समाज-रचनाके लिए मानव-जाति आज तरस रही है, वैसी समाज-रचनाका मार्ग भी सरल हो जाय।

गांधीजीके सिद्धान्त जिस प्रकार मजदूर जनताके लिए हितकारी हैं, उसी प्रकार वे उद्योगोंके संचालकों और देशके लिए भी अत्यन्त हितकारी सिद्ध हो सकते हैं। सच्ची दृष्टिसे देखें तो मजदूरों, उद्योगों और देशके हित अलग अलग नहीं हैं। वे सब परस्पर जुड़े हुए हैं और आपसमें एक-दूसरे पर अवलंबित हैं। इसीलिए तो गांधीजीने पारि-वारिक भावनाका विकास करनेकी हिमायत की है। मालिक यदि मजदूरोंको अपने परिवारके आदमी मानकर उनकी सारी उचित जरू-रतें पूरी करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे मजदूरोंको अपने कामकी अच्छी तालीम मिले और उनके गुणों तथा शक्तिका पूरा विकास हो, तो वे मजदूरोंका प्रेम और विश्वास संपादन कर सकते हैं। इसके फल-स्वरूप मजदूर भी अधिक अच्छा काम करेंगे, उद्योग समृद्ध बनेंगे तथा मजदूरों, मालिकों और देशको अधिक लाभ होगा।

भारतकी स्वतंत्रता और स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए गांधीजीने अहिंसक असहयोग तथा सत्याग्रहकी जो लड़ाई चलाई थी, उसका उनकी जीवन-कथामें प्रमुख स्थान है। और, हमारे देशके तथा विदेशोंके लोग इस लड़ाईसे परिचित भी हैं। आजके जमानेमें मजदूरोंके जीवन और उससे सम्बन्धित प्रश्नोंने बड़े महत्त्वका स्थान प्राप्त कर लिया है। इसलिए इस विषयमें गांधीजीने जो प्रयोग किये और उनके फलस्वरूप हमें जो सिद्धान्त और कार्यनीति प्राप्त हुई, उनसे देशकी जनताको परिचित करनेकी दृष्टिसे भी ये संस्मरण बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।

गांधीजीके मार्गदर्शनमें मजदूर-प्रवृत्तिके सम्बन्धमें जो कार्य हुआ, उसे आज वर्षोंका समय बीत चुका है। इसलिए उस समयके प्रसंगों और घटनाओंकी मेरी याद धुंधली पड़ गई है। इसके सिवा, आज मुझे जो कुछ याद है उसे यथार्थ रूपमें प्रस्तुत करनेकी शक्ति भी मुझमें नहीं है। फिर भी ऐसे प्रसंगोंसे सम्बन्धित तथ्योंके विषयमें [illegible] जीका

और उनके इस कल्याणकारी कार्यकी थोड़ी भी सेवा हो सकती हो, तो ऐसा करना मेरा धर्म है — यह समझ कर ही मैं इन्हें लिखनेके लिए प्रेरित हुआ हूं। मैं जो कुछ लिखूंगा उसमें मेरी समझ और शक्ति-सम्बन्धी न्यूनताओंके कारण दोष तो अनेक होंगे। परन्तु मैं आशा करता हूं कि पाठक इन दोषोंके लिए मुझे उदारतासे क्षमा कर देंगे।

इन संस्मरणोंको व्यवस्थित रूप देनेमें श्री शिवशंकर शुक्लने जो अपार परिश्रम किया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

शंकरलाल बैंकर

अनुक्रमणिका

गांधीजी और मजदूर-प्रवृत्ति

[संस्मरण और अनुभव]

१

मजदूर-प्रवृत्तिमें मेरा प्रवेश

बम्बईमें होमरूल लीगकी शाखा स्थापित हुई उसके बाद शाखाके मंत्रीके रूपमें मैं काम करने लगा था। इस शाखाका मुख्य कार्य था आम जनताको स्वराज्यके ध्येयके बारेमें भलीभांति समझाना और उसे प्राप्त करनेके प्रयत्नमें सक्रिय भाग लेनेकी प्रेरणा देना। इस सम्बन्धमें होमरूल लीगकी ओरसे प्रचार करनेके लिए सभायें की जाती थी, साहित्य प्रकाशित किया जाता था, सदस्य बनाये जाते थे और विभिन्न वार्डोंमें शाखायें स्थापित की जाती थीं। मुख्य कार्य राजनीतिक प्रचारका था। परन्तु इसके साथ होमरूल लीगके कार्यकर्ता दूसरी सस्थाओंके साथ मिलकर होलीके उत्सव अथवा ऐसे अन्य सामाजिक कार्योंमें भी भाग लेते थे।

बम्बईकी सोशियल सर्विस लीग

इसी अरसेमें बम्बईमें 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी' की ओरसे भी बड़ा उपयोगी राजनीतिक और सामाजिक कार्य हो रहा था। इस सोसायटीके एक सदस्य एन० एम० जोशी कांग्रेसके कार्यमें सक्रिय भाग लेते थे और उपयोगी साहित्य प्रकाशित करके उसका प्रचार करते थे। सामाजिक कार्यके लिए उन्होंने 'सोशियल सर्विस लीग' नामक संस्था-की स्थापना की थी। इस संस्थाके द्वारा वे सामाजिक कार्य करते थे। इसके साथ वे मजदूर-प्रवृत्तिमें भी दिलचस्पी लेते थे और उसके सम्बन्धमें जो भी प्रश्न खड़े होते उनमें सलाह और सहायता देते थे। उन दिनों मजदूरोंके विधिवत् स्थापित यूनियनों द्वारा उनके हितसे सम्बन्ध रखनेवाले मामलोंमें कोई व्यवस्थित काम नहीं होता था। परन्तु जब वेतन आदिके बारेमें मजदूरोंमें कोई हलचल खड़ी होती तब उनका उचित मार्गदर्शन या सहायता करनेका प्रयास किया जाता था। होमरूल लीगकी ओरसे भी मजदूरोंके साथ सम्पर्क स्थापित करने

और उनके हितके लिए कार्य करनेका विचार किया जाता था। परन्तु कोई खास काम हाथमें लिया नहीं जाता था।

अनसूयाबहनका परिचय

दिसम्बर १९१७ में अहमदाबादकी मिलोंमें तानेवाले मजदूरोंकी हड़ताल हुई। अनसूयाबहन उस हड़तालका संचालन करती थीं। वे होमरूल लीगके कार्यमें भी रस लेती थीं। उन दिनों सहज ही लीगके कार्यके सम्बन्धमें मेरा अहमदाबाद आना हुआ। उस समय मजदूर-प्रवृत्तिका मुझे पहले-पहल प्रत्यक्ष परिचय मिला।

अनसूयाबहनसे मेरा परिचय १९१६ में हुआ था। एनी बेसेंटकी गिरफ्तारीका विरोध करनेके लिए बम्बईमें एक आम सभा करनेका निर्णय किया गया था। गांधीजीसे इस सभाका अध्यक्ष बननेकी प्रार्थना करनेके लिए मैं गामदेवीमें रेवाशंकरभाईके घर गया था। वहां अनसूयाबहन गांधीजीके पास बैठी थीं। उन्हें होमरूल लीगके कार्यमें दिलचस्पी पैदा हुई। उसके बाद वे लीगके ऑफिसमें आकर उसकी सदस्या बन गईं और लीगके कार्यमें सक्रिय भाग लेने लगीं।

गांधीजीके साथ मेरी जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने कहा कि एनी बेसेंटकी गिरफ्तारीका विरोध करनेके लिए केवल आम सभा करनेके बजाय सत्याग्रह करना चाहिये। उनकी सलाहको मानकर होमरूल लीगने सत्याग्रह करनेका निर्णय किया। उसी अरसेमें अनसूयाबहन ऊटीसे बम्बई आई थीं। एनी बेसेंटकी मुक्तिके लिए लीगने सत्याग्रहका कार्यक्रम निश्चित किया था और उसके लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र भी तैयार किया था। अनसूयाबहनको जब इस सत्याग्रहका पता चला तो उन्होंने भी उसमें शरीक होनेकी इच्छा बताई और प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस सत्याग्रहके लिए जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था वह इस प्रकार था: एनी बेसेंट होमरूलके लिए जैसा प्रचार करती थीं वैसा ही प्रचार सर्वत्र किया जाय और उस प्रचारके विरोधमें सर-
जो भी कदम उठाये उन्हें सहन किया जाय। प्रचारका यह कार्य
अलावा गुजरातके शहरोंमें भी होने लगा।

अहमदाबादमें भी होमरूल लीगकी-स्थापना हुई थी। उसके प्रमुख बैरिस्टर मगनभाई चतुरभाई पटेल थे। अनसूयाबहन उसके मंत्रीके रूपमें काम करती थीं। होमरूल लीगके-प्रचारके लिए मुझे अहमदाबाद आना पड़ता था। उस समय मैं अनसूयाबहनके-घर-ही ठहरता था।

अमरपुराकी शाला और अन्य कार्य

उस समय अनसूयाबहन ज्युबिली मिलके पास बनी हुई अमरपुराकी चालमें मजदूरोंके बालकोंके लिए एक शाला चलाती थीं और मजदूरोंमें सामाजिक कार्य करती थीं। उस चालमें अधिकतर आबादी ठाकुरोंकी थी। यह शाला सुबह दो घंटे और शामको दो घंटे चलती थी। उसमें एक प्रधान शिक्षक और दो सहायक शिक्षक थे। शालाके लिए चालके कुछ कमरे भाड़े पर ले लिये गये थे। इस शालाका मासिक खर्च १०० रुपये आता था, जो अनसूयाबहन स्वयं देती थीं। इस शाला-की वजहसे अनसूयाबहन मजदूरोंके सम्पर्कमें आने लगी थीं। एक बार मीटिंगके कामसे मेरा अहमदाबाद आना हुआ तब अनसूयाबहन मुझे वह शाला दिखाने ले गई थीं।

इस शालामें जो काम होता था उसका मुझ पर बहुत असर पड़ा। शालामें बालकोंकी पढ़ाईके साथ उनकी स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि पर भी अनसूयाबहन विशेष ध्यान देती थीं। इस शालाके कार्यको तथा मजदूरोंके लिए किये जानेवाले अन्य कार्योंको देखकर मुझे लगा कि इस कार्यका विकास किया जाय, तो मजदूरोंको ज्यादा लाभ होगा। मैंने अनसूयाबहनसे इस बारेमें बात की, जिसके फलस्वरूप वे इस कार्यका विस्तार करने लगीं। कृष्णलाल देसाई (बचुभाई वकील) और अमुभाई मेहता इस कार्यमें उनकी मदद करते थे। इस कार्यको विस्तृत रूप देनेके लिए एक मंडल स्थापित करनेकी बात सोची गई। उसके फलस्वरूप 'मजूर मित्र-मंडल' का जन्म हुआ, जिसके द्वारा शिक्षाके साथ साथ दूसरे सामाजिक कार्य भी आरंभ किये गये।

इस शालाके साथ एक आयुर्वेदिक दवाखाना भी चलाया जाता था, जो मजदूरोंके लिए काफी मददगार साबित हुआ। मुझे लगा कि

और उनके हितके लिए कार्य करनेका विचार किया जाता था। परन्तु कोई खास काम हाथमें लिया नहीं जाता था।

अनसूयाबहनका परिचय

दिसम्बर १९१७ में अहमदाबादकी मिलोंमें तानेवाले मजदूरोंकी हड़ताल हुई। अनसूयाबहन उस हड़तालका संचालन करती थीं। वे होमरूल लीगके कार्यमें भी रस लेती थीं। उन दिनों सहज ही लीगके कार्यके सम्बन्धमें मेरा अहमदाबाद आना हुआ। उस समय मजदूर-प्रवृत्तिका मुझे पहले-पहल प्रत्यक्ष परिचय मिला।

अनसूयाबहनसे मेरा परिचय १९१६ में हुआ था। एनी बेसेंटकी गिरफ्तारीका विरोध करनेके लिए बम्बईमें एक आम सभा करनेका निर्णय किया गया था। गांधीजीसे इस सभाका अध्यक्ष बननेकी प्रार्थना करनेके लिए मैं गामदेवीमें रेवाशंकरभाईके घर गया था। वहां अनसूयाबहन गांधीजीके पास बैठी थीं। उन्हें होमरूल लीगके कार्यमें दिलचस्पी पैदा हुई। उसके बाद वे लीगके ऑफिसमें आकर उसकी सदस्या बन गईं और लीगके कार्यमें सक्रिय भाग लेने लगीं।

गांधीजीके साथ मेरी जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने कहा कि एनी बेसेंटकी गिरफ्तारीका विरोध करनेके लिए केवल आम सभा करनेके बजाय सत्याग्रह करना चाहिये। उनकी सलाहको मानकर होमरूल लीगने सत्याग्रह करनेका निर्णय किया। उसी अरसेमें अनसूयाबहन ऊटीसे बम्बई आई थीं। एनी बेसेंटकी मुक्तिके लिए लीगने सत्याग्रहका कार्यक्रम निश्चित किया था और उसके लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र भी तैयार किया था। अनसूयाबहनको जब इस सत्याग्रहका पता चला तो उन्होंने भी उसमें शरीक होनेकी इच्छा बताई और प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस सत्याग्रहके लिए जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था वह इस प्रकार था: एनी बेसेंट होमरूलके लिए जैसा प्रचार करती थीं वैसा ही प्रचार सर्वत्र किया जाय और उस प्रचारके विरोधमें सरकार जो भी कदम उठाये उन्हें सहन किया जाय। प्रचारका यह कार्य बम्बईके अलावा गुजरातके शहरोंमें भी होने लगा।

अहमदाबादमें भी होमरूल लीगकी स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष बैरिस्टर मगनभाई चतुरभाई पटेल थे। अनसूयाबहन उसके मंत्रीके रूपमें काम करती थीं। होमरूल लीगके प्रचारके लिए मुझे अहमदाबाद आना पड़ता था। उस समय मैं अनसूयाबहनके घर ही ठहरता था।

अमरपुराकी शाला और अन्य कार्य

उस समय अनसूयाबहन ज्युबिली मिलके पास बनी हुई अमरपुराकी चालमें मजदूरोंके बालकोंके लिए एक शाला चलाती थी और मजदूरोंमें सामाजिक कार्य करती थी। उस चालमें अधिकतर आबादी ठाकुरोंकी थी। यह शाला सुबह दो घंटे और शामको दो घंटे लगती थी। उसमें एक प्रधान शिक्षक और दो सहायक शिक्षक थे। शालाके लिए चालके कुछ कमरे भाड़े पर ले लिये गये थे। इस शालाका मासिक खर्च १०० रुपये आता था, जो अनसूयाबहन स्वयं देती थीं। इस शाला-की वजहसे अनसूयाबहन मजदूरोंके सम्पर्कमें आने लगी थीं। एक बार लीगके कामसे मेरा अहमदाबाद आना हुआ तब अनसूयाबहन मुझे वह शाला दिखाने ले गई थीं।

इस शालामें जो काम होता था उसका मुझ पर गहरा असर पड़ा। शालामें बालकोंकी पढ़ाईके साथ उनकी स्वच्छता, सस्कारिता आदि पर भी अनसूयाबहन विशेष ध्यान देती थीं। इस शालाके कार्यको तथा मजदूरोंके लिए किये जानेवाले अन्य कार्यको देखकर मुझे लगा कि इस कार्यका विकास किया जाय, तो मजदूरोंको ज्यादा लाभ होगा। मैंने अनसूयाबहनसे इस बारेमें बात की, जिसके फलस्वरूप वे इस कार्यका विस्तार करने लगीं। कृष्णलाल देसाई (बचुभाई वकील) और अमुभाई महेता इस कार्यमें उनकी मदद करते थे। इस कार्यको विस्तृत रूप देनेके लिए एक मंडल स्थापित करनेकी बात सोची गई। उसके फलस्वरूप 'मजूर मित्र-मंडल' का जन्म हुआ, जिसके द्वारा शिक्षाके साथ साथ दूसरे सामाजिक कार्य भी आरंभ किये गये।

इस शालाके साथ एक आयुर्वेदिक दवाखाना भी चलाया जाता था, जो मजदूरोंके लिए काफी मददगार साबित हुआ। मुझे लगा कि

२

आधार-भूत लड़ाई

दिसम्बर १९१७ में अहमदाबादकी मिलोंके तानेवाले मजदूरोंमें वेतन-वृद्धिके लिए आन्दोलन शुरू हुआ। इसी वर्षके जुलाई महीनेमें अहमदाबादमें प्लेगका रोग फैला। इसकी वजहसे मिल-मजदूर शहर छोड़कर अपने अपने गावोंको चले जाते थे। मजदूरोंके गाव चले जानेसे मिलें बंद पड़ जाती थीं। इसलिए मिल-मालिकोंने प्लेग-बोनस देना शुरू किया, ताकि मजदूर अपने गावोंको न लौटें और मिलें चलाते रहें। यह बोनस मजदूरोंको वेतनके लगभग ७५ प्रतिशत तक मिलने लगा। परन्तु तानेवाले मजदूरोंको यह बोनस नहीं मिलता था। इन मजदूरोंमें ज्यादातर मुसलमान, ब्राह्मण और बनिये थे, जो शहरमें ही रहते थे। इनके बारेमें मालिकोंको यह भय नहीं था कि शहर छोड़कर ये गावोंमें चले जायंगे। लेकिन मालिकोंकी इस नीतिसे इन मजदूरोंमें भारी असतोष फैला और बोनस न मिलनेके कारण वे मालिकोंके सामने वेतन-वृद्धिकी मांग रखनेका विचार करने लगे।

मांगका अस्वीकार और हड़ताल

तानेवाले मजदूरोंके वेतनकी दर उस समय एक हजार तार पर बारह पाईकी थी। इस वेतनमें २५ प्रतिशत रकम बढ़ानेकी मांग पेश करनेकी बात उन्होंने सोची। इस मागका प्रस्ताव पास करनेके लिए उन्होंने साबरमती नदीकी रेतमें एक सभा बुलानेका विचार किया और अनसूयाबहनसे इस सभामें आकर उन्हें हिम्मत और उचित सलाह देनेकी प्रार्थना की। वे जानते थे कि अनसूयाबहन मजदूरोंके जीवन-विकासके लिए रचनात्मक कार्य करती हैं। उन्हें लगा कि अगर अनसूयाबहन उनकी इस लड़ाईका नेतृत्व संभालें और उन्हें उचित सलाह-सूचना दें, तो उनका काम सरल हो जायगा। इन मजदूरोंमें कुछ लोग शिक्षित थे और इस लड़ाईका संचालन करनेकी क्षमता रखते थे।

मजदूरोंमें शिक्षा और दवा-दारूकी मददके अलावा यदि सहकारी प्रवृत्ति भी आरंभ की जाय, तो वह उनके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। ठक्कर बापा उस समय बम्बई म्युनिसिपैलिटीमें इंजीनियर थे और कामदारोंकी एक सहकारी संस्था चलाते थे। सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीके केसरीप्रसाद ठाकोर* इस संस्थाका संचालन करते थे। अनसूयाबहन भी उन्हें अच्छी तरह पहचानती थीं। इंग्लैंडमें विद्याभ्यास करती थीं उस समय अनसूयाबहनका उनके साथ परिचय हुआ था। सहकारी मंडली स्थापित करनेकी बात इन्हें पसंद आई और अमरपुराकी चालके ही बारह मजदूरोंकी प्रथम सहकारी मंडली शुरू हुई। सहकारी मंडलियोंके रजिस्ट्रार गुणवंतराय देसाई इस कार्यके सम्बन्धमें समय समय पर उचित सलाह और सहायता देते रहते थे। उसके बाद दूसरी मंडलियां भी स्थापित हुईं। उन दिनों मिलोंके मजदूर पठानों, साहूकारों और मारवाड़ियोंसे ७५ से ३०० प्रतिशत तक ब्याज पर पैसे उधार लेते थे और जिन्दगी भर ब्याजमें डूबे रहते थे। मजदूर जब ये पैसे चुका पाते थे तब उनमें से कुछ अपनी पत्नियोंको भी गिरवी रख देते थे! इस भयंकर दुष्कृत्यको 'चोटला खत' कहा जाता था। सहकारी मंडलियोंकी स्थापना हो जाने पर यह स्थिति धीरे-धीरे दूर होने लगी थी।

मेरा अहमदाबाद आना तो होमरूल लीगके कार्यसे ही होता था, परन्तु उसमें से मुझे अनायास मजदूरोंके मुहल्लोंमें जाकर उनके अंकुरित हो रहे सेवाकार्यको देखनेका और कुछ हद तक उसमें हिस्सा लेनेका मौक़ा मिला। बम्बईमें होमरूल लीगकी ओरसे मजदूर-कार्य करनेकी मेरी इच्छा थी। परिस्थितिवश बम्बईमें यह कार्य नहीं हो सका, लेकिन अहमदाबादमें उसके लिए अनसोची अनुकूलता प्राप्त हो गई।

---

* वर्तमानमें स्वामी अद्वैतानंदजी।

२
आधार-भूत लड़ाई

दिसम्बर १९१७ में अहमदाबादकी मिलोंके तानेवाले मजदूरोंमें वेतन-वृद्धिके लिए आन्दोलन शुरू हुआ। इसी वर्षके जुलाई महीनेमें अहमदाबादमें प्लेगका रोग फैला। इसकी वजहसे मिल-मजदूर शहर छोड़कर अपने अपने गावोंको चले जाते थे। मजदूरोंके गाव चले जानेसे मिलें बंद पड जाती थीं। इसलिए मिल-मालिकोंने प्लेग-बोनस देना शुरू किया, ताकि मजदूर अपने गावोंको न लौटें और मिलें चलाते रहें। यह बोनस मजदूरोंको वेतनके लगभग ७५ प्रतिशत तक मिलने लगा। परन्तु तानेवाले मजदूरोंको यह बोनस नही मिलता था। इन मजदूरोंमें ज्यादातर मुसलमान, ब्राह्मण और बनिये थे, जो शहरमें ही रहते थे। इनके बारेमें मालिकोंको यह भय नहीं था कि शहर छोड़कर ये गावोंमें चले जायगे। लेकिन मालिकोंकी इस नीतिसे इन मजदूरोंमें भारी असतोष फैला और बोनस न मिलनेके कारण वे मालिकोंके सामने वेतन-वृद्धिकी माग रखनेका विचार करने लगे।

मागका अस्वीकार और हड़ताल

तानेवाले मजदूरोंके वेतनकी दर उस समय एक हजार तार पर बारह पाईकी थी। इस वेतनमें २५ प्रतिशत रकम बढ़ानेकी माग पेश करनेकी बात उन्होंने सोची। इस मागका प्रस्ताव पास करनेके लिए उन्होंने साबरमती नदीकी रेतमें एक सभा बुलानेका विचार किया और अनसूयाबहनसे इस सभामें आकर उन्हें हिम्मत और उचित सलाह देनेकी प्रार्थना की। वे जानते थे कि अनसूयाबहन मजदूरोंके जीवन-विकासके लिए रचनात्मक कार्य करती हैं। उन्हें लगा कि अगर अनसूयाबहन उनकी इस लड़ाईका नेतृत्व संभालें और उन्हें उचित सलाह-सूचना दें, तो उनका काम सरल हो जायगा। इन मजदूरोंमें कुछ लोग शिक्षित थे और इस लड़ाईका संचालन करनेकी क्षमता रखते थे।

परन्तु उन्हें इस बातका डर था कि लड़ाईका नेतृत्व ग्रहण करनेसे उन्हें मालिकोंके क्रोधका शिकार बनना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इस लड़ाईमें अनसूयाबहनकी मदद मांगी।

अनसूयाबहन मजदूरोंकी प्रार्थना स्वीकार करके उनकी सभामें गईं। सभामें यह प्रस्ताव पास हुआ कि वेतनमें २५ प्रतिशत वृद्धिकी मांग की जाय और मालिक उसे स्वीकार न करें तो हड़ताल की जाय। अनसूयाबहनने मजदूरोंको सलाह दी कि वे अपनी मांग लिखित रूपमें मालिकोंके सामने रखें और उसे स्वीकार करनेके लिए उन्हें ४८ घंटेका समय दें। मजदूरोंने उनकी यह सलाह मान ली। सभामें ही अलग अलग मिलोंके लिए इस मतलबकी नोटिस लिखकर तैयार की गयी और उस पर सभापतिके नाते अनसूयाबहनके हस्ताक्षर लेकर मालिकोंके पास भेज दी गयी। अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिमें विधिवत् मांग रखकर मालिकोंको कोई नोटिस देनेकी यह सर्वप्रथम घटना थी। मालिकोंको यह नोटिस मिल गयी थी। लेकिन मजदूरोंकी मांग स्वीकार नहीं की गई, इसलिए प्रस्तावके अनुसार ४ दिसम्बर, १९१७ को तानेवाले मजदूरोंने हड़ताल कर दी।

हड़ताल तोड़नेका निष्फल प्रयास

मिलोंमें तानेवाले मजदूरोंकी संख्या बहुत मर्यादित होती है। प्रत्येक मिलमें केवल पांच-सात ही तानेवाले होते हैं। इस हिसाबसे अहमदाबादकी सारी मिलोंमें उस समय तानेवालोंकी कुल संख्या पांच सौके आसपास रही होगी। संख्याकी दृष्टिसे देखा जाय तो तानेवालों-की हड़तालका कोई महत्त्व नहीं माना जायगा। परन्तु उनका काम कुछ इस प्रकारका होता है कि यदि वह रोज नियमित रूपसे न चले, तो दूसरे विभागोंका काम चल नहीं सकता और मिलें बंद हो जायं। इस कठिनाईसे बचनेके लिए मालिकोंने सोचा कि बम्बईसे तानेका काम करनेवाले मजदूर लाये जायं। उनके एजेन्ट बम्बई गये और वहांके तानेवालोंको समझा-बुझाकर और अच्छे वेतनका लालच देकर अहमदाबाद भेजने लगे। जब अहमदाबादके तानेवाले मजदूरोंके

को इसका पता चला तो वे ट्रेनके आनेके समय स्टेशन पर

जाकर बम्बईके मजदूरोंको मनाने और वापस भेजने लगे। साथ ही, जो जाने वाले मजदूर अहमदाबाद आकर यहाकी मिलोंमें काम करने लगे थे, उन्हें भी सच्ची स्थिति बताकर बम्बई लौटनेका प्रयत्न करने लगे। मिल-मालिकोंने बम्बईसे आनेवालोंको मिलके बन्द अहातेमें रखनेकी व्यवस्था की थी, ताकि हड़तालियोंके नेता उनसे मिल न सकें। परन्तु ये नेता अहातेकी दीवारें फांद कर भी उनसे मिलते थे और उन्हें बम्बई लौट जानेके लिए समझाते थे।

मजदूरोंके साथ विचार-विमर्श

इसी अरसेमें होमरूल लीगके कार्यके सिलसिलेमें मेरा अहमदाबाद आना हुआ। अनसूयाबहन उस समय प्लेगकी वजहसे अपना मिरजापुरका मकान छोड़कर शाहीबागमें दरियाखानके गुम्मटके पास एक निकट खेतमें तंबू लगवाकर रहती थी। इसलिए मुझे भी वहां रहनेके लिए जाना पड़ा। वहां सारे दिन हड़तालके सम्बन्धमें जो कुछ काम होता था, उसे देखनेका मौका मुझे मिला। सवेरे ही सवेरे तानेवाले मजदूरोंके नेता वहां आ जाते थे, चाय-नाश्ता करते थे, अनसूयाबहनसे मिलते थे, देने लायक जानकारी उन्हें देते थे और फिर उनकी सलाह लेकर चले जाते थे। इसी तरह शामको भी उन लोगोंकी सभा होती थी और विचार-विमर्श चलता था। इस तरह हड़तालके बारेमें जो काम हो रहा था उसे मैं प्रत्यक्ष देख सका।

उद्देश्यकी सिद्धि

यह हड़ताल दो ढाई माह तक चलती रही। इस बीच कुछ मजदूरोंको अपना और परिवारका निर्वाह चलानेमें कठिनाई महसूस होने लगी थी। अनसूयाबहन उनकी सहायताकी उचित व्यवस्था करती थी और जिन्हें पैसेकी जरूरत हो उनके लिए कुछ पैसेकी व्यवस्था भी कर देती थी। इसके लिए उन्होंने ५००० रुपये अपने पास रख छोड़े थे। परन्तु जिस पेटीमें उन्होंने ये रुपये रखे थे, उसे कोई भेदिया रातको तम्बूमें आकर चुरा ले गया। इसके बावजूद अनसूयाबहन मजदूरोंकी यथाशक्ति मदद करती रही और लड़ाईका काम लगन और उत्साहसे

चलता रहा। परिणाम यह आया कि मालिक अपने प्रयत्नमें सफल नहीं हुए और मजदूरोंके वेतनकी दर बढ़ाने लगे। वेतनकी दर एक हजार तार पर १२ पाई थी और २५ प्रतिशत वृद्धिके हिसाबसे वह १५ पाई होती थी। इसमें से १४।। पाई तक की वृद्धि तो मजदूरोंको मिलने लगी। उनकी मांग १५ पाईकी थी, इसलिए जैसा चाहिये था वैसा समझौता तो नहीं हो सका। लेकिन यह वृद्धि लगभग मांगके प्रतिशत जितनी ही थी, अतः इसे स्वीकार करके मजदूर काम पर जाने लगे। इस हड़तालसे मजदूरोंका उद्देश्य बहुत हद तक सिद्ध हो गया और यह हड़ताल मजदूर-प्रवृत्तिका आधार बन गई।

'मजदूर-दिन'

तानेवालोंने यह लड़ाई अनसूयाबहनके नेतृत्वमें बड़े अच्छे ढंगसे चलाई। मालिकोंने अपनी सारी शक्ति और साधनोंका उपयोग करके मजदूरोंकी हड़तालको तोड़नेका यथाशक्ति प्रयत्न किया, परन्तु अनसूया-बहनकी सलाहके अनुसार चलकर तानेवालोंके नेताओंने मालिकोंके प्रयत्न-को निष्फल बना दिया। इस लड़ाईमें बचुभाई वकील, अमुभाई महेता, हरिलाल साहेबा, कालिदास वकील आदि अनसूयाबहनकी सहायता करते थे। यह हड़ताल ४ दिसंबर, १९१७ को शुरू हुई थी। अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिके सिलसिलेमें यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए यह दिन अहमदाबादके मजदूरों द्वारा मजदूर-संगठनके प्रतीकके रूपमें 'मजदूर-दिन' की तरह मनाया जाता है।

एक बोधप्रद प्रसंग

इस हड़तालके सम्बन्धमें हुई एक महत्त्वपूर्ण घटनाकी बात अन-सूयाबहनसे सुनी थी, जो यहां देने जैसी है। इस घटनासे मजदूरोंको और उनके मित्रोंको हिंसासे दूर रहनेका प्रथम बोधपाठ मिला था। इस हड़तालके दौरान बम्बईसे लाये गये मजदूरोंको समझा कर वापस भेजनेके लिए पिकेटिंग जैसा भी करना पड़ता था, फिर भी सब मिला-कर अच्छी शांति रही थी। लेकिन हड़तालके बीच एक दिन मिल-मालिक मंडलके तत्कालीन मंत्री बम्बईसे आये हुए एक तानेवाले मज-

दूरको अपने साथ ले जा रहे थे। हड़ताल कर रहे एक मजदूरने उन्हें जानेवालेके साथ देख लिया। वह मजदूर उत्तेजित हो गया और मंत्री पर लाठीके एक दो वार करके भाग गया। उस समय सेठ मगलदास मिल-मालिक मंडलके अध्यक्ष थे। जब उन्हें इस घटनाका पता चला तो वे बहुत दुःखी हुए। अनसूयाबहन इस हड़तालका सचालन कर रही है और ऐसी घटनाके बारेमें गाधीजी ही उन्हें उचित सलाह दे सकते हैं—यह सोचकर हड़ताल बंद हो जाने पर सेठ मंगलदासने यह बात गांधीजीके सामने रखी। गांधीजीने अनसूयाबहनको बुलाया और गाधीजीके सामने मिल-मालिकोंके साथ इस घटनाकी चर्चा हुई।

गांधीजीका आग्रह था कि सभी बातोंमें अहिंसाका सपूर्ण पालन होना चाहिये, इसलिए उन्होंने इस घटनाके सम्बन्धमें अनसूयाबहनसे प्रश्न किये। उन्होंने गाधीजीसे कहा कि इस घटनाके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था और किस मजदूरने ऐसा किया इसका भी मुझे पता नहीं है। गाधीजीको उनकी बातसे सन्तोष हुआ। परन्तु उन्होंने इस विषयमें एक सैद्धान्तिक प्रश्न अनसूयाबहनसे किया: "जो कुछ हुआ वह बुरा हुआ, ऐसा तुम्हें लगता है या नहीं?" उत्तरमें अनसूयाबहनने स्पष्ट कहा: "मुझे ऐसा नहीं लगता।" इस पर मजदूरोंकी ऐसी लड़ाईमें अहिंसा-पालनके महत्त्वके विषयमें गाधीजीने उन्हें भलीभांति समझाया और उनसे आग्रह किया कि इसके लिए वे पूरी सावधानी रखें।

परन्तु सेठ मंगलदासको इतनेसे संतोष न हुआ। उनका और दूसरे मिल-मालिकोंका यह आग्रह था कि जो घटना हुई है, उसके लिए सम्बन्धित मजदूरको उचित दंड मिलना चाहिये। इस पर गांधीजीने कहा कि दंडके रूपमें १० रुपये दिये जायं। अनसूयाबहनने यह दड देना स्वीकार कर लिया। लेकिन सेठ मगलदासने कहा: "इतना दड तो अनसूयाबहन आसानीसे भर देंगी। इससे मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा? वास्तवमें जिस मजदूरने मिल-मालिक मंडलके मंत्री पर लाठीका वार किया, उसीसे १० रुपये वसूल करके उन्हें यह दंड भरना चाहिये। तभी उचित न्याय हुआ ऐसा कहा जायगा और तभी मजदूरोंको

सवक मिलेगा।" गांधीजीको यह बात ठीक लगी और अनसूयाबहनने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन इस बातका किसीको पता नहीं चला कि वह मजदूर कौन था, इसलिए १० रुपयेका दंड विना भरा ही रह गया। इस सबके बावजूद यह प्रसंग मजदूरों और उनके कार्यकर्ताओंके लिए मजदूर-प्रवृत्तिके संचालनकी दृष्टिसे अत्यंत बोधप्रद सिद्ध हुआ।

नई परंपरा

अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिके इतिहासमें इस हड़तालका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। तानेवालोंकी यह हड़ताल मिल-मजदूरोंकी कोई पहली हड़ताल नहीं थी। इसके पहले भी मौका आने पर मिलोंमें हड़ताल होती ही थी। परन्तु पहलेकी उन हड़तालोंमें कोई उचित विचार अथवा व्यवस्था जैसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती थी। किसी मिलमें या मिलके किसी विभागमें काम करनेवाले मजदूरोंको कोई कष्ट होता और उसकी वजहसे मिलके या उसके किसी विभागके बड़ी संख्याके मजदूरोंमें असंतोष पैदा होता, तो वे अपना काम छोड़कर चले जाते थे। हड़तालके प्रतीकके रूपमें मजदूर आपसमें कंकड़ या दूसरी कोई चीज घुमाते थे। इससे सब मजदूर समझ लेते थे कि काम बन्द करना है। लेकिन अमुक बातमें तक़लीफ होती है या अन्याय होता है और उसे दूर करानेके लिए अमुक कदम उठाये जाने चाहिये—इस तरहका व्यवस्थित विचार-विमर्श शायद ही मजदूरोंमें होता था। मजदूरोंमें अन्दर ही अन्दर कोई चर्चा शायद होती भी हो, परन्तु किसी प्रश्न पर मिलके अधिकारियों अथवा मालिकोंसे न तो उनकी कभी कोई बात होती थी और न मजदूरोंकी ओरसे कोई मांग उनके सामने रखी जाती थी। ऐसी बात करनेका विचार किसी मजदूरके मनमें आता भी हो तो उसे यह डर रहता था कि बात करने जाऊंगा तो नौकरीसे निकाल दिया जाऊंगा। इसलिए असंतोष फैलने पर मजदूरोंको आम तौर पर काम बन्द करके चले जानेका ही रास्ता लेना पड़ता था। सारी मिलोंसे सम्बन्धित कोई सामान्य प्रश्न खड़े होते तब भी मजदूरोंकी यही स्थिति रहती थी। बहुत बार मिलके अधिकारियों या मालिकोंको इस बातका पता ही नहीं चलता था कि मजदूरोंने

किस कारणसे काम बन्द किया है या हड़ताल किस कारणसे हुई है। हड़ताल पड़नेके बाद अधिकारी स्वयं या नौकरोंके द्वारा मजदूरोंको उनको एकत्रित करके उन्हें समझाते थे और फिरसे काम पर लगानेका प्रयत्न करते थे। इस प्रयत्नमें अगर मजदूरोंकी कोई तकलीफें दूर करना सम्भव होता तो दूर कर दी जातीं, वर्ना कुछ दिन हड़ताल चलती रहती। कुछ समय बाद मजदूर हारकर स्वयं काम पर लग जाते और उनमें से कोई मजदूर नेताके रूपमें अधिकारियोंकी नजर पर चढ़ जाता, तो उसे नौकरीसे हाथ धोकर घर बैठना पड़ता था।

मिल-मजदूरोंकी सामान्य स्थिति ऐसी थी। लेकिन १९१७को चलनेवालोंकी हड़तालने एक नई ही परम्परा स्थापित की।

लड़ाईके मूलभूत सिद्धान्त

इस हड़तालमें मजदूरोंकी जागृति, समझदारी और संगठन-शक्ति तथा व्यवस्था-शक्तिका प्रथम दर्शन सबको हुआ। इस हड़तालके फल-स्वरूप मजदूर जनताके समक्ष मजदूरोंकी लड़ाईके सम्बन्धमें नीचेके मूलभूत सिद्धान्त प्रकट हुए:

१. लड़ाई निश्चित उद्देश्योंके लिए लड़ी जानी चाहिये।
२. उन उद्देश्योंसे सम्बन्धित माग स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिये।
३. वह माग सब मजदूरोंको एकत्र होकर और उस पर सावधानीसे विचार करके स्वीकार करनी चाहिये।
४. वह माग मालिकोंके सामने व्यवस्थित और लिखित रूपमें रखी जानी चाहिये।
५. मांग स्वीकृत न होनेकी स्थिति हो तो भी मालिकोंको उस पर सोचने-विचारनेके लिए उचित समय देना चाहिये।
६. मांग स्वीकृत न हो और हड़ताल करनी पड़े, तो उस हड़तालमें सपूर्ण शांति रखनी चाहिये।
७. हड़ताल शांतिपूर्वक और कार्य-साधक ढगसे चले, इसके लिए जिम्मेदार नेताओंको उचित व्यवस्था करनी चाहिये।
८. जो मजदूर-नेता हड़तालका संचालन करते हों, उन्हें प्रतिदिन उचित मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिये।

९. इस बातकी उचित सावधानी रखनी चाहिये कि कोई मजदूर हड़तालमें किसीकी धमकीका शिकार न हो।
१०. कोई मिल समझौता करना चाहे, तो उचित शर्तों पर समझौता हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

इस हड़तालके व्यवस्थित और सफल संचालनके फलस्वरूप अहमदावादके मिल-मजदूरोंमें नये प्राणोंका संचार हुआ, उन्हें अपनी शक्तिका भान होने लगा तथा अपने विकास और उन्नतिके लिए संगठित होकर प्रयत्न करनेकी वृत्ति उनमें उत्पन्न हुई। इस प्रकार यह हड़ताल भावी मजदूर-प्रवृत्तिका श्रीगणेश सिद्ध हुई।

३

बुनाई-विभागकी लड़ाई

[उचित मांग]

१९१८के आरंभमें अहमदाबादका प्लेग शांत हो गया, इसलिए मिल-मालिकोंने सोचा कि मजदूरोंका प्लेग-बोनस बंद कर दिया जाय। मिलोंके बुनाई-विभागके मजदूरोंको जब इसका पता चला, तो उनमें भारी खलबली मच गई। ये प्रथम विश्वयुद्धके वर्ष थे और युद्धके कारण महंगाई भी बढ़ गई थी। परन्तु वेतनका ७५ प्रतिशत जितना प्लेग-बोनस मिलनेसे इन मजदूरोंके जीवन-मानमें सुधार हुआ था और उनका रहन-सहन अच्छा बन गया था। उन्हें लगा कि बोनसके बंद होते ही हमारी स्थिति फिर कठिन हो जायगी। इसलिए वे मालिकोंके सामने ऐसी मांग रखनेकी बात सोचने लगे कि बोनसके बदले उनके वेतनमें ही व्यवस्थित वृद्धि कर दी जाय।

सहायताके लिए आग्रह

अनसूयाबहनने तानेवालोंकी लड़ाईमें साथ दिया था और उस शुभ परिणाम आया था, इसलिए बुनाई-विभागके मजदूर भी

उनके पास आने लगे और उनसे आग्रह करने लगे कि हमारी लडाईका संचालन भी आप करें। अनसूयाबहनको मजदूरोंके प्रति गहरी सहानुभूति थी, उनकी बातें वे सहानुभूतिके साथ सुनती थी और उन्हें समझ कर यथाशक्ति उनकी मदद करती थी। इसलिए मजदूर उनसे प्रेम रखते थे, मजदूरोंका उन पर बड़ा विश्वास था और उन्हे लगता था कि अनसूयाबहन अगर हमारा मामला हाथमें ले ले तो हमारा काम सफल हो सकता है। उस समय प्लेगका जोर कम हो गया था, इसलिए अनसूयाबहन दरियाखानके गुम्मटके नजदीकवाले खेतसे हटकर शाहीबाग रोडके 'काचकी बंगली' नामसे पुकारे जानेवाले मकानमे रहने चली गई थीं। वह मकान मजदूरोंका अपना घर बन गया था।

गंभीर जिम्मेदारी

अनसूयाबहन भी यह मानती थी कि बुनाई-विभागके मजदूरोंका मामला हाथमें लेने जैसा है। लेकिन उनकी लड़ाईका संचालन करना आसान नही था। तानेवाले मजदूरोंकी अपेक्षा उनकी सख्या कई गुनी अधिक थी। सारी मिलोंके बुनाई-विभागके मजदूरोंकी कुल सख्या १५ से २० हजार तक पहुंचती थी। इसके सिवा, बुनाई-विभागमें हड़ताल होती तो दूसरे विभाग भी बन्द पड़ जाते और इसके फलस्वरूप सारे ही मजदूर अर्थात् पचास हजारके लगभग मजदूर बेकार हो जाते। ऐसी परिस्थितियोंमें उनकी लडाई शुरु करनेमें अनसूयाबहनको गहरी जिम्मेदारी मालूम होती थी।

गांधीजीसे मार्गदर्शनकी प्रार्थना

तानेवाले मजदूरोंकी हड़तालमें गांधीजीने कोई सीधा भाग नही लिया था। लेकिन उस लडाईके साथ उनकी सहानुभूति तो थी ही। इन मजदूरोंकी लडाई चल रही थी उस बीच उनकी मांगके बारेमें अनसूयाबहनकी बात पर सहानुभूतिसे विचार करनेके लिए गांधीजीने अंबालालभाईको एक पत्र भी लिखा था। बुनाई-विभागके मजदूरोंकी इस लड़ाईके बारेमें अनसूयाबहन ऐसा मानती थीं कि गांधीजीकी सहानुभूति, मार्गदर्शन और सहायता इसके लिए प्राप्त हो, तो ही

पचकी यह व्यवस्था मजदूरोंके लिए बिलकुल नई होनेके कारण कुछ मजदूर उसका महत्त्व और उसके सम्बन्धमें अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं सके और हड़ताल कर बैठे। इसलिए मालिकोंने इस कारणको सामने रखकर पचकी व्यवस्था रद्द कर दी।

गांधीजीने यह कह कर मिल-मालिकोंको समझानेका खूब प्रयत्न किया कि हड़ताल करके मजदूरोंने गलती की है, अपने इस कृत्यके लिए वे दुःखी है; इसलिए उन्हें क्षमा करके आपको पचकी व्यवस्था चालू रखनी चाहिये। परन्तु इस प्रयत्नमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि मजदूरोंकी इस मांगके बारेमें क्या किया जाय। गांधीजीको मजदूरोंकी मांग उचित मालूम होती थी, इसलिए इस प्रश्नको वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने अनसूयाबहनको यह प्रश्न हाथमें लेनेकी सलाह दी और उन्हें अपने साथ रखकर उनसे सम्बन्धित लड़ाईका संचालन किया। इस लड़ाईने मजदूर-प्रवृत्तिमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इसमें मजदूरों, उनके कार्यकर्ताओं तथा मिल-मालिकोंको अनेक अमूल्य पाठ सीखनेको मिले, और ये पाठ केवल अहमदाबादके ही नहीं परन्तु सारे देशके उद्योगों और मजदूर-प्रवृत्तिके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं।

मजदूरोंकी इस लड़ाईका विस्तृत वर्णन महादेव देसाईने अपनी 'एक धर्मयुद्ध' नामक पुस्तकमें किया है। मजदूर-प्रवृत्ति तथा उद्योगोंके विकासमें रस लेनेवाले सब लोगोंके लिए यह पुस्तक अध्ययन करने योग्य है। उस पुस्तकमें इस लड़ाईसे सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण बातोंका ब्योरेवार वर्णन दिया गया है। फिर भी इस लड़ाईसे सम्बन्धित कुछ प्रसंगोंके बारेमें मुझे जो कुछ देखने-समझनेको मिला है, वह भी इस लड़ाईके अध्ययनमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः उसे यहां देना अप्रस्तुत नहीं होगा।

उचित मांग

मजदूरोंकी मांगके बारेमें गांधीजीकी सामान्य नीति यह थी कि उससे सम्बन्धित सारी बातोंकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिये। विरोधी पक्षकी ओरसे जो बातें प्रस्तुत की जाय उन पर भी सात-

लड़ाई शुरू की जा सकती है। इस समय गांधीजी बिहारके चंपारन जिलेमें नील-उद्योगके किसानोंके कार्यमें लगे हुए थे। अनसूयाबहनने चंपारनमें गांधीजीको तार किया और गांधीजीने इस मामलेमें उचित सहायता देना स्वीकार किया। मिल-मालिक और अहमदाबादके कलेक्टर मि० चेटफील्ड भी इस प्रश्न पर गंभीरतासे सोच रहे थे। उन्होंने भी गांधीजीको संदेश भेजा था कि वे अहमदाबाद आकर इस प्रश्नका शांतिपूर्ण हल खोजनेमें मदद करें।

उसी अरसेमें गुजरातके खेड़ा जिलेमें फसल कम पकी थी, इसलिए वहांके किसान करबंदीकी लड़ाई छेड़नेका विचार कर रहे थे। उन्होंने होमरूल लीगकी बम्बई शाखासे इस कार्यमें उचित सलाह और सहायता देनेकी प्रार्थना की थी। अतः इस संस्थाकी ओरसे भी गांधीजीको मददके लिए आनेका तार किया गया था। यह प्रश्न भी बड़े महत्त्वका था, इसलिए गांधीजी पहले बम्बई गये। वहांसे वे अहमदाबाद आये और इन दोनों प्रश्नोंके बारेमें उन्होंने उचित जांच और विचार-विमर्श आरंभ कर दिया।

खेड़ाकी लड़ाईसे सम्बन्धित विचार-विमर्श अहमदाबादकी गुजरात सभामें होने लगा था। होमरूल लीगकी अहमदाबाद शाखाकी भी इस प्रश्नमें गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उसकी ओरसे इस विचार-विमर्शमें भाग लेनेके लिए मेरा अहमदाबाद आना हुआ। उसी अरसेमें बुनाई-विभागके मजदूरोंकी मांगके बारेमें भी वहां चर्चा और विचार-विमर्श चल रहा था, अतः अनायास मुझे उसमें भी भाग लेनेका मौका मिल गया।

पंचकी नियुक्तिके लिए प्रयास

अहमदाबाद आनेके बाद गांधीजीने बुनाई-विभागके मजदूरोंकी मांगके बारेमें सारी हकीकतें समझ लीं और उन्हें लगा कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। अतः उन्होंने यह प्रश्न अपने हाथमें लिया। उन्होंने मिल-मालिकोंके साथ बातचीत शुरू की और मालिकों तथा मजदूरोंके इस प्रश्नका उचित ढंगसे निबटारा करनेके लिए मि० चेटफील्डकी अध्यक्षतामें पंचकी नियुक्ति कराई। परन्तु

पचकी यह व्यवस्था मजदूरोंके लिए बिलकुल नई होनेके कारण कुछ मजदूर उसका महत्त्व और उसके सम्बन्धमें अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं सके और हड़ताल कर बैठे। इसलिए मालिकोंने इस कारणको सामने रखकर पचकी व्यवस्था रद्द कर दी।

गांधीजीने यह कह कर मिल-मालिकोंको समझानेका खूब प्रयत्न किया कि हड़ताल करके मजदूरोंने गलती की है, अपने इस कृत्यके लिए वे दुःखी हैं; इसलिए उन्हें क्षमा करके आपको पचकी व्यवस्था चालू रखनी चाहिये। परन्तु इस प्रयत्नमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि मजदूरोंकी इस मांगके बारेमें क्या किया जाय। गांधीजीको मजदूरोंकी मांग उचित मालूम होती थी, इसलिए इस प्रश्नको वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने अनसूयाबहनको यह प्रश्न हाथमें लेनेकी सलाह दी और उन्हें अपने साथ रखकर उससे सम्बन्धित लड़ाईका संचालन किया। इस लड़ाईने मजदूर-प्रवृत्तिमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इसमें मजदूरों, उनके कार्यकर्ताओं तथा मिल-मालिकोंको अनेक अमूल्य पाठ सीखनेको मिले, और ये पाठ केवल अहमदाबादके ही नहीं परन्तु सारे देशके उद्योगों और मजदूर-प्रवृत्तिके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं।

मजदूरोंकी इस लड़ाईका विस्तृत वर्णन महादेव देसाईने अपनी 'एक धर्मयुद्ध' नामक पुस्तकमें किया है। मजदूर-प्रवृत्ति तथा उद्योगोंके विकासमें रस लेनेवाले सब लोगोंके लिए यह पुस्तक अध्ययन करने योग्य है। उस पुस्तकमें इस लड़ाईसे सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण बातोंका ब्योरेवार वर्णन दिया गया है। फिर भी इस लड़ाईसे सम्बन्धित कुछ प्रसंगोंके बारेमें मुझे जो कुछ देखने-समझनेको मिला है, वह भी इस लड़ाईके अध्ययनमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः उसे यहां देना अप्रस्तुत नहीं होगा।

उचित मांग

मजदूरोंकी मांगके बारेमें गांधीजीकी सामान्य नीति यह थी कि उससे सम्बन्धित सारी बातोंकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिये। विरोधी पक्षकी ओरसे जो बातें प्रस्तुत की जाय उन पर भी साव-

धानीसे विचार किया जाना चाहिये; और जांचके फलस्वरूप जो तथ्य सामने आयें उनके आधार पर मजदूरोंकी मांगका अंतिम रूप निश्चित किया जाना चाहिये। इस प्रश्नके निबटारेके लिए जब पंचकी नियुक्ति-के बारेमें विचार किया जा रहा था, उस समय मिल-मालिकोंके साथ हुई बातचीतमें उन्होंने (मालिकोंने) यह कहा कि यदि मज-दूरोंके वेतनमें बड़ी वृद्धि की जाय, तो बम्बईकी स्पर्धामें अहमदाबाद-की मिलोंकी स्थिति अत्यंत विषम बन जायगी। विश्वयुद्धके फलस्वरूप बढ़ी हुई महंगाईकी वजहसे जीवन-निर्वाहका खर्च पूरा करनेके लिए मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि करना तो जरूरी था ही, परन्तु गांधीजीको लगा कि मालिकों द्वारा प्रस्तुत की गई स्पर्धावाली बात पर भी जांचके बाद विचार होना चाहिये। इसलिए उन्होंने यह जांच कराने-का निर्णय किया कि बम्बईकी मिलोंमें बुनाई-विभागके मजदूरोंको कितना वेतन मिलता है।

बम्बईके कुछ मिल-मालिकोंके साथ मेरा परिचय था, इसलिए वेतन-सम्बन्धी जांच करनेका काम गांधीजीने मुझे सौंपा था। मुझे लगा कि इस प्रकारकी जांचमें अहमदाबादकी मिलोंकी स्थितिसे परिचित कोई मिल-अधिकारी भी मेरे साथ रहे तो अधिक अच्छा होगा। उस समय अमुभाई महेता 'श्री हरिवल्लभ मूलचंद मिल' के मैनेजर थे और व्यक्तिगत रूपमें मजदूरोंकी उचित जरूरतोंके बारेमें सहानुभूति रखते थे। उन्हें मैं अपने साथ बम्बई ले गया और हम दोनोंने वहांकी विभिन्न मिलोंमें बुनाई-विभागके मजदूरोंको दिये जानेवाले वेतनके बारेमें जांच की।

इस जांचके फलस्वरूप हमें यह मालूम हुआ कि बम्बईकी अच्छी मानी जानेवाली मिलोंमें मजदूरोंकी आय अहमदाबादकी मिलोंके मजदूरोंकी आयसे ५० प्रतिशत अधिक थी; और सामान्य मिलोंके वेतन भी अहमदाबादकी मिलोंकी अपेक्षा ३५ प्रतिशत अधिक थे। जांचका काम पूरा होनेके बाद हम दोनों अहमदाबाद आये और हमने सारी बातें गांधीजीके सामने रखीं। गांधीजीने उन पर सोचा-विचारा और वे इस निर्णय प[illegible] मजदूरोंके वेतनमें

३५ प्रतिशत वृद्धिकी माग करना उचित माना जायगा। बम्बईके आकड़ोंको देखते हुए ५० प्रतिशत वृद्धिकी माग भी की जा सकती थी। परन्तु दो पक्षोंके मतभेदोंसे सम्बन्धित प्रश्नोंके बारेमें गांधीजीकी सामान्य नीति यह रहती थी कि कोई माग उचित हो इतना ही काफी नहीं है, वह माग कमसे कम भी होनी चाहिये, इसलिए उन्होंने ३५ प्रतिशत वृद्धिकी ही माग करना उचित माना।

मजदूर-नेताओंसे विचार-विमर्श

इस निर्णय पर पहुचनेके बाद गांधीजीने अनसूयाबहनसे कहा कि वे मजदूरोंके नेताओंकी एक सभा बुलायें। इसलिए शाहीबाग रोड स्थित 'काचकी बगली' के बगीचेमें यह सभा की गई। अलग अलग मिलोंके मुख्य मुख्य नेता इस प्रश्न पर विचार करनेके लिए सभामें उपस्थित हुए। उनकी सख्या सौ के करीब रही होगी। उनमें मुसलमानोंके साथ पाटीदार भी थे, परन्तु चर्चामें मुसलमान मजदूर ही मुख्य भाग लेते थे। अनसूयाबहन पर उन लोगोंकी अपार श्रद्धा और प्रेम था। इस सभामें गांधीजीने मजदूरोंकी मागके बारेमें सारे तथ्य और उसके विषयमें अपने विचार पेश किये। उन्होंने कहा कि आप लोगोंकी वेतन-वृद्धिकी माग बिलकुल उचित है और आपको वेतनमें उचित वृद्धि मिलनी ही चाहिये। परन्तु बम्बईकी मिलोंमें मिलनेवाले वेतनके आंकड़ोंको देखते हुए यहाके मजदूरोंके वेतनमें ३५ प्रतिशत वृद्धिकी माग करना ही उचित होगा। बुनाई-विभागके मजदूर-नेता समझदार थे। आकड़ों वगैराकी चर्चामें वे अच्छी तरह उतर सकते थे। बम्बईकी मिलोंके वेतनके जो आकड़े सभामें पेश किये गये थे, उन परसे उन्हें लगता था कि वेतनमें ५० प्रतिशत तक वृद्धिकी माग की जा सकती है। इसलिए उन्होंने जोरोंसे यह आग्रह किया कि ५० प्रतिशत वृद्धिकी ही मांग की जानी चाहिये।

मजदूर-नेता आग्रहके साथ यह दलील करने लगे कि अगर बम्बईकी अच्छी मिलें अहमदाबादसे ५० प्रतिशत अधिक वेतन मजदूरोंको दे सकती हैं, तो अहमदाबादकी मिलोंसे भी ५० प्रतिशत अधिक वेतनकी माग क्यों न की जाय? इस पर गांधीजीने उन लोगोंको अपने

विचार समझाये। उन्होंने कहा कि मांग करनेसे ही वह पूरी हो जानेवाली नहीं है। यहांके मिल-मालिक तो २० प्रतिशतसे अधिक देनेसे साफ इनकार करते हैं। इसलिए अगर २० से अधिक प्रतिशतकी मांग हम करते हैं, तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाईकी सफलताका आधार जिस तरह मजदूरोंकी शक्ति पर रहेगा उसी तरह मांगके उचित होने पर भी रहेगा। शहरकी आम जनता भी इस प्रश्न पर विचार करेगी। वह जानना चाहेगी कि मजदूरोंकी मांग उचित है या नहीं; और आपकी मांग उचित होगी, तो ही उसे जनताका समर्थन प्राप्त होगा। ऐसी लड़ाईमें जनताके समर्थनका बड़ा महत्त्व होता है। इसके अलावा, इस लड़ाईके दौरान या लड़ाईके अंतमें यह मामला कहीं तटस्थ पंचको सौंपनेका निर्णय हो, तो उसमें भी आपकी मांग यदि कमसे कम होगी तो ही उसे उचित सिद्ध करनेमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मांग कमसे कम हो और ऐसी हो जिससे कोई इनकार न कर सके — यही सब दृष्टियोंसे हितकर है। मजदूरोंका ५० प्रतिशत वृद्धिके लिए बड़ा आग्रह था और उसे कम करना उन्हें बिलकुल पसंद नहीं था, फिर भी गांधीजीकी इस दलीलका अंतमें उनके मन पर असर हुआ और केवल ३५ प्रतिशत वृद्धिकी मांग करनेका निर्णय उन्होंने स्वीकार कर लिया।

मांगके बारेमें दृढ़ता

हड़ताल अनिवार्य हो गई

३५ प्रतिशत *वृद्धिकी मांगका निर्णय हो जाने पर गांधीजीने* मिल-मालिकोंको इसकी जानकारी दी। गांधीजीकी नीति यह थी: मतभेदका कोई भी प्रश्न खड़ा हो तब सामान्यतः अपने विचार विरोधी पक्षको समझाना और यदि विरोधी पक्षको कुछ कहना हो तो उसे सावधानीसे सुनकर उस पर गहरा विचार करना। अपनी इस नीतिके अनुसार गांधीजीने मालिकोंसे निवेदन किया कि वे मजदूरोंकी वेतन-वृद्धिकी मांगके बारेमें विस्तारसे अपने विचार बतायें और इस प्रश्नका हल करनेमें यथासंभव सहायता दें।

मजदूरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंका निबटारा करनेके लिए मिल-मालिकोंने एक अलग मंडल बनाया था। सेठ अंबालाल साराभाई इस विषयमें उनका मार्गदर्शन करते थे और मंडलके कार्यका संचालन करते थे। *गांधीजीने बहुत सोच-विचारके बाद कमसे कम मांग* मालिकोंके सामने रखी थी, परन्तु मालिकोंको वह भी स्वीकार करने जैसी नहीं लगी। उन्होंने यह दलील पेश की कि बम्बईके मिल-मालिक अपने मजदूरोंको बहुत थोड़ा वेतन देते हैं, परन्तु इस बारेमें कुछ नहीं कहा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें उन्हें स्वयं अपने मजदूरोंको कितना वेतन देना चाहिये। वास्तवमें उन्होंने केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि देनेका निर्णय किया था और यह तय कर लिया था कि इतनी वृद्धि लेकर मजदूर काम करनेको तैयार न हों तो उन्हें काम पर न रखा जाय। लेकिन २० प्रतिशत वृद्धि बहुत कम थी, इसलिए समझौतेका कोई मार्ग न रहा। अंतमें हड़ताल करना अनिवार्य हो गया।

४

आदर्श शान्ति

हड़ताल करनेका निर्णय हो जाने पर हिन्दू-मुसलमान सब मजदूर मिल छोड़नेसे पहले अपनी अपनी मशीनोंको प्रणाम करके बाहर निकले। कुछ मजदूरोंने तो अपनी मशीनोंके सामने नारियलकी भेंट भी चढ़ाई और ऐसी भावना प्रकट की कि अभी तो हम जा रहे हैं, परन्तु जल्दी ही हम काम करनेके लिए लौट आयेंगे। इससे हमें इस बातकी कुछ कल्पना होती है कि अपने कामके लिए मजदूरोंके हृदयमें कैसा प्रेम था। मिलें भले ही मालिकों या शेयर-होल्डरोंकी हों, परन्तु उनकी मशीनें मजदूरोंको रोजी देती थीं। इसलिए मशीनोंके प्रति उनके हृदयमें प्रेम था और उनसे अलग पड़नेमें उन्हें दुःख होता था।

लड़ाईके सिद्धान्त और मार्गदर्शन

३५ प्रतिशत वृद्धिके लिए मालिकोंसे लड़ाई लड़नेका निर्णय हुआ उस समयसे मिल-मजदूरोंने इस लड़ाईका नेतृत्व अपने सलाहकारोंको सौंप दिया था और यह तय किया था कि वे जो सलाह दें उसीके अनुसार काम किया जाय। इस लड़ाईके विषयमें गांधीजीकी भावना कुछ निराली ही थी। उनकी दृष्टिमें यह लड़ाई केवल अमुक प्रतिशत वेतन-वृद्धिकी नहीं थी, परन्तु न्याय और नीतिकी — सत्याग्रहकी लड़ाई थी। उनका यह आग्रह था कि इस लड़ाईमें अहिंसाका संपूर्ण पालन हो और इस प्रकारकी लड़ाईके बारेमें उनके जो मूलभूत सिद्धान्त थे उनके अनुसार ही वह चलाई जाय। इसके लिए यह जरूरी था कि मिल-मजदूर, उनके नेता और कार्यकर्ता भी इन सिद्धान्तों और उनके मर्मको भलीभांति समझें।

अपने सिद्धान्तों और उनके मर्मको समझानेके लिए गांधीजीने साबरमती नदीकी रेतमें रोज शामको मजदूरोंकी आम सभा करने और मजदूरोंके लिए पत्रिका निकालनेका कार्यक्रम बनाया। सभामें वे

सत्याग्रहकी लड़ाईके सम्बन्धमें अपनी नीति तथा लड़ाईकी रोजकी स्थितिके बारेमें मजदूरोंको अच्छी तरह समझाते थे। सभा पूरी होनेके बाद गांधीजी कुछ देरके लिए अनसूयाबहनके मिरजापुरवाले बंगलेमें आराम करते थे। उस बीच मजदूरोंको भी अगर कुछ कहना होता तो वे गांधीजीके पास पहुंच कर अपनी बात उनसे कहते थे। परन्तु आरामके इस समयमें गांधीजी खास तौर पर हड़ताल सम्बन्धी छोटी-मोटी बातें करते थे, अपना दृष्टिकोण समझाते थे, और उचित सलाह-सूचना भी देते थे। मजदूरोंके लिए रोज जो पत्रिका निकाली जाती थी, उसे भी वे स्वयं ही लिखते थे। लेकिन सामान्य मजदूर जनतामें अनसूयाबहनका नाम प्रसिद्ध था, इसलिए उन्हींके नामसे ये पत्रिकायें निकाली जाती थीं। इन पत्रिकाओंके द्वारा मजदूरोंको लड़ाईके बारेमें सारी आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन मिल जाता था।

पहले दिन जो पत्रिका निकली थी, उसमें इस लड़ाईकी भूमिका समझाई गई थी और मजदूरोंकी प्रतिज्ञा भी दी गई थी। उसमें मजदूरोंको यह स्पष्ट आदेश दिया गया था कि हड़तालके दिनोंमें वे पूर्ण शांति बनाये रखें। वह आदेश इस प्रकार था :

"लॉक आउट (तालाबंदी) के दिनोंमें किसी भी तरहका तूफान न किया जाय, मारपीट न की जाय, लूट-खसोट न की जाय, मालिकोंकी जायदादको नुकसान न पहुंचाया जाय, गाली-गलौज न की जाय और शांतिसे रहा जाय।"

इस आदेशका मजदूरोंने समझ-बूझकर पालन किया और हड़तालके दिनोंमें प्रशंसनीय शांति रखी।

तालाबंदी

३५ प्रतिशत वेतन-वृद्धिके बारेमें गांधीजीने जिस हड़तालकी घोषणा की थी, वह तो सिर्फ बुनाई-विभागके मजदूरोंकी थी। थ्रॉसल (कताई) विभाग और दूसरे विभागोंके मजदूरोंकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि इस लड़ाईमें उनका टिकना कठिन हो जाता। इसलिए उन्हें जान-बूझकर इस हड़तालसे अलग रखा गया था। परन्तु हड़तालकी घोषणा होने पर मिल-मालिक मण्डलने 'तालाबंदी' (लॉक

आउट) घोषित कर दी। इसके फलस्वरूप केवल बुनाई-विभागके १५-२० हजार मजदूर ही नहीं, किन्तु सारी मिलोंके सभी मजदूर अर्थात् लगभग ५० हजार मजदूर बेकार हो गये।

सरकार द्वारा सावधानीके कदम

अहमदाबादके कलेक्टरको यह डर हुआ कि इतनी बड़ी संख्यामें मजदूर अगर बेकार बनकर शहरमें इधर-उधर भटकते फिरें, तो किसी भी क्षण वे तूफान खड़ा कर सकते हैं और शहरकी स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए शहरमें शांति बनाये रखनेके लिए उन्होंने कारगर कदम उठाने शुरू कर दिये। हड़ताल शुरू होते ही सशस्त्र पुलिसकी मोटरें शहरमें चारों ओर घूमने लगीं। लेकिन मजदूरोंने तो गांधीजीसे शांतिका सबक सीख और समझ लिया था और इस सम्बन्धमें वे गांधीजीकी सूचनाओंका पालन करने लग गये थे।

काममें जुटे रहो

गांधीजीको इस बातका पूरा खयाल था कि आदमीके जीवनमें अगर कामके बिना बेकार बैठनेकी स्थिति आ जाय और ऐसे बेकार आदमी जगह जगह इकट्ठे होते रहें, तो किसी भी समय उनके मनमें कोई अनुचित विचार पैदा हो सकता है और वे न करने जैसा काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शुरूमें ही मजदूरोंको यह सलाह दी थी कि हड़ताल चले तब तक आप सबको सारे समय किसी न किसी उपयोगी काममें लगे रहना चाहिये। जिन्हें कोई दूसरा काम-धन्धा आता हो उन्हें उसमें लग जाना चाहिये और उससे अपनी आजीविका प्राप्त करनी चाहिये। हरएक मनुष्यको चाहिये कि वह ऐसा कोई दूसरा सहायक धन्धा सीख ले, जो संकटके समय उसके काम आये। अतः जिनके लिए संभव हो उन्हें ऐसा कोई धन्धा भी सीख लेना चाहिये। सबको अपने घरकी, आंगनकी और मुहल्लोंकी सफाई करनी चाहिये, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिये और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। किसी न किसी काममें जुटे रहनेसे मनके बेकाबू बननेकी स्थिति ही खड़ी नहीं होगी और अनायास शांति बनी रहेगी। इस प्रकार

गांधीजीने मजदूरोंको शांतिके लिए रचनात्मक मार्ग दिखा दिया था और उस पर चलकर मजदूर पूरी शांति रख रहे थे।

अहिंसक व्यवहार

परन्तु कलेक्टरको तो अपना फर्ज अदा करना ही चाहिये था। इसलिए वे दो तीन दिन तक सशस्त्र पुलिसकी मोटरें शहरमें घुमाते रहे। परन्तु शहरमें तो सर्वत्र संपूर्ण शांति रहती थी। यह देखकर उन्हें लगा कि शांतिके लिए शहरमें पुलिसकी मोटरें घुमाना जरूरी नहीं है। फिर भी किसी समय कहीं अचानक कोई तूफान फट पड़े तो उसका सामना करनेके लिए पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये, ऐसा सोचकर कलेक्टरने सशस्त्र पुलिसको मार्गोंमें घूमनेका आदेश दिया। दो दिनके बाद उन्हें लगा कि ऐसी व्यवस्था भी जरूरी नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था भी उन्होंने हटा ली। वास्तवमें तो पुलिसकी अपेक्षा गांधीजीका उपदेश ही शांतिकी रक्षामें कार्य-साधक बन रहा था। उनके फलस्वरूप अहमदाबादमें मजदूरोंने जो अपूर्व शांति रखी, उससे महर्गियोंको भी बड़ा आश्चर्य होता था। सच तो यह है कि हड़तालके दिनोंमें किसी भी जगह मजदूरोंके दंगा-फसाद, लूटपाट या झगड़े-टंटेकी एक भी घटना नहीं हुई। इतना ही नहीं, मजदूरोंकी वाणी और उनका आचरण भी प्रशंसनीय बन गये थे।

मिल-मालिक मजदूरोंकी न्यायपूर्ण मांग स्वीकार नहीं करते थे और हड़तालके जवाबमें उन्होंने मिलोंमें तालाबंदी घोषित कर दी थी, इसका मजदूरोंके मनमें स्वाभाविक रूपमें दुःख तो था ही। फिर भी गांधीजीका उपदेश सुनकर उन्होंने अपने मनोंको शांत कर लिया था और मालिकोंके खिलाफ वे एक अक्षर भी मुंहसे नहीं निकालते थे। सामान्यतः मजदूरोंके मुंहसे इतनी ही बात निकलती थी : "हमारी मांग उचित है। गांधीजी हमारे मार्गदर्शक हैं। अनसूयाबहनके दिखाये हुए मार्ग पर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईश्वर हमें अवश्य ही न्याय देगा।" शामकी सभामें साबरमतीकी रेतमें जो भाषण दिये जाते थे, उनमें मजदूरोंके भाषण भी होते थे। लेकिन गांधीजीका उपदेश उनके मनोंमें इतना गहरा उतर गया था कि सभामें बोलते समय उनके

मुंहसे एक भी अनुचित शब्द नहीं निकलता था। एक सभामें भाषण देते देते एक मजदूरने मिलोंके लिए 'खोखा'* या ऐसे ही किसी विशेषण-का प्रयोग किया था। गांधीजीने इसके लिए भी उसे उलाहना दिया। इसके बाद किसी भी मजदूरके मुंहसे ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, जो उनकी इस लड़ाईको शोभा न दे। मजदूरोंकी हड़ताल पूरे २१ दिन चली। परन्तु इस सारे समयमें सर्वत्र शुद्ध भावना, समझ-बूझ कर पाले जानेवाले अनुशासन और संपूर्ण शांतिके दर्शन हुए। इस हड़तालके बाद दूसरी अनेक हड़तालें देखनेका मौका आया, परन्तु इस हड़तालके दिनोंमें जो वातावरण देखा गया वह तो अनोखा और अद्भुत था।

मजदूरोंके संपर्कमें

हड़तालकी घोषणा होते ही गांधीजीने अनसूयाबहन तथा उनके साथ काम करनेवाले सब कार्यकर्ताओंसे कहा कि रोज सवेरे उन्हें यथासंभव ज्यादासे ज्यादा समय मजदूरोंसे संपर्क स्थापित करनेमें देना चाहिये। इसलिए हम लोग रोज सवेरे किसी न किसी मजदूर-बस्तीमें जाते और मजदूरोंके जीवनके बारेमें उपयोगी जानकारी इकट्ठी करने-का प्रयत्न करते। अहमदाबादके शाहपुर क्षेत्रमें बुनाई-विभागके अनेक मजदूर रहते थे। इसलिए अनसूयाबहन और मैं उस ओरकी बस्तियोंमें जाते थे। हड़तालकी वजहसे मजदूरोंमें अच्छी जागृति आ गई थी; इसलिए वे हमें घर-घर घुमाते थे। वे हमें अपने घरोंमें ले जाते थे और अपने जीवनसे सम्बन्धित बातें हमसे कहते थे। घरमें कमानेवाले आदमी कितने हैं, आय कितनी है, परिवारमें कुल कितने आदमी हैं, घरखर्च कितना आता है — यह सब वे हमें खुले मनसे तफसीलवार बताते थे और हम यह सारी जानकारी लिखते भी जाते थे।

उस मुहल्लेमें अधिकतर मुसलमान रहते थे। इसलिए मुस्लिम परिवारोंके रीति-रिवाज, पोशाक, व्यवस्था, भोजन, शिक्षा, संस्कार, स्वभाव आदिके विषयमें हमें बहुत कुछ जाननेको मिलता था।

---

* 'खोखा' अर्थात् भीतरसे पोला। इस शब्दके द्वारा मिलोंके प्रति अपमान और तिरस्कारका भाव प्रकट किया गया है।

५

लड़ाईमें मीठे सम्बन्ध

ताना-विभागके मजदूरोंकी हड़तालकी तरह बुनाई-विभागके मजदूरोंकी हड़तालका नेतृत्व भी अनसूयाबहनको करना पड़ा था। और मिल-मालिकोंका नेतृत्व अम्बालालभाईने किया था। इस प्रकार इन दोनों हड़तालोंमें इन दो भाई-बहनको एक-दूसरेके विरोधी पक्षोंमें काम करना पड़ा था। परन्तु दोनोंके बीच अद्भुत प्रेम था। इतना ही नहीं, दोनोंके मनमें एक-दूसरेके प्रति अत्यन्त उदार भावना भी थी। दोनों बचपनसे स्वतंत्र स्वभावके थे और स्वयं जिसे अपना कर्तव्य मानते थे वही काम किया करते थे। परन्तु किसी भी प्रश्न पर चाहे जैसे मतभेद होने पर भी दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति ऐसी आत्मीयता और सहृदयता थी कि दोनों एक-दूसरेके विचारों और कार्योंको अच्छी तरह समझ कर उनका उचित आदर करते थे। इसलिए इन हड़तालोंमें भी विरोधी पक्षोंमें काम करनेके बावजूद दोनों भाई-बहनके सम्बन्ध जरा भी बिगड़ने नहीं पाये।

सेठ अंबालालकी उदार वृत्ति

परन्तु कुछ मिल-मालिकोंको ऐसा लगता था कि अंबालालभाई चाहें तो अनसूयाबहनको मजदूरोंका नेतृत्व करनेसे रोक सकते हैं। कुछ मालिक यह भी सुझाते थे कि अनसूयाबहनको अंबालालभाई पैसा देना बंद कर दें, तो मजदूरोंका यह सारा आन्दोलन बंद हो जाय। स्थिति ऐसी थी कि अंबालालभाई चाहते तो इस सुझाव पर अमल कर सकते थे। परन्तु वे कहते थे कि मेरी बहन पुत्री न होकर यदि मेरे पिताका पुत्र होती, तो मेरे पिताकी संपत्तिमें उनका आधा भाग होता। इसलिए यदि मैं उन्हें दी जानेवाली रकम न दूं, तो वह मेरा सरासर अन्याय होगा। आज जो काम मुझे उचित लगता है उसे मैं पूर्ण स्वतंत्रतासे कर सकता हूं, तो मेरी बहन उन्हें उचित लगने-

मुंहसे एक भी अनुचित शब्द नहीं निकलता था। एक सभामें भाषण देते देते एक मजदूरने मिलोंके लिए 'खोखा'* या ऐसे ही किसी विशेषण-का प्रयोग किया था। गांधीजीने इसके लिए भी उसे उलाहना दिया। इसके बाद किसी भी मजदूरके मुंहसे ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, जो उनकी इस लड़ाईको शोभा न दे। मजदूरोंकी हड़ताल पूरे २१ दिन चली। परन्तु इस सारे समयमें सर्वत्र शुद्ध भावना, समझ-बूझ कर पाले जानेवाले अनुशासन और संपूर्ण शांतिके दर्शन हुए। इस हड़तालके बाद दूसरी अनेक हड़तालें देखनेका मौका आया, परन्तु इस हड़तालके दिनोंमें जो वातावरण देखा गया वह तो अनोखा और अद्भुत था।

मजदूरोंके संपर्कमें

हड़तालकी घोषणा होते ही गांधीजीने अनसूयाबहन तथा उनके साथ काम करनेवाले सब कार्यकर्ताओंसे कहा कि रोज सवेरे उन्हें यथासंभव ज्यादासे ज्यादा समय मजदूरोंसे संपर्क स्थापित करनेमें देना चाहिये। इसलिए हम लोग रोज सवेरे किसी न किसी मजदूर-बस्तीमें जाते और मजदूरोंके जीवनके बारेमें उपयोगी जानकारी इकट्ठी करने-का प्रयत्न करते। अहमदाबादके शाहपुर क्षेत्रमें बुनाई-विभागके अनेक मजदूर रहते थे। इसलिए अनसूयाबहन और मैं उस ओरकी बस्तियोंमें जाते थे। हड़तालकी वजहसे मजदूरोंमें अच्छी जागृति आ गई थी; इसलिए वे हमें घर-घर घुमाते थे। वे हमें अपने घरोंमें ले जाते थे और अपने जीवनसे सम्बन्धित बातें हमसे कहते थे। घरमें कमानेवाले आदमी कितने हैं, आय कितनी है, परिवारमें कुल कितने आदमी ... घरखर्च कितना आता है — यह सब वे हमें खुले मनसे तफ़सी... बताते थे और हम यह सारी जानकारी लिखते भी जाते थे।

उस मुहल्लेमें अधिकतर मुसलमान रहते थे। इसलि... परिवारोंके रीति-रिवाज, पोशाक, व्यवस्था, भोजन, शिक्ष... स्वभाव आदिके विषयमें हमें बहुत कुछ जाननेको मिला...

---

* 'खोखा' अर्थात् भीतरसे पोला। इस शब्दके प्रति अपमान और तिरस्कारका भाव प्रकट किया ...

५

लड़ाईमें मीठे सम्बन्ध

ताना-विभागके मजदूरोंकी हड़तालकी तरह बुनाई-विभागके मजदूरोंकी हड़तालका नेतृत्व भी अनसूयाबहनको करना पड़ा था। और मिल-मालिकोंका नेतृत्व अम्बालालभाईने किया था। इस प्रकार इन दोनों हड़तालोंमें इन दो भाई-बहनको एक-दूसरेके विरोधी पक्षोंमें काम करना पड़ा था। परन्तु दोनोंके बीच अद्भुत प्रेम था। इतना ही नहीं, दोनोंके मनमें एक-दूसरेके प्रति अत्यन्त उदार भावना भी थी। दोनों बचपनसे स्वतंत्र स्वभावके थे और स्वयं जिसे अपना कर्तव्य मानते थे वही काम किया करते थे। परन्तु किसी भी प्रश्न पर चाहे जैसे मतभेद होने पर भी दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति ऐसी आत्मीयता और सहृदयता थी कि दोनों एक-दूसरेके विचारों और कार्योंको अच्छी तरह समझ कर उनका उचित आदर करते थे। इसलिए इन हड़तालोंमें भी विरोधी पक्षोंमें काम करनेके बावजूद दोनों भाई-बहनके सम्बन्ध जरा भी बिगड़ने नहीं पाये।

सेठ अंबालालकी उदार वृत्ति

परन्तु कुछ मिल-मालिकोंको ऐसा लगता था कि अंबालालभाई चाहें तो अनसूयाबहनको मजदूरोंका नेतृत्व करनेसे रोक सकते हैं; कुछ मालिक यह भी सुझाते थे कि अनसूयाबहनको
बंद कर दें, तो मजदूरोंका यह सारा
ऐसी थी कि अंबालालभाई चाहते तो
सकते थे। परन्तु वे कहते थे कि
पिताका पुत्र होतीं, तो मेरे
होता। इसलिए यदि मैं
सरासर
मैं

वाला कार्य क्यों नहीं कर सकतीं? उनके काममें किसी भी प्रकारका हस्तक्षेप करनेका मुझे जरा भी अधिकार नहीं है। अंबालालभाईकी वृत्ति ऐसी उदार और व्यक्ति-स्वातंत्र्यका पोषण करनेवाली थी। वे परिवारके सदस्योंके कार्योंमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे; इसके विपरीत, प्रत्येक सदस्यके स्वभाव और वृत्तिको वे समझते थे और उसके अनुसार वह जो काम करता था उसमें उसकी सहायता भी करते थे। इस वृत्तिके कारण ऐसी परिस्थितियोंमें भी अंबालाल-भाईने अनसूयाबहनको मजदूर-आन्दोलनके कार्यसे हटानेके लिए उन्हें समझाने अथवा दबानेकी जरा भी कोशिश नहीं की।

मीठे सम्बन्धोंके लिए चिन्ता

यह सब होते हुए भी गांधीजीके मनमें तो दोनोंके सम्बन्धोंके बारेमें चिन्ता बनी ही रहती थी। वे इस बातके लिए सदा चिन्तित रहते थे कि इस लड़ाईके कारण दोनोंके मन कलुषित न हो जायं और यह सोचा करते थे कि दोनोंके बीच मीठे सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए क्या किया जाय। इस विचारके फलस्वरूप उन्होंने हड़तालके पहले ही दिनसे अंबालालभाईको रोज दोपहरके समय आश्रममें भोजन करनेका निमंत्रण दिया। गांधीजीने अनसूयाबहनको और मुझे भी उनके साथ आश्रममें ही भोजन करनेको कहा। इस निमंत्रणको स्वीकार करके अंबालालभाई रोज आश्रममें भोजन करने आते थे और अनसूया-बहन रोज उन्हें प्रेमसे परोसती और जिमाती थीं। ऐसी लड़ाइयोंमें पारिवारिक सम्बन्धोंकी मिठास और प्रेमको बनाये रखनेके लिए गांधीजी कितनी सावधानी रखते थे, इसका थोड़ा खयाल इस तरहके प्रसंगोंसे हमें मिलता है।

बातचीतके लिए अनुकूलता

ऐसी व्यवस्थासे एक दूसरा लाभ भी अनायास मिल जाता था। वह यह कि हम सबको मजदूरोंकी मांग तथा हड़तालके बारेमें अपने [illegible]के आदान-प्रदानका मौका मिलता था। मजदूरोंकी लड़ाई हमेशा [illegible] ही रहे, ऐसा तो कोई भी समझदार आदमी नहीं चाहेगा।

लड़ाई चल रही हो तब भी सामान्यतः सबकी इच्छा यही रहेगी कि दोनों पक्षोंके बीच जल्दीसे जल्दी समझौता हो जाय और लड़ाई बंद हो जाय। इसलिए यह बात सबके लिए वाञ्छनीय और आवश्यक मानी जायगी कि लड़ाई शुरू करनेसे पहले दोनों पक्षोंमें विचारोंका आदान-प्रदान हो, समझौतेकी बातचीत हो और लड़ाईके दौरान भी इस दिशामें यथासंभव प्रयत्न किये जायं। ऐसी बातचीतके लिए भी भोजनकी इस व्यवस्थासे बड़ी अनुकूलता हो गई।

६

बेकारोंका आधार : दान नहीं काम

मिल-मजदूरोंकी हड़ताल थोड़े दिन चली कि उसके समाचार अहमदाबाद शहरसे बाहर भी सब जगह फैल गये। बाहरके लोगोंने भी जाना कि अहमदाबादके मिल-मजदूरोंका वेतन बहुत कम होनेसे वे उचित वृद्धिके लिए गांधीजीके मार्गदर्शनमें पूर्ण शांतिसे अपनी लड़ाई चला रहे हैं। यह लड़ाई लंबे समय तक चले तो मजदूरोंका वेतन बहुत कम होनेसे उन्हें कष्टोंका सामना करना ही पड़ेगा — यह सोचकर मजदूरोंकी इस लड़ाईके प्रति सहानुभूति रखनेवाले लोगोंने सुझाया कि जरूरत पड़ने पर मजदूरोंकी मदद करनेके लिए गांधीजीको एक फंड इकट्ठा करना चाहिये।

लड़ाईके लिए दान नहीं लिया जा सकता

इस सम्बन्धमें बम्बईके एक मित्रने मजदूरोंके राहत-कोषमें एक बड़ी रकम भेजनेकी इच्छा प्रकट की। मैंने और अनसूयाबहनने यह बात गांधीजीके सामने रखी। परन्तु उन्होंने कहा: "ऐसी मांग कभी स्वीकार नहीं की जा सकती।" इसके बाद उन्होंने कहा: "अहमदाबादके कुछ मित्र भी ऐसी मदद देनेकी इच्छा बता रहे हैं, परन्तु मैंने उन्हें भी स्पष्ट मना कर दिया है।" इस बारेमें अपने विचारोंको समझाते हुए उन्होंने आगे कहा: "यह तो सच है कि मजदूरोंको पैसेकी

मददकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसी लड़ाई आम जनताके पैसेसे नहीं लड़ी जा सकती। यदि आम जनताके पैसेसे यह लड़ाई लड़ी जाय, तो इसे मजदूरोंकी लड़ाई नहीं कहा जा सकता, इसे सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। इसके सिवा, मजदूर यदि लड़ाईके दौरान लोगोंका पैसा लें, तो वे अपंग बन जायं। मजदूर गरीब भले ही हों, परन्तु उनमें भी स्वाभिमान होता है। और हमें यह देखना चाहिये कि उनका यह स्वाभिमान बना रहे। हम नहीं चाहते कि वे दानके सहारे लड़ें या जिन्दा रहें। बाहरके पैसेकी मदद लेकर वे लड़ाई लड़ें, तो उनकी लड़ाई सच्ची लड़ाई नहीं कही जा सकती। मजदूर खुद इस लड़ाईमें नुकसान उठायें और कष्ट भोगें, तो ही यह मजदूरोंकी लड़ाई कही जायगी। उनमें स्वाभिमानकी भावना होगी, तो वे दुःख सहन करके भी लड़ेंगे। सत्याग्रहमें मनुष्यको स्वयं कष्ट सहन करना चाहिये।"

निर्वाहके लिए एकमात्र साधन काम

इसके सिवा गांधीजीने दूसरी एक बात यह कही: "मान लो कि हम राहत-फण्ड इकट्ठा करें और अमुक रकम जमा हो जानेके बाद प्रत्येक मजदूरको अमुक रकम देने लगें। लेकिन मिल-मालिक आसानीसे हिसाब लगा सकते हैं कि फण्डकी रकम इतने दिन तक चलेगी और पैसे खतम हो जानेके बाद मजदूरोंकी लड़ाई अवश्य ही बंद हो जायगी। ऐसा सोचकर वे समझौतेकी दिशामें नहीं मुड़ेंगे। फिर, व्यावहारिक दृष्टिसे सोचें तो भी लोगोंकी आर्थिक मददसे लड़ी जाने-वाली लड़ाई लम्बी नहीं चल सकती। लेकिन ऐसी किसी भी मदद-की आशा रखे बिना केवल अपनी शक्तिसे या दूसरा कोई काम करके मजदूर यह लड़ाई लड़ें, तो मालिक समझ जायंगे कि ये लोग टिके रहेंगे। इसके फलस्वरूप उन्हें समझौतेका विचार जरूर करना पड़ेगा।"

गांधीजीकी यह बात बिलकुल ठीक थी। परन्तु हमें ऐसा लगता था कि यह लड़ाई यदि लम्बी चली, तो मजदूर केवल अपनी शक्तिसे उसे ज्यादा दिन तक नहीं चला सकेंगे और मददकी जरूरत उन्हें वश्य पड़ेगी। इसलिए हमने गांधीजीसे कहा कि यह मदद पहुं- तरीका हमें सोच लेना चाहिये। हमारी बात सुनकर उन्होंने

कहा : "जरूरत पड़ने पर हम मजदूरोंकी मदद कर सकते हैं, परन्तु इसी तरह कि उनके निर्वाहके लिए हम दूसरे किसी अनुकूल कामकी व्यवस्था कर दें। ऐसी कोई व्यवस्था हम कर सकें और जिन मजदूरोंको जरूरत हो वे दूसरा काम करके अपना निर्वाह चलाने लगें, तो लड़ाई कई दिनों तक चलाई जा सकेगी और उसके टूटनेका कोई भय नहीं रह जायगा। अतः व्यावहारिक रूपमें मजदूरोंकी मदद करनेका सच्चा और कारगर तरीका यही हो सकता है।"

कोई धंधा हलका नहीं

हड़तालके शुरूके दिनोंमें ही गांधीजीने मजदूरोंके लिए निकाली जानेवाली दूसरी पत्रिकामें बताया : "ऐसी बड़ी लड़ाईमें कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे, यह हरएक मजदूरको अच्छी तरह याद रखना चाहिये।" उसके बाद तीसरी पत्रिकामें उन्होंने यह बताया कि लॉक आउटके दिन कैसे बिताये जायं। उसमें मजदूरोंको दूसरा काम खोज निकालनेकी सलाह देते हुए उन्होंने यह लिखा था :

"हिन्दुस्तानमें एक धंधा करनेवाला आदमी दूसरा धंधा करनेमें अपनी तौहीन मानता है। इसके सिवा, कुछ धन्धे स्वयं ही हलके माने जाते हैं। ये दोनों विचार गलत हैं। जो धंधा मनुष्यके जीवनके लिए आवश्यक है, उसमें ऊंच-नीचका भेद हो ही नहीं सकता। इसी तरह जो धंधा करना हम जानते हों, उससे भिन्न कोई धंधा करनेमें हमें शरम नहीं माननी चाहिये। हम तो यह मानते हैं कि कपड़ा बुनना और पत्थर फोड़ना, लकड़ी चीरना अथवा लकड़ी फाड़ना या खेतमें मजदूरी करना —ये सब आवश्यक और आदरणीय धंधे हैं। इसलिए ऐसी आशा की जाती है कि मजदूर निकम्मे बैठकर अपना समय गंवानेके बजाय ऊपर कहे मुताबिक किसी अच्छे काममें लगकर अपना समय बितायेंगे।"

लड़ाईके आरंभके दिनोंमें ही गांधीजी द्वारा दी गई यह सलाह कितनी अर्थपूर्ण और महत्त्वपूर्ण थी, इसकी कुछ कल्पना मजदूरोंको दी जानेवाली आर्थिक मददके बारेमें गांधीजीके साथ हुई उपर्युक्त बातचीतसे होती है।

मजदूरोंकी परेशानी

हड़तालके सिलसिलेमें बाहरसे पैसेकी मदद
दो चार दिन ही हुए थे कि कुछ मजदूरोंकी
मालूम हुई। उस समयकी महंगाईको देखते हुए
दूरोंका वेतन बहुत ही कम था और वह भी १५
जाता था। महीनेमें १८ या २० रुपया वेतन होत
बारेमें मुश्किलसे ९ या १० रुपये मजदूरोंके हाथमें
कुछ बचानेकी गुंजाइश तो हो ही कैसे सकती थी
शुरू होनेके १२–१३ दिन बाद कुछ परिवारोंको
होने लगी, जो तत्कालीन परिस्थितियोंको देखते हु

हम लोग रोज सवेरे मजदूर-बस्तियोंमें घूमने
मजदूरोंकी इन कठिनाइयोंकी बात हमारे कानों प
गांधीजीकी सूचनासे मजदूरोंके आय-व्ययके आंकड़े
उनके जीवनके बारेमें जांच शुरू कर दी थी। इस
कुछ ऐसी आशा भी जगी कि हमें कठिनाई होगी,
न किसी तरह हमारे लिए मददकी व्यवस्था जरू
सामने भी ऐसी बातें करने लगे। गांधीजीने तो
विचार हमें अच्छी तरह समझा ही दिये थे। अब ह
विचार समझानेका प्रयत्न करने लगे। हम कहते थे f
दौरान जिन्हें कष्ट भोगना पड़े, उनकी मदद तो हमें
परन्तु यह मदद उनके लिए दूसरा अनुकूल का
जा सकती है। राहत-फण्ड इकट्ठा करके आपको म
की जाय, तो वह आपके हितमें नहीं होगी और न
समय तक टिक सकती है। इसके सिवा, गांधीजी
मदद देना ठीक भी नहीं मानते। गांधीजी धार्मिक
इसलिए वे तो यही चाहेंगे कि कामका प्रबन्ध किय
द्वारा ही आपकी कठिनाईमें आपकी मदद की जाय
मजदूरोंको समझानेका प्रयत्न तो करते थे, परन्तु यह
बहुत मुश्किल था।

मजदूरोंके लिए दूसरे किसी कामका प्रबन्ध करनेके बारेमें गांधीजीका विचार बिलकुल सही था। परन्तु उस विषयमें हमें कोई अनुभव नही था, इसलिए आवश्यक श्रद्धाकी भी हममें कमी थी। नतीजा यह हुआ कि गांधीजीका यह विचार जितनी स्पष्टता और निश्चिततासे मजदूरोंको समझाना जरूरी था, उतनी स्पष्टता और निश्चिततासे हम समझा नही पाते थे। इसलिए हमारी बात पूरी तरह मजदूरोंके गले नही उतरती थी।

कामकी व्यवस्था

गांधीजी भी मजदूरोंकी कठिनाईको समझते थे और ऐसे किसी कामकी व्यवस्थाके बारेमें वे स्वयं भी सोच रहे थे, जिससे मजदूरोंकी मदद हो। उन्होंने इस बातकी जांच की कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा रास्ते बनानेका या दूसरा जो काम होता है, उसमें इन मजदूरोंको काम मिल सकता है या नही। परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था संभव नहीं हुई। तब गांधीजीने दूसरा रास्ता निकाला। उन दिनों साबरमतीके तट पर उनके आश्रमके मकान बन रहे थे। इन मकानोंके सिलसिलेमें कुछ लोगोंको काम देनेकी व्यवस्था हो सकती थी। आश्रमके मकान बनवानेका काम मगनलाल गांधीकी देखरेखमें होता था। गांधीजीके कहनेसे उन्होंने कामकी मांग करनेवाले मजदूरोंको आश्रमकी भूमि पर काम देनेकी व्यवस्था की और शामकी सभामें मजदूरोंके समक्ष गांधीजीने इस बातकी घोषणा भी कर दी।

हम सवेरे मजदूर-बस्तियोंमें घूमने निकलते तब जिन मजदूरोंको ऐसे कामकी जरूरत होती उन्हें आश्रममें जानेकी सलाह देते थे। कुछ मजदूर आश्रममें मकानोंका काम करने जाने भी लगे थे। अधिकतर मजदूर ऐसे किसी कामके बिना भी कुछ समय और जीवन-निर्वाह चला सकते थे। परन्तु दूसरे कुछ मजदूरोंकी स्थिति अच्छी नही थी। पैसेके अभावमें कोई न कोई काम करना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। इन मजदूर भाइयोंके लिए आश्रमकी भूमि पर मुख्यतः दो प्रकारके कामकी व्यवस्था की गई थी:

१. मकानोंकी नीवमें भरनेके लिए नदी-किनारेसे रेत लाना।

२. ईंट वनानेका काम जिस जगह चल रहा था वहां ईंटें थापना और वहांसे तैयार ईंटें मकानोंके लिए ले जाना।

ये दोनों काम मजदूरोंको काफी मात्रामें देनेकी व्यवस्था आश्रममें की गई थी।

७

कठिन कसौटी और गांधीजीकी प्रतिज्ञा

जिस दिनसे मजदूर आश्रमकी भूमि पर काम करने आये उसी दिनसे हम लोग भी यथासंभव अपना अधिकसे अधिक समय आश्रममें विताने लगे। हमें इस वातका ध्यान रखना था कि जो मजदूर काम करनेके लिए आयें उन्हें कामके वारेमें अच्छी तरह समझा कर काम पर लगा दिया जाय। वुनाई-विभागके मजदूरोंके लिए आश्रमका यह काम कठिन तो था ही। वे बरसोंसे मिलोंमें मशीनें चलाते थे; उन्होंने जीवनमें ऐसी कड़ी मेहनत कभी नहीं की थी। इसके सिवा, वे दिन गरमीके थे। घरसे दो तीन मील चलकर और नदीको पार करके उन्हें आश्रममें आना पड़ता था और आश्रमकी भूमि पर दिन भर तेज धूपमें यह कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परन्तु गुजारेके लिए पास पैसे न होनेसे ऐसा करनेके लिए वे मजवूर हो गये थे। यह काम उन्होंने शुरू तो किया, परन्तु इसमें उनका मन लगता नहीं था। उनके मनमें शायद यह खयाल भी रहा हो कि जो कुछ थोड़ा-वहुत काम हमसे हो सकेगा उतना कर देंगे। हमारी वातोंसे शायद वे ऐसा भी समझ गये हों कि प्रतीकके रूपमें हम थोड़ासा काम कर देंगे, तो भी गांधीजी रोजका गुजारा चलने लायक पैसा तो हमें दे ही देंगे। संभव है कि हमारी वातें ही उनके मन पर यह छाप डालनेका कारण वन गई हों।

प्रत्यक्ष वातका महत्त्व

अगर मजदूरोंने स्वयं ही इस सम्वन्धमें गांधीजीके विचार सुने होते और उन्हें समझ लिया होता, तो इस तरहकी गलतफहमीके लिए

कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कभी कभी गांधीजीकी बताई बातोंके बारेमें ऐसी गलतफहमी लोगोंमें पैदा हो जाती थी। गांधीजी इस विषयमें कहते थे कि आम जनता और मैं दोनों परस्पर एक-दूसरेको अच्छी तरह समझ सकते हैं। आम जनताके सामने मैं सीधी बात करूं, तो वे लोग मेरे विचारोंको भलीभांति समझ लेते हैं और मैं भी उन्हें समझ लेता हूं। लेकिन जब मेरी बात कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सामने रखी जाती है और ये कार्यकर्ता मेरे विचारोंको पूरी तरह समझे हुए नहीं रहते, तब कठिनाई खड़ी हो जाती है।

मजदूरीका उचित हिसाब

परन्तु इस कामके बारेमें आश्रममें जो व्यवस्था की गई थी, वह तो अलग ही प्रकारकी थी। गांधीजीकी सूचनाके अनुसार मगनलाल गांधीने ऐसी व्यवस्था की थी कि अलग अलग जगह जो काम हो उसका व्यवस्थित हिसाब रखा जाय और दिनके अंतमें कान्ट्रेक्ट (करार)की दरसे अन्य मजदूरोंको जो मजदूरी चुकाई जाय, उसी दरसे हड़तालवाले मजदूरोंको भी चुकाई जाय। इस प्रकारके कामके लिए क्या मजदूरी दी जाती है, यह भी पहलेसे ही पूछ लिया गया था। हमें इस सारी व्यवस्थाका कोई पता नहीं था। पहले दिनके कामका समय पूरा हुआ कि मजदूर अपनी मजदूरी लेनेके लिए इकट्ठे हुए। मजदूरी चुकानेका काम गांधीजीने स्वयं अपने हाथमें रखा था। वे रेजगारी लेकर बैठते थे। व्यवस्थाके अनुसार मजदूरका नाम बोला जाता था, उसके द्वारा किये गये कामकी जानकारी दी जाती थी और निश्चित दरके मुताबिक मजदूरी चुका दी जाती थी। मजदूरीके जो पैसे होते वे गांधीजी स्वयं चुकाते थे।

विषम स्थिति

हड़ताली मजदूरोंको जिस गंभीरतासे यह काम करना चाहिये था वैसी गंभीरतासे उन्होंने किया नहीं था। इसलिए उनका काम बहुत कम निकला। नतीजा यह हुआ कि कामके हिसाबसे किसीकी मजदूरी चार पैसे तो किसीकी छह या आठ पैसे जितनी हुई। उसीके

अनुसार गांधीजी उन्हें पैसे चुकाने लगे। मजदूरोंने सोचा नहीं था कि उन्हें इस तरह मजदूरीके पैसे मिलेंगे। इसलिए इतने कम पैसे पाकर वे बहुत दुःखी हुए। उनका खयाल था कि कमसे कम चार आने तो मजदूरीके मिलेंगे ही। उसके बजाय जब छह या आठ पैसे मिले, तो उन्हें गांधीजीके सामने ही फेंक कर वे बोले: "ये पैसे आप अपने पास ही रहने दीजिये। इन्हें लेकर हम क्या करें? इतने कम पैसोंसे हमारा गुजारा कैसे चल सकता है?" हम लोग भी यह दृश्य देख-कर स्तब्ध हो गये।

हमने सोचा कि अगर इस काम और इतनी मजदूरीके बारेमें गांधीजीके विचारोंको और उससे सम्बन्धित व्यवस्थाको हमने पहलेसे अच्छी तरह समझ लिया होता और मजदूरोंको सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया होता, तो शायद यह विषम स्थिति पैदा नहीं होती। स्वभावतः हमें चिन्ता हुई कि मजदूरोंके इस बरतावसे गांधीजीको कैसा लगेगा और इसके बारेमें वे क्या कहेंगे। लेकिन उनके मन पर कोई बुरा असर हुआ हो, ऐसा नहीं दिखाई दिया। गांधीजी मजदूरोंकी स्थितिको समझते थे। उनके हृदयमें मजदूरोंके लिए पूरी हमदर्दी थी। परन्तु यह हमदर्दी मजदूरोंको आगे बढ़ानेके लिए थी, उन्हें नीचे गिरानेके लिए नहीं। मजदूरोंका दुःख दूर हो, यह वे चाहते [illegible] थे; परन्तु इसके लिए [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आये। परन्तु इस घटनाके समाचार मजदूर-बस्तियोंमें फैल गये। वे आपसमें बात करने लगे: "हम तो यह मानते थे कि हड़ताल यदि लम्बी चलेगी, तो गांधीजी हमारी मदद करेंगे। लेकिन यह मदद तो हम काम करें तो ही और हमारे कामके हिसाबसे ही मिलेगी। ऐसा काम हमने किसी दिन किया नहीं, इसलिए वह जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सकता। उसके बदलेमें अगर इस तरह रोजके चार-छह पैसे मजदूरी मिले, तो हम अपना और अपने बालबच्चोंका गुजारा कैसे चलायें?"

दबाव नहीं परन्तु समझाइश

अधिकतर मजदूर तो हड़तालको चालू रखनेके बारेमें दृढ़ थे। परन्तु कुछ बेसमझ और कमजोर बने हुए मजदूर मिलमें जानेकी बात करने लगे। मजदूर-नेता उन्हें ऐसा करनेसे रोकते थे। यह बात गांधीजीके सुननेमें आयी। स्वभावतः उन्हें यह पसंद नहीं आई। उनकी नीति यह थी कि किसी भी मजदूर पर अनुचित दबाव नहीं डाला जाय। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दबाव किसी मजदूर पर नहीं डाला जाना चाहिये। लेकिन गांधीजीके इस कथनका अर्थ ऐसा तो नहीं था कि जो मजदूर बेसमझ हों और कमजोरीके कारण मिलमें जानेकी बात सोचते हों, उन्हें उचित ढगसे समझा-बुझा कर दृढ़ रहनेकी प्रेरणा भी नहीं दी जा सकती। गांधीजीका विरोध केवल अनुचित दबावके लिए था। परन्तु उनकी इस सूचनासे गलतफहमी पैदा हुई और मजदूर-नेताओंने यह मान लिया कि मजदूरोंको उचित ढंगसे समझा कर हड़तालको टिकाये रखनेका प्रयत्न भी नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा कि गांधीजीकी सूचना यदि ऐसी ही हो तब तो इस हड़तालको चालू नहीं रखा जा सकता। कमजोर पड़े हुए मजदूरोंके मनमें आश्रमके कामके बारेमें असंतोष खड़ा हुआ था और उससे परिस्थिति बिगड़ी थी। लेकिन मजदूर-नेताओंकी उपर्युक्त मान्यतासे परिस्थिति अधिक बिगड़ गई।

मजदूरोंका असंतोष

"गांधीजी कहते हैं कि प्राणोंकी बाजी लगाकर भी प्रतिज्ञाका पालन हमें करना चाहिये। परन्तु यह सब कैसे हो सकता है? हमारी इन मुसीबतोंमें केवल चार-छह पैसे रोज मजदूरी हमें मिले, तो उससे हमारा गुजारा कैसे हो सकता है? गांधीजीको और अनसूयाबहनको क्या तकलीफ है? उन्हें क्या भुखमरीका शिकार होना पड़ता है? वे तो सभामें भी मोटरमें बैठ कर आते हैं। उन्हें हमारे कष्टोंका खयाल कैसे आ सकता है? अब तो यह हड़ताल हमसे नहीं चलाई जायगी। ३५ प्रतिशत वृद्धि मिले या न मिले, हम तो अब मिलोंमें काम करने जायंगे।" ऐसी बातें मजदूर-बस्तियोंमें होने लगीं और मालिकोंके पास भी इसकी खबर पहुंचने लगी। वैसे, मिलोंके अधिकारी-गण तो मजदूरोंमें फूट डालने और उन्हें भंड़कानेका प्रयत्न करते ही थे। जब अधिकारियोंने मजदूरोंमें फैले हुए इस असंतोषकी बात मालिकोंसे कही, तो उन्होंने तुरन्त 'लॉक आउट' खोल दिया और यह घोषणा कर दी कि जिन मजदूरोंको काम पर आना हो वे आ सकते हैं। गांधीजीके कान पर यह बात आई कि मालिकोंने 'लॉक आउट' खोल देनेकी जो घोषणा की है, उससे संभव है कुछ बेसमझ या कमजोर मजदूर मिलोंमें जानेके लिए प्रेरित हो जायं।

मैं और अनसूयाबहन शाहपुर विभागकी जिन मजदूर-बस्तियोंमें घूमते थे, उनमें तो ऐसा वातावरण नहीं था। परन्तु छगनलाल गांधी कालुपुर विभागमें बनी हुई जुगलदासकी चालोंमें जाते थे। एक दिन वे इन चालोंमें रहनेवाले मजदूरोंको बबूलके अमर वृक्षके नीचे सबेरे होनेवाली सभामें जानेके लिए समझा रहे थे। उस समय क्रोधसे भरे हुए कुछ मजदूरोंने उन्हें सुना दिया: "गांधीजी और अनसूयाबहनको इस हड़तालमें क्या तकलीफ उठानी पड़ती है? वे तो मोटरमें घूमते हैं और सुखसे भोजन करते हैं। लेकिन हमें भुखमरी भोगनी पड़ती है। सभामें आनेसे क्या हमारी भुखमरी मिट जायगी?"

छगनलाल गांधीने यह बात गांधीजीसे कही। गांधीजीको अपार दुःख हुआ। लेकिन इस दुःखका कारण यह नहीं था कि मजदूरोंने

उनकी ऐसी टीका की। मजदूर जो दुःख भोग रहे थे उसका उन्हें पूरा खयाल था, इसीलिए मजदूरोंकी इस टीकाने उनके मनको मथ डाला।

प्रतिज्ञाका महत्त्व और उपवासका निर्णय

गांधीजीने मजदूरोंसे कहा था कि जो प्रतिज्ञा आपने की है, उसका पालन आपको करना ही चाहिये — प्राणोंको खतरेमें डालकर भी करना चाहिये। मजदूरोंके हृदयमें अडिग निश्चय उत्पन्न करनेके लिए उन्होंने शामकी सभाओंमें दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहियोंके उदाहरण भी दिये थे। इस प्रतिज्ञाके पालनका सीधा और सरल मार्ग भी गांधीजीने मजदूरोंको दिखाया था। वह यही था कि दूसरा कोई भी काम करके यदि जीवन-निर्वाह किया जाय, तो भूखसे मरनेका प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। इसके सिवा, इस दूसरे कामकी व्यवस्था भी अच्छी तरह हो सकी थी। प्रश्न इतना ही था कि मजदूर उस कामको स्वेच्छासे खुशी खुशी अपना ले और उसे सन्तोषप्रद ढंगसे करे। उनसे कहा जाता था कि आप यह काम करनेको तैयार हो जायें, तो आपके और आपके परिवारके लोगोंके निर्वाहकी कठिनाई बिलकुल नहीं रह जायगी। यदि आप ऐसा करें तो हड़ताल कई दिनों तक बगैर किसी कठिनाईके चलाई जा सकेगी। परन्तु जो काम मजदूरोंके लिए सोचा गया था, उसे करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए वातावरण कुछ ऐसा बन गया था कि हड़तालको तोड़ कर मिलोंमें काम पर लग जानेके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही मजदूरोंके लिए नहीं रह गया है। इस वातावरणसे मजदूरोंको बाहर कैसे निकाला जाय? मजदूरोंको उनकी प्रतिज्ञाकी गंभीरता कैसे समझाई जाय? उन्हें आश्रमकी मजदूरीका काम करनेकी प्रेरणा कैसे दी जाय? ये ही प्रश्न गांधीजीके सामने थे। मजदूरोंका खयाल था कि गांधीजीको खाने-पीनेकी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए प्राणोंकी बाजी लगाकर भी प्रतिज्ञाका पालन करनेका आदेश देना उनके लिए बहुत आसान है। ऐसी परिस्थितिमें गांधीजीके मनमें शायद यह [illegible]

ऐसा लगने लगा कि हमने गंभीर गलती हो गई है, और इसके लिए वे पछताने लगे।

मजदूरोंकी प्रार्थना

अधिकतर मजदूरोंकी स्थिति अच्छी थी और वे अभी भी बिना किसी मददके कुछ समय तक अपना गुजर चला सकते थे। उन्हें लगा कि कुछ कमजोर पड़ जानेवाले मजदूरोंके कारण यह स्थिति पैदा हुई है; और जुगलदासकी चालवाले मजदूरोंने न कहने जैसी बात कह डाली इसीलिए गांधीजीको उपवासकी यह घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अब तो सबके समक्ष यही प्रश्न था कि गांधीजीका यह उपवास कैसे छुड़ाया जाय, और सब उनसे उपवास छोड़ देनेकी प्रार्थना करने लगे। वे गांधीजीको यह विश्वास दिलाने लगे कि हमारी प्रतिज्ञा किसी भी स्थितिमें नहीं टूटेगी और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जो लोग कमजोर पड़ गये होंगे उन्हें हम घर-घर जाकर समझायेंगे और उन्हें भी टिकाये रखेंगे। परन्तु ये लोग गांधीजीको उपवास छोड़नेकी बात नहीं समझा सके।

गांधीजीकी प्रतिज्ञाकी घोषणाके बाद अनसूयाबहनने भी उपवास करनेकी इच्छा प्रकट की। इससे मजदूरोंको बड़ा दुःख हुआ। अनसूयाबहन पर उनका अनन्य प्रेम था। मजदूरोंके सुख, शांति और खुशहालीके लिए वे दिन-रात अथक प्रयत्न करती थी। मजदूरोंका मार्गदर्शन करनेवाली अनसूयाबहन, जिनके परिवारने दुःखको कभी जाना ही नहीं, उपवास करें, यह उन्हें असह्य मालूम हुआ। सारे मजदूर दुःखमें डूब गये। अनसूयाबहनके प्रति अपनी गहरी भावनाके कारण आवेशमें आकर तेलिया मिलके एक मजदूर बनुभिया सभामें खड़े हो गये और कमरसे छुरी निकाल कर अपनी जान देनेको तैयार हो गये। उनके मनमें यह भाव उठा कि जब गांधीजी और अनसूयाबहन उपवास करें तो मैं जीकर क्या करूं? लेकिन गांधीजीने उनके हाथसे छुरी ले ली और कहा कि अनसूयाबहन उपवास नहीं करेंगी। फिर गांधीजीने अनसूयाबहनको समझाया कि वे उपवास न करें। साथ ही बनुभियाके मनको सान्त्वना प्रदान करनेके लिए उन्हें भी

आया हो कि मजदूरोंको जाग्रत करनेके लिए उपवासके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है।

दूसरे दिन सुबह रोजकी तरह नदी-किनारे सभा हुई। उस सभामें रोजके जैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया और मजदूरोंकी संख्या भी बहुत कम थी। जो मजदूर सभामें आये थे, वे भी बहुत खिन्न दिखाई देते थे। मजदूरोंमें निराशाका वातावरण फैल गया था। ऐसी शंका होती थी कि वे अपनी प्रतिज्ञासे विचलित हो जायंगे। लेकिन मजदूर प्रतिज्ञा तोड़कर मिलोंमें चले जायं, यह गांधीजीके लिए असह्य था। इसलिए इस सभामें अपने उपवासकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा: "आप अपनी प्रतिज्ञाको भंग करें, इसे मैं एक क्षणके लिए भी सहन नहीं कर सकता। जब तक आपको ३५ प्रतिशत वृद्धि नहीं मिलेगी अथवा आप सब अपनी प्रतिज्ञासे विचलित नहीं हो जायंगे, तब तक न तो मैं भोजन करूंगा और न मोटरमें बैठूंगा।"

८

मजदूरों पर उपवासका असर

गांधीजीके उपवासकी घोषणाका चमत्कारिक प्रभाव हुआ। इस घोषणाके फलस्वरूप जो वातावरण उत्पन्न हुआ और उसके कारण मजदूरों, मिल-मालिकों तथा शहरके अन्य लोगोंमें जो प्रतिक्रियायें हुई, उन सबका सुन्दर वर्णन महादेव देसाईने अपनी पुस्तक 'एक धर्मयुद्ध' में किया है। जिन्हें इस लड़ाईके इतिहासमें रस हो, उन सबको वह वर्णन पढ़ लेना चाहिये। यहां तो केवल यही दिखाया जायगा कि मजदूरोंके मन पर गांधीजीके उपवासका क्या असर हुआ और उसके बाद हड़तालको टिकाये रखनेके लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयत्न किये। गांधीजीने सभामें उपवासकी जो घोषणा की, उससे मजदूरोंके हृदय द्रवित हो गये। गांधीजीके आदेशका अर्थ उनकी समझमें आने लगा। उन्हें

[illegible]ना लगने लगा कि हमसे गंभीर गलती हो गई है, और इसके लिए [illegible] पछताने लगे।

मजदूरोंकी प्रार्थना

अधिकतर मजदूरोंकी स्थिति अच्छी थी और वे अभी भी बिना किसी मददके कुछ समय तक अपना गुजर चला सकते थे। उन्हें लगा कि कुछ कमजोर पड़ जानेवाले मजदूरोंके कारण यह स्थिति पैदा हुई है; और जुगलदासकी चालवाले मजदूरोंने न कहने जैसी बात कह डाली इसीलिए गांधीजीको उपवासकी यह घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अब तो सबके समक्ष यही प्रश्न था कि गांधीजीका यह उपवास कैसे छुड़ाया जाय, और सब उनसे उपवास छोड़ देनेकी प्रार्थना करने लगे। वे गांधीजीको यह विश्वास दिलाने लगे कि हमारी प्रतिज्ञा किसी भी स्थितिमें नहीं टूटेगी और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जो लोग कमजोर पड़ गये होंगे उन्हें हम घर-घर जाकर समझायेंगे और उन्हें भी टिकाये रखेंगे। परन्तु ये लोग गांधीजीको उपवास छोड़नेको बात नहीं समझा सके।

गांधीजीकी प्रतिज्ञाकी घोषणाके बाद अनसूयाबहनने भी उपवास करनेकी इच्छा प्रकट की। इससे मजदूरोंको बड़ा दुःख हुआ। अनसूयाबहन पर उनका अनन्य प्रेम था। मजदूरोंके सुख, शान्ति और खुशहालीके लिए वे दिन-रात अथक प्रयत्न करती थीं। मजदूरोंका मार्गदर्शन करनेवाली अनसूयाबहन, जिनके परिवारने दुःखको कभी जाना ही नहीं, उपवास करें, यह उन्हें असह्य मालूम हुआ। सारे मजदूर दुःखमें डूब गये। अनसूयाबहनके प्रति अपनी गहरी भावनाके कारण आवेशमें आकर तेलिया मिलके एक मजदूर बनुमिया सभामें खड़े हो गये और कमरसे छुरी निकाल कर अपनी जान देनेको तैयार हो गये। उनके मनमें यह भाव उठा कि जब गांधीजी और अनसूयाबहन उपवास करें तो मैं जीकर क्या करूं? लेकिन गांधीजीने उनके हाथसे छुरी ले ली और कहा कि अनसूयाबहन उपवास नहीं करेंगी। फिर गांधीजीने अनसूयाबहनको समझाया कि वे उपवास न करें। साथ ही बनुमियाके मनको सान्त्वना प्रदान करनेके लिए उन्हें भी ९,

करनेको कहा। सभा पूरी होनेके बाद गांधीजी बनियोंको अपने साथ आश्रममें ले गये।

गांधीजीकी सलाहका असर

जुगलदासकी चालवाले मजदूर भी आश्रममें जाकर गांधीजीसे मिले और अपने कहे हुए शब्दोंके लिए बार-बार उनसे माफी मांगने लगे। वे गांधीजीको यह विश्वास भी दिलाने लगे कि कैसी भी परिस्थितिमें हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इन सब लोगोंको गांधीजीने समझाया कि आप लोग मेरे उपवासकी चिन्ता न करें, लेकिन खुद मजदूरी करके ऐसे मजदूरोंकी यथाशक्ति सहायता करें जो कमजोर पड़ गये हैं। गांधीजीकी इस सलाहका उनके मन पर बड़ा असर हुआ। उन्होंने यह समझ लिया कि हमारा कर्तव्य अब गांधीजीकी सूचना पर अमल करनेमें ही समाया हुआ है। और उसके अनुसार सबने यथाशक्ति अधिकसे अधिक काम करनेका निश्चय किया।

उत्साहपूर्ण वातावरण

गांधीजीके उपवासकी वजहसे वातावरणमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। मजदूरोंमें नई जागृति और नया उत्साह आ गया था। कुछ मजदूरोंने भले ही तकलीफोंसे घबरा कर हड़ताल तोड़नेकी बातें की हों, परन्तु अधिकतर मजदूर तो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ और स्थिर थे। इसलिए दूसरे दिनसे आश्रममें काम करनेके लिए उनके दलके दल आने लगे। मगनलाल गांधीने भी जितने मजदूर आयें उन सबको काम देनेकी उचित व्यवस्था की थी। अतः इन सबके लिए टोकरी, फावड़ा आदि साधन मुहैया करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। वे उत्साहपूर्वक नदी-किनारेसे रेतकी टोकरियां भर भर कर आश्रममें लाने लगे और बताये हुए स्थान पर डालने लगे। हमने सोचा कि हमें भी इस काममें शामिल होना चाहिये, इसलिए हम भी मजदूरोंके साथ जुड़ गये। मजदूर हंसते जाते, गाते जाते और रेतसे भरी टोकरियां खाली करते जाते थे। टोकरियोंका हिसाब रखनेका काम बहनोंको सौंपा गया था। कोई मजदूर उनके पास जाकर अपना

हिसाब लिखाते थे और कोई लिखाये बिना ही टोकरी खाली करके चले जाते थे। सचमुच आश्रमके इस वातावरणको देखकर ऐसा लगता था कि लड़ाईका पूरा रंग अब जमा है।

कमजोरोंको बलवानोंकी मदद

शामको जब मजदूरी चुकानेका समय आया तब जिन लोगोंको टोकरियां दी गई थीं, उनके नाम बोले गये और उनके कामका हिसाब बताया गया। उनमें से बहुतसे कहने लगे: "हमें कामके पैसे नहीं चाहिये। हमारी स्थिति अच्छी है। हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी हम लम्बे समय तक अपना निर्वाह कर सकेंगे। इसलिए हममें से जो लोग पैसेके अभावमें कठिनाईका सामना कर रहे हैं, उन्हें और उनके परिवारको मदद पहुंचानेके लिए ही हम यहां काम करने आये हैं। इसलिए हमारे पैसे आपके पास ही रहने दें और जो लोग तकलीफमें हों उनकी मददमें उनका उपयोग करें।" मजदूरोंकी ऐसी उदात्त और उदार भावनासे सारा वातावरण उत्साहसे भर गया। जिन्हें पैसोंकी जरूरत नहीं थी ऐसे मजदूर बड़ी संख्यामें काम करते रहे। इसके फलस्वरूप पैसेके अभावके कारण जो मजदूर कष्टमें आ पड़े थे उनका कष्ट दूर होने लगा और हड़तालके अनिश्चित समय तक जारी रहनेकी संभावना उत्पन्न हो गई।

गांधीजीकी स्पष्टता

बाहरकी मदद लेना ठीक नहीं है और मजदूरोंको दूसरा कोई भी काम करके लड़ाईको टिकाये रखना चाहिये, इस विषयमें गांधीजीने कहा:

"मजदूर अगर मेरी बातको समझ लें और दूसरा कोई काम करके अपना जीवन-निर्वाह करने लगें, तो वे अपनी इस लड़ाईको कई दिन तक चला सकते हैं। और यदि मिल-मालिकोंको यह प्रतीति हो जाय कि मजदूर अनिश्चित काल तक लड़ाई चला सकते हैं, तो वे समझ जायंगे कि मजदूरोंको उचित वेतन-वृद्धि न देने या उनकी उचित मांग पूरी न करनेसे हम उन्हें हमेशाके लिए खो देंगे।

बात समझ लेनके बाद मालिक मजदूरोंके साथ अवश्य ही न्याय करेंगे।" गांधीजीका यह विचार कितना सत्य था, इसका दर्शन आश्रमके इस वातावरणमें सबको हुआ। वह दृश्य इतना अद्‌भुत था और उससे मिलनेवाली नसीहत इतनी अमूल्य थी कि उसे कभी भूला नहीं जा सकता।

मालिकों पर असर

गांधीजीके उपवाससे मजदूरोंमें नया उत्साह और नयी शक्ति आ गई और उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि हड़ताल लम्बे समय तक चलाई जा सकती है। परन्तु दूसरी ओर गांधीजीके मन पर भारी बोझ आ पड़ा। उन्होंने केवल मजदूरोंको उनकी प्रतिज्ञाका भान कराने, उन्हें उनकी प्रतिज्ञा पर टिकाये रखने और उनकी टेककी रक्षा करनेके लिए ही उपवास किया था। उसका असर मजदूरों पर कल्पनासे अधिक अच्छा हुआ। परन्तु मालिकोंकी स्थिति इस उपवाससे विषम हो गई। उन्हें जगह जगहसे ऐसे संदेश मिलने लगे कि समझौता कर लीजिये। परन्तु गांधीजीका यह आग्रह था कि समझौता किसी बाहरी दबावसे नहीं परन्तु दोनों पक्षोंकी स्वेच्छा और दोनोंके पूरे विचार-विमर्शके बाद होना चाहिये; इसलिए मेरे उपवासके कारण मालिकोंको जरा भी उतावली नहीं करनी चाहिये। परन्तु परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मालिकोंके लिए किसी भी तरह समझौता करना अनिवार्य हो गया। इस नाजुक परिस्थिति, उसमें हुई समझौतेकी बातचीत तथा समझौते आदिके बारेमें 'एक धर्मयुद्ध' नामक पुस्तकमें विस्तृत वर्णन दिया गया है। वह वर्णन पढ़ने जैसा है।

९

प्रेमपूर्ण समझौता

गांधीजीने उपवास आरंभ किया और प्रतिज्ञा ली, इसका मजदूरोंके दिल पर बहुत अच्छा, व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा। गांधीजीकी प्रतिज्ञासे मजदूरोंको अपनी ली हुई प्रतिज्ञाका महत्त्व अच्छी तरह समझमें आ गया। मजदूरोंके मनमें यह बात जम गई कि जो प्रतिज्ञा हमने ईश्वरको साक्षी रख कर ली है, उसका बड़ीसे बड़ी कीमत चुका कर भी पालन करना चाहिये और कैसी भी कठिन परिस्थितियोंमें उस पर दृढ़तासे डटे रहना चाहिये। हड़तालके कारण कुछ मजदूरोंका जीवन-निर्वाहके विषयमें कठिनाई अनुभव करना स्वाभाविक था। परन्तु इस कठिनाईको दूर करनेका सच्चा मार्ग था दूसरा कोई काम करके जीवन-निर्वाह चलाना। ऐसे कामका जो उचित प्रबन्ध किया गया था, उसकी ओर मजदूरोंने समझ-बूझ कर अपने मन मोड़ दिये थे।

मजदूरोंके समान मिल-मालिकों पर भी गांधीजीके उपवासका प्रभाव पड़ा। उपवासके समाचार फैलते ही मालिक इस प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ मालिकोंको शायद थोड़ी देरके लिए ऐसा भी लगा हो कि गांधीजीने यह उपवास उन पर दबाव डालनेके लिए ही किया है। परन्तु जैसे जैसे गांधीजीके उपवासके उद्देश्यके सम्बन्धमें स्पष्टता होती गई वैसे वैसे समझदार और विवेकशील मालिकोंको यह लगने लगा कि सारी परिस्थिति पर गहरा विचार किया जाना चाहिये।

देशभरमें खलबली

वह जमाना ऐसा था जब सार्वजनिक प्रश्नोंके बारेमें सामान्यत उपवास जैसा कदम उठाया नहीं जाता था। इसलिए गांधीजीके इस उपवासका अहमदाबाद शहरकी तथा सार्वजनिक कार्यमें दिलचस्पी

वह तो यह थी: वे कहते थे कि इस बार मजदूरोंको ३५ प्रतिशत वृद्धि देनेमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके बाद मजदूरोंको इस तरहकी लड़ाईका मार्ग अपनानेकी आदत पड़ जायगी। इसलिए मिल-मालिकोंने गांधीजीके सामने यह शर्त रखी कि आप या अन्य कोई हमारे और मजदूरोंके बीच न पड़नेकी बात स्वीकार कर लें, तो हम इस समय ३५ प्रतिशत वृद्धि देना स्वीकार कर सकते हैं। न्यायनीतिकी दृष्टिसे देखा जाय तो मिल-मालिकोंकी यह मांग अनुचित, बेहूदी और विचित्र थी। इसे स्वीकार करना गांधीजीके लिए सर्वथा असंभव था। इसलिए गांधीजीने साफ इनकार कर दिया। परन्तु यह मांग हमें इस बातकी कल्पना कराती है कि उस समय मालिकोंके मन किस दिशामें काम कर रहे थे। मेरे सामने भी इस तरहकी मांग मालिकोंकी ओरसे रखी गई थी। उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ था और यह समझना मेरे लिए कठिन हो गया था कि इस तरहकी बात बिना किसी संकोचके मिल-मालिक कैसे कह सकते हैं। इस बातके पीछे मालिकोंकी यही मान्यता मालूम होती थी कि अपने मजदूरोंके साथ हमें उचित लगे वैसी व्यवस्था हम कर सकते हैं और उसमें मजदूरोंकी ओरसे दूसरे किसी व्यक्तिको कुछ कहनेका अधिकार नहीं हो सकता।

मालिकोंकी ओरसे गांधीजीके सामने दूसरी बात यह रखी गई कि जैसे आपकी और मजदूरोंकी ३५ प्रतिशत वृद्धिके लिए प्रतिज्ञा है, वैसे ही हमारी यह प्रतिज्ञा है कि २० प्रतिशत वृद्धि ही मजदूरोंको दी जाय; और इस प्रतिज्ञाका भी पालन होना चाहिये।

विकट स्थितिमें से मार्ग

गांधीजी तो यही चाहते थे कि उनके उपवासके कारण मिल-मालिक समझौता करनेके लिए जरा भी प्रेरित न हों; अपनी यह बात वे इस विषयकी चर्चामें मालिकोंके सामने बार बार रखते थे। फिर भी वे यह समझते थे कि उनके उपवासके कारण मिल-मालिक विकट स्थितिमें आ पड़े हैं; और यह बात उन्हें खटकती रहती थी। अतः इस स्थितिसे मालिकोंको मुक्त करनेके लिए उचित रूपमें अधिक-से अधिक जो कुछ उनसे हो सकता था वह सब करनेको वे

अब मजदूरोंने यह बात सामने रखी कि मालिकोंने 'लॉक आउट' घोषित किया था, अतः उन दिनोंका वेतन मालिक मजदूरोंको दें। लेकिन गांधीजीने तुरन्त उस बातका खंडन किया। उन्होंने कहा कि न्यायके लिए लड़ी जानेवाली लड़ाईमें जो भी कष्ट या दुःख आवें, उन्हें ऐसी लड़ाई लड़नेवालोंको ही सहन करना चाहिये। गांधीजीकी यह दृढ़ मान्यता थी कि 'लॉक आउट' के दिनोंके वेतनकी मांग की ही नहीं जा सकती। अपनी इस मान्यताके पीछे रही भावनाका मतलब उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित मजदूरों और उनके कार्यकर्ताओंको भलीभांति समझाया।

पंचकी नियुक्ति

दूसरा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि पंच किसे नियुक्त किया जाय। गांधीजीने स्व० पूंजाभाई हीराचन्दका नाम सुझाया। वे एक अनुभवी और कुशल व्यापारी थे, श्रीमद् राजचन्द्रजीके अनुयायी थे और एक चरित्रवान तथा व्यवहार-कुशल व्यक्तिके नाते उन पर गांधीजीका बड़ा विश्वास था। परन्तु मिल-मालिक उनसे विशेष परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह नाम स्वीकार नहीं किया। परन्तु उस समय स्वर्गीय प्रो० आनंदशंकर ध्रुव आरंभसे ही इस प्रश्नमें रस ले रहे थे। मिल-मालिकोंका उन पर विश्वास था। वे गांधीजीके भी विश्वासपात्र थे। मालिकोंने पंचके रूपमें प्रो० ध्रुवका नाम सुझाया और वह स्वीकार कर लिया गया।

असहयोग केवल सहयोगके लिए

गांधीजी सत्यके पुजारी थे, दुखियोंके बेली थे, न्यायकी लड़ाईमें दृढ़ रहते थे और अपने साथियोंको भी दृढ़ बनाये रखते थे। परन्तु उनकी लड़ाइयां तो अहिंसक और प्रेमपूर्ण ही होती थीं और विरोधी पक्षकी स्थितिका, उसकी मान्यता तथा भावनाओंका वे सहृदयतासे विचार करते थे। वे मानते थे कि असहयोग भी अन्तमें तो सहयोगके लिए ही हो सकता है। इसलिए उनकी वृत्ति सदा यही रहती थी कि सिद्धान्त और मूल वस्तुकी रक्षा करते हुए अन्य बातोंमें मध्यम मार्ग निकाल कर समझौता हो सकता हो तो किया जाय। इसके सिवा, उनकी यह श्रद्धा भी थी कि अन्तमें सत्यकी ही विजय होगी। इसलिए मजदूरोंकी मांगके बारेमें समझौता हो गया।

समझौतेकी घोषणासे संतोष

दूसरे दिन सुबह ११ बजे गांधीजीने स्वयं समझौतेकी घोषणा बबूलके अमर पेड़के नीचे की। उस सभामें मालिक, मजदूर, दूसरे शहरी और कमिश्नर मि॰ प्रैट भी उपस्थित थे। उन्होंने इस समझौतेके लिए सबको अभिनन्दन दिये और हर्षके उद्‌गार प्रकट किये तथा मजदूरोंको सलाह दी कि वे गांधीजीके मार्गदर्शनके अनुसार ही काम करें। परन्तु विधिकी लीला कुछ ऐसी हुई कि थोड़े ही समय बाद इन्हीं प्रैट साहबके खिलाफ गांधीजीको खेड़ा-सत्याग्रहकी लड़ाई छेड़नी पड़ी।

उसी दिन शामको अंबालालभाईके मिरजापुरवाले बंगलेके मैदानमें मजदूरोंकी दूसरी सभा हुई, जिसमें मालिकोंकी ओरसे मजदूरोंको मिठाई बांटी गई। अंबालालभाईने उस सभामें कहा: "मैं चाहता हूं कि एक-दूसरेके प्रति हमारा प्रेम सदा बना रहे।" गांधीजी पर इस लड़ाईका क्या असर हुआ, यह बताते हुए उन्होंने कहा "मैंने तो आज तक ऐसी लड़ाईका कभी अनुभव नहीं किया। . . . जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अहमदाबाद तो क्या, सारा हिन्दुस्तान इन २२ दिनोंकी लड़ाईके लिए गौरव अनुभव करेगा।"

१०

मालिकोंसे क्षमा-याचना

मिल-मालिकोंसे समझौता हुआ और गांधीजीका उपवास छूटा। उसके बाद गांधीजीने मुझे बुलाया और कहा: "शंकरलाल, कल तुम तांगा लेकर आश्रममें आना। मुझे अंबालालभाईसे और लेडी चीनुभाईसे मिलने जाना है।" मैंने पूछा: "किसलिए?" वे बोले: "मजदूरोंकी हड़तालसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ होगा। अतः मुझे उनसे मिलकर क्षमा मांगनी चाहिये।" दूसरे दिन सुबह मैं तांगेमें बैठकर आश्रम गया। उसमें हम दोनों अंबालालभाई और लेडी चीनुभाईसे मिलनेके लिए आश्रमसे रवाना हुए। तांगेमें गांधीजी मजदूरोंकी दुःखद स्थितिकी, उनकी सद्भावनाकी, उनकी श्रद्धाकी और उनके द्वारा रखी गई अपूर्व शांति तथा उनके उत्साहकी बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरोंकी स्थितिमें सुधार कैसे किया जा सकता है।

आदर्श मिलकी कल्पना

गांधीजीने कहा: "आज जिस ढंगसे सारी मिलें चलती हैं, उसमें मजदूरोंकी स्थिति दुःख पैदा करनेवाली है। आजकी व्यवस्थामें उन्हें न्याय नहीं मिलता, उनके हितोंकी रक्षा नहीं होती। मालिक उनके साथ सहानुभूति रखते हों, उनकी उचित जरूरतें पूरी करते हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हों, ऐसा नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थितिमें मजदूरोंका भला कैसे किया जाय? मालिकोंसे कहने या उन्हें समझानेसे कोई खास फेर-बदल आजकी स्थितिमें होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस स्थितिमें सुधार करनेके लिए एक विचार यह आता है कि एक आदर्श मिल खड़ी की जाय और उसे मजदूरोंके हितकी दृष्टिसे चलाया जाय। उसमें मजदूरोंको उचित वेतन दिया जाय, कामके घंटे अधिक न रखे जायं, कामकी स्थिति अनुकूल हो और मजदूरोंके साथ अच्छा बरताव किया जाय। एक आदर्श मिल यदि चलती हो तो वह मजदूरोंकी स्थिति

और उनके जीवनको सुधारनेमें बहुत मददगार हो सकती है और दूसरी मिलोंके लिए भी अच्छा उदाहरण बन सकती है। मजदूर स्वयं भी यदि मिलकर ऐसी एक मिल खड़ी करें और चलायें और मिलको अपनी मानकर उसमें काम करें, तो काम भी अच्छा हो और उनकी स्थिति भी सुधरे। ऐसा प्रयोग यदि हो सके तो कितना अच्छा हो! "

गांधीजीकी इस दृष्टिके अनुसार कोई मिल खड़ी करना तो संभव था हो नहीं। परन्तु इससे हमें किसी हद तक इस बातकी कल्पना हो सकती है कि मजदूरोंकी दुर्दशासे उन्हें कितना दुःख होता था और उसे सुधारनेकी उनके मनमें कितनी तीव्र इच्छा थी।

विरोधी पक्षके लिए पूर्ण सद्भाव

इस प्रकार मजदूरोंकी स्थितिको सुधारनेकी बातें करते करते हमारा तांगा अंबालालभाईके शाहीबागवाले बंगले पर जा पहुंचा। वहां हम अंबालालभाई तथा सरलाबहनसे मिले। गांधीजीने उनसे कहा : "मैंने आप सबको बहुत दुःख और कष्ट दिया है। इसके लिए मुझे आप सबसे माफी मांगनी चाहिये।" गांधीजीके ये शब्द सुनकर सब गद्‌गद हो गये। इसके बाद कुछ देर और उन लोगोंसे बातें करके हम सेठ चीनुभाईके बंगले पर गये। वहां भी गांधीजीने अपना दुःख व्यक्त किया और उनसे क्षमा मांगी।

इस प्रसंगसे यह बात मेरी समझमें आ गई कि गरीबोंके सच्चे हितके लिए लड़ाई लड़नेमें भी जिन लोगोंके साथ उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी, उनकी भावनाओंका गांधीजी कितना विचार करते थे। सत्याग्रहकी लड़ाईमें द्वेषके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, इसके विपरीत विरोधी पक्षके लिए हमारे मनमें सद्भाव और प्रेम ही होना चाहिये। इतना ही नहीं, इन्हें प्रकट करनेके जितनी हृदयकी शुद्धता और नम्रता भी हममें होनी चाहिये।

११

एकनिष्ठ बनुमियां

अमर बबूल वृक्षके नीचे हुई मजदूरोंकी एक सभामें अनसूयाबहनने भी गांधीजीके साथ उपवास करनेकी बात कही, तब बुनाई-विभागके एक मजदूर बनुमियां यह कहकर अपने पासकी छुरीसे जान देनेको तैयार हो गये कि "हमें जी कर क्या करना है?" उनकी यह बात सारी मिलोंमें फैल गई थी। उस समय बनुमियां तेलिया मिलमें काम करते थे। जब हड़ताल खुलने पर वे अपनी मिलमें काम करने गये, तो उन्हें काम पर लेनेसे इनकार कर दिया गया। उसके बाद वे कामकी तलाशमें दूसरी मिलोंमें गये। लेकिन वहां भी उन्हें साफ ना कह दिया गया। इससे उनकी हालत बड़ी कठिन हो गई। फिर भी बनुमियां निराश नहीं हुए और न उनकी हिम्मत टूटी।

ईश्वर-परायणता

बनुमियां उत्साही और तेजस्वी नौजवान थे। काममें कुशल और उद्यमी थे। तेलिया मिलमें वे चार करघे चलाते थे, इसलिए हर महीने उन्हें ३६ से ४० रुपये तक वेतन मिल जाता था। कपड़ोंके बड़े शौकीन थे। बदन पर मलमलका कुर्ता पहनते और सिर पर गुलाबी साफा बांधते थे। उनकी दो बीवियां थीं। सारा परिवार सुखी था। हड़तालके बाद मिलकी कमाई बंद हो गई, इसलिए उनकी स्थिति कठिन हो गई। इस बातका पता जब अनसूयाबहनको चला, तो हम दोनों बनुमियांसे मिलने गये। अनसूयाबहनने सोचा कि मिलका काम बंद हो जानेसे उन्हें अपने और परिवारके पालन-पोषणमें कठिनाई पड़ती होगी। इसलिए उन्होंने बनुमियांके लिए उचित प्रबन्ध करनेकी बात उनके सामने रखी। लेकिन बनुमियांने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और कहा: "आप मेरे लिए जो प्रेम और हमदर्दी रखती हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत अहसानमंद हूं। लेकिन आप ऐसी बात क्यों करती

हूं? अपने पालन-पोषणके लिए मुझे मददकी बिलकुल जरूरत नहीं है। मिलमें मालिक मुझे काम न दें, तो उसकी कोई चिन्ता नहीं। मिलके सिवा भी तो दूसरे कई काम हैं न! हम सब बीड़ियां बनानेका काम करेंगे और उससे हम अपनी जरूरतका पैसा कमा लेंगे। बहन, मैं कोई खैरात पर जीनेवाला आदमी नहीं हूं। मैं किसीसे कुछ नहीं लेता। हो सके तो किसीको देता हूं, लेकिन लेता नहीं। मुझमें ताकत है। हम लोग मेहनत करके अपने गुजारे जितना तो जरूर कमा लेंगे। आप हम लोगोंकी जरा भी चिन्ता न करें। खुदा मदद करनेवाला है। उसकी मेहरबानीसे हमारा गुजर अच्छी तरह चलता रहेगा।"
बनुमियांकी यह बात सुनकर हमें आश्चर्य हुआ, हर्ष भी हुआ। उनका स्वाभिमान, उनकी श्रद्धा, उनकी हिम्मत और उनकी दृढ़ता देखकर हमारे मनमें उनके लिए बड़ा आदर पैदा हुआ। बनुमियांके इस प्रसंगसे हमें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि कोई आदमी भले ही गरीब और अनपढ़ हो, परन्तु ऐसा आदमी भी स्वाभिमानसे जीनेकी इच्छा और आग्रह रखता है। हम बनुमियांसे अधिक कुछ न कह सके। उनकी इच्छा पूरी हो, उनका सम्मान और स्वाभिमान सदा बना रहे, ऐसी प्रार्थना ईश्वरसे करके हम लौट आये।

स्वावलंबी और सरल जीवन अपनाया

इसके बाद बनुमियां बीड़ियां बनाकर अपना और अपने परिवारका गुजर चलाने लगे। उसमें मिल जितनी कमाई नहीं होती थी, इसलिए उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। परन्तु इसका उन्हें बिलकुल रंज नहीं था। उन्होंने अपने जीवनको अधिकसे अधिक सादा बना लिया। पहले मलमलका कुरता पहनते और मलमलका साफा बांधते थे, उसके बदले अब मोटे कपड़े काममें लेने लगे। परन्तु उनका स्वभाव तो पहले जैसा ही आनंदी बना रहा। कभी किसी बातकी शिकायत नहीं, कभी किसी बातकी नाराजी नहीं। जब देखो तब हंसते हंसते ही बात करते। इसी तरह बरसोंका समय बीत गया।

बीमारीमें भी अटल

इसके बाद दुर्भाग्यसे बनुमियां गंभीर बीमारीमें फंस गये। जब हमें पता चला तो हम उन्हें देखने गये। अनसूयाबहनको लगा कि इस बीमारीमें उनकी अच्छी तरह सार-संभाल होनी चाहिये और इसके लिए उन्हें अस्पतालमें रखना चाहिये। उन्होंने बनुमियांसे यह बात कही। लेकिन गंभीर बीमारीमें भी वे अस्पताल जाना नहीं चाहते थे। वे 'ना' ही कहते रहे। लेकिन अनसूयाबहनने आखिर समझा-बुझाकर उन्हें मजदूरोंके अस्पतालमें भेज दिया। अस्पतालमें बनुमियां गये जरूर, लेकिन इस तरहकी मदद लेनेसे उनका मन दुःखी हो गया। अपने इस दुःखको वे दूर नहीं कर सके। रोते रोते वे कहने लगे: "ऐ खुदा, तूने मेरी यह कैसी हालत कर डाली! आज मुझे इस खैरात पर जीना पड़ रहा है। मेरी ऐसी जिन्दगीकी क्या कीमत?" उस समयकी उनकी वह मूर्ति आज भी मेरी आंखोंके सामने तैरने लगती है। इस बीमारीसे वे फिर उठ नहीं पाये। लेकिन जितनी जिन्दगी उन्होंने जी उतनीको उन्होंने सार्थक कर दिया। जाते जाते वे मानव-जीवनका एक उच्च आदर्श दुनियाके सामने रख गये।

इस बातको आज बरसों हो गये हैं। इस बीच मजदूर-प्रवृत्ति और मजदूरोंके कार्यमें अच्छी प्रगति हुई है, जिसके फलस्वरूप 'मजूर महाजन' जैसी मजदूर-सेवाकी महान संस्था खड़ी हो गई है। परन्तु इस सारी प्रगतिकी बुनियादमें बनुमियां जैसे अनेक निःस्वार्थ और टेक-वाले मजदूरोंका त्याग, तपस्या और श्रद्धा ही है।

१२

न्यायपूर्ण लड़ाईका मार्ग

जिस प्रकार बुनाई-विभागकी इस लड़ाईका इतिहास मजदूर-संगठन और मजदूर-प्रवृत्तिके लिए महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार लड़ाईके दौरान मजदूरोंकी हड़तालके सम्बन्धमें जो सिद्धान्त और कार्य-पद्धतिके विशिष्ट तत्त्व प्राप्त हुए, वे भी अत्यन्त हितकारी और महत्त्वपूर्ण हैं। उद्योगोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंमें मजदूरों और मालिकोंके बीच मतभेदके प्रश्न खड़े हों, यह स्वाभाविक है। ऐसे अवसर पर इन प्रश्नोंके उचित हलके लिए उपयोगी सिद्ध होनेवाले नियमोंका निर्माण हुआ हो, तो इन प्रश्नोंको हल करना आसान हो जाता है। इस लड़ाईके सिलसिलेमें ऐसे जो तत्त्व प्राप्त हुए उन्हें और उस समयकी स्थितिको इस प्रकार रखा जा सकता है:

उचित मांग

१. मजदूरों और मालिकोंके बीच मतभेद खड़े हों उस समय दोनों पक्षोंको न्यायकी दृष्टिसे विचार करके ही अपनी मांग निश्चित करनी चाहिये और उसे पेश करना चाहिये।

बातचीतसे निबटारा

२. किसी भी प्रश्नके उचित निबटारेके लिए दोनों पक्षोंको बात-चीत करके एक-दूसरेके विचार समझ लेने चाहिये और प्रश्नके उचित निबटारेके लिए प्रयत्न करना चाहिये।

पंच द्वारा हल

३. बातचीतसे किसी प्रश्नका उचित हल खोजना संभव न हो, तो दोनों पक्षोंको मिलकर तटस्थ पंच नियुक्त करना चाहिये और अपने प्रश्न उचित हलके लिए पंचके सामने रखने चाहिये।

पंचकी व्यवस्था दोनोंके लिए हितकर

४. पंचकी व्यवस्था मजदूरों और मालिकों तथा उद्योग और समाजके लिए अत्यंत हितकर है। मजदूरों और मालिकों दोनोंको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये और पंचकी व्यवस्थाको सफल बनानेका प्रयत्न करना चाहिये।

हड़ताल अनिवार्य कब?

५. न्यायके लिए पंचकी व्यवस्था न हो सके, तो मजदूरोंके लिए हड़ताल करना अनिवार्य हो जाता है।

मांग उचितसे अधिक न हो

६. हड़ताल करनेसे पहले उचित मांग निश्चित करके मजदूरोंको स्पष्ट रूपमें उसे प्रस्तुत करना चाहिये। वह मांग उचित और जरा भी अधिक न लगे ऐसी होनी चाहिये, ताकि तटस्थ दृष्टिसे विचार करनेवाला कोई भी व्यक्ति उससे इनकार न कर सके।

शांतिके लिए पूरी सावधानी

७. हड़तालके दिनोंमें संपूर्ण शांति बनी रहे, इसके लिए उसके संचालकोंको पूरी सावधानी रखनी चाहिये।

मजदूर बेकार न रहें

८. हड़तालके दिनोंमें मजदूर सदा किसी न किसी काममें लगे रहें, ऐसी व्यवस्था करना उपयोगी होगा।

हड़तालके समयमें मजदूर बेकार बैठें, तो कोई न कोई अनुचित घटना घटनेका खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए गांधीजीने हड़ताल शुरू होते ही मजदूरोंको यह उचित सूचना कर दी थी कि सब लोग किसी न किसी काममें लगे रहें इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

रोजकी परिस्थितिकी जानकारी

९. हड़तालके दौरान मजदूरोंको रोजकी परिस्थितिसे परिचित रखना चाहिये।

परस्पर सद्भाव

१०. हड़तालके दौरान दोनों पक्षोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे परस्पर सद्भाव बना रहे और किसी भी तरहकी कड़वाहट उत्पन्न न हो। इतना ही नहीं, दोनोंको मतभेद दूर करनेके लिए निरन्तर प्रयत्न भी करना चाहिये।

निर्वाहके लिए दूसरा काम

११. हड़ताल लम्बी चले तो मजदूरोंके निर्वाहके लिए दूसरे किसी कामकी व्यवस्था करनी चाहिये और उसका महत्त्व मजदूरोंको अच्छी तरह समझा कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये, जिसमें वे प्रसन्नतासे वह काम करें।

हड़तालका हेतु हृदय-परिवर्तन

१२. हड़तालका हेतु खुद कष्ट सहकर विरोधीका हृदय-परिवर्तन करना होना चाहिये।

कभी कभी हड़तालका उपयोग मालिकोंको दबानेके एक साधनके रूपमें किया जाता है। हड़तालके बारेमें गांधीजीका सिद्धान्त यह था कि सत्याग्रही हड़ताल विरोधी पक्षको दबानेके लिए नहीं, परन्तु उसमें न्यायवृत्ति जाग्रत करनेके लिए ही की जानी चाहिये।

समझौतेकी तैयारी

१३. हड़ताल चालू हो उस समय भी बातचीत या समझौतेकी परिस्थिति उत्पन्न होने पर समझौतेके लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये।

सिद्धान्तमें दृढ़ रहकर अनुकूल बनना

१४. मतभेद दूर करनेके सिलसिलेमें सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहिये। परन्तु अन्य बातोंमें परिस्थितियोंके अनुसार दोनों पक्षोंको यथासंभव एक-दूसरेके अनुकूल बननेका प्रयत्न करना चाहिये।

मीठे सम्बन्धोंके लिए प्रयत्न

१५. हड़तालका अंत हो जानेके बाद दोनों पक्षोंको हार-जीतकी बात न करके परस्पर सद्भावना और मीठे सम्बन्ध रखनेका प्रयत्न करना चाहिये।

१३

मजूर-महाजनकी स्थापना

[गांधीजीका मार्गदर्शन]

पंचके निर्णयसे बुनाई-विभागके मजदूरोंको ३५ प्रतिशत वृद्धि मिली। उसके बाद मजदूरोंमें बहुत उत्साह आया और वे अपना संघ (महाजन) रचनेकी बात करने लगे। हमें भी ऐसा लगता था कि मजदूरोंके एक व्यवस्थित संघकी स्थापना हो जाय तो अच्छा रहे। अनसूयाबहनने इस सम्बन्धमें गांधीजीसे चर्चा भी की।

योग्य कार्यकर्ताओंका महत्त्व

मजदूर संगठित हों, उनकी संस्था स्थापित हो और उस संस्थाके द्वारा उनका सारा कार्य व्यवस्थित रूपमें चले यह वांछनीय है—ऐसा गांधीजी भी मानते थे। परन्तु उन्होंने कहा कि यह काम बड़ी जिम्मेदारीका है और इसे अच्छी तरह चलानेके लिए भावनाशील, विवेकी और कुशल कार्यकर्ता होने चाहिये। अतः मजूर-महाजनकी स्थापनाका विचार तभी किया जा सकता है जब हमारे आदर्शों और सिद्धान्तोंको समझनेवाले और उनके अनुसार संस्थाका संचालन कर सकनेवाले कार्यकर्ता हमें मिल जायं। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो तब तक इतनी भारी जिम्मेदारी सिर पर लेना उचित नहीं माना जायगा।*

---

* इस सम्बन्धमें ता० २५–२–'२० को मजूर-महाजनकी स्थापनाके उपलक्षमें हुई सभामें भी गांधीजीने यह बात सबके सामने कही:

"अनसूयाबहनने बुनकरोंका महाजन (संघ) स्थापित करनेका विचार किया था और उस दृष्टिसे कुछ काम भी किया था। लेकिन

उस समय गांधीजी दूसरे अनेक कार्योंमें लगे हुए थे। चंपारनका उनका कार्य तो चल ही रहा था। इसके सिवा, खेड़ा जिलेमें सत्याग्रहकी लड़ाई छेड़नेके बारेमें भी सोचा जा रहा था। यह लडाई कुछ ही समयमें शुरू हो गई। इसका कार्य पूरा हो जानेके बाद गांधीजी युद्धके लिए रंगरूटोंकी भरतीके काममें लग गये। उसके बाद वे गंभीर बीमारीके शिकार हो गये। उस बीमारीसे मुक्त हुए ही थे कि रौलट एक्टके विरुद्ध प्रचंड आन्दोलन जगाकर उन्हे सारे देशमें सत्याग्रहकी लडाई छेड़नी पड़ी। इस लडाईके सिलसिलेमें जगह जगह तूफान हुए और उनकी वजहसे खड़ी हुई परिस्थितियोंको सुधारनेमें गांधीजीको बहुत समय देना पड़ा।

इन तूफानोंमें पंजाब सरकारकी ओरसे पंजाबके लोगों पर किये गये अत्याचारों और जलियांवाला बागके भीषण हत्याकांडकी जांचके लिए कांग्रेसने 'पंजाब जांच-समिति' नियुक्त की। उस जांच-समितिके कार्यका मुख्य भार गांधीजी पर था। इसलिए समितिका कामकाज चला तब तक तो उनके साथ मजूर-महाजनके सम्बन्धमें किसी तरहकी बातचीत होनेकी गुंजाइश ही नहीं थी।

उस समय मेरी सलाह यह थी कि यह काम बड़ी जिम्मेदारीका है। मजदूरोंकी सेवा करनेके उद्देश्यसे हम उसमें सम्मिलित हों तो भी यदि बादमें इस जिम्मेदारीको भलीभांति पूरा न कर सके, तो मजदूरोंको सेवाके बदले इसमें उनको अपार हानि होनेका समय आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज भी मुझे यह भय नहीं है। परन्तु मैं देख रहा हूं कि हिन्दुस्तानकी दशाको सूक्ष्म दृष्टिसे देख और समझ कर उसे सुधारना चाहिये। ऐसी किसी संस्थाकी व्यवस्था करनेके लिए हमारे पास शुद्ध मनवाले, शुद्ध हेतुवाले और इस कार्यको अच्छी तरह समझनेवाले कार्यकर्ता न हों, तो वे हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलानेवाले सिद्ध होंगे। ऐसे योग्य कार्यकर्ता हमारे पास न हों, तो हम मजदूरोंका महाजन स्थापित करनेकी झंझटमें न पड़ें। दो वर्ष पहले भी मैंने ऐसा ही कहा था और आज भी मैं यही कहता हूं।"

कताई-विभागके मजदूरोंका आग्रह

दूसरी ओर १९१८ की हड़तालके बाद मजदूरोंमें जागृति आने
[illegible] थी। हरिजन वस्तियोंमें शालाओंका जो कार्यक्रम चलता था,
के कारण हरिजन मजदूरोंके साथ हमारा संपर्क बढ़ता जाता था।
लोग मिलोंके थ्रॉसल-विभाग (कताई-विभाग) में काम करते थे।
आग्रहके साथ हमसे कहने लगे थे कि इस विभागके मजदूरोंका
ठन करके उनका संघ (महाजन) स्थापित करना चाहिये। अनसूया-
हन उनसे कहती थीं कि यह काम भारी जिम्मेदारीका है; इसे
थमें लेना मेरे लिए बड़ा कठिन है। लेकिन मजदूर उनसे कहते थे:
बहन, यह सारा काम हम खुद ही कर लेंगे। आपका मार्गदर्शन
ौर सलाह-सूचना ही हमारे लिए काफी होगी। हम आपको जरा भी
कलीफ नहीं होने देंगे।" अनसूयाबहनके लिए उनके मनमें अपार
ेम, श्रद्धा और आदरका भाव था। इससे उन लोगोंका आग्रह तो
ंघकी स्थापनाके लिए सदा बना ही रहा। हम भी हरिजन वस्तियोंमें
मजदूरोंके मुख्य मुख्य नेताओंके निकट संपर्कमें आते थे। इसलिए हमें
लगा कि अगर गांधीजीसे इस परिस्थितिके बारेमें बात की जाय, तो
वे शायद मजदूरोंके इस आग्रहको मान लें।

महाजनके लिए संमति

उस समय गांधीजी अमृतसर कांग्रेसका काम पूरा करके अह-
मदाबाद आ गये थे और कुछ आराम लेनेकी दृष्टिसे आश्रममें रहते थे।
१९२० का जनवरी महीना था। मैंने और अनसूयाबहनने मजूर महा-
जनके सम्बन्धमें गांधीजीसे बात करना शुरू किया। उन दिनों पंजाब-
सत्याग्रहके एक नेता संतानम् आश्रममें गांधीजीके साथ रहने आये
थे। गांधीजी खूब थके हुए थे और उनकी तबीयत बहुत संतोषजनक
नहीं थी। अतः संतानम्को यह लगता था कि गांधीजी ऐसी हालतमें
अधिक काम न करें तो ठीक हो। वे हमसे भी इस बारेमें कहते
थे और गांधीजीसे भी नया काम हाथमें न लेनेकी प्रार्थना करते थे।
फिर भी हमें उस समय मजूर-महाजनकी स्थापनाके लिए परिस्थितियां

बहुत अनुकूल मालूम हुई, इसलिए यह काम आरंभ करनेकी इजाजत देनेका आग्रह गांधीजीसे करना हमें अपना कर्तव्य मालूम हुआ। गांधीजीकी भी मजदूरोंके प्रति बड़ी सहानुभूति और स्नेहभाव था और वे चाहते थे कि इस कार्यका विकास हो। इसलिए उन्होंने यह कार्य आरंभ करनेकी इजाजत हमें दे दी। इतना ही नहीं, मजूर-महाजन संस्थाकी स्थापनाके सम्बन्धमें रखी गई सभामें आना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय थ्रॉसल-विभागके मजदूर अपने संघ (महाजन) की स्थापनाके लिए बड़े उत्सुक थे, इसलिए उनकी एक सभा करनेका निर्णय हुआ।

मालिकोंकी अनुकूल वृत्ति

उस समय दूसरी एक अनुकूल परिस्थिति यह भी थी कि इस संघकी स्थापनाके बारेमें मिल-मालिकोंकी वृत्ति भी सहानुभूतिपूर्ण थी। उनका खयाल यह था कि मजदूरोंकी कोई व्यवस्थित रूपमें कार्य करनेवाली संस्था हो, तो मजदूरोंका मानस जाना जा सकता है, उनकी जरूरतोंका पता हमें चल सकता है और उनके बारेमें अच्छी तरह बातचीत भी हो सकती है। अंबालालभाई उस समय मिल-मालिक मंडलका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि मजूर-महाजन की स्थापना होने पर उसके कार्यमें भाग लेनेवाले किसी भी मजदूरको तकलीफका सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मजूर महाजनकी स्थापनाके बाद उन्होंने मालिकोंको इस आशयकी विधिवत् सूचना भी दी थी और इस सम्बन्धमें एक पत्रिका भी निकाली थी।

मजूर-महाजनकी आवश्यकता

अनसूयाबहन मिरजापुरके जिस बंगलेमें रहती थी उसके सामनेके मैदानमें नीमके एक पेड़के नीचे २५ फरवरी, १९२० को शामके पांच बजे मजदूरोंकी एक सभा हुई। आरंभमें मगनलाल गांधीके पुत्र केशव और आश्रमके दूसरे लड़कोंने 'रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा' यह भजन गाया और गांधीजीने मजूर-महाजनके संचालनमें सदा मार्गदर्शक बना रहनेवाला भाषण दिया। उनके उस भाषणकी थोड़ी समालोचना

यहां करना अप्रस्तुत नहीं होगा। मजदूरोंका एक व्यवस्थित संघ स्थापित करनेका समय अब आ गया है, ऐसा गांधीजीको भी लगता था। इस सम्बन्धमें उन्होंने कहा: "हमारे यहां बनियों और ब्राह्मणोंके मंडल अथवा संघ तो हैं। क्षत्रियोंके संघ जरा भिन्न प्रकारके हैं। अब मजदूरोंके भी संघ, जिनमें बुनकर, लुहार, कतवैये आदि मिलकर अपना संगठन कर सकें, बनानेका समय आ गया है।"

महाजनके बारेमें जिम्मेदारी

मजदूर भाई अपने संघ (महाजन) की स्थापना जरूर करें, परन्तु वह अच्छी तरह चले इसकी जिम्मेदारी भी उन्हींको उठानी चाहिये। इस बात पर जोर देते हुए गांधीजीने कहा: "महाजनकी स्थापना आप कर सकते हैं। परन्तु उसके लिए नियम बनाते समय, प्रतिनिधि चुनते समय और उनके हाथोंमें अपना हित सौंपते समय आपको इस सबके पीछे रही अपनी जिम्मेदारीको पूरी तरह समझ लेना चाहिये।"

मजूर-महाजनका उद्देश्य

मजूर-महाजनकी स्थापनाका उद्देश्य केवल मजदूरोंकी सेवा करना है, इसमें मालिकोंके लिए द्वेषकी भावना बिलकुल नहीं है और मजदूरोंके मित्रोंको दोनोंकी सेवा करनी है, यह बात समझाते हुए गांधीजीने कहा: "आप लोग यदि सचमुच मजदूरोंकी सेवा करना चाहते हैं, तो आपको मजदूरों और मिल-मालिकों दोनोंका हित देखना होगा। मिल-मालिकोंको आपकी सेवाकी जरूरत नहीं है। मजदूर गरीब, निर्दोष और भोलेभाले हैं। उन्हें आपकी सेवाकी जरूरत है। महाजन रच कर आपको मिल-मालिकोंको दबाना नहीं है, केवल मजदूरोंकी रक्षा करनी है। और इतना करनेका अवश्य ही हमें अधिकार है।"

इस कार्यके लिए मिल-मालिकोंकी वृत्ति भी अनुकूल हो गई थी, यह गांधीजी जानते थे। अतः इस बातका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा: "मिल-मालिक भी यही चाहते हैं कि मजदूरोंका संघ (महाजन) बन जाय तो अच्छा। आजकल किसीको कुछ और किसीको कुछ — इस तरह सबको अलग अलग अपनी कठिनाइयों और शिका-

झगड़ोंका हल निकाल लेना पड़ता है। मजदूरोंका एक संघ हो तो उसके अधिकारियोंसे मिलकर और उनसे बातचीत करके सारी समस्यायें और विवादें व्यवस्थित ढंगसे हल की जा सकती हैं। इस तरह यह संघ बननेमें दोनों पक्षोंका हित है।"

संस्था स्वावलंबी बने

मजूर-महाजनकी स्थापनाके बारेमें गांधीजीने मजदूरोंसे तीन बातें ध्यानमें रखनेको कहा था। उनमें से तीसरी बात संस्थाको स्वावलंबी बनानेके बारेमें थी। इस सम्बन्धमें उन्होंने सब मजदूरोंसे अनुरोध किया था कि मजूर-महाजनका चंदा हर महीने नियमित रूपसे सबको भर देना चाहिये। पहली बात थी महाजनके नियमोंकी जांच करना। दूसरी बात यह थी कि मजदूरोंके स्वाभिमानकी रक्षा हो और उनके साथ न्याययुक्त व्यवहार हो। इसके लिए गांधीजीने मजदूरोंसे ऐसी सावधानी रखनेका आग्रह किया, जिससे "मिल-मालिक मजदूरों पर अनुचित सत्ता न चला सकें।"

मिलकामसे स्त्रियों और बालकोंकी मुक्ति

उस समय मजदूरोंका वेतन अतिशय कम था। इसलिए उन्हें अपने बालकों और पत्नियोंको भी मिलमें काम करनेके लिए भेजना पड़ता था। मजदूरोंको यदि उचित वेतन मिलता, तो ऐसी करुण स्थिति नहीं पैदा होती। इस स्थितिका उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा,

"आज अगर मजदूरोंको परिस्थितियोंसे मजबूर होकर अपने बच्चों और पत्नियोंको कारखानोंमें काम करने भेजना पड़ता हो, तो इसे बंद कराना हमारा फर्ज है। मजदूरोंके बच्चोंको तीन-चार रुपये ज्यादा कमानेके लिए अपनी पढ़ाईको नुकसान पहुंचा कर मिलमें मजदूरी करने जाना पड़े, ऐसा कभी नहीं होना चाहिये। मजदूरी बच्चोंके लिए नहीं है। स्त्रियोंके लिए भी कारखानेकी मजदूरी नहीं है। उनके लिए घरमें काफी काम होता है। उन्हें बच्चोंके पालन-पोषणमें अपना ध्यान लगाना चाहिये। अगर हम यह चाहते हों कि हमारी

घर-गृहस्थी सुन्दर बने, मीठी बने, तो हमें स्त्रियों और बच्चोंको मिलके कामसे मुक्त करना ही चाहिये।"

जीवन-विकासके लिए समय और संपत्तिका सदुपयोग

मजूर-महाजन रचनेका उद्देश्य केवल अधिक पैसे पाना ही नहीं था, परन्तु मजदूरों और उनके परिवारके लोगोंका उचित जीवन-विकास करना था। इसलिए गांधीजीका विशेष आग्रह था कि मजूर-महाजन के द्वारा मजदूरों और उनके परिवारवालोंका जीवन उन्नत, संस्कारी और सुखी बनना चाहिये। इसीलिए मजूर-महाजन संस्थाका प्रथम विधान उन्होंने स्वयं ही बनाया था। उसमें पैसे और समयके सदुपयोग पर खास जोर देकर इस संस्थाके प्रथम विधानमें उन्होंने नीचेकी धारायें रखी थीं:

१. मजदूरोंके लिए उनकी मेहनतके हिसाबसे उचित वेतन प्राप्त करना।

२. मजदूरोंको उनके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे जरूरी आराम मिले और घर-गृहस्थीके कामकाजके लिए फुरसत रहे, इसके लिए उनके कामके समयमें उचित और जरूरी कमी कराना।

३. मजदूरोंके बढ़े हुए वेतन और बचे हुए समयका सदुपयोग हो, इस दृष्टिसे विचार करना तथा उस विचारको व्यवहारमें उतारनेके लिए जरूरी कदम उठाना।

कामके घंटों और वेतनका उचित मापदंड स्थापित करना मजदूर-संस्थाओंका सामान्य कार्य होता है। परन्तु पैसे और समयके सदुपयोगके लिए आग्रह रखनेका विचार नया और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। मजदूरोंका जीवन उन्नत और संस्कारी बने यही मजदूर प्रवृत्तिका सच्चा और अंतिम उद्देश्य हो सकता है और इसके लिए पैसे तथा समयका सदुपयोग अत्यन्त आवश्यक है—यह बात इन धाराओंमें स्पष्ट रूपसे रखकर गांधीजीने मजदूरोंका बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। यह मार्गदर्शन मजूर-महाजनके विकासके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ।

पैसेके सदुपयोगकी जो बात गांधीजीने इस विधानमें रखी, उसके बारेमें अधिक समझाते हुए उन्होंने अपने भाषणमें कहा:

"आप लोगोंको यह सोचना चाहिये कि जो अधिक पैसे आपको मिलें, उन्हें आप कैसे खर्च करेंगे। उन पैसोंको अगर आप शराब-खानेमें शराब पीकर बरबाद करें, होटलमें चाय पीने और भजिये खानेमें उड़ा दें, तो अधिक पैसे न मिलना ही बेहतर माना जायगा। इन पैसोंका सच्चा लाभ मिला तभी कहा जायगा जब आप उनसे अपनी पत्नीको सुखी बनायें, उसे शिक्षा दें, अधिक पैसे होने पर उसके लिए एक शिक्षिका रखें, अपने बच्चोंको पढ़ायें, अपने कपड़े साफ-सुथरे रखें और सील व गंदगीवाले मकानको छोड़कर अच्छे, साफ-स्वच्छ और हवा-प्रकाशवाले मकानमें रहने जाय। अगर हम मजूर-महाजन बनाकर यह सब काम कर सकें, तो ही उसे बनाना ठीक होगा।"

धार्मिक वृत्तिका महत्त्व

अंतमें धार्मिक वृत्तिके बिना जगतमें मानवका जीवन व्यर्थ है, यह समझा कर गांधीजीने मजदूरोंसे आग्रह किया कि वे अपने भीतर धार्मिक वृत्तिका विकास करें:

"एक समय ऐसा था जब सब लोगोंमें धार्मिक वृत्ति थी। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि इस कठिन समयमें यदि हमारे भीतर धर्मकी जागृति हो तो ही समझना चाहिये कि हम सुरक्षित हैं, वर्ना हमें अपनेको मरा हुआ ही मानना चाहिये। धार्मिक वृत्ति अपने भीतर पैदा करनेका काम बहुत कठिन नहीं है। वह बिल्कुल सरल वस्तु है और सब कोई अपने भीतर उसका विकास कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद है, जो संयमको नहीं जानता, वह धर्मसे दूर है। जो मनुष्य किसीका बुरा नहीं करता और किसीका खोटा पैसा न तो लेता है और न किसीको खोटा पैसा देता है, वह धर्मको समझता है। अगर हम शराबी बन जायं, लुच्चे-लफंगे हो जायं, तो हमारा जीवन और हमारी कमाई सब बेकार है। हम सच्चे, भले, सरल, विवेकी और धार्मिक वृत्तिवाले बनें, तो ही हमारा जीवन सार्थक माना जायगा।"

विभागके मजदूरोंको उनको उचित जानकारी कराई और यथासंभव उन्हें महाजनके सदस्य बनानेकी कोशिश की। इसके फलस्वरूप मजदूर बड़ी संख्यामें मजूर-महाजनके सदस्य बन गये। जो मजदूर सदस्य बनते उनका चंदा भी वे प्रति सप्ताह नियमित रूपसे वसूल करके महाजनके कार्यालयमें दे जाते थे। मिलसे रातके सात बजे छूट कर वे महाजन-के कार्यालयमें आते थे और चंदा जमा करवा कर रसीदें ले जाते थे। इसके सिवा, अपने विभागके मजदूरोंको कोई तकलीफ हो या उनकी कोई शिकायत हो तब जरूरी मालूम होने पर उनकी शिकायत भी कार्यालयमें आकर लिखवा जाते थे; उससे सम्बन्धित आवश्यक जानकारी दे जाते और उचित सलाह-सूचना भी ले जाते थे।

कुछ मजदूर मिलसे सीधे कार्यालय आते, तो कुछ घर ब्यालू करके आते थे। इसलिए कार्यालय सामान्यतः रातके साढ़े सातसे दस बजे तक मजदूरोंसे भरा रहता था। मजदूरोंका दिया हुआ चंदा जमा करना, उसकी रसीदें देना, मजदूरोंकी शिकायतें सुनना वगैरा सारा काम केशवजी तथा विट्ठलदासकी सहायतासे अनसूयाबहन करती थी। जो शिकायतें आती थीं उन पर उचित विचार करके अनसूयाबहन केशवजी और विट्ठलदासको अपनी योग्य सूचनाओंके साथ मिल-अधिकारियोंसे बातचीत करने भेजती थी और आवश्यक होता उस मामलेमें स्वयं भी फोनसे बात करके शिकायतें दूर करानेका प्रयत्न करती थीं। अनसूयाबहनकी वृत्ति स्वभावसे ही न्याययुक्त थी। इस-लिए जो बात उन्हें सब दृष्टियोंसे उचित मालूम होती, उसीको वे मिल-मालिकोंके समक्ष रखती थी। इसलिए शिकायतें दूर करानेका काम आसानीसे निबट जाता था। किसी मामलेमें सलाह लेना जरूरी लगता तब वे बचुभाई वकील अथवा कालीदास झवेरीकी सलाह लेती थीं। मिलोंके ज्यादातर मालिकोंसे उनका व्यक्तिगत परिचय था, इस-लिए वे किसी प्रश्न पर उनसे सीधी बात भी कर सकती थीं और उनकी बात मालिक सुनते भी थे। यह काम कठिन और जिम्मेदारीसे भरा था, फिर भी थोड़े ही समयमें व्यवस्थित रूपमें चलने लगा। इस-

होनी चाहिये। इसलिए ऐसी हालत तो पैदा होनी ही नहीं चाहिये, जिसमें खुराकके बारेमें मजदूरोंको कठिनाईका सामना करना पड़े — यह कहकर उन्होंने इस प्रश्नके विषयमें तुरन्त उचित निर्णय किया। स्वभावसे भी वे इतने सरल और निरभिमानी थे कि फोन पर मजदूरोंकी कठिनाईके बारेमें सुनते ही वे स्वयं अनसूयाबहनसे जाकर मिले और सारी बातें उनसे समझ लीं। मजूर-महाजनकी स्थापनाके बाद वर्षों तक गांधीजीके साथ पंचके रूपमें रहकर सेठ मंगलदास कपड़ा-उद्योग तथा मजदूरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक छोटे-बड़े प्रश्नोंका संतोषप्रद निराकरण कर सके, इसमें उनके उपर्युक्त गुणोंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाथ रहा ऐसा कहा जा सकता है।

बादमें भी मजदूरोंके सम्बन्धमें जो प्रश्न खड़े हुए, उनके निबटारेके अवसरों पर सबको उनकी सहृदयता और हृदयकी शुद्धताके दर्शन हुए थे।

१५

दस घंटे काम और वेतन-वृद्धिकी लड़ाई

मजूर-महाजनकी स्थापनाके बाद मिल-मजदूरोंके प्रतिनिधियोंकी सभा होने लगी। महाजनके कामकाजके लिए अलग अलग मिलोंके मजदूर अपने अपने विभागके प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे और उन प्रतिनिधियोंसे प्रतिनिधि-मंडलकी रचना होती थी। मजदूर-संस्थासे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बातोंकी इस प्रतिनिधि-मंडलमें चर्चा होती थी और तत्सम्बन्धी निर्णय किये जाते थे। धीरे-धीरे इस मंडलके विषयमें चुनावके नियम बनाये गये और उन नियमोंके अनुसार प्रतिनिधियोंका चुनाव करनेकी व्यवस्था हुई।

कमजोरीका बेजा फायदा

उस जमानेमें मिलोंमें रोज १२ घंटे काम चलता था। उस समयका फैक्टरी एक्ट भी मजदूरोंसे रोज १२ घंटे काम लेनेकी छूट देता था। ६ घंटे काम करनेके बाद मजदूरोंको १ घंटेकी छुट्टी मिलती

थी। इसके अलावा, आने-जानेमें भी उनका एक घंटा निकल जाता था। इसलिए मजदूरोंको सब मिलाकर १३-१४ घंटे घरसे बाहर रहना पड़ता था। कामके १२ घंटे बहुत ही ज्यादा थे; और वे कम होने चाहिये ऐसा मजदूरोंको और अन्य सब लोगोंको भी लगता था। फिर, थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंको वेतन भी बहुत ही कम मिलता था। उन्हें दो हफ्तोंके मिलते ५॥ रुपये यानी महीनेके कुल ११-१२ रुपये ही मिलते थे। थ्रॉसल-विभागमें मुख्यतः हरिजन ही काम करते थे। उनका बड़ा भाग गांवोंसे आकर अहमदाबादमें बसा था। ऐसा लगता था कि उनका वेतन इतना कम रखनेमें उनकी अस्पृश्यता, गरीबी और कमजोरीका बेजा फायदा उठाया जाता था।

मजदूरोंकी मांग

कामके घंटे और वेतन — इन दोनों ही महत्त्वकी बातोंमें इन मजदूरोंकी स्थिति अत्यंत दुःखद थी और वह सभीको खटकती थी। सबकी यह राय बनी कि इन दोनों बातोंके बारेमें उचित मांग की जानी चाहिये। इसमें दो मुद्दे सुझाये गये : (१) वेतन बहुत थोड़ा है, इसलिए उसमें उचित वृद्धि होनी चाहिये। (२) कामके घंटे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए १२ के बदले १० घंटे कर देने चाहिये। ये दोनों सुझाव बिलकुल उचित मालूम हुए, इसलिए थ्रॉसल-विभागके महाजनकी अध्यक्षाके नाते अनसूयाबहनने महाजनके मित्रोंकी सलाह लेकर इस सम्बन्धमें एक विधिवत् पत्र मिल-मालिक मंडलको लिख भेजा, लेकिन मिल-मालिक मंडलकी ओरसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इससे महाजनके सदस्योंमें तीव्र असंतोष पैदा हुआ और ऐसी स्थिति खड़ी हुई, जिसमें हड़ताल करना अनिवार्य हो जाय।

गांधीजीका मार्गदर्शन

इस समय गांधीजीकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए वे आराम लेनेके लिए सिंहगढ़ गये हुए थे। वहां अनसूयाबहनने इस प्रश्नसे सम्बन्धित सारी बातें गांधीजीको विस्तारसे बताईं और उचित सलाह और सहायता देनेकी उनसे प्रार्थना की। गांधीजीने सारी बातों

पर विचार करनेके बाद उनसे कहा कि सिंहगढ़से लौट कर मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। धागा-विभागके मजदूर तो हड़ताल करनेके लिए अधीर बन रहे थे। परन्तु अनसूयाबहनने उन्हें सलाह दी कि गांधीजी आयें तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिये और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। मजदूरोंने उनकी यह सलाह मान ली। गांधीजीके आनेमें तीन दिन बाकी थे। इतने समयके लिए मजदूर रुक गये। गांधीजीके आते ही मिल-मालिकोंके साथ इस सम्बन्धमें बातचीत शुरू कर दी गई। यह बातचीत मुख्यतः अनसूयाबहनके मिरजापुरवाले बंगलेमें होती थी। सुबह और शामको जब भी जरूरी होता गांधीजी अनसूयाबहनके बंगले पर आते और वहां मिल-मालिक तथा मजूर-महाजनके प्रतिनिधि आकर उनसे मिलते थे। उस समय सेठ मंगलदास मिल-मालिक मंडलके अध्यक्ष और गोरधनभाई पटेल उसके मंत्री थे। आरंभमें बातचीत मंगलदास सेठके साथ हुई। मजदूरोंकी मांग कोई मामूली मांग नहीं थी। उस समयका फैक्टरी एक्ट कारखानोंको १२ घंटे काम चलानेकी इजाजत देता था और सारे देशके कारखाने रोज १२ घंटे चलते थे। इस स्थितिमें केवल अहमदाबादकी ही मिलें १० घंटे चलें, यह मांग मिल-मालिक आसानीसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर, मजदूरोंकी मांग सिर्फ कामके घंटे घटाने तक ही सीमित नहीं थी। कामके घंटे घटानेके साथ मजदूरोंका वेतन भी बढ़ाना था। विश्वयुद्धके कारण मिलोंको मुनाफा तो बहुत अच्छा होता था, फिर भी वेतनमें वृद्धि करनेके लिए सब मिल-मालिक तैयार हो जाय यह संभव नहीं था। लेकिन दूसरी ओर मजदूरोंकी मांगका उचित निबटारा न होने पर वे हड़ताल करनेको तैयार बैठे थे।

मालिकोंमें मतभेद

१९१८ में गांधीजीने और अनसूयाबहनने बुनाई-विभागके मजदूरोंकी हड़ताल चलाई। थी। उसका मिल-मालिकोंको अनुभव था। यह साफ था कि हड़ताल पड़नेसे मिलोंका काम बंद हो जाता और उससे उन्हें भारी नुकसान होता। इस हड़तालको रोकनेके दो ही मार्ग थे: (१) मजदूरोंकी मांग स्वीकार करना; (२) इस मांगके निबटारेका

[illegible] कठिन लगे, तो
[illegible] पंचके हाथमें
[illegible] सेठ मंगलदासके
[illegible] गई। इस प्रकार
[illegible] कुछ विचारशील
[illegible] विचार करने लगे।
[illegible] हुए थे उस समय
१९१८ में [illegible] और गांधीजीके
[illegible] समझौता हुआ था, यह
[illegible] इन्होंने अपने जैसे विचार
[illegible] किया। उन्होंने यह
[illegible] इस पक्षमें कुल बारह
मिलोंके मालिक शामिल हुए। सेठ [illegible] सिवा सेठ कस्तूरभाई और
सेठ जगाभाई भी इस पक्षमें थे। किसी मामलेमें मतभेद खड़ा हो
और बातचीतसे उसका अन्त न आये, तो वह मामला पंचके हाथमें
सौंप देना चाहिये — यह तो गांधीजीका अपना ही सिद्धान्त था
इसलिए इन बारह मिलोंके मालिकोंके साथ पंचकी नियुक्तिका कर[ार]
हुआ और उस पर सबके हस्ताक्षर हुए। लेकिन सेठ मंगलदास त[था]
दूसरी मिलोंके मालिकोंने यह प्रश्न पंचको सौंपनेकी बात स्वीक[ार]
नहीं की। इसके दूसरे ही दिन दूसरी सारी मिलोंमें हड़ताल पड़ी
और उपर्युक्त बारह मिलोंमें काम चालू रहा।

सरपंचके लिए गांधीजीका आग्रह

मिल-मालिक मंडलको पंचकी व्यवस्था स्वीकार करनेमें कठिनाई यह थी कि सेठ मंगलदास नहीं चाहते थे कि ऐसे मामलोंमें बाहरके लोग कोई हस्तक्षेप करें या बीचमें पड़ें। परन्तु बादमें सारी परिस्थितियोंका विचार करके उन्होंने भी कुछ हद तक पंचकी बात मान ली और यह स्वीकार किया कि गांधीजी और वे पंचके नाते इस मांगका विचार करके जो फैसला देंगे उसके अनुसार मजदूरोंको वेतन दिया जायगा। परन्तु दोनों पंच यदि एकमत न हों तब क्या हो? इसके लिए

गांधीजीका यह सुझाव था कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तब इस प्रश्नको सरपंचके हाथमें सौंप दिया जाय। सेठ मंगलदासको सरपंचकी बात पसंद न आई। उन्होंने गांधीजीको तो पंचके रूपमें स्वीकार कर लिया, परन्तु उनका खयाल था कि बाहरका और कोई व्यक्ति पंचके रूपमें नहीं रहना चाहिये। गांधीजीने सरपंचके लिए आग्रह किया तब सेठ मंगलदास बोले: "सरपंचकी क्या जरूरत? हम दोनों एकमत क्यों नहीं हो सकते? जब हम एकमत नहीं हो सकेंगे तब इस बारेमें सोचेंगे।" इस प्रकार सरपंचकी बात अनिश्चित ही रही। मजदूरोंकी मांगके सम्बन्धमें पंच नियुक्त करनेकी बात इस प्रकार स्वीकृत हो जानेसे जिन मिलोंमें हड़ताल पड़ी थी वे सब भी फिरसे चालू हो गईं।

निर्णयमें देर

पंचकी बात स्वीकार कर ली गई और मिलें चालू हो गईं, उसके बाद मजदूरोंकी मांगके बारेमें बातचीत शुरू हुई। तय यह हुआ था कि इस मांगके बारेमें विचार करके पंच १ मई, १९२० तक अपना निर्णय दे दें। मजदूरोंकी मांगके बारेमें सेठ मंगलदाससे बातचीत हुई, लेकिन २५ वीं अप्रैल तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। सेठ अम्बालालको विलायत जाना था, इसलिए खुद अपने लिए और अपने साथके मिल-मालिकोंके लिए मजदूरोंके वेतनकी दरें तुरन्त निश्चित कर लेनेका उन्होंने फैसला किया। और उनकी सूचनाके बारेमें मजदूर-प्रतिनिधियोंसे सलाह करके गांधीजीने उन बारह मिलोंके मजदूरोंका वेतन निश्चित कर दिया। परन्तु इसमें यह समझ लिया गया कि बादमें मिल-मालिक मंडलके साथ जो समझौता होगा, उसे सेठ अंबालाल और उनके साथी मिल-मालिक भी स्वीकार कर लेंगे। सेठ अंबालाल तथा उनके साथी मालिकोंकी मिलोंके साथ वेतनकी जो दरें निश्चित की गई थीं, उनकी सूचना गांधीजीने सेठ मंगलदासको की। बादमें उनके साथ इस विषयकी बातचीत चलाई। परन्तु दोनों एकमत न हो सके। इसी बीच १ मई आ गई। मजदूरोंको बताया गया था कि १ मईसे पूर्व दोनों पंच अपना निर्णय दे देंगे। परन्तु जब पंचोंका कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ, तो मजदूरोंमें भारी खलबली मची।

मजदूरोंकी जिद और भूलका इकरार

इस प्रश्नकी चर्चा करनेके लिए मजूर-महाजनके प्रतिनिधियोंने स्वयं ही अपनी सभा की और उसमें हड़ताल करनेका निर्णय किया। मजदूरोंकी मांगका उचित निबटारा करनेकी बात दोनों पक्षोंकी ओरसे पंचोंको सौंपी गई है, इसलिए पंचोंका अनादर करके हड़ताल करना किसी भी तरह उचित नहीं माना जायगा — यह बात मजदूरोंको समझानेकी अनसूयाबहनने और महाजनके सलाहकारोंने यथासंभव कोशिश की। परन्तु मजदूरोंके गले यह बात नहीं उतरी और उन्होंने हड़ताल करनेकी अपनी जिद जारी रखी। इसके फलस्वरूप अनसूया-बहन तथा मजदूरोंके अन्य सलाहकार थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंके महाजन-से इस्तीफा देकर अलग हो गये। इसके बाद सब मिलोंमें हड़ताल पड़ी। जिन बारह मिलोंने गांधीजीके साथ चर्चा करके वेतनकी दरें निश्चित की थीं, उन मिलोंमें भी हड़ताल पड़ी और उनकी स्थिति बड़ी कठिन बन गई। मजदूरोंके इस बरतावकी खबर मिलते ही गांधीजी अह-मदाबाद आये और मजदूरोंके प्रतिनिधियोंको उन्होंने पंचके करारका महत्त्व तथा उसके सम्बन्धमें मजूर-महाजन और उनकी जिम्मेदारी भली-भांति समझाई। नतीजा यह हुआ कि प्रतिनिधियोंको अपने कदमकी भूल समझमें आ गई। उन्होंने अपने बरतावके लिए गांधीजीसे क्षमा मांगी और उनकी सलाह पर चलनेका वचन दिया।

अनुशासनबद्ध हड़ताल

इस बीच सेठ मंगलदास भी इस प्रश्न पर गंभीरतासे सोचने लगे थे। गांधीजीने दुबारा उनसे बातचीत शुरू की और समझौतेकी संभावना दिखाई देने पर उन्हें दो दिनका समय और दिया। इससे स्थिति फिर बदल गई। गांधीजीके कहनेसे मजदूरोंने पुनः सारी मिलोंमें काम शुरू कर दिया और गांधीजीने फिर सेठ मंगलदाससे बातचीत चलाई। परन्तु उनके साथ कोई समझौता न हो सका। इस पर जिन बारह मिलोंके साथ करार-पत्रके अनुसार वेतनकी दरें निश्चित हुई थीं, वे मिलें तो चालू रखी गईं और अन्य सब मिलोंमें हड़ताल करना

अनिवार्य हो गया। यह हड़ताल बारह दिन तक चली। हड़तालके दिनोंमें मजदूरोंने बड़ी समझदारी और संयमसे काम लिया। सामान्यतः हड़ताल पड़ने पर सारी ही मिलोंके मजदूर उसमें शरीक होते थे। ऐसा शायद ही कभी होता था कि कुछ मिलोंके लिए अपवाद हो और वे चालू रहें। परन्तु जब गांधीजीने मजदूरोंको यह बात अच्छी तरह समझाई कि जिन बारह मिलोंने बारह घंटेके दस घंटे करना स्वीकार किया है और वेतनकी उचित दरें भी निश्चित की हैं उन मिलोंमें काम चालू रखना आपका फर्ज है, तो सब मजदूरोंने सोच-समझ कर उसे मान लिया। इसके अनुसार बारह मिलोंमें काम भलीभांति चला और बाकी सब मिलोंमें हड़ताल पड़ी। मजदूरोंने समझ-बूझकर अनुशासनका पालन किया, इससे गांधीजी बड़े खुश हुए और उन्होंने मजदूरोंको धन्यवाद भी दिया।

इस लड़ाईके सम्बन्धमें दूसरी एक महत्त्वपूर्ण बात भी यहां देने जैसी है। इस लड़ाईसे सम्बन्ध रखनेवाली मांग और हड़ताल थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंकी थीं। अन्य विभागोंके मजदूरोंका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। लेकिन थ्रॉसल-विभागके मजदूर अपना काम बन्द कर दें, तो हमारे विभागोंका काम भी कुदरती तौर पर बंद हो जायगा, यह जानते हुए भी अन्य विभागोंके मजदूरोंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। इसके फलस्वरूप हड़तालके पूरे समयमें शांति बनी रही। अन्य विभागोंके मजदूरोंके ऐसे समझदारी और सहानुभूतिसे पूर्ण व्यवहारकी सर्वत्र प्रशंसा हुई।

बारह दिन तक व्यवस्थित रूपमें चलती रही हड़तालका सेठ मंगलदासके मन पर भी अच्छा असर हुआ और उन्होंने पुनः गांधीजीके साथ बातचीत आरंभ की। ऊपर बताई बारह मिलोंने स्वतंत्र रूपसे गांधीजीके साथ समझौता किया, यह सेठ मंगलदासको बहुत बुरा लगा था। उन मिलोंने गांधीजीके साथ जो समझौता किया था, उसे स्वीकार करना भी उनके लिए कठिन था। इसलिए वे गांधीजीसे आग्रह करने लगे कि उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिये। गांधीजीने यथाशक्ति उन्हें समझानेका प्रयत्न किया। उन्होंने सेठ मंगलदाससे कहा: "मजदूरों-

क वेतनके वारेमें सावधानीसे विचार करने पर जो वेतन उचित मालूम
हुआ, वह उन्हें देनेका समझौता हुआ था। अव विना किसी उचित
कारणके उसमें परिवर्तन करना न्यायकी दृष्टिसे किसी भी तरह
ठीक नहीं माना जायगा।" साथ ही गांधीजीने उनसे यह भी कहा कि
वेतनमें परिवर्तन करनेका कोई उचित कारण आप वतायें, तो उस पर
सोचा जा सकता है। सेठ मंगलदासकी यह तीव्र इच्छा थी कि इस
वेतनमें किसी न किसी तरह थोड़ा भी परिवर्तन किया जा सके तो
करना चाहिये। इसलिए अव वे इस दृष्टिसे वेतनके प्रश्न पर सोचने
लगे और दिनोंकी गिनतीमें भूल बताकर उन्होंने वेतनमें एक छोटासा
परिवर्तन करनेकी सूचना की।

सेठ मंगलदासके साथ समझौता

वारह मिलोंने जो समझौता किया था वह वर्षके ३६५ दिनके
हिसावसे किया गया था। परन्तु थ्रॉसल-विभागका वेतन १५ दिनकी
किस्तके हिसावसे गिना जाता था और उस हिसावसे वारह महीनेके
३६० दिन ही होते थे। इसलिए सेठ मंगलदासका प्रस्ताव यह था कि
वारह मिलोंने वेतनकी जो दरें निश्चित की हैं, उनमें ३६० दिनके
हिसावसे चार आने कम किये जाने चाहिये। यह प्रस्ताव गांधीजीको
उचित लगा, इसलिए उन्होंने निश्चित किये हुए वेतनमें चार आने
कम करनेकी वात मान ली। अव सेठ मंगलदासके मनका समाधान
हो गया। गांधीजीने इस विपयमें मजदूरोंको भी अच्छी तरह समझाया।
उन्होंने यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सेठ मंगलदासके
साथ समझौता हुआ और सारी मिलें चालू हो गईं।

सभी मजदूरोंको वृद्धि मिली

वेतनमें वृद्धि करनेकी मांग थ्रासल-विभागके मजदूरोंने की थी और
इन मजदूरोंमें यह तय हुआ कि उनके वेतनमें कितनी वृद्धि की जाय।
परन्तु यह जाहिर था कि थ्रासल-विभागके मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि होनेसे
दूसरे विभागोंके मजदूर भी अपना वेतन बढ़ानेकी मांग करते और
उनके फलस्वरूप कोई नया आन्दोलन खड़ा हो जाता। इसलिए दूसरे

मजदूरोंके वेतनके बारेमें उचित विचार किये बिना काम नहीं चल सकता था। इस दृष्टिसे यह निर्णय दोषपूर्ण है, ऐसा कहकर सेठ मगलदासने सुझाया कि अन्य विभागोंके मजदूरोंके वेतनमें भी उचित वृद्धि निश्चित की जानी चाहिये। उसके अनुसार इस निर्णयमें दूसरे विभागोंके मजदूरोंके वेतनमें की जानेवाली वृद्धि भी सम्मिलित कर ली गई।

यह बात एक अन्य दृष्टिसे भी महत्त्वकी थी। थ्रॉसल-विभागका वेतन मजदूरोंके कामके हिसाबसे नहीं परन्तु दिनके हिसाबसे गिना जाता था। इसके विपरीत अन्य कुछ विभागोंका वेतन कामके आधार पर गिना जाता था। जब बारह घंटेके बजाय यदि मिलें दस घंटे चलतीं, तो इन विभागोंका काम स्वाभाविक रूपमें ही कम होता और उनका वेतन पहलेकी अपेक्षा कम हो जाता। इस बातको इन विभागोंके मजदूर स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके वेतनकी दरोंमें परिवर्तन करना अनिवार्य था। सेठ मगनदास बड़े दूरदर्शी थे। इसलिए उन्होंने इस समस्याका पहलेसे ही विचार करके असंतोषके लिए कोई कारण न रहने देनेकी दृष्टिसे पंचके निर्णयमें इस बातके लिए भी उचित व्यवस्था करवा दी।

परिणामोंका सार

१९१८ में मिलोंके बुनाई-विभागके मजदूरोंकी जो हड़ताल हुई वह मजदूर-प्रवृत्तिके सम्बन्धमें बड़ा महत्त्व रखती है। उस हड़तालने मजदूरों और मालिकोंको अमूल्य पाठ सिखाये हैं। १९२० की थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंकी यह हड़ताल भी इस दृष्टिसे बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसकी कुछ कल्पना इस हड़तालके परिणामोंके निम्नलिखित सारसे हो सकेगी।

दस घंटेके करारका महत्त्व

१. यह हड़ताल जिन उद्देश्योंसे की गई थी उनमें महत्त्वका उद्देश्य था कामके घंटे कम करना; और यह उद्देश्य सफल हुआ। पंचके निर्णयमें यह तय हुआ कि मिलें पहले बारह घंटे चलती थी उसके बदले अब दस ही घंटे चलें — वह भी उस हालतमें जब कि फैक्टरी

एक्ट बारह घंटे मिलें चलानेकी इजाजत देता था और जब सारे देशमें कारखाने बारह घंटे चल रहे थे। सामान्यतः मजदूरोंकी दृष्टि वेतन बढ़वाने पर होती है, परन्तु इस लड़ाईमें कामके घंटोंको महत्त्वका स्थान दिया गया था।

कामके घंटे कम होनेके साथ वेतनमें वृद्धि

२. इस लड़ाईके अंतमें केवल कामके घंटे ही कम नहीं हुए, बल्कि मजदूरोंके वेतनमें भी उचित वृद्धि हुई। सामान्यतः कामके घंटे कम होनेसे उत्पादन थोड़ा घटता है, इसीलिए मालिक इसका विरोध करते हैं। ऐसी स्थितिमें वेतन-वृद्धिकी मांग स्वीकार करनेकी कम संभावना रहती है। लेकिन इस लड़ाईके फलस्वरूप कामके घंटे कम होनेके साथ मजदूरोंके वेतनमें भी उचित वृद्धि हुई।

अन्य विभागोंके मजदूरोंकी स्थिति

३. यह लड़ाई थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंकी ओरसे लड़ी गई थी, परन्तु इसके कारण अन्य विभागोंके मजदूरोंकी स्थितिमें भी सुधार हुआ। उनके कामके घंटे भी घटे और इसके फलस्वरूप कामके आधार पर वेतन पानेवाले मजदूरोंका उत्पादन कम हो जाने पर भी उनके वेतनमें कमी न होनेकी व्यवस्था हुई।

कार्यक्षम संगठन और अनुशासन

४. थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंका बड़ा भाग अस्पृश्य और गरीब माने जानेवाले हरिजनों तथा पिछड़े हुए वर्गके लोगोंका था। उन्होंने यह लड़ाई हिम्मत, धीरज और दृढ़तासे लड़कर गांधीजीकी प्रशंसा प्राप्त की। इस विभागके मजदूरोंकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी मजदूरोंका संगठन इतना कार्यक्षम हो गया था कि लड़ाईके दौरान एक भी मजदूर हड़ताल तोड़कर काम पर नहीं गया।

५. इन मजदूरोंने इस लड़ाईमें अनुशासनका पूरा पूरा पालन किया। सामान्य रूपमें हड़ताल पड़ने पर सभी मजदूर उसमें शरीक होते थे। लेकिन इस हड़तालमें अधिकतर मिलें बन्द होने पर भी जिन

ारह मिलोंने मजूर-महाजनके साथ समझौता किया था वे चालू रहीं।
न अनुशासनके लिए गांधीजीने मजदूरोंको धन्यवाद दिया।

६. थ्रॉसल-विभागके सिवा अन्य विभागोंके मजदूरोंका काम भी
ास हड़तालके कारण बंद हो गया और उनकी कमाई रुक गई। फिर
भी उन्होंने किसी तरहका दबाव नहीं डाला और शांति बनाये रखनेमें
मदद की।

पंचकी प्रथाका महत्त्व

७. औद्योगिक मतभेदोंके शांतिपूर्ण निराकरणके लिए पंचकी प्रथा
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, यह सबक १९१८ की बुनाई-विभागकी हड़तालने
मजदूरों तथा मालिकोंको सिखाया था। इस सबकके गूढ़ अर्थको समझकर
बारह मिलोंके मालिकोंने हड़ताल रोकनेके लिए पंचका करार किया
और मजदूरोंकी मांगका निबटारा करनेका काम पंचको सौंप दिया;
और बाकीकी सब मिलोंने भी कुछ दिन बाद यही मार्ग अपनाया। १९१८
की लड़ाईमें गांधीजीका उपवास पंचकी प्रथाको स्वीकार करानेमें कारण-
भूत बना था। १९२० की इस थ्रॉसल-विभागकी लड़ाईमें केवल हड़-
तालमें होनेवाले नुकसानसे बचनेके लिए मालिकोंने पंचकी प्रथा अप-
नाई थी।

८. मतभेदके निराकरणमें *न्यायके विचारको महत्त्वपूर्ण स्थान*
प्राप्त हुआ। बारह मिलोंके साथ गहरे विचारके बाद वेतनकी जो
दरें निश्चित की गई थीं, उनमें परिवर्तन करनेकी बात मिल-मालिक
मण्डलकी ओरसे कही गई। परन्तु गांधीजीने यह आग्रह किया कि उचित
कारणके बिना केवल एक या दूसरे पक्षको खुश करनेके लिए ही उन
दरोंमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अंतमें गांधीजीका यह आग्रह
मान लिया गया।

९. कुछ मजदूरोंने हड़तालके दिनोंके वेतनकी मांग की। परन्तु
बादमें मजदूरोंने यह बात समझ ली कि ऐसी मांग करना न्यायकी
लड़ाईके लिए उचित या शोभास्पद नहीं है; और उन्होंने अपनी यह
मांग छोड़ दी।

१०. लड़ाईके अंतमें दोनों पक्षोंके बीच कड़वाहट पैदा होनेके बजाय गाढ़े सम्बन्ध स्थापित हुए। मालिकों और मजदूरों दोनोंने इस बातको समझ लिया कि औद्योगिक प्रश्नोंका निराकरण पंच द्वारा करनेमें ही दोनोंका हित है। इसके फलस्वरूप पंचकी प्रथाके लिए विधिवत् व्यवस्था कर दी गई।

१६

विशुद्ध नीतिका आग्रह

१९२० के साल तक अहमदाबादमें मजदूरोंको दीवाली पर बोनस देनेका कोई मौका ही नहीं आया था। इसलिए बोनसके विषयमें कोई नियम या कानून नहीं बने थे। प्रथम विश्वयुद्धके फलस्वरूप १९२० में मिलोंने अच्छा मुनाफा कमाया था। मजदूरोंको भी इसका कुछ खयाल आने लगा था। इसलिए कुछ मिलोंमें वे बोनसकी मांग करने लगे और कुछ मिल-एजेन्ट उन्हें खुश करनेके लिए दो-चार रुपये बोनसके रूपमें देने भी लगे थे। मजदूरोंकी इस मांगके फलस्वरूप उन्हें कुछ न कुछ मिलने लगा, इसलिए कुछ मिलोंके मजदूर हर महीने बोनस देने की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर मशीनें बंद करनेकी धमकी देने लगे। उन दिनों मिलोंको अच्छा मुनाफा होता था। इसलि कुछ समयके लिए भी मशीनें बन्द हो जातीं, तो उन्हें बहुत नुकस. हो सकता था। यह सोचकर कुछ एजेन्ट मजदूरोंको हर महीने पैसे देने लगे और उसके साथ मिठाई भी बांटने लगे।

अनुचित दबाव और मालिकोंकी कमजोरी

जब हमें इस बातका पता चला तो हमने गांधीजीको इस बारेमें बताया। गांधीजीको स्वाभाविक रूपमें ही मजदूरों और मालिकोंका यह व्यवहार पसन्द नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर मिलोंको अच्छा नफा ोत हो, तो वर्षके अंतमें इस सम्बन्धमें सोच-विचार कर व्यवस्थित ...ों बोनसकी मांग की जा सकती है। परन्तु मजदूरोंकी इस तरहकी

मांग और उसके बारेमें मालिकों पर डाला जानेवाला दबाव अनुचित ही माना जायगा; और मालिकोंको इस तरहके दबावके सामने झुकना नहीं चाहिये। इस सम्बन्धमें गांधीजीने सेठ कस्तूरभाईसे और मुझसे कहा कि हम दोनों मिल-मालिकोंके पास जाकर उन्हें इन विचारोंसे परिचित करायें। उनकी सूचनाके अनुसार हम दोनों मिल-मालिकोंसे मिलकर बोनसके प्रश्न पर उनसे बात करने लगे। वे हमारी बात सुनते थे और उन्हें वह पसंद भी आती थी, परन्तु सामान्यतः वे कुछ कहते नहीं थे। इसके विपरीत, एक वयोवृद्ध मिल-मालिकने साफ दिलसे अपनी स्थिति और विचार हमें सुनाकर एक नया ही अनुभव कराया।

पहले तो उन्होंने हमारी बातें धीरजसे सुनीं। बादमें उन्होंने कहा: "गांधीजीकी बात तो बिलकुल ठीक है। लेकिन आज अगर मजदूर बोनस मांगें, तो उन्हें इनकार किया ही नहीं जा सकता। आज तो पैसा कमानेका खास समय है। आज एक घंटेके लिए भी अगर मिल बन्द रहे, तो हमें भारी नुकसान पहुंचे। इसलिए मैं तो मजदूरोंके मांगने पर उन्हें पैसे भी दूंगा और मिठाई भी बांटूंगा। मशीनें चलती रहें इसके लिए मजदूरोंको खुश रखनेकी मैं हर कोशिश करूंगा। लेकिन अगर गांधीजीको यह लगता हो कि मजदूरोंका इस तरह बोनस मांगना उचित नहीं है, तो उनसे कहिये कि वे मजदूरोंको अपनी बात अच्छी तरह समझायें। मिल-मालिकोंसे यह सब कहना बेकार है।"

मजदूरोंको स्पष्ट सलाह

यह बात सुननेके बाद हम दूसरे मिल-मालिकोंके पास नहीं गये। गांधीजीके पास जाकर हमने वृद्ध मिल-मालिककी बात उनसे कह सुनाई। सुनकर वे सोचमें पड़ गये। उन्हें इस बातका खयाल ही नहीं था कि मिल-मालिकोंमें इतनी कमजोरी होगी। सच पूछा जाय तो मालिकोंको ही इस तरह बोनस देनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार करना चाहिये था। ऐसा वे करते तो मजदूरोंकी यह अनुचित मांग बन्द हो जाती।

गांधीजीने देखा कि वस्तुस्थिति इससे बिलकुल उलटी है। इसलिए उन्होंने मजदूरोंको अपने विचार भलीभांति समझानेके लिए उनके नेताओं-

की एक सभा बुलाई। यह सभा मिरजापुरमें अनसूयावहनके वंगलेके एक वड़े हॉलमें हुई। हॉल मजदूर-नेताओंसे भर गया था। गांधीजीने वोनसके वारेमें अपने विचार समझाते हुए कहा: "वोनसकी मांग तो वर्षके अंतमें केवल एक ही वार मुनाफेके आंकड़े देखकर की जा सकती है। इस तरह हर महीने किसी भी नियम अथवा हिसावके विना वोनस मांगना और लेना उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मालिकों पर दबाव तो कभी डाला ही नहीं जा सकता।"

लेकिन गांधीजीकी यह वात मजदूर-नेताओंके गले नहीं उतरी। वे वोले: "साहव, हम तो गरीव आदमी ठहरे। हमें तो जिस समय जिस ढंगसे जो कुछ भी मिल जाय वह लेना होगा। इसके सिवा, हम इस वारेमें आपमें से किसीको तकलीफ नहीं देते। हम तो खुद ही मालिकोंसे जो कुछ मिल जाय वह ले लेते हैं। इसमें आपके या पूज्य अनसूयावहनके वीचमें पड़नेकी जरूरत नहीं है।" इस प्रकार मजदूर-नेता अपनी अपनी वात कहने लगे।

इस्तीफेका निर्णय

परन्तु गांधीजीने कहा: "यह वात वड़े महत्त्वकी है, नीतिकी है। इसलिए मुझे वीचमें पड़ना ही होगा। आप लोग गरीव हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको पैसा मिले तो मुझे खुशी ही होगी। लेकिन आप अनुचित रीतिसे पैसे पायें, इसमें आपका हित नहीं है। और इसमें हम आपका साथ नहीं दे सकते।" गांधीजीकी वातने नेताओंमें खलवली मच गई। वे गांधीजीको वार वार अपनी वात समझाने लगे। लेकिन गांधीजी अडिग वने रहे। उन्होंने कहा: "आप लोग नीतिके विरुद्ध आचरण करें, इसे वरदाश्त नहीं किया जा सकता। यदि आप इसी तरह आचरण करना चाहें, तो मुझे आपके कामसे अलग होना पड़ेगा और अनसूयावहनको भी अलग होनेकी सलाह देनी पड़ेगी।" मजदूर-नेता गांधीजीकी वात समझ नहीं सके। वे कहने लगे: "हम मांगते हैं और मालिक हमें पैसा देते हैं। इसलिए हमें वह पैसा लेना अनुचित नहीं लगता। हम आगे भी इस तरह मालिकोंसे पैसा लेते रहेंगे।" उनकी यह वात सुनकर गांधीजी और अनसूयावहनको

अपने पदोंसे इस्तीफा दे दिया और कहा: "आप अपने कागजात, हिसाबकी बहिया और पैसे ले जाइये।" उनकी इस बातसे कुछ मजदूर-नेता खिन्न हो गये। दूसरे कुछ उदास हो गये। लेकिन हिसाबकी बहिया या पैसे लेनेसे तो सबने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा: "बहिया और पैसे आपके पास रहने दीजिये। यदि हम ले जायंगे तो हममें जो अप्रामाणिक होंगे वे इन्हें उड़ा देंगे। इसलिए इस्तीफा आप भले ही दें, लेकिन हमारी बहिया और पैसे अपने ही पास रहने दीजिये।" इतना कहकर नेता रवाना हो गये और इस करुण प्रसंगका अंत आया।

गांधीजीकी नीतिका स्वीकार

इस प्रकार मजदूर-नेता उस सभासे नाराज होकर चले गये। लेकिन थोड़े दिन बाद कालुपुर क्षेत्रकी मिलोंके मजदूरोंको अपनी भूल समझमें आ गई और हरिवल्लभ मूलचंद मिलके प्रतिनिधि-मजदूर कानजी पोपटके नेतृत्वमें गांधीजीके पास आकर कहने लगे. "इस बातकी गंभीरताको हम समझ नहीं सके। इसमें हमारी भूल हुई, जिसके लिए हम सब दुःखी हैं। हमारी संस्थाका काम आपके और पूज्य अनसूयाबहनके बिना चल नहीं सकता। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे।" दूसरी ओर, रायखड़ क्षेत्रके मजदूर, जिनके नेता कचरा भगत और बालू महाराज थे, लम्बे समय तक अपने बोनसके विचारोंसे चिपटे रहे। इतना ही नहीं, कालुपुर क्षेत्रके मजदूरोंकी कमजोरीका वे लोग मजाक उड़ाने लगे और उनके लिए हाथमें पहननेको चूड़ियां भी भेजी। परन्तु जैसे जैसे दिन बीतते गये वैसे वैसे रायखड क्षेत्रके मजदूरोंको भी सच्ची परिस्थिति समझमें आने लगी और तीनेक महीने बाद उन्होंने भी गांधीजीकी नीति स्वीकार कर ली। इस प्रकार थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंका संघ पुनः गांधीजीके मार्गदर्शनके अनुसार अनसूयाबहनकी अध्यक्षतामें चलने लगा। इसके बाद अक्तूबर मासमें पंचोंकी बैठकमें बोनसका प्रश्न उठा और उसमें दीवालीके बोनसके रूपमें एक महीनेका वेतन मजदूरोंको देनेका निर्णय हुआ।

यह प्रश्न बड़ा नाजुक और मुश्किलोंसे भरा था। परन्तु ऊपर कहे मुताबिक वह अच्छी तरह हल हो गया और सबको उससे संतोष हुआ। मजदूर-महाजनके कार्यकी दृष्टिसे भी यह प्रसंग बड़ा महत्त्व रखता था और उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हम सबको इस बातका तीव्र भान हुआ कि गरीब मजदूरोंकी सेवाका कार्य जिस प्रकार आत्माको संतोष देनेवाला है उसी प्रकार वह गंभीर जिम्मेदारियोंसे भी भरा है।

सेवा या सरदारी?

गांधीजीने इस अरसेमें अनसूयाबहनसे एक बार पूछा था: "तुम मजदूरोंका यह काम उनकी सेवाके लिए करती हो या सरदारीके लिए?" अनसूयाबहन तो सहज भावसे मजदूरोंका काम करती थीं। नेतागीरी या सरदारी करनेका तो खयाल भी कभी उनके मनमें नहीं आया था। इसलिए वे गांधीजीके इस प्रश्नको समझ नहीं सकीं। उन्होंने गांधीजीसे पूछा: "ऐसा प्रश्न आप क्यों पूछते हैं?" तब गांधीजीने उन्हें समझाया कि अगर मजदूरोंकी सरदारीके लिए हम उनका काम करते हों, तो उन्हें खुश रखनेके लिए उनकी इच्छानुसार कोई अनुचित काम करनेके लिए भी हमें मजबूर होना पड़ सकता है। परन्तु यदि हम उनकी शुद्ध सेवाकी भावनासे काम करें, तो हम उन्हें कभी अन्यायी अथवा अनुचित मार्ग पर नहीं जाने देंगे और न उनके बताये ऐसे मार्ग पर हम स्वयं चलेंगे।" गांधीजीकी यह सलाह मजदूर-कार्यकर्ताओंके लिए दीपस्तंभ जैसी बन गई है।

नीतिका आग्रह

इस प्रसंगसे हमें यह पाठ मिला कि मजदूरोंकी गरीबी और अतिशय दुःखपूर्ण स्थितिको दूर करनेके लिए यथासंभव प्रयत्न करना जैसे हमारा कर्तव्य है, वैसे ही उस प्रयत्नके सिलसिलेमें मूलभूत सिद्धान्तों तथा नीति-नियमोंका समझ-बूझ कर भलीभांति पालन करनेके लिए सजग और सावधान रहना भी हमारा उतना ही बल्कि उससे अधिक आवश्यक कर्तव्य है। मूलभूत सिद्धान्तों तथा नीतिके नियमोंमें हमारी

पूरी श्रद्धा हो और मजदूर-सेवाके सम्बन्धमें उनका महत्त्व हमने समझ लिया हो, तो ही मजदूरोंके नाराज हो जाने या हमारा त्याग कर देनेकी स्थितिमें भी हम उन पर स्थिर रह सकते हैं और मजदूरोंको भी उनका महत्त्व समझा सकते हैं। और तभी मजदूरोंकी सच्ची सेवा हो सकती है — इसका प्रत्यक्ष अनुभव इस प्रसंगने हमें करा दिया।

१७

१९२१ की बोनसकी लड़ाई

[सरपंचकी मांगका स्वीकार]

१९२१ का वर्ष देशमें असहयोग आन्दोलनकी आंधीका वर्ष था। गांधीजी निरंतर उसीके कार्यमें जुटे रहते थे। फिर भी जब जब उन्हें समय मिलता था वे मजदूरोंके प्रश्नोंके विषयमें हमें मार्गदर्शन देते थे तथा पंचोंके समक्ष आनेवाले प्रश्नोंका निराकरण किया करते थे। इतनेमें उस वर्षकी दीवाली पर बोनसका प्रश्न खड़ा हुआ।

भारी मुनाफेका वर्ष

भारतमें विदेशोंसे जो कपड़ा आता था उसमें विश्वयुद्धके वर्षोंमें ५० प्रतिशतसे भी अधिक कमी हो गई थी।* इससे कपड़ेके भाव बहुत बढ़ गये थे। इसके फलस्वरूप १९२० में मिलोंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था और सारी परिस्थितियोंको देखते हुए ऐसा लगता था कि १९२१ में इससे भी अधिक मुनाफा मिलोंको होनेवाला है। अतः ऐसी आशा की जाती थी कि १९२१ में १९२० से बहुत ज्यादा बोनस मिलेगा। मिलोंकी आर्थिक स्थितिके बारे समाचार जाननेसे तथा कपड़ा-उद्योगके जानकारोंसे प्राप्त होनेवाले तथ्योंसे यह अनुमान होता था कि इस वर्ष मिलें तीन महीनोंका बोनस आसानीसे दे सकेंगी। इस मतके अनुसार

* १९१५–१६ में २११ करोड़ गज कपड़ा विदेशसे भारतमें आया था। वह १९१९–२० में घटकर ९९ करोड़ गज हो गया था।

गांधीजीके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इस वर्ष बोनसके लिए तीन महीनेके वेतनकी मांग मालिकोंसे करनी चाहिये। परन्तु यह गांधीजीने विचार कर लिया कि इतना बोनस मांगना उचित होगा और मालिकोंसे क्या इतना बोनस मिल सकता है? मिल-उद्योगके जानकारों का ऐसा मत था कि इतना बोनस मांगनेकी स्थिति तो है, लेकिन मालिक यह मांग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इतना बोनस नहीं मिल जायगा। लेकिन तीन महीनेके बोनसकी मांग अगर की जाय, तो डेढ़-दो माहका बोनस पानेमें कठिनाई नहीं होगी।

मांगका औचित्य

हमने यह बात गांधीजीके सामने रखी, लेकिन उन्हें यह विचार-सरणी ही पसन्द नहीं आई। उनकी नीति यह थी कि मांग उचित होनेके साथ ऐसी भी होनी चाहिये, जिसका तटस्थ दृष्टिसे सोचनेवाला कोई भी व्यक्ति इनकार न कर सके। परन्तु सौदेबाजीकी वृत्तिसे पहले बहुत बड़ी मांग की जाय और बादमें उससे बहुत कम स्वीकार करके समझौता कर लिया जाय, तो ऐसी नीति उचित नहीं मानी जायगी। इतना ही नहीं, मजदूर जनता ऐसे व्यवहारको समझ भी नहीं सकती। अतः मांग सामान्यतः उचित होनी चाहिये और व्यावहारिक भी होनी चाहिये। और यदि मांग ऐसी हो जिसे घटाया न जा सके, तो उसके लिए अंत तक लड़ लेना भी उचित माना जायगा। गांधीजीकी यह दृष्टि बिलकुल ठीक थी, इसलिए बोनसके प्रश्न पर इस दृष्टिसे सावधानीपूर्वक सोच-विचार कर मजूर-महाजनकी ओरसे डेढ़ महीनेके वेतन जितने बोनसकी मांग मालिकोंके सामने रखी गई।

सरपंचकी मांग

उस समय मंगलदास सेठ कुछ बीमार थे, इसलिए गांधीजी और मैं उनसे मिलने गये। उनके साथ जब बोनसके बारेमें चर्चा हुई तो उन्होंने यह मत प्रकट किया कि पिछले वर्ष जितना बोनस इस वर्ष भी दिया जा सकता है, लेकिन डेढ़ महीनेका तो किसी हालतमें नहीं दिया जा सकता। इसके बाद वे इस सम्बन्धमें अपने विचार

प्रकट करने लगे। लेकिन उनकी तबीयत अच्छी न होनेसे गांधीजीने कहा कि हम लोग फिर कभी आकर इस बारेमें आपसे मिलेंगे। सेठ मगलदासको ऐसा लगा कि उनकी बात गांधीजीके गले उतर गई है। इसलिए जब दुबारा उनसे मिलना हुआ और गांधीजीने डेढ़ महीनेका बोनस देनेका आग्रह किया, तो सेठ मगलदासको बड़ा दुःख हुआ। गांधीजीके लिए उनके मनमें बहुत आदर था, फिर भी उन्होंने निश्चित रूपसे कहा कि आपकी यह मांग किसी भी हालतमें स्वीकार नहीं की जा सकती। गांधीजी और सेठ मगलदास क्रमशः मजदूरों और मालिकोंकी ओरसे नियुक्त किये हुए पंच थे। दोनों बोनसके प्रश्न पर एकमत नहीं हो सकने, यह देख कर गांधीजीने सेठ मगलदाससे कहा : "हम दोनों एकमत होकर बोनसका प्रश्न हल नहीं कर सकते। इसलिए किसीको सरपंच नियुक्त करके यह प्रश्न हम उसे सौंप दें।"

तटस्थ सरपंचके बारेमें संकोच

सरपंच नियुक्त करनेकी बात सेठ मगलदासको जरा भी पसंद नहीं आई। मिल-उद्योगके प्रश्नोंका निबटारा करनेके लिए कोई बाहरका आदमी बीचमें पड़े, यह सेठ मंगलदासको या किसी भी मिल-मालिकको पसंद नहीं था। गांधीजी पर उनका पूरा विश्वास था और उन्हें वे अपना ही आदमी मानते थे, इसलिए गांधीजीके साथ बातचीत करनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कोई तीसरा आदमी सरपंचके रूपमें नियुक्त किया जाय, यह उन्हें पसंद नहीं था। इससे स्थिति कठिन हो गई। उसी अरसेमें एक बार मैं सेठ मगलदाससे मिला तब उन्होंने कहा : "देखो तो सही, गांधीजी इस बारेमें सरपंच नियुक्त करनेकी बात कहते हैं। लेकिन जिस प्रश्नको गांधीजी और मैं साथ बैठकर हल नहीं कर सकते, उसे कोई तीसरा तटस्थ व्यक्ति कैसे हल कर सकता है? रावणका राज्य बनियेके न रहनेसे ही चला गया। यहां तो गांधीजी भी बनिया हैं और मैं भी बनिया हूं। हम दोनों ही बनिये हैं। तब हम दोनों मिल कर बोनसका प्रश्न क्यों नहीं हल कर सकते?" इन शब्दोंमें सेठ मंगलदासकी व्यग्रता स्पष्ट दिखाई

देती थी। इसके बाद फिर गांधीजीके साथ उनकी बातचीत हुई और गांधीजीने फिर सरपंचके लिए आग्रह किया। लेकिन सेठ मंगलदासने उसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। गांधीजी अपने विचारों पर दृढ़ थे। उनका यह निश्चित मत था कि जब दोनों पंच इस प्रश्न पर एकमत न हो सकें, तो इसे सरपंचके सामने रखकर न्याय प्राप्त करना चाहिये।

दोनों पंचोंके अलग अलग निर्णय

पंचोंके निर्णयके बारेमें जो परिस्थिति खड़ी हो गई थी, उसकी जानकारी मालिकों और मजदूरोंको देना जरूरी था। इसलिए ता० २०–१०–'२१ को गांधीजी तथा सेठ मंगलदासने पंचके नाते अपना अलग अलग निर्णय दिया।

गांधीजीने अपने निर्णयमें कहा: "मजदूरोंकी यह मांग बिलकुल उचित है। मैं मानता हूं कि जब जब भी मिलोंको बहुत अच्छा नफा हो, तब तब मजदूरोंको उस नफेमें से एक अच्छा हिस्सा बोनसके रूपमें मिलना चाहिये। इस वस्तुस्थितिको गये वर्ष भी स्वीकार किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता जाय वैसे वैसे बोनस और नफेके बीचके अनुपातमें सुधार होना जितना मजदूरोंके लिए लाभदायक होगा, उतना ही हिन्दुस्तानके बड़े मिल-उद्योगकी सलामतीके लिए भी वांछनीय होगा। मजदूरोंके साथ अपने निकट सम्बन्धके आधार पर मैं यह स्पष्ट देख सकता हूं कि मिल-उद्योगको जरा भी नुकसान न हो इस सिद्धान्तको ध्यानमें रख कर मजदूरोंको नफेमें अधिक और अधिक हिस्सा देते जाना चाहिये। इसलिए केवल नैतिक दृष्टिसे देखते हुए मुझे मजदूरोंकी यह मांग बिलकुल उचित और मर्यादाके भीतर मालूम होती है। लेकिन अहमदाबादके मजदूरोंकी विशेष स्थितिका विचार करते हुए भी मुझे लगता है कि उन्हें अच्छी तरह संतुष्ट रखनेमें ही अहमदाबादके इस विशाल उद्योगकी सुरक्षितता समाई हुई है।"

आगे चलकर गांधीजीने कहा: "अतः मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि मालिकोंको मजदूरोंकी बोनसकी मांग पूर्ण रूपमें स्वीकार करके

दिवालीसे पहले अर्थात् २५ अक्तूबरसे पहले उसे कार्यका रूप दे देना चाहिये।"

मजदूरोंकी बोनसकी मांगको गांधीजीने स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार बताया: "प्रत्येक विभागमें मजदूरोंको डेढ़ महीनेका वेतन बोनसके रूपमें दिया जाय।"

सेठ मंगलदासने जो निर्णय दिया, उसका महत्त्वपूर्ण भाग इस प्रकार था: "सारी परिस्थितियोंका विचार करके मिल-मालिक मजदूरोंको दिये जानेवाले बोनसकी रकम तय करते हैं। परन्तु बोनस एक स्वेच्छासे दी जानेवाली रकम होनेके कारण मजदूरोंका यह आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह रकम अमुक मापदंडसे ही निश्चित की जानी चाहिये। गये वर्षकी तुलनामें इस वर्ष मिलोंने आज तक कितनी कमाई की है, इसकी अंदरकी सारी बातें मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसीके आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस वर्ष मजदूरोंने जो मांग की है वह अनुचित है।

"समूची वस्तुस्थितिका विचार करके मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि गये वर्ष पंचोंने एक मतसे बोनसका जो मापदंड निश्चित किया था, उसीके अनुसार इस वर्ष मिलोंको बोनस देना चाहिये।"

सरपंचके लिए फिर आग्रह

इस तरह दोनों पंचोंके अलग अलग निर्णय प्रकट हुए, इसलिए गांधीजीने सरपंचकी नियुक्तिके लिए फिर आग्रह किया। परन्तु सेठ मंगलदासने उसे स्वीकार नहीं किया। जिस प्रश्नमें दो पंच एकमतसे किसी निर्णय पर न पहुंच सकें, उसे तटस्थ सरपंचको सौंप देना चाहिये और उसके निर्णयको अंतिम मान कर उस पर अमल करना चाहिये —यह बहुत आसान और समझमें आने जैसी बात है। परन्तु जब उसे माननेसे इनकार कर दिया गया, तो मजदूरोंको हड़ताल करनेकी सलाह देनेके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया। अतः लाचारीसे मजदूरोंको यह सलाह दी गई।

समझौतेके लिए पं० मालवीयजीका प्रयास

उन दिनों पंडित मदनमोहन मालवीय बनारस विश्वविद्यालयके लिए फंड इकट्ठा करने अहमदावाद आये थे और सेठ मंगलदासके मेहमान बने थे। गांधीजी और सेठ मंगलदासके बीच मजदूरोंके बोनस-के मामलेमें मतभेद खड़ा हुआ है, यह जान कर मालवीयजीको बड़ा दुःख हुआ। इस मतभेदको दूर करनेका प्रयत्न उन्होंने शुरू किया। एक दिन मालवीयजी स्वयं अनसूयाबहनसे मिलने उनके घर आ पहुंचे और उन्हें समझौता करनेके लिए समझाने लगे। मालवीयजी भारतके एक महान नेता थे, परन्तु अपनी प्रतिष्ठाका उनके मनमें खयाल तक नहीं था। उनके मनमें एक ही विचार जम गया था कि यह मतभेद दुःखद है और इसे किसी न किसी प्रकार दूर करना चाहिये। इसलिए अनसूयाबहनको प्रेमसे समझाते हुए उन्होंने कहा: "इस हड़-तालसे मिल-उद्योग और मजदूरों दोनोंको नुकसान उठाना पड़ेगा, अतः समझौतेके लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस समस्याको हल करना आपके हाथमें है और आप यदि निश्चय कर लें तो इसे आसानीसे हल कर सकती हैं।" मालवीयजी इतनी मिठास[se] यह सब कह रहे थे कि किसी भी आदमीका मन उनके विचारों[के] अनुकूल बन जानेका हो जाय। लेकिन इस मामलेमें ऐसी कोई संभा[वना] बना रह ही नहीं गई थी। गांधीजीकी बात बिलकुल सत्य औ[र] उचित थी और उसके सिवा इस प्रश्नके सही हलके लिए दूस[रा] कोई मार्ग ही नहीं था। इसलिए मालवीयजी जो कष्ट उठा [रहे] थे उसके लिए उनका उपकार मान कर भी अनसूयाबहनने नम्रत[ासे] वस्तुस्थिति उनके सामने रख दी। उन्होंने अनसूयाबहनकी बात [सुन] कर उनसे अधिक विचार करनेको कहा और बिदा हुए।

हड़ताल पड़ी

सेठ मंगलदासने सरपंचकी नियुक्तिके लिए साफ ना कह [दिया] था, इसलिए गांधीजीका आदेश मिलते ही अहमदाबादकी सभी मि[लों में] हड़ताल शुरू हो गई। पंडित मालवीयजी इस प्रश्नमें रस लेते

इसलिए यह भी कहा जाने लगा कि वे बीचमें पड़ कर इस प्रश्नके निवटारेका कोई मार्ग खोज निकालें। लेकिन गांधीजी मानते थे कि सच्चा रास्ता यही है कि सरपंच नियुक्त किया जाय, इसलिए उन्होंने अपना यह आग्रह जारी रखा। उनके आग्रहको देख कर सेठ मंगलदासने कहा कि मैं फिरसे इस बारेमें सोचूंगा। अतः गांधीजीने तुरन्त मजदूरोंको काम पर लग जानेका आदेश दिया। ऐसी परिस्थितियोंके बारेमें गांधीजीका यह मत था कि हड़ताल शुरू कर देनेके बाद भी यदि किसी समय समझौते या बातचीतकी स्थिति उत्पन्न हो, तो हड़ताल तुरन्त बंद कर दी जानी चाहिये, जिससे काम फिर चालू हो जाय और उद्योग अथवा मजदूरोंको अकारण नुकसान न पहुंचे। मजदूर गांधीजीसे अनुशासन-पालनका पाठ सीखे थे, इसलिए उनका आदेश मिलते ही अधिकतर मजदूर फिर व्यवस्थित ढंगसे मिलोंमें काम करने लगे। गांधीजीने मजदूरोंके इस अनुशासनकी तारीफ की। सेठ मंगलदासने अपने कहे मुताबिक सरपंचकी नियुक्तिके बारेमें पुनः विचार किया, परन्तु वे अपने मनको समझा नहीं सके। अतः फिर एक बार उन्होंने कहा कि सरपंचकी बातको मैं मान नहीं सकता। नतीजा यह हुआ कि गांधीजीको एक बार फिर मजदूरोंको हड़तालका आदेश देना पड़ा और फिर सारी मिलें बंद हो गईं।

दुःखी मनसे सरपंचका स्वीकार

जब मिलें फिरसे बंद हुईं तो सब लोग इस प्रश्न पर अधिक विचार करने लगे। वे दिन कपड़ा-उद्योगके लिए अत्यन्त लाभदायक थे। मिलोंको बड़ा नफा हो रहा था, इसलिए उत्पादनका रुकना किसीको जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसी स्थितिमें सरपंचकी बात पसंद न होने पर भी सेठ मंगलदासको उस पर फिरसे विचार करना पड़ा। उन्होंने दुःखी मनसे यह बात मान ली और पंडित मदनमोहन मालवीयको सरपंच बनाना स्वीकार करके संतोष माना।

पं० मालवीयजीका निर्णय

पं० मालवीयजीने दोनों पक्षोंको यह समझानेका प्रयत्न किया कि वे पुनः एक बार साथ मिलकर किसी निर्णय पर पहुंचें। परन्तु

जब उन्हें अपने इस प्रयत्नमें सफलता नहीं मिली, तो अंतमें ता० २८–१०–'२१ को उन्होंने सरपंचके नाते अपना निर्णय घोषित कर दिया। अपने निर्णयके आरंभमें पंडितजीने बोनस-सम्बन्धी गांधीजीके विचारोंको स्वीकार कर लिया और कहा: "मेरा यह स्पष्ट मत है कि जिस वर्ष मिलोंने अच्छा मुनाफा कमाया हो उस वर्ष जिन मजदूरोंने मुनाफा कमानेमें हार्दिक सहयोग देकर मालिकोंकी मदद की हो, उन्हें वर्षके अंतमें एक मासके वेतन जितना बोनस देनेका साधारण नियम होना चाहिये। परन्तु जिस वर्ष यह मुनाफा असाधारण रूपमें अच्छा मिला हो उस वर्ष मिल-मालिक मजदूरोंको अधिक बोनस दें, यह उचित और बुद्धिमानीकी बात कही जायगी।"

इसके बाद पं० मालवीयजीने बोनसकी रकम इस प्रकार निश्चित कर दी: "जिन मजदूरोंका वेतन ७५ रुपयेसे कम हो, उन्हें एक माहका औसत वेतन और ७½ रुपये बोनसके रूपमें दिये जायं।

"जिन मजदूरोंका वेतन ७५ रुपये या इससे अधिक हो, उन्हें ७५ रुपये बोनस दिया जाय।"

दोनों पंचोंकी बातचीत दुबारा चली उस बीच जो मजदूर काम पर न जाकर गैर-हाजिर रहे थे, उनके बारेमें यह तय हुआ कि वे उस दिनका काम करके नुकसानकी भरपाई कर दें। पंडित मालवीयजीके इस निर्णयको दोनों पक्षोंने खुले दिलसे मान लिया और मिलें फिर पहलेकी तरह काम करने लगीं।

सरपंचके सिद्धान्तका महत्त्व

पंडित मालवीयजीका यह निर्णय अहमदाबादके मिल-उद्योगके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। अच्छा नफा हो तब मजदूरोंको एक माहका बोनस दिया जाय और जब असाधारण नफा हो तब इससे अधिक बोनस दिया जाय, इस विचारकी स्वीकृतिका बहुत बड़ा मूल्य था। लेकिन इससे भी बड़े महत्त्वकी बात थी सरपंचके सिद्धान्तकी स्वीकृति। १९२० में मजूर-महाजनकी स्थापनाके बाद दस घंटेके कामकी मांगके सिलसिलेमें हड़ताल पड़ी थी, परन्तु बादमें सेठ मंगलदासने उसे स्वीकार कर लिया इसलिए हड़ताल खतम हो गई थी। उस

समय गांधीजीने सरपंच नियुक्त करनेकी बात सुझाई थी और सेठ मंगलदासने गर्भित रूपमें उसे स्वीकार भी किया था, परन्तु सरपंचकी जरूरत नहीं पड़ी थी। किन्तु उसके बाद मजदूरोंके विविध प्रश्नोंके बारेमें गांधीजी तथा सेठ मंगलदासने उचित निर्णय देकर उन्हें हल कर दिया था। इसलिए पंचकी प्रथा अच्छी तरह काम कर रही थी और उससे मिल-उद्योगमें शांति भी बनी रहती थी।

सरपंचकी व्यवस्थाकी अनिवार्यता

परन्तु सरपंचके बारेमें उस समय स्पष्टता न होनेके कारण उसकी व्यवस्था अधूरी रह गई थी। यदि दोनों पंच एकमत हो जायं, तब तो कोई प्रश्न रहे ही नहीं। लेकिन किसी मामलेमें यदि दोनों एकमत न हो सकें तब क्या हो? यदि तालाबंदी अथवा हड़तालका मौका ही न आने देना हो और शांतिसे मिलोंका काम चालू रहे यही वांछनीय माना जाता हो, तो ऐसे अवसर पर सरपंच नियुक्त करके उसके द्वारा योग्य निर्णय करवाना ही एकमात्र सच्चा और उचित मार्ग माना जायगा। कपड़ा-उद्योगसे सम्बन्धित मामलेमें बाहरके किसी व्यक्तिको दाखिल करनेमें मिल-मालिक हिचकिचाते थे, इसलिए वे इस दृष्टिसे सोचनेमें आनाकानी करते थे। परन्तु प्रस्तुत प्रश्नके सम्बन्धमें उन्होंने दु:खी मनसे भी सरपंचकी व्यवस्था मान ली, इस कारण पंचकी अधूरी व्यवस्था पूर्ण बन गई। इस दृष्टिसे यह काम बड़ा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हुए, जिनमें दोनों पंच एकमत न हो सके। परन्तु सरपंचका सिद्धान्त स्वीकृत हो जानेके कारण सरपंच द्वारा ऐसे प्रश्नोंका निराकरण आसान बन गया और इसके फलस्वरूप मिल-उद्योगसे सम्बन्धित ऐसे प्रश्नोंमें अनेक प्रतिष्ठित नेताओं तथा न्यायाधीशोंकी बहुमूल्य सेवायें भी प्राप्त हुईं।

सच्चे जीवनका आग्रह

अपना इसमें निर्णय देनेसे पूर्व १६ तारीखको गांधीजीने मजूर-महाजन द्वारा संचालित मजदूरोंकी शालाओंमें हुए एक भव्य समारोहमें भाषण देते हुए कहा था: "हमें कभी अधीर नहीं बनना चाहिये।

१८

शिक्षा और सामाजिक कार्य

[१९१४ से १९२१]

अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिकी एक विशेषता यह है कि उसका आरंभ सामाजिक और रचनात्मक कार्यसे हुआ था और यह रचनात्मक कार्य मजदूर-प्रवृत्तिके एक महत्त्वपूर्ण अंगके रूपमें सदा विकसित होता रहा है।

अनसूयाबहन विद्याभ्यासके लिए इंग्लैंड गई थीं। वहां उन्होंने स्त्रियों और मजदूरोंके कार्यका निरीक्षण किया था। अहमदाबाद लौटनेके बाद वैसा कार्य उन्होंने यहां भी शुरू करनेका विचार किया। लेकिन अहमदाबादमें स्त्रियोंके बीच कार्य करनेके लिए परिस्थितियां अनुकूल न होनेके कारण उन्होंने मजदूर जनतामें शिक्षा और समाज-सुधारका कार्य आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने ज्युबिली मिलके सामने अमरपुराकी चालमें मजदूर बालकोंके लिए एक शाला खोली। उनकी बचपनकी सखी यशोदाबहन भी उसमें सहायता करने लगीं।

गांधीजीका मत

उस समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटकर अहमदाबादके कोचरब आश्रममें रहते थे। अनसूयाबहन उनसे मिलनेके लिए कोचरब आश्रम जाया करती थीं। गांधीजी भी उनके कार्यमें दिलचस्पी लेने लगे थे। अनसूयाबहनके आमंत्रण पर गांधीजी कस्तूरबा और मि० पोलाकके साथ उनकी शाला देखने गये थे। शालाका कामकाज देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। शालाकी दर्शक-पुस्तिकामें उन्होंने कीमती सुझाव दिये। बालकोंकी सुघड़ता और स्वास्थ्यकी ओर खास ध्यान देनेकी सूचना की। गांधीजीकी इस मुलाकातसे इस कार्यके लिए बड़ा प्रोत्साहन मिला। मजदूर-बालकोंकी शिक्षामें गांधीजीको

सुधारक रमणभाई नीलकंठ भी उस समय अस्पृश्य मानी जानेवाली जातियोंमें शिक्षाका कार्य करते थे। उस समय वे लालशंकर उमियाशंकर ट्रस्ट फंडकी मददसे रायपुर दरवाजेके बाहर खसीपुरामें एक दिवस-शाला चलाते थे। अनसूयाबहनने हरिजन बालकोंकी शिक्षाके बारेमें रमणभाईसे सम्पर्क स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप रमणभाईने खसीपुराकी शाला उन्हें सौंप दी।

अंबालालभाईकी मदद

कुछ समयके बाद इस कार्यके लिए अंबालालभाईकी भी बड़ी कीमती मदद मिली। उन्हें अनसूयाबहनके सामाजिक सेवाकार्यकी जानकारी तो थी ही। बंबईकी एक सभामें उनसे अचानक मेरी भेंट हो गई। वहां उन्होंने स्वयं ही इस विषयमें मुझसे बातें की और इस कार्यके लिए तीन वर्ष तक प्रतिमास रु० ५०० की मदद देनेकी बात कही। उनकी यह मदद इस कार्यमें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। उसकी वजहसे रात्रिशालाके साथ दिवस-शालायें खोलनेकी अनुकूलता भी उत्पन्न हो गई। इस तरह मजदूरोंमें शिक्षा-प्रचारका काम बढ़ता गया और उसके साथ समाज-सुधारके कार्यमें भी हमारा प्रवेश होता गया।

कुछ मुश्किलें दूर हुईं

इन शालाओंके लिए शिक्षक जुटानेका काम बड़ा कठिन था। उस जमानेमें अधिकतर सवर्ण हिन्दू हरिजनोंको छूनेमें पाप मानते थे, इसलिए कोई सवर्ण शिक्षक हरिजनोंकी शालामें पढ़ाना पसंद नहीं करता था। इसके सिवा, ये शालायें हरिजन मुहल्लोंमें ही खोली जाती थीं। इसलिए कोई सवर्ण शिक्षक उनमें काम करनेका विचार भी नहीं करता था। ऐसी हालतमें शिक्षकोंकी व्यवस्थाका प्रश्न विकट बन गया। हरिजन जातिके जिन भाइयोंने शिक्षाका लाभ उठाया था, उनकी मददसे ही यह काम आगे बढ़ सकता था। इसलिए हमने केशवजीके साथ इस विषयमें बातचीत की, उनके जैसे हरिजन भाइयोंको एकत्र किया, उनके सामने इस कार्यक्रमकी विस्तृत चर्चा की और उनसे इस काममें मदद करनेको कहा। उन सबने इस कार्यक्रमका स्वागत किया। शुरूमें

बहुत रस था। आगे भी इस कार्यके बारेमें गांधीजीकी कीमती सलाह और सूचनायें मिलती रही थीं।

केशवजी वाघेला

इस अरसेमें एक भावनाशील हरिजन युवक केशवजी वाघेलाने मिरजापुरके मिरासीवाड़ क्षेत्रके अपने मुहल्लेमें खुदके घरमें ही एक छोटीसी रात्रिशाला खोली थी। केशवजी एक सुखी हरिजन परिवारके युवक थे। उनके पिता अहमदाबाद शहरकी मूल हरिजन जातिके नेता थे। उस समय हरिजन लोगोंमें शिक्षाका प्रचार नहीं-के-जैसा था। फिर भी केशवजीने एक ईसाई मिशनरी स्कूलमें छठे दरजे तक शिक्षा ग्रहण की थी और मेकेनिकल कामकी तालीम और अनुभव लेकर वे फिटरका काम करते थे। रात्रिशाला वे उस मुहल्लेमें रहनेवाले अपने रिश्तेदारोंकी मददसे चलाते थे। मुहल्लेकी जनताका उन्हें अच्छा सहयोग प्राप्त होता था। उन दिनों हरिजन विद्यार्थियोंके लिए पढ़ो-

सुधारक रमणभाई नीलकंठ भी उस समय अस्पृश्य मानी जानेवाली जातियोंमें शिक्षाका कार्य करते थे। उस समय वे लालशंकर उमियाशंकर ट्रस्ट फंडकी मददसे रायपुर दरवाजेके बाहर सरसपुरामें एक दिवस-शाला चलाते थे। अनसूयाबहनने हरिजन बालकोंकी शिक्षाके बारेमें रमणभाईसे सम्पर्क स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप रमणभाईने सरसपुराकी शाला उन्हें सौंप दी।

अंबालालभाईकी मदद

कुछ समयके बाद इस कार्यके लिए अंबालालभाईकी भी बड़ी कीमती मदद मिली। उन्हें अनसूयाबहनके सामाजिक सेवाकार्यकी जानकारी तो थी ही। बंबईकी एक सभामें उनसे अचानक मेरी भेंट हो गई। वहां उन्होंने स्वयं ही इस विषयमें मुझसे बातें की और इस कार्यके लिए तीन वर्ष तक प्रतिमास रु० ५०० की मदद देनेकी बात कही। उनकी यह मदद इस कार्यमें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। उसकी वजहसे रात्रिशालाके साथ दिवस-शालायें खोलनेकी अनुकूलता भी उत्पन्न हो गई। इस तरह मजदूरोंमें शिक्षा-प्रचारका काम बढ़ता गया और उसके साथ समाज-सुधारके कार्यमें भी हमारा प्रवेश होता गया।

कुछ मुश्किलें दूर हुईं

इन शालाओंके लिए शिक्षक जुटानेका काम बड़ा कठिन था। उस जमानेमें अधिकतर सवर्ण हिन्दू हरिजनोंको छूनेमें पाप मानते थे, इसलिए कोई सवर्ण शिक्षक हरिजनोंकी शालामें पढ़ाना पसंद नहीं करता था। इसके सिवा, ये शालायें हरिजन मुहल्लोंमें ही खोली जाती थीं। इसलिए कोई सवर्ण शिक्षक उनमें काम करनेका विचार भी नहीं करता था। ऐसी हालतमें शिक्षकोंकी व्यवस्थाका प्रश्न विकट बन गया। हरिजन जातिके जिन भाइयोंने शिक्षाका लाभ उठाया था, उनकी मददसे ही यह काम आगे बढ़ सकता था। इसलिए हमने केशवजीके साथ इस विषयमें बातचीत की, उनके जैसे हरिजन भाइयोंको एकत्र किया, उनके सामने इस कार्यक्रमकी विस्तृत चर्चा की और उनसे इस काममें मदद करनेको कहा। उन सबने इस कार्यक्रमका स्वागत किया। शुरूमें

उन्होंने इन शालाओंके लिए तीन महीने तक बिना वेतनके अपनी सेवायें देना स्वीकार किया। इस प्रकार शिक्षकोंका कठिन प्रश्न तो हल हुआ। दूसरी बड़ी मुश्किल इन शालाओंके लिए मकानोंकी थी। हरिजन मुहल्लोंके बाहर तो हरिजन शालाके लिए कोई मकान शायद ही मिल सकता था और मुहल्लोंके सारे मकान भरे होते थे। इसलिए आसानीसे कोई मकान पाना संभव नहीं था। परन्तु मुहल्लेकी जनता-के मनमें इस कार्यके लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए अलग अलग मुहल्लोंमें रहनेवाले मजदूरोंमें से कुछ लोग अपनी कोठरी या ओसारा शालाके कामके लिए खुशी खुशी देने लगे। रात्रिशालाओंमें बच्चोंके सिवा बड़ी उमरके मजदूर भी आकर पढ़ते थे।

शिक्षाको विशेष वेग मिला

शिक्षाके इस कार्यमें गांधीजीकी ओरसे भी प्रोत्साहन मिलता था। १९२० में मजूर-महाजनकी स्थापना हुई उस अवसर पर मज-दूरोंके सामने भाषण देते हुए गांधीजीने कहा था कि आज मजदूरोंको अपने बालकों और स्त्रियोंको मिलमें काम करनेके लिए भेजना पड़ता है। हमारा फर्ज है कि हम उनका मिलोंमें जाना बन्द कर दें और उन्हें शिक्षा देनेका प्रबन्ध करें। इसके दो महीने बाद मजदूरोंकी वार्षिक सभा हुई। उसमें भी इसी बात पर जोर देकर गांधीजीने कहा: "हमें केवल इसलिए वेतन बढ़वाना और समय बचाना है कि हमारे शरीर, मन और आत्माको शुद्ध करनेके लिए इसकी जरूरत है।" शिक्षाके बारेमें गांधीजी समय समय पर जोर देकर जो कहा करते थे, उसका असर मजदूरों पर होने लगा और वे शिक्षाके कार्यमें रस लेकर उसमें सक्रिय सहायता करने लगे। इसके कुछ समय बाद कामके घंटे घटाने तथा वेतनमें उचित वृद्धि करनेकी मांग मजूर-महाजनने की और उसके लिए मालिकोंसे जो लड़ाई उसने लड़ी उसमें उसे सफलता मिली। इस अवसर पर मजदूरोंकी जो सभा हुई उसमें थ्रॉसल-विभागके मजदूरों द्वारा इकट्ठे किये हुए कुछ रुपये गांधीजीको अर्पण किये गये। गांधीजीने सभामें घोषणा की कि ये रुपये मैं अनसूयाबहनको दे दूंगा। इनका उपयोग वे मजदूरोंको व्यसनसे मुक्त करनेमें और उनके बालकोंको

शिक्षा देनेमें करेंगी। इस प्रकार मजूर-महाजनकी स्थापनासे मजदूरोंमे शिक्षा-प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्योंको अधिक शक्ति मिली।

भजन-मंडलियोंका कार्यक्रम

मजूर-महाजनके कार्यके सिलसिलेमें मजदूरोंके साथ हमारा संपर्क बढ़ता गया। उसके फलस्वरूप उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनके बारेमें जानकारी प्राप्त करना तथा उसमें भाग लेना हमारे लिए अधिक सरल हो गया। इसमें भी केशवजी वाघेलाकी मदद कीमती साबित हुई। मजूर-महाजनके कार्यके विकासके लिए शहरके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले मजदूर भाइयोंसे मिलना और उनसे संपर्क स्थापित करना बहुत जरूरी था। शिक्षा-प्रचारके कार्यकी वजहसे यह संपर्क कुछ हद तक संभव हो सका। इस विषयमें केशवजीकी एक सूचना बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई।

उस जमानेके हरिजन मजदूरोंमें भजन-कीर्तनके लिए बड़ी श्रद्धा थी। अलग अलग मुहल्लोंमें उनकी भजन-मंडलियां भी थीं। केशवजीका यह सुझाव था कि इन मंडलियों द्वारा भजनका कार्यक्रम रखा जाय, तो मजदूरोंके उत्साहमें वृद्धि हो, मुहल्लेमें रहनेवाली मजदूर जनता एक-दूसरेके निकट संपर्कमें आये और उनके भजन सुननेका लाभ भी सबको मिले। इस सुझावके अनुसार मजदूर मुहल्लोंमें भजनोंका कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम शुरू होने पर अलग अलग मुहल्लोंसे भजन-समारंभके आमंत्रण आने लगे और हम उसमें भाग लेते रहे इससे यह कार्यक्रम भी फैलता गया। इन मंडलियोंके भजन अत्यन्त मधुर और भावपूर्ण होते थे। उनसे ज्ञानकी अनेक बातें भी जानने-समझनेको मिलती थीं। साथ ही अलग अलग मुहल्लोंमें रहनेवाले भाई-बहनोंसे भी हमारा अच्छा परिचय हो जाता था। भजन-कीर्तनका यह कार्यक्रम भी मजूर-महाजनके विकासके कार्यमें बड़ा सहायक सिद्ध हुआ।

मजदूर अध्यापन-मंदिर

मजदूर मुहल्लोंमें जो शालायें चलती थी उनमें पढ़ानेवाले शिक्षकोंमें से ज्यादातर शिक्षकोंने वर्नाक्यूलर फाइनल तक ही अभ्यास किया

था। उन्हें विद्यार्थियोंको पढ़ानेकी कोई तालीम नहीं मिली थी। शिक्षकोंको ऐसी तालीम दी जाय तो वे शिक्षणका कार्य अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे, ऐसा सोचकर १९२० में 'मजदूर अध्यापन-मंदिर' की स्थापना की गई।

मजदूर और तिलक स्वराज्य फंड

१ अगस्त, १९२० को तिलक महाराजका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद दिसंबर १९२० की नागपुर कांग्रेसमें यह पुकार उठी कि सारे देशमें स्वराज्यका आन्दोलन फैलानेकी दृष्टिसे रचनात्मक कार्य करनेके लिए 'तिलक स्वराज्य फंड' इकट्ठा किया जाय। इस पुकारके उत्तरमें अहमदाबादके मजदूरोंने रु० ५४००० का फंड इकट्ठा किया और मिल-मालिकोंने लगभग तीन लाख रुपये इस फंडमें दिये। मजदूरोंका यह फंड गांधीजीकी सलाहसे कांग्रेसको दे दिया गया। गांधीजीने मजूर-महाजनसे कहा कि इस फंडका उपयोग मजदूरोंकी शिक्षामें होना चाहिये और इस सम्बन्धमें एक योजना बनाकर उसे गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस समितिके पास भेज देना चाहिये। मजूर-महाजनने जो योजना बनाकर प्रान्तीय समितिको दी, उसके खर्चकी आवश्यक रकम इस फंडसे देनेकी व्यवस्था समितिने कर दी। इस मददके फलस्वरूप मजदूरोंमें शिक्षाका अच्छा प्रचार और प्रसार हुआ। इस कार्यके लिए एक खास विभाग खोला गया और उसके संचालनके लिए संपूर्ण तालीम पाये हुए एक शिक्षककी व्यवस्था की गई। सारी दिवस-शालायें और रात्रिशालायें उसीकी देखरेखमें चलने लगीं।

मुहल्लोंकी हरिजन शालाओंके लिए शिक्षक जुटानेकी कठिनाई कुछ हद तक दूर हो गई और कुछ भावनाशील सवर्ण शिक्षक इस कार्यमें मदद करनेको प्रेरित हुए।

शालाओंमें तकली

१९२० के कांग्रेस अधिवेशनमें सारे देशमें २० लाख चरखे चालू करनेकी अपील की गई थी। चरखेके साथ साथ तकलीका भी प्रचार होने लगा था। राष्ट्रीय शालाओंमें तकलीके शिक्षणको महत्त्वका स्थान प्राप्त हुआ। मजदूर मुहल्लोंमें जितनी दिवस-शालायें आरंभ की गई थी, उन सबमें तकलीके शिक्षणके लिए खास प्रबंध किया गया था। इस कार्यक्रमके सम्बन्धमें पहले तो शिक्षकोंके लिए खास क्लास चलाकर उन्हें तकलीका शिक्षण दिया गया और ये शिक्षक फिर विद्यार्थियोंको तकली सिखाने लगे। इसके फलस्वरूप मजदूर-शालाओंके विद्यार्थी तकली चलाकर सूत कातनेमें काफी निपुण हो गये। गांधीजी जब अहमदाबाद आये तब उन्हें इन विद्यार्थियोंकी कताई बतानेके लिए म्युनिसिपैलिटीके हॉलमें कार्यक्रम रखा गया था। उसमें विद्यार्थियोंकी कुशलताको देखकर गांधीजीने उन्हें बधाई दी थी। इन शालाओंमें सामान्य शिक्षण और औद्योगिक शिक्षणके साथ मजदूर बालकोंकी स्वच्छता तथा चरित्र-निर्माणकी ओर भी ध्यान दिया जाता था। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवनमें प्रशंसनीय परिवर्तन होने लगे थे।

मालिक और तिलक स्वराज्य फंड

मिल-मालिक मंडलने तिलक स्वराज्य फंडमें तीन लाख रुपये एकत्र किये थे। गांधीजीने मालिकोंको यह सलाह दी कि इस रकमकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे इसका उपयोग मजदूरोंके सेवा-कार्यके लिए हो। मालिकोंने गांधीजीकी सलाह मान ली और इस उद्देश्यसे इस रकमका उपयोग करनेके लिए एक ट्रस्ट बना दिया। इस रकम पर जो ब्याज मिलता था उसमें से मिल-मालिक मंडल सालाना दस हजार रुपये मजूर-महाजनको उसकी शैक्षणिक योजना चलानेके लिए

देने लगा। इस रकमने मजदूरोंमें शिक्षाकार्यका विकास करनेमें महत्व-पूर्ण भाग लिया।

'बुनकर विद्यार्थी आश्रम'

स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरणमें हरिजन बालकोंके लिए आश्रम जैसी संस्थाकी व्यवस्था हो सके, तो उन्हें स्वास्थ्य, चरित्र-निर्माण तथा समग्र जीवन-विकासके लिए योग्य संस्कार और तालीम देना अधिक सरल हो जाये——ऐसा मानकर पूरे समय रह सकनेवाले कुछ विद्यार्थियोंके लिए 'बुनकर विद्यार्थी आश्रम' नामक एक संस्था खोली गई। हरिजनोंकी संस्थाके लिए हरिजन-बस्तीके बाहर मकान पाना कठिन था। परन्तु अंबालालभाईने घीकांटा रोड पर अपनी 'मगनभाईकी वाड़ीमें' एक छोटासा मकान किरायेसे दे दिया, इसलिए यह मुश्किल दूर हो गई। परन्तु संस्थाके कार्यकी सफलताका आधार संचालक पर रहता है। इसलिए उसके कार्यको चलानेके लिए सेवाकी सच्ची भावना रखनेवाले एक सुशिक्षित कार्य-कुशल हरिजन युवककी खोज की गई।

मूलदास वैश्य

सौभाग्यसे गांधीजीकी विचारसरणीमें पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले मूलदास वैश्य जैसे एक सुसंस्कारी और कर्तव्य-परायण युवककी सेवायें बुनकर विद्यार्थी आश्रमके लिए मिल गईं। मूलदासभाईने बड़ोदामें पंडित आत्मारामजीकी देखरेखमें चलनेवाले सयाजीराव गायकवाड़के हरिजन बोर्डिंगमें रहकर मैट्रिक तककी शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वे अपनी भावनाके अनुसार अपने गांव उमतामें बापदादाका बुनाईका धन्धा करके स्वतंत्र रूपसे अपना गुजर चला रहे थे। वे गांधीजीके संपर्कमें आये और उनके द्वारा अनसूयाबहनके पास आकर उन्होंने इस आश्रमके संचालनका काम संभाल लिया। हरिजन जनताके साथ उनका अच्छा परिचय होनेसे वे थोड़े ही समयमें इस संस्थाके लिए अच्छी भावना-वाले हरिजन विद्यार्थी भी प्राप्त कर सके। इस संस्थामें सामान्य शिक्षा तो विद्यार्थियोंको दी ही जाती थी। उसके साथ कताई, पिंजाई तथा

बुनाई उद्योगकी तालीम देनेकी भी समुचित व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा, ऐसा कार्यक्रम भी वहां रखा जाता था, जिससे विद्यार्थियोंका नैतिक विकास हो तथा गृहकार्य और जीवन-व्यवहार चलानेकी योग्यता उनमें बढ़े। मूलदास भाईने इस संस्थाका कार्य बहुत समय तक सुन्दर ढंगसे चलाया तथा अनेक विद्यार्थियोंको उत्तम संस्कार और तालीम देकर उन्हें अपनी गुणशक्तिका विकास करनेमें सहायता की। उनमें से अनेक विद्यार्थी बादमें अध्यापनकी तालीम लेकर आज म्युनिसिपैलिटीकी शालाओंमें शिक्षकों और हेड मास्टरोंके रूपमें काम कर रहे हैं। बुनकर विद्यार्थी आश्रमका संचालन करते करते मूलदासभाई छुट्टियोंमें गांव-गांव घूमकर हरिजनोंमें शिक्षा और समाज-सुधारका प्रचार करते थे। इसके फलस्वरूप उन्हें 'गुरुजी' का बिरुद प्राप्त हुआ था। आजकल वे संसदके सदस्य हैं और वृद्धावस्थामें पहुंच जाने पर भी हरिजन जनता तथा सामान्य जनताकी एकनिष्ठासे सेवा कर रहे हैं।

मजदूरोंका अस्पताल

सामाजिक सुधारके कार्यमें शिक्षाकी तरह स्वास्थ्य और डॉक्टरी सार-संभालका काम भी बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। इस दिशामें भी किसी तरहकी व्यवस्था करनेका सोचा जा रहा था। अनसूयाबहनके मित्र डॉ० टकारिया भी इसके लिए समय समय पर कहा करते थे। डॉ० टकारिया कैलिको मिलका अस्पताल चलाते थे। उन्हें इस बातका खयाल था कि डॉक्टरी सार-संभालकी दृष्टिसे मिल-मजदूरोंके लिए क्या क्या किया जाना चाहिये। इसी अरसेमें मेरे परिवारकी ओरसे तिलक स्वराज्य फंडमें रु० ३०००० दिये गये थे। ये रुपये अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सेवामें उपयोग करनेको मिले थे, इसलिए मजूर-महाजनकी ओरसे मजदूरोंके लिए एक अस्पताल खोलनेका निर्णय किया गया। अंबालालभाईने इसके लिए घीकांटा रोडकी अपनी वाड़ीका एक बड़ा मकान किराये पर दे दिया, जिसमें डॉ० टकारियाकी देखरेखमें मजदूरोंका अस्पताल

गांधीजीकी सलाह

इस अस्पतालका उद्घाटन गांधीजीने किया। उस अवसर पर उन्होंने अपना यह विचार सबके सामने रखा: "अस्पतालके कार्यमें सफलता मिली तब कही जायगी जब मजदूरोंको सेवा-शुश्रूषाके लिए अस्पतालमें जानेकी जरूरत ही न पड़े। अर्थात् मजदूर भाई-बहन स्वास्थ्यके नियमोंको इतनी अच्छी तरह समझने और पालने लगें कि वे बीमार ही न पड़ें।" गांधीजीका यह विचार बहुत प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्यके नियमोंके बारेमें मजदूरोंको भली-भांति समझाना और उनके पालनका आग्रह करना आज मजूर-महाजनके कार्यका एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। इस अस्पतालमें एक बड़ा हॉल था, जहां १२ बिस्तरोंकी व्यवस्था की गई थी और उसमें जात-पांत या कौमके भेदके बिना सभी मजदूर रोगियोंको स्थान दिया जाता था। शुरू शुरूमें कुछ सवर्ण रोगियोंको हरिजन रोगियोंके साथ एक ही हॉलमें रहते संकोच होता था, इसलिए वे हरिजन रोगियोंके लिए अलग कमरेका प्रबन्ध करनेको कहा करते थे। परन्तु गांधीजीके कहनेसे सब रोगियोंके लिए एक ही व्यवस्था चालू रखी गई और धीरे-धीरे सवर्णोंका यह संकोच मिट गया। इसके बावजूद अगर किसी सवर्ण रोगीको खास आपत्ति होती, तो अपवादके रूपमें उसके लिए अलग कमरेमें व्यवस्था कर दी जाती थी। उन दिनों अहमदाबादकी कुछ मिलोंने अपने मजदूरोंके लिए अस्पतालका प्रबन्ध किया था, लेकिन साधारण मजदूर रोगियोंके लिए कोई प्रबन्ध नहीं था। यह कमी इस अस्पतालने पूरी कर दी। डॉ० टंकारिया इस अस्पतालमें बरसों तक सेवा-भावसे काम करते रहे और उनकी मददसे अनेक मजदूर रोगियोंके लिए आवश्यक डॉक्टरी सार-संभालका अच्छा प्रबन्ध हो सका था।

१९

औद्योगिक स्थिति और उसमें सुधार

मजदूर-प्रवृत्तिके सम्बन्धमें सामान्य अनुभव यह है कि मजदूरोंके जो सगठन खड़े होते हैं, उनमें अधिकतर सबसे पहले जिस प्रश्न पर सोचा जाता है, वह है मजदूरोंके वेतन या मजदूरीकी दरोंका प्रश्न। मजदूरोंकी मजदूरी अथवा वेतनकी दरें जब बहुत कम होती हैं और जीवन-निर्वाह चलाना बहुत कठिन हो जाता है, तब मजदूरोंमें तीव्र असतोष फैलता है। ऐसी परिस्थितियोंमें उचित वेतन या दर प्राप्त करनेमें व्यक्तिगत प्रयत्न काम नही देता। इसलिए मजदूर स्वाभाविक रूपमें एकत्र होकर वेतन बढवानेका प्रयत्न करने और लडाई लडनेके लिए भी प्रेरित होते हैं। इसीमें से मजदूरोंका सगठन खडा होता है।

मिलोंमें कामकी स्थिति

मजदूर-प्रवृत्तिका सामान्य क्रम यही होता है। लेकिन अहमदाबादके मजदूर-आन्दोलनके बारेमें यह कहा जा यह सकता है कि यहा मजदूर-प्रवृत्तिका आरभ मजदूरोंके जीवन-विकाससे सम्बन्धित सामाजिक कार्योंसे हुआ और औद्योगिक जीवनके बारेमें पहला विचार इस बात-

[illegible]

मिलोंमें काम करने जाते थे। इसलिए अनसूयाबहनको इन प्रश्नो पर सोचने-विचारनेके अवसर आते थे: मिलोंमें कैसी परिस्थितियोंमें मजदूरोंको काम करना पडता है, कितने घटे काम करना पडता है, उनसे कैसे काम लिया जाता है, आदि।

उस जमानेमें मिलोंमें कामकी परिस्थितिया अत्यन्त दु खद थी। उस समय फैक्टरी एक्टका नियत्रण बहुत नही था। इसके सिवा, जो नियम थे वे मानवताकी और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे प्राथमिक कक्षाका

संतोष देनेवाले भी नहीं थे; और न उनके पालनके लिए कोई कार्य-क्षम व्यवस्था की गई थी।

मिलोंमें वाल-मजदूर

उस समयके फैक्टरी एक्टमें वालकोंके कामके वारेमें जो नियम थे, उनमें एक नियम यह भी था कि नौ वर्षके भीतरके वालकको काम पर नहीं लगाया जा सकता और नौसे वारह वर्ष तककी उमरवाले वालकोंको आधे दिनका ही काम दिया जा सकता है। अमरपुराकी शालामें आनेवाले वालकोंके संपर्कसे अनसूयावहनको पता चला कि ऐसे मामूली नियमोंका भी मिलोंमें पालन नहीं होता। चालमें रहनेवाले वालकोंसे जब शालामें आनेके लिए कहा जाता, तो उनमें से कुछ नौसे कम उमरके लड़के भी कहते थे कि हम सुबह-शाम दोनों समय मिलमें काम करने जाते हैं। ये लड़के एक मिलमें एक नाम लिखाकर विल्ला पाते थे और दूसरी मिलमें दूसरा नाम लिखाकर विल्ला पाते थे। सुकुमार वयके वालक मिलमें इस प्रकार काम करें, यह स्थिति अतिशय करुणाजनक कही जायगी। उन्हें मिलमें काम करनेके लिए ले जानेवाले उनके मां-वाप ही थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके दिलोंमें अपने छोटे वच्चोंके लिए कोई प्रेम नहीं था। परन्तु मिलके थ्रासल-विभागमें वेतन महीनेमें ११–१२ रुपये तक मिलता था, जो वहुत ही कम था। इतने कम वेतनमें परिवारका गुजर चलाना इतना कठिन था कि पुरुषोंके लिए न केवल अपनी पत्नियोंको ही वल्कि सुकुमार वयके वच्चोंको भी मिलोंमें काम करने ले जाना जरूरी हो जाता था। उस समय मिलमें काम करनेवाले कुछ मजदूरोंकी स्थिति कितनी दुःखद थी, उसका थोड़ासा खयाल इस वातसे हो सकता है। अनसूयावहन वालकोंके कामके वारेमें फैक्टरी विभागके अधिकारीका ध्यान खींचनेका प्रयत्न करती थीं। परन्तु यह स्थिति मिलोंमें साधारण-सी हो गई थी और इसके वारेमें कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता था।

कामके घंटोंके वारेमें स्थिति

कामके घंटोंके वारेमें भी मजदूरोंकी स्थिति उतनी ही दुःखद थी। उन दिनों मिलें वारह घंटे काम चलाती थीं और फैक्टरी

घंटे भी उन्हें इतने घंटे काम चलानेकी इजाजत देता था। मिलका काम सुबहके ६ बजेसे शुरू होता था और दोपहरमें एक घंटेकी छुट्टीके साथ शामके ७ बजे तक चलता था। उस जमानेमें म्युनिसिपल बस जैसे किसी वाहनकी सुविधा तो थी ही नहीं। इसलिए समयसे मिलमें पहुंचनेके लिए मजदूरोंको घरसे आधे या एक घंटे पहले निकलना पड़ता था और मिल बंद होनेके बाद घर पहुंचनेमें आधा या एक घंटा लग जाता था। इस हिसाबसे मिल-मजदूरोंको १४ से १५ घंटे तक घरसे बाहर रहना पड़ता था।

यह तो सामान्य स्थितिकी बात हुई। लेकिन कभी कभी किसी विभागमें जब माल्की तंगी मालूम होती उस समय वह विभाग फैक्टरी एक्टके नियमोंको एक ओर रखकर १२ घंटेसे ज्यादा भी चलाया जाता था और उस विभागके मजदूरोंको रातमें देर तक काम करना पड़ता था। इस तरह रातमें देर तक मजदूरोंसे काम लेनेके बारेमें अनेक शिकायतें अनसूयाबहनके पास आती थीं और वे इन शिकायतोंकी ओर फैक्टरी इन्स्पेक्टरोंका ध्यान खींचनेका प्रयत्न करती थीं। लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता मालूम नहीं होता था। कभी कभी ऐसा अनुभव भी होता था कि जिन मिलमें इस तरह नियमके विरुद्ध अति-रिक्त समयमें काम होता था उसी समय उस मिलका मैनेजर फैक्टरी विभागके अधिकारीको अपने घर भोजनके लिए आमंत्रित करता था और स्वयं उसके साथ भोजन भी करता था। इस प्रकार कामके घंटोंकी स्थिति भी दुःख पैदा करनेवाली थी।

मजदूर स्त्रियोंकी स्थिति

उस समयके फैक्टरी एक्टमें एक ऐसा नियम भी था कि स्त्रियोंको पुरुषोंसे एक घंटे पहले छुट्टी देनी चाहिये। फैक्टरी एक्ट बनानेवालोंको शायद ऐसा लगा हो कि स्त्रियोंके लिए १२ घंटेका काम बहुत ज्यादा माना जायगा। परन्तु वास्तवमें कामके बारेमें स्त्रियोंकी स्थिति अत्यन्त कष्टदायक थी। मिलें ६ बजे शुरू हों उस समय वहां समयसे पहुंचना तो उन्हें होता ही था; इसके साथ दोपहरको खानेके लिए खाना भी तैयार करके ले जाना पड़ता था। इसलिए उन्हें बड़े सवेरे ४ या

४।। बजे ही उठकर तैयारी करनी पड़ती थी। फिर, शामको मिलसे घर आकर खाना बनाना और दूसरा काम तो उन्हें करना ही पड़ता था। इसलिए स्त्रियोंके परिश्रम और कष्टोंकी कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसी स्थितिमें यह एक घंटे पहले मिलनेवाली छुट्टी कुछ आराम देनेवाली मानी जायगी। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि कोई मिल इस नियमका लाभ स्त्रियोंको देती थी, कोई नहीं भी देती थी। इसकी जांचके लिए जब अनसूयाबहन किसी मिलके पासके मकानमें जाकर खड़ी रहतीं और देखतीं, तो सचमुच इस नियमका पालन होता है ऐसा उन्हें लगता नहीं था।

लेकिन इस कष्टसे भी अधिक दुःख देनेवाली जो बात थी वह तो स्त्रियोंके साथके व्यवहारमें नीति-मर्यादाके भंगकी थी। मजदूर गांवसे आता था और जब उसकी अकेलेकी कमाईसे परिवारका निर्वाह नहीं चलता था तब अपनी पत्नीको भी उसे मिलमें काम करनेके लिए ले जाना पड़ता था। मिलमें कोई नीतिहीन जॉबर आकर उसकी पत्नीसे अनुचित व्यवहार करता था और मजदूरको अपनी नौकरी सलामत रखनेके लिए जॉबरके अनीतिमय व्यवहारकी उपेक्षा करनी पड़ती थी। कुछ मिलोंके थ्रॉसल-विभागमें उस समय ऐसा गंदा वातावरण था कि आरंभमें मर्यादा और शिष्टताका पालन करनेवाली स्त्रियां भी बुरी संगतिके फलस्वरूप अशोभनीय बातें और हंसी-मजाक करने लग जाती थीं। ऐसी स्त्रियोंके बारेमें अपने पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषके घरमें बैठ जानेके किस्से भी बनते थे। गांधीजी मजदूरोंको सलाह देते थे कि स्त्रियोंका काम घर, परिवार और बच्चोंकी देखभाल करना है; उन्हें मिलमें काम करने नहीं ले जाना चाहिये। ऊपरकी परिस्थितियोंको देखते हुए गांधीजीकी यह सलाह बिलकुल ठीक थी।

अमानुषिक व्यवहार

पुरुष मजदूरोंकी स्थिति भी मिलोंमें अत्यन्त करुण थी। कामके सिलसिलेमें वेतन भले ही कम दिया जाय, लेकिन सामान्यतः मनुष्य यह तो चाहेगा ही कि उसके साथ मनुष्यको शोभा देनेवाला व्यवहार किया जाय। उस जमानेमें कुछ विभागोंमें काम-सम्बन्धी थोड़ा भी दोष

मालूम होने पर मजदूरोंको गालिया दी जाती थी। इतना ही नही, अधिकारी उन पर हाथ उठाते और उन्हे मारते भी थे। इस तरह एक दृष्टिसे देखा जाये तो मिलोंमें मजदूरोंकी स्थिति जानवरों जैसी थी। ऐसा व्यवहार मानवताकी दृष्टिसे अनुचित है, यह उस जमानेमे किसीको लगता ही नहीं था। इसके विपरीत, कुछ अधिकारी तो यह भी मानते थे कि मजदूरोंसे काम लेनेके लिए ऐसा व्यवहार करना निहायत जरूरी है।

एक बार मैं किसी कामसे एक ऊंची कोटिकी मानी जानेवाली मिलमें उसके मैनेजरसे मिलने गया। उस समय वे मिलके एक विभागमें थे। इसलिए वहा उनसे मिलकर मैं उनके साथ ऑफिसमें लौट रहा था। लौटते समय रास्तेमें जो भी मजदूर उन्हे मिला, उसे वे अपना छाता मारते चलते थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने मुझसे कहा "देखिये, इस तरह मजदूरों पर धाक जमाते रहे, तो ही मिल अच्छी तरह चलती है।" मिलोंके उस समयके सचालकोंकी मनोवृत्तिकी कल्पना करानेके लिए इतना अनुभव काफी था। बादमें मुझे पता चला कि कुछ मिलोंमें गोरे अधिकारी रखनेके पीछे मजदूरों पर धाक जमानेका यह हेतु भी कुछ हद तक काम करता था।

यत्रयुगके उद्योगोंके बारेमें सामान्य अनुभव यह रहा है कि आरंभमें उद्योगके सचालकोंका एकमात्र लक्ष्य धन पैदा करना रहता है। धनके लोभमें पड़नेके बाद उनमें से किसीके मनमें यह विचार नही आता कि मजदूर मनुष्य हैं और उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये। सच पूछा जाय तो अहमदाबादके मिल-उद्योगमें भी ऐसी ही स्थिति दिखाई देती थी। मिल-मालिकोंमें कुछ लोग विचारशील और धार्मिक वृत्तिके थे। वे धर्मके दूसरे कार्योंमें दान भी देते थे। लेकिन यह कह सकना कठिन है कि उनके मनमें ऐसा विचार भी किसी समय आता होगा या नही कि हमारी मिलोंमें काम करनेवाले और उद्योगको चलानेमें सहायक बननेवाले अपने मजदूरों या उनके बच्चोंके प्रति हमें मानव-धर्मका पालन करना चाहिये। इसके विपरीत, हमें दुःखके साथ यह कहना पड़ता है कि उनकी मिलोंके कामकाजमें अधिकारियों द्वारा मानवताकी दृष्टिसे मजदूरोंके साथ जो अनु-

और गैर-कानूनी व्यवहार किया जाता था, उस पर वे जरा भी ध्यान नहीं देते थे।

प्राथमिक जरूरतें

मजदूरोंकी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेके बारेमें मिलोंमें ऐसी लापरवाही बरती जाती थी, जिसे समझना कठिन है। मजदूर जब मिलोंमें सारे दिन बारह बारह घंटे काम करते हों तब प्यास लगने पर उन्हें पीनेके लिए स्वच्छ और ठंडा पानी तो मिलना ही चाहिये। कुदरती हाजतें पूरी करनेके लिए मर्यादा बनी रहे ऐसे पेशाब-घर और पाखाने होने चाहिये तथा खाने बैठनेके लिए स्वच्छ और धूल, धूप तथा बरसातसे सुरक्षित और मजदूरोंका अच्छी तरह समावेश हो जाय ऐसे मंडप काफी तादादमें होने चाहिये। इसके सिवा, मिलोंके जिन विभागोंमें स्त्रियां काम करने आती हों उनमें उनके छोटे बच्चोंके लिए पालना-घरकी व्यवस्था होनी चाहिये। गर्मियोंमें जब अतिशय गर्मी पड़ती हो उस समय मिलोंमें मजदूरोंके लिए तापमानको संतुलित बनाये रखनेका उचित प्रबन्ध भी होना चाहिये। लेकिन उस समय अधिकतर मिलोंमें ऐसी व्यवस्थाका अभाव ही मालूम होता था। मिलोंमें पानी तो मिलता था, लेकिन वह पीने लायक, स्वच्छ या ठंडा नहीं होता था। पाखानोंके दरवाजे या छप्पर टूटे हुए रहते थे, उनकी सफाई नहीं होती थी, उनमें गंदगी फैली रहती थी और दुर्गंधसे सिर फटने लगता था। मजदूरोंको पेशाबके लिए जहां जगह मिले वहां बैठना पड़ता था। विभागमें रुईके कण उड़ते रहते थे और मजदूरोंको वहीं किसी कोनेमें बैठकर खाना खानेके लिए मजबूर होना पड़ता था। स्त्रियोंको अपने साथ लाये हुए छोटे बच्चोंको दो मशीनोंके बीच झोली बांधकर सुलाना पड़ता था। ग्रीष्म ऋतुमें जब गर्मी खूब पड़ती थी तब कभी कभी किसी मजदूरके बेहोश हो जानेके किस्से भी सामने आते थे। उस जमानेमें मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकी यह हालत थी। सरकारने फैक्टरी एक्टका अमल करानेके लिए अधिकारी तो रखे थे। लेकिन जब कामके घंटोंके मुख्य नियमके बारेमें ही लापरवाही बरती हो, तब ऐसी बातोंकी जांच या व्यवस्था कौन करने लगा?

गांधीजी मजदूरोंके सम्पर्कमें आये तभीसे उनके मनमें मजदूरोंकी दुःखद स्थितिके बारेमें विचार आते रहते थे। मजूर-महाजनकी स्थापना हुई उससे पहले ही उन्होंने 'नवजीवन' में लेख लिखकर इस विषयमें अपने विचार प्रकट किये थे। उस लेखमें उन्होंने ब्योरेवार यह भी बताया था कि मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेके लिए क्या क्या किया जाना चाहिये। उनके सुझाव ये थे : मिलोंमें उतने ही घंटे काम चलना चाहिये जिससे मजदूरोंको फुरसतका समय मिले। उनकी शिक्षाके लिए प्रबन्ध होना चाहिये। उनके बच्चोंके लिए पर्याप्त दूध, पर्याप्त कपड़ों और योग्य शिक्षाकी व्यवस्था होनी चाहिये। उनके रहनेके मकान साफ-स्वच्छ और हवा-प्रकाशवाले होने चाहिये। उनकी आर्थिक स्थिति इतना पैसा बचा सकनेकी होनी चाहिये कि जब वे बूढ़े हों तब उस पैसेसे उनका निर्वाह हो सके। उस जमानेमें इनमें से एक भी बातमें मजदूरोंकी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए यह जरूरी था कि इस दुःखद स्थितिमें सुधार करानेके लिए मजदूर संगठित होकर प्रयत्न करें।

पारिवारिक सम्बन्ध

गांधीजी कहते थे कि मजदूर संगठित होकर अपनी स्थितिमें सुधार करानेका प्रयत्न अवश्य करें। परन्तु ऐसा वे पश्चिमकी वर्ग-विग्रहकी भावनासे न करें, बल्कि मालिकोंके साथ सुमेल साधकर और यह भावना रखकर करें कि मिल-उद्योगमें काम करनेवाले सब लोग एक ही परिवारके हैं। गांधीजी मालिकोंसे भी बार बार कहा करते थे कि वे अपने भीतर इस पारिवारिक भावनाका विकास करें। उनका कहना था कि मजदूरों और मालिकोंके बीच पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाय तो उससे इन दोनोंको तो लाभ होगा ही, परन्तु इसके साथ मिल-उद्योग और जनताकी समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ेगी।

बारह घंटे काम करनेकी वजहसे मजदूरोंको मानसिक या नैतिक स्थिति सुधारनेका समय ही नहीं मिल पाता था। इससे उनका जीवन पशुके जैसा बन गया था। इसके सिवा, उचित वेतन न मिलनेसे उनका और उनके परिवारके लोगोंका निर्वाह भी नहीं हो पाता था। इसीलिए १९२० में मजूर-महाजनकी स्थापनाके बाद कामके

घंटे १२ से १० करने तथा उचित वेतन देनेकी मांग की गई। जब गांधीजीको ये दोनों मांगें उचित मालूम हुईं, तो उन्होंने मालिकोंके साथ इनके बारेमें बातचीत की। लेकिन मिल-मालिक मण्डलने मजदूरोंकी ये मांगें स्वीकार नहीं कीं, इसलिए लड़ाई छेड़ना अनिवार्य हो गया। यह लड़ाई मजदूरोंने गांधीजीके मार्गदर्शनमें संपूर्ण सद्भावना और शांतिसे चलाई। इसके फलस्वरूप पंच-प्रथा स्वीकार की गई और पंचोंके द्वारा मजदूरोंकी दोनों मांगें मान ली गईं। फैक्टरी एक्टके अनुसार बारह घंटे मिल चलानेकी छूट होते हुए भी अहमदाबादकी मिलोंको केवल दस घंटे ही चलानेका निर्णय हुआ। थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि हुई और उसके साथ मिलोंके अन्य विभागोंके मजदूरोंके वेतनमें भी उचित वृद्धि हुई।

पंचके समक्ष प्रश्न

मजदूरों और मालिकोंके बीचके प्रश्नोंका निबटारा करनेके लिए पंचकी स्थायी व्यवस्था हो जानेसे गांधीजी तथा सेठ मंगलदासके बने हुए पंचके सामने मजदूरोंसे सम्बन्धित प्रश्न आने लगे और उनके विषयमें पंचकी ओरसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा। इस पंचके सामने पहला प्रश्न बोनसका आया। उस वर्ष (१९२०) मिलोंको अच्छा नफा मिला था, इसलिए दीवाली पर मालिकोंसे बोनसकी मांग की गई। इस मांगके बारेमें दोनों पंचोंने विचार-विमर्श किया और मजदूरोंको उचित बोनस मिलनेका फैसला दिया (ता० १९–१०–'२०)। इस फैसलेमें दीवालीकी छुट्टियोंके दिन भी निश्चित कर दिये गये। दीवालीकी छुट्टियोंका प्रश्न भी मजदूरोंके लिए बड़ा महत्त्व रखता था। वह उनके पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनके साथ जुड़ा था। पंचने यह फैसला दिया कि दीवाली, पड़वा और भाईदूज इन तीन दिनोंकी छुट्टी दी जाय। इन प्रश्नोंका निबटारा अच्छी तरह हो जानेसे मजदूर जनतामें संतोषकी भावना फैली और पंचकी व्यवस्थाके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न हुआ। इस फैसलेसे मजदूर-संगठनके कार्यको भी वेग मिला और मजूर-महाजनका विकास होने लगा।

पानी, पाखाने और मंडप

इसके बाद १९२१ के आरम्भमें पंचके समक्ष पीनेके पानी, पाखानों और भोजनके मंडपोंके प्रश्न आये। इनका सम्बन्ध मिल-मजदूरोंकी प्राथमिक जरूरतोंसे था, इसलिए इनके बारेमें कोई मतभेद हो ही नहीं सकता था। गांधीजीको लगता था कि इन प्रश्नोंके लिए मजदूरोंको माग करनी पड़े, यह स्थिति ही लज्जाजनक मानी जानी चाहिये। फिर भी इन तीनों बातोंमें मजदूरोंको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता था, इसलिए इनके बारेमें माग की गई और पंचोंने मिल-मालिकोंसे सिफारिश की कि इनके लिए मिलोंमें उचित व्यवस्था की जाय। इसके बावजूद मिलोंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजूर-महाजनने दुबारा यह प्रश्न पंचोंके सामने रखा। पंचोंने तो मिलोंको दिसबर १९२० के आखिर तक यह व्यवस्था पूरी करनेकी सूचना दी थी, लेकिन सब मिलोंने ऐसा नहीं किया। इस पर पंचोंने फिरसे उन्हें चेतावनी दी और ३१ मार्च, १९२१ तक यह काम पूरा करनेको कहा। मार्चका महीना भी पूरा हो गया, लेकिन स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पर पंचोंने मिलोंसे कहा - "पंचोंको यह जानकर दुःख होता है कि अभी तक मजदूरोंकी यह शिकायत जारी है कि मिलोंमें पीनेका पानी नहीं मिलता या गंदा पानी मिलता है, भोजनके मंडप अभी तक नहीं बने हैं और वहाके पाखाने खुले या गंदे रहते हैं। पंच यह आशा रखते हैं कि इस माहके अंत तक इन तीनोंमें से एक भी शिकायतका कोई कारण नहीं रह जायगा। पंच मजूर-महाजनसे यह सिफारिश करते हैं कि जहां जहां पानी, मंडपों या पाखानोंके बारेमें कोई दोष पाया जाय वहां वहां तुरन्त मिल-मालिक मंडलका ध्यान उस ओर खींचा जाय; और फिर भी अगर उचित प्रबन्ध न हो, तो ऐसी मिलोंका नाम पंचोंके सामने पेश किया जाय।"

बहिष्कारकी चेतावनी

इस तरह पंचोंके बार बार सूचना देने, सिफारिश करने और चेतावनी देनेके बावजूद जूनके अंत तक अनेक मिलोंमें यह स्थिति सुधरी नहीं। इसलिए पंचोंको ज्यादा सख्त होना पड़ा। उन्होंने मालिकोंके

एसोसियेशनकी सिफारिश [illegible] हुई [illegible] "यदि सम्बन्धित मिलें बार बार चेतावनी देने पर भी मजदूरोंके आरोग्य-रक्षाके लिए अत्यन्त आवश्यक [illegible] न करें, तो एसोसियेशनको ऐसी [illegible] और ऐसा न हो तो मजदूर-महाजन [illegible] और इसके लिए [illegible] दोषी नहीं मानेंगे" ([illegible] २०-६-'२१)। इतने पर भी कुछ मिलोंने इस दिशामें कोई काम नहीं किया। तब यह निर्णय किया गया कि एसोसियेशनको नोटिस देकर उन मिलोंसे पूछना चाहिये कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया; साथ ही जिन मिलोंमें काम अधूरा था उन्हें उसे पूरा करनेकी सूचना दी गई। यह चेतावनी भी दी गई कि जो मिलें ये सब काम पूरे नहीं करेंगी, उनका बहिष्कार किया जायगा। परन्तु दुःखके साथ यह कहना पड़ता है कि मिल-मालिक मण्डलके अध्यक्ष तथा प्रमुख सदस्योंने इन सारी परिस्थितियों पर तुरन्त अमल करनेकी मिल-मालिकोंसे विनती की, उन्हें सूचना दी, उन पर कड़ी निगरानी रखी, किसी हद तक उन्हें चेतावनी दी और बहिष्कार करने तककी बात कही, फिर भी परिस्थितिमें जल्दी कोई सुधार नहीं हुआ।

सेठ मंगलदासकी सद्भावना

गांधीजीका बड़ा आग्रह था कि इन प्राथमिक जरूरतोंके बारेमें जल्दी ही उचित व्यवस्था होनी चाहिये। और यह आग्रह ठीक ही था। इन सब बातोंमें उचित सुधारके लिए सिफारिश करनेमें सेठ मंगलदासने भी सहानुभूतिपूर्ण रुख अपना कर पूरा सहयोग दिया। इतना ही नहीं, मालिकोंका दोष मालूम होने पर उन्हें चेतावनी देकर बहिष्कार जैसे सख्त कदम उठानेकी संमति भी दी, जो सचमुच प्रशंसनीय था। सेठ मंगलदास पुराने विचारोंके आदमी थे। फिर भी जो बातें उन्हें जीवन और स्वास्थ्यके लिए आवश्यक मालूम होती थीं, उनके बारेमें मानवताकी दृष्टिसे विचार करके उचित मार्गदर्शन करनेमें वे कभी हिचकिचाते नहीं थे। मजदूरोंकी प्राथमिक जरूरतोंके बारेमें गांधीजीकी सलाहके मुताबिक जो निर्णय करना उन्हें उचित

लगा, उनमें उन्होंने अपनी पूर्ण सम्मति दी और इस तरह पंचकी व्यवस्थाके आरंभिक दिनोंमें उसे सफल बनानेमें कीमती मदद की।

मिलमें पड़नेवाली मार

मजदूरोंके साथ मिलोंमें जो व्यवहार होता था, उसमें एक महत्त्वपूर्ण बात थी उन पर पड़नेवाली मारकी। मनुष्य केवल स्थूल शरीरका ही नहीं बना है। उसके भीतर मन, बुद्धि और हृदय भी है और वह सम्मानपूर्ण व्यवहारकी आशा रखता है। मारसे मनुष्यके स्वाभिमानको चोट पहुंचती है, इसे ध्यानमें रखकर पंचोंके सामने यह शिकायत रखी गई। पंचोंने मालिकोंसे आग्रह किया कि मिलोंमें मजदूरोंके साथ ऐसा व्यवहार बंद होना चाहिये।

मजूर-महाजनका विकास

उस जमानेके मिल-मजदूरोंके औद्योगिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले ये सारे महत्त्वपूर्ण सुधार एक-दो वर्षके थोड़े समयमें ही सके, इसका श्रेय मजदूरोंके संगठनको और गांधीजीकी प्रेरणासे आरंभ हुई पंचकी व्यवस्थाको है। ऐसा कहा जा सकता है कि मजूर-महाजनके संगठनके कारण ही पंचोंका कार्य भी व्यवस्थित रूपमें चला। अतः यह वस्तु भी बड़े महत्त्वकी बन गई थी कि मजूर-महाजनका काम अच्छी तरह चले और उसका विकास होता रहे। उस जमानेमें मजदूर जनतामें बड़ा उत्साह था और मजदूरोंके नेता मजूर-महाजनके विकासके लिए अविरत प्रयत्न किया करते थे। इस प्रयत्नमें कुछ संकुचित वृत्तिवाले मालिकोंकी ओरसे रुकावट भी आती रहती थी। जब यह बात पंचोंके सामने रखी गई तो उन्होंने इस विषयमें एक प्रस्ताव पास किया और अपना मत प्रकट करते हुए कहा: "मजूर-महाजनकी रचना और विकासमें मिलोंको सहानुभूति दिखानी चाहिये — अर्थात् इसमें उन्हें किसी भी प्रकारकी रुकावट नहीं डालनी चाहिये।" मजूर-महाजनके विकास-कार्यकी दृष्टिसे यह प्रस्ताव बड़ा महत्त्वपूर्ण था। मजदूरोंके संघ स्थापित हों और उनका कार्य उचित सिद्धान्तों ०

नीतियोंके अनुसार व्यवस्थित रूपसे चले, इसमें मजदूरों, मालिकों, उद्योग तथा समाजका भी कल्याण समाया हुआ है।

तारका टूटना और मांड़ लगाना

उस समयके संगठित मजदूरोंमें जिस प्रकार प्राथमिक जरूरतोंके बारेमें तीव्र असंतोष फैला था, उसी प्रकार कामकी परिस्थितियोंके बारेमें भी तीव्र असंतोष फैला हुआ था। मजदूरोंकी दो बड़ी शिकायतें थीं: (१) तारके टूटनेकी; और (२) सूतको हदसे ज्यादा मांड़ लगानेकी। उस जमानेमें मिलोंमें हलकी जातिकी रूई काममें ली जाती थी और इस रूईसे अधिक ऊंचे काउन्ट (अंक) का सूत कातनेका प्रयत्न किया जाता था। इसकी वजहसे स्पिनिंग-विभागमें सूत बहुत टूटता था, मजदूर परेशान हो जाते थे और उनकी शिकायतें आती रहती थीं। कभी कभी तो उनकी यह परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि काम बन्द कर देनेकी भी नौबत आ जाती थी। इसी तरह कुछ मिलोंमें सूत पर ७५ से १०० प्रतिशत तक मांड़ लगाई जाती थी। इससे कपड़ा गफ दिखाई देता था, कीमत अधिक मिलती थी और मिलोंको ज्यादा नफा होता था। लेकिन ऐसा सूत बुनते समय तार ज्यादा टूटते थे, काम कम होता था और अंतमें मजदूरोंको वेतन कम मिलता था। इसके फलस्वरूप मजदूरोंमें भारी असंतोष बना रहता था। इसके सिवा, कपड़ेका उपयोग करनेवाली जनताके हितकी दृष्टिसे भी यह पद्धति बड़ी हानिकारक थी। ऐसा कपड़ा खरीदते समय तो गफ दिखाई देता था, परन्तु धुलने पर उसकी मांड़ निकल जाती थी। इससे वह जालीनुमा बन जाता था और थोड़े ही समयमें फट जाता था।

यह मामला जब पंचोंके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा: "बहुतसी मिलोंमें सूतको हदसे ज्यादा मांड़ लगाई जाती है और रूई व सूत हलकी जातिका काममें लिया जाता है। पंचोंको ऐसा लगता है कि मांड़ ५० प्रतिशतसे अधिक नहीं होनी चाहिये। इसलिए पंच मालिकोंके एसोसियेशनको सलाह देते हैं कि वह इन दोनों बातों पर पूरा ध्यान दे।" इसके बाद भी जब यह शिकायत आई, तो सेठ मंगल-

दासने अकेले ही पंचके नाते अपना निर्णय दिया। उसमें भी उन्होंने ५० प्रतिशतसे अधिक माड न लगानेकी सूचना की। बुनाई-विभागमें करघेके तीरों (बीम) और कुकड़ियोंकी तंगी मालूम होती थी तथा थ्रॉसल-विभागमें अटेरने (बॉबिन) लानेके लिए टोकरीवालोंकी व्यवस्था नहीं थी। पंचने इन सबकी व्यवस्था करनेकी सिफारिश भी अपने निर्णयमें की।

ग्राहकोंका हित

उद्योग चलानेमें कोई नुकसान न हो और लगाई हुई पूंजी पर उचित मुनाफा मिले, यह तो प्रत्येक उद्योगके कुशल सचालकोंको देखना ही चाहिये। किन्तु इसके साथ उत्पादनके काममें लगे हुए मजदूरों तथा उत्पन्न होनेवाले मालका उपयोग करनेवाली जनताके उचित हितोंका विचार करना भी उनका कर्तव्य है। इस ओर मिल-मालिकोंका जरा भी ध्यान नहीं था। रूई, स्टोर्स वगैरा कमसे कम कीमतमें खरीदने और तैयार मालका ज्यादासे ज्यादा भाव लेनेके लिए ही उनका सारा प्रयत्न होता था। अच्छे निष्णात स्पिनिंग-मास्टर और वीविंग-मास्टर तथा मैनेजर मालिकोंका ध्यान इस बातकी तरफ खींचते थे कि रूई, स्टोर्स वगैरा हलकी जाति (क्वालिटी) के हों, तो माल अच्छा तैयार नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें भी यह उत्तर मिलता था कि रूई और साधन-सामग्री ऊंची जातिकी हो और माल अच्छा उत्पन्न हो, तो इसमें क्या विशेषता हुई? हलकी जातिकी या सस्ती रूई और साधन-सामग्रीमें आप अच्छा माल बनायें और अच्छा मुनाफा करें, तो ही आपको मिलमें रखनेका कोई अर्थ है। यह उत्तर उस जमानेके मालिकोंकी मनोवृत्तिकी थोड़ी कल्पना हमें कराता है।

मकानोंकी कठिनाई

उस समय मिल-मजदूरोंका कुछ भाग गावोंसे आकर मिलोंमें काम करता था। ये मजदूर जब गावोंसे शहरमें आते थे तब उन्हें रहनेके मकानोंकी बड़ी दिक्कत होती थी। कुछ मिलोंने अपने मजदूरोंके लिए चालें बनवाई थी। लेकिन ऐसी चालोंकी संख्या बहुत सीमित

थी। इसलिए बहुतेरे मजदूरोंको भाड़ेकी जमीन पर झोंपड़े बांध कर उनमें रहना पड़ता था। मिलोंकी चालोंमें कुछ तो ऐसी थीं, जो मनुष्यः के रहने लायक नहीं थीं। इन कोठरियोंका पाये (प्लिन्थ) जैसा कुछ नहीं होता था। कुछ कोठरियोंमें फर्शकी जमीन आसपासकी जमीनसे १२-१५ इंच नीची होती थी। नतीजा यह होता था कि बरसातमें कोठरियां पानीसे भर जाती थीं और उनमें रखी चीजें पानी पर तैरने लगती थीं। कुछ कोठरियोंके छप्पर इतने नीचे होते थे कि उनके अंदर जानेके लिए बहुत ज्यादा झुकना पड़ता था। चालोंमें पानी और पाखानोंकी भी पूरी व्यवस्था नहीं रहती थी। लेकिन ऐसी चालोंमें भी मजदूर लाचारीसे पड़े रहते थे।

निजी चालें

मिलोंकी चालोंकी संख्या बहुत ही सीमित थी, इसलिए कई मजदूरोंको निजी मालिकोंकी चालोंमें कोठरियां खोजनी पड़ती थीं। और ऐसी कोठरियोंकी संख्या भी बहुत कम होनेसे उनके भाड़े बढ़ने लगे थे। रहनेके मकानोंकी तकलीफ पंचोंके सामने रखी गई। पंचोंको यह बात महत्त्वपूर्ण लगी, इसलिए उन्होंने सिफारिश की: "मजदूरोंको भाड़ेके बारेमें असुविधा न भोगनी पड़े, इस खयालसे मालिकोंको मजदूरोंके लिए चालें बनवाना शुरू कर देना चाहिये। इस बीच जिन जिन चालोंमें अभी मजदूर रहते हैं, उन चालोंका अधिकार मिल-मालिकोंको प्राप्त कर लेना चाहिये।" पंचोंने यह भी कहा कि मालिकोंको चाहिये कि वे तुरन्त ही चालें बनवानेका काम शुरू कर दें और एक वर्षमें उसे पूरा कर दें। पंच बार बार यह बात दुहराते रहे, जिसके फलस्वरूप मजदूरोंके मकानोंके बारेमें परिस्थिति कुछ सुधरने लगी। लेकिन मकानोंकी तकलीफ तो जारी ही रही।

विचार-परिवर्तन

आज हमारे देशमें बेकारी फैली हुई है, इसलिए अनेक मनुष्योंको काम नहीं मिलता। इस वजहसे मजदूर आसानीसे और कम वेतन पर मिल जाते हैं। फिर भी हमें यह न भूलना चाहिये कि मजदूर औद्योगिक उत्पादनके महत्त्वपूर्ण अंग हैं; साथ ही वे मनुष्य हैं और देशके

नागरिक भी है। अतः यह बहुत जरूरी और वाछनीय है कि मजदूरोंके जीवन, काम और विकास-सम्बन्धी जरूरतों तथा सुविधाओंका इस दृष्टिसे विचार किया जाय। मजदूर और उनके परिवारके लोग स्वच्छ वातावरणमें और हवा-प्रकाशवाले मकानोंमें रहते हों, आवश्यक पौष्टिक भोजन कर सकते हों, उनके शरीर स्वस्थ और सशक्त हों, उनका जीवन सुखी और संतोषी रहे, कामसे सम्बन्धित जरूरी साधन और सुविधायें उन्हें सदा मिलती रहें और उनके साथ मानवको शोभा देनेवाला व्यवहार किया जाय, तो वे *अधिकाधिक अच्छा काम कर सकते हैं।* औद्योगिक परिस्थितियों तथा सम्बन्धोंका अध्ययन करनेवाले समाज-शास्त्री सारी दुनियाके लोगोंको यह बात समझानेका प्रयत्न करते हैं। इसके फलस्वरूप इन विषयमें लोगोंके विचार बदल रहे हैं और सरकार तथा मालिक कुछ प्रशसनीय कदम भी इस दिशामें उठाने लगे हैं।

मजदूरोंके प्रश्नोंके सम्बन्धमें पचकी व्यवस्था हुई, पचोंके द्वारा ऐसे प्रश्नों पर उचित विचार-विमर्श होने लगा, मार्गदर्शक सिद्ध हो सकनेवाले निर्णय दिये जाने लगे और वह भी मिल-मालिक मडलके तत्कालीन अध्यक्ष सेठ मगलदासके पूरे सहयोगसे — यह एक आनद-जनक और उल्लेखनीय बात कही जायगी। फिर भी इस दिशामें जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो सकी।

इसका कारण यह था कि एक ओर सेठ मगलदास और मिल-मालिक मंडलके नेता ये सारे सुधार जल्दी कराने तथा मजदूरोंको उचित सुविधायें दिलानेके लिए उत्सुक थे, तो दूसरी ओर मालिकोंका बड़ा भाग इन सारी व्यवस्थाओंको एकसाथ आ पड़नेवाली कठिनाइया मानता था। उन्होंने ये व्यवस्थायें करनेमें अधिकसे अधिक समय निकाल देनेकी नीति अपना ली थी और वे उतने ही काम करते थे जितने करनेके लिए वे मजबूर हो जाते थे। आज इन परिस्थितियोंमें पहलेसे सुधार हुआ है। लेकिन ये सारी सुविधायें मजदूरोंको देना स्वय उद्योगके ही हितमें है, यह समझ मालिकोंमें पैदा नहीं हुई है। यदि यह समझ उनमें पैदा हो, व्यापक बने और उनमें ऐसी भावना उत्पन्न हो कि उद्योगमें काम करनेवाले मजदूरोंके लिए मनुष्यके योग्य जीवन

मुस्लिम जनतामें आदरणीय और प्रिय बन गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे जहा जहा भी जाते वहाकी जनता उन्हे देखने और उनकी बातें सुननेके लिए उत्सुक रहती थी।

अहमदाबादमें आगमन

अलीभाई खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धमें देशके विभिन्न भागोंमें जाते थे। इसी सिलसिलेमें जून १९२१ मे उनका अहमदाबाद आनेका कार्यक्रम बना। उनके कार्यक्रमका पता चलने पर अहमदाबादके मुस्लिम मजदूरोमें खूब उत्साह फैला। उनका आगमन ईदके त्योहारोंके बाद होनेवाला था। ईदके त्योहारो पर अहमदाबादमें दो दिनकी छुट्टी पडती थी। लेकिन इन दो दिनोंके बाद तीसरे दिन भी मुस्लिम मजदूर मिलोंमें गैरहाजिर रहे। इसके अगले दिन (चौथे दिन) अलीभाई अहमदाबाद आनेवाले थे। इसलिए उस दिन मिल-मालिकोंसे छुट्टी लेकर मजदूर अलीभाइयोंके स्वागतके लिए स्टेशन पर गये। उस दिन मौलाना शौकतअली तो कार्यक्रमके अनुसार अहमदाबाद आ पहुचे, परन्तु मौलाना मुहम्मदअली किसी कारणसे नही आ पाये। मुस्लिम मजदूर बडी सख्यामें अलीभाइयोंका स्वागत करने स्टेशन पर पहुच गये। मौलाना शौकतअलीका उन्होंने भव्य स्वागत किया। परन्तु उनके बाद भी मजदूर उनके पीछे पीछे घूमने लगे। अहमदाबादके जिन जिन भागोंमें मौलानाकी सभायें होती वहा वहा वे अपने दल बनाकर पहुच जाते थे। अपने आदरणीय नेताके पधारनेसे उन्हें अपार आनद हुआ था। उनके मनमें प्रेम और उत्साह समाता ही नही था। सभी मजदूर उनसे मिलने और उनसे हाथ मिलानेके लिए उत्सुक थे। मौलाना शौकतअली भी सबसे प्रेमपूर्वक मिलते थे।

मौलाना मुहम्मदअली उस दिन नहीं आ सके थे, इसलिए मजदूर उनके बारेमें तरह तरहके प्रश्न पूछते थे। जब उन्होंने सुना कि मुहम्मदअली दूसरे दिन आनेवाले हैं, तो उनमें यह हवा फैली कि उनका भी स्वागत करना चाहिये और इसके लिए दूसरे दिन भी छुट्टी मनाकर सबको स्टेशन जाना चाहिये। इस तरह ईदके त्योहारमें उन्होंने दोके बजाय तीन दिनकी छुट्टी मनाई। चौथे दिन मिल-मालिकोंने

"मजदूर मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो मानता हूं कि हिन्दुस्तानमें कोई भी आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं हिन्दुस्तानको गुलामीसे छुड़ानेका जीतोड़ प्रयत्न कर रहा हूं; मैं मजदूरोंकी गुलामीमें नहीं फंसूगा।"

*

"आप लोग मिलोंमें काम करके मौलाना शौकतअली और मुहम्मदअलीका उत्तम स्वागत कर सकते थे। तीन दिन तक आपने ईदके त्योहारोंकी छुट्टी मनाई! कलका कड़वा घूंट तो मैं जैसे तैसे पी गया, लेकिन आजका यह घूंट पीना मेरे लिए असंभव है।"

*

"आप लोग मिल छोड़कर बाहर निकले ही क्यों? दो चार नेताओंने बलसे कुछ कहा, आपको दबाया और आप बाहर निकल पड़े?"

*

"जितने घंटे आप कामसे दूर रहे उतने घंटोंका काम पूरा कर दीजिये। इसीमें आपकी सज्जनता है, इसीमें आपकी खानदानियत है।"

*

मौलाना मुहम्मदअलीका भाषण

मौलाना मुहम्मदअलीने भी अपने भाषणमें यही बात कही:

"आप लोग गांधीजीका कहना न मानें और मिलोंमें न जायं, यह कैसी बात है? छह दिनकी ईद तो यहींसे ही कहीं जायगी? आपकी पांच दिनकी ईद तो हो ही चुकी है। इसलिए आप सब मिल-मालिकोंसे माफी मांग लीजिये। सिर्फ मुंहसे माफी मांगना काफी नहीं होगा। जितने घंटोंका काम आपने खो दिया है उतने घंटोंका काम करके आप उनसे माफी मांगिये।"

गलती समझी और सुधारी

इस अवसर पर मजदूरोंको जो नशा चढ़ा था, वह गांधीजी और मौलाना मुहम्मदअलीके इन शब्दोंसे उतर गया। उन्हें अपनी इस गलतीका भान हुआ और इन नेताओंके वचनोंको उन्होंने

"मजदूर मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो मानता हूं कि हिन्दुस्तानमें कोई भी आदमी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं हिन्दुस्तानको गुलामीसे छुड़ानेका जी-तोड़ प्रयत्न कर रहा हूं, मैं मजदूरोंकी गुलामीमें नहीं फंसूंगा।"

*

"आप लोग मिलोंमें काम करके मौलाना शौकतअली और मुहम्मदअलीका उत्तम स्वागत कर सकते थे। तीन दिन तक आपने ईदके त्योहारोंकी छुट्टी मनाई! कलका कड़वा घूंट तो मैं जैसे तैसे पी गया, लेकिन आजका यह घूंट पीना मेरे लिए असभव है।"

*

"आप लोग मिल छोड़कर बाहर निकले ही क्यों? दो चार आदमियोंने आपसे कुछ कहा, आपको दबाया और आप बाहर निकल आये?"

*

"जितने घंटे आप काममे दूर रहे उतने घंटोंका काम पूरा कर दीजिये। इसीमें आपकी सज्जनता है, इसीमें आपकी खानदानियत है।"

*

मौलाना मुहम्मदअलीका भाषण

मौलाना मुहम्मदअलीने भी अपने भाषणमे यही बात कही।

"आप लोग गांधीजीका कहना न माने और मिलोंमे न जाय, यह कैसी बात है? छह दिनकी ईद तो शहीदी ही कही जायगी? आपकी पाच दिनकी ईद तो हो ही चुकी है। इसलिए आप सब मिल-मालिकोंसे माफी माग लीजिये। सिर्फ मुहसे माफी मागना काफी नहीं होगा। जितने घंटोंका काम आपने खो दिया है उतने घंटोंका काम करके आप उनसे माफी मागिये।"

गलती समझी और सुधारी

इस अवसर पर मजदूरोंको जो नशा चढ़ा था, वह गांधी और मौलाना मुहम्मदअलीके इन शब्दोंसे उतर गया। उन्हें गंभीर गलतीका भान हुआ और इन नेताओंके वचनोंको

कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। इसलिए जब गांधीजीको पता लगा कि कालीदास वकीलने वकालत छोड़ दी है, तो उन्होंने स्थायी व्यवस्था न होने तक मजूर-महाजनका काम सभाल लेनेके लिए उन्हें समझाया। कालीदास वकील भावनाशील थे और मजदूरोंके लिए उनके मनमें गहरी हमदर्दी थी। अतः उनके आ जानेसे ऑफिस और शिकायतोंसे सम्बन्धित काममें बड़ी मदद मिली।

गुलजारीलालका प्रथम परिचय

इसी अरसेमें गुलजारीलाल नंदा मजदूर-प्रवृत्तिका अध्ययन करनेके लिए अहमदाबाद आये। उन्होंने अलाहाबाद युनिवर्सिटीमें प्रो० जेवन्सके मार्गदर्शनमें अर्थशास्त्रका अध्ययन करके एम० ए० की डिग्री प्राप्त की थी और उन्हें मजदूर-आन्दोलनका अध्ययन करनेके लिए छात्रवृत्ति मिली थी। नंदाने अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिका निरीक्षण करके तथा अनसूयाबहन, कालीदास वकील और मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंसे मिलकर अपने कार्यके बारेमें उपयोगी जानकारी इकट्ठी की। अनसूयाबहनके कहनेसे वे अधिक जानकारी पानेके लिए मुझसे मिलने बम्बई आये। उस समय बम्बईमें असहयोग आन्दोलन जोरोंसे चल रहा था। इसलिए रातके ८ बजे मैं उनसे मिल सका। उन्होंने अहमदाबादके मजूर-महाजनकी प्रवृत्तिके बारेमें अपने विचार मुझे बताये और कुछ बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न भी किये। उनकी बातचीतसे मेरे मन पर यह छाप पड़ी कि मजदूर-प्रवृत्तिमें उन्हें गहरी दिलचस्पी है।

मजदूर-प्रवृत्तिमें जुड़नेका निर्णय

मजदूर-प्रवृत्तिके अध्ययनसे सम्बन्धित नंदाका महानिबन्ध (थीसिस) इस कार्यके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा; लेकिन केवल उसका अध्ययन करनेके बजाय यदि वे यहांकी मजदूर जनताके सेवाकार्यमें लगकर उसमें सक्रिय भाग लेनेको प्रेरित हों, तो इससे मजदूरोंको और उनकी इस प्रवृत्तिको बड़ा लाभ हो। यह विचार मेरे मनमें आया, इसलिए मैंने उनसे कहा: "आपके विचार और आपके

२१

एक दैवी संकेत

मजूर-महाजनकी स्थापनाके बाद मजदूर-प्रवृत्तिका काम बढ़त गया। इसलिए हमें लगता था कि इस दिनोंदिन बढ़ानेवाले कामको अच्छी तरह संभाल सकें ऐसे कुशल कार्यकर्ताओंकी मदद अधिक मात्रामें मजूर-महाजनको मिले तो ठीक हो। १९२१ में स्वराज्य-संग्रामके सिलसिलेमें असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। इस आन्दोलनके फल-स्वरूप अधिक कार्यकर्ताओंकी मदद महाजनको मिल गई। मजदूर-प्रवृत्तिके आरंभसे ही वचुभाई वकील तथा कालीदास वकील ये दो मित्र समय समय पर अनसूयाबहनको उनके काममें जरूरी मदद दिया करते थे। इन दोनों मित्रोंने असहयोग आन्दोलन शुरू होने पर सर-कारी अदालतोंका बहिष्कार करके वकालत छोड़ दी थी। गांधीजी जानते थे कि मजूर-महाजनके कामके लिए भावनाशील और [illegible] पुत्र

कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। इसलिए जब गांधीजीको पता लगा कि कालीदास वकीलने वकालत छोड़ दी है, तो उन्होंने स्थायी व्यवस्था न होने तक मजूर-महाजनका काम संभाल लेनेके लिए उन्हें समझाया। कालीदास वकील भावनाशील थे और मजदूरोंके लिए उनके मनमें गहरी हमदर्दी थी। अतः उनके आ जानेसे ऑफिस और शिकायतोंसे सम्बन्धित काममें बड़ी मदद मिली।

गुलजारीलालका प्रथम परिचय

इसी अरसेमें गुलजारीलाल नंदा मजदूर-प्रवृत्तिका अध्ययन करनेके लिए अहमदाबाद आये। उन्होंने अलाहाबाद युनिवर्सिटीमें प्रो० जेवन्सके मार्गदर्शनमें अर्थशास्त्रका अध्ययन करके एम० ए० की डिग्री प्राप्त की थी और उन्हें मजदूर-आन्दोलनका अध्ययन करनेके लिए छात्रवृत्ति मिली थी। नंदाने अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिका निरीक्षण करके तथा अनसूयाबहन, कालीदास वकील और मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंसे मिलकर अपने कार्यके बारेमें उपयोगी जानकारी इकट्ठी की। अनसूयाबहनके कहनेसे वे अधिक जानकारी पानेके लिए मुझसे मिलने बम्बई आये। उस समय बम्बईमें असहयोग आन्दोलन जोरोंसे चल रहा था। इसलिए रातके ८ बजे मैं उनसे मिल सका। उन्होंने अहमदाबादके मजूर-महाजनकी प्रवृत्तिके बारेमें अपने विचार मुझे बताये और कुछ बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न भी किये। उनकी बातचीतसे मेरे मन पर यह छाप पड़ी कि मजदूर-प्रवृत्तिमें उन्हें गहरी दिलचस्पी है।

मजदूर-प्रवृत्तिमें जुड़नेका निर्णय

मजदूर-प्रवृत्तिके अध्ययनसे सम्बन्धित नंदाका महानिबन्ध (थीसिस) इस कार्यके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा; लेकिन केवल उसका अध्ययन करनेके बजाय यदि वे यहांकी मजदूर जनताकी सेवाकार्यमें लगकर उसमें सक्रिय भाग लेनेको प्रेरित हों, तो इससे मजदूरोंको और उनकी इस प्रवृत्तिको बड़ा लाभ हो। यह विचार मेरे मनमें आया, इसलिए मैंने उनसे कहा: "आपके विचार और आ

प्रश्न दोनों ही बड़े उपयोगी हैं। परन्तु यदि आपको मजदूरोंके जीवन और उनके कार्यमें रस हो और यदि आप उनकी उन्नति चाहते हों, तो आप इस कार्यमें जुड़ जायं। तब आपको प्रश्न पूछनेकी जरूरत नहीं रह जायगी और आपके मनमें जो विचार आते हैं उन पर आप स्वयं अमल भी कर सकेंगे।" यह सुझाव तो मैंने उन्हें सहज ही दे दिया। परन्तु मेरी बात उनके मनमें उतर गई। वे पूछने लगे: "इस संस्थामें काम करनेका मौका क्या मुझे मिल सकता है?" उनके इस प्रश्नसे मुझे आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ। मैंने उनसे कहा: "यदि आपको इस काममें रस हो, तो इसमें जुड़कर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आपके लिए वहां सुविधा की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना वर्तमान कार्य छोड़ना पड़ेगा।" इस पर उन्होंने कहा: "यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती हो, तो यह कार्य छोड़नेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी।" वे इस काममें जुड़ें यह मुझे सब दृष्टियोंसे वांछनीय मालूम होता था। परन्तु मेरे मनमें प्रश्न उठा: इस प्रकार क्षणभरमें वे यह निर्णय करें और हम उसे स्वीकार कर लें, यह उचित होगा या नहीं? अतः मैंने उनसे पूछा: "क्या इस सम्बन्धमें आपको अपने पिताजीकी अनुमति लेना जरूरी नहीं लगता? यदि आपका विवाह हो गया हो, तो क्या पत्नीकी और उसके पिताकी भी सलाह आपको नहीं लेनी चाहिये?" लेकिन नंदाने तुरन्त उत्तर दिया: "यदि मैं उनकी सलाह लेनेकी बात सोचूंगा, तो मैं यह निर्णय कर ही नहीं सकूंगा। अतः निर्णय करना हो तो मुझे ही करना होगा और इसके लिए मेरी पूरी तैयारी है। अब आप मुझे बताइये कि इस दिशामें मैं कैसे आगे बढ़ूं?"

गांधीजीका प्रोत्साहन

समय सारे देशमें सरकारी शिक्षासंस्थाओंके बहिष्कारका [illegible]रोंसे चल रहा था। नंदाजी पर भी उसका गहरा प्रभाव [illegible] था। उनका निर्णय उस समयकी परिस्थितियोंमें [illegible]ा था ही। इसलिए मुझे लगा कि गांधीजीको उनका

निर्णय बनाना उचित होगा। उस समय गांधीजीसे मिलनेकी सुविधा थी, इसलिए गुलजारीलाल नंदाको लेकर मैं गांधीजीसे मिलने गया। उन्होंने सारी बात शांतिसे सुनी। नंदाके निर्णयसे अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने कहा: "आपका निर्णय बिलकुल ठीक है। यदि आपको इस्तीफा देना हो, तो इसमें ढिलाई नहीं करनी चाहिये। आप प्रो० जेवन्सको तुरन्त ही पत्र लिखकर बता दें कि मैं अपने वर्तमान कामसे मुक्त होना चाहता हूं और जो भी जानकारी आपने अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिके बारेमें एकत्र की है, उसके सारे कागजात उनके पास भेज दें।" गांधीजीके साथ गुलजारीलाल नंदाकी जो बात हुई उससे उन्हें अपने निर्णयके लिए पूरा प्रोत्साहन मिला। गांधीजीके कहे अनुसार उन्होंने प्रो० जेवन्सको पत्र लिख दिया और उस काममें वे जल्दी ही मुक्त हो गये। यह निर्णय लगभग आधे घंटेमें ही हो गया, इसका श्रेय उस समयके वातावरणको और गुलजारीलाल नंदाकी मानसिक तैयारीको दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय महाविद्यालयमें

मैंने सोचा कि गुलजारीलाल अपने पहले कामसे मुक्त होते ही अहमदाबाद चले जायं, इसके बदले कुछ समय मेरे पास बंबईमें रहें तो ज्यादा अच्छा हो। उस समय बंबई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे प्रो० पुणताम्बेकरकी देखरेखमें राष्ट्रीय महाविद्यालयकी स्थापना की गई थी। उसमें अर्थशास्त्रके प्राध्यापककी आवश्यकता थी। मैंने गुलजारीलाल नंदाको सुझाया कि वे यह कार्य अपने हाथमें ले। उन्हें मेरा सुझाव पसंद आया और उस वर्षके अंत तक वे महाविद्यालयमें अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे। उन दिनों असहयोगी विद्यार्थियोंमें से रचनात्मक कार्यमें लगनेकी इच्छा रखनेवालोंको उपयुक्त तालीम देनेके लिए केशवराव देशपांडेके मार्गदर्शनमें 'साधक आश्रम' नामक संस्था खोली गई थी। गुलजारीलालने इस संस्थामें रहना पसंद किया और उसके [illegible] भी वे सहायता करने लगे। इसके साथ वे खादी-कार्यमें भी रम[illegible] लगे और राष्ट्रीय शालाओं तथा विद्यालयोंके च[illegible] तकुवे आदि साधन तैयार करानेमें मदद देने

[illegible] उनके साथमें बात की। उन्हें भी गुलजारीलालका मजूर-महाजनमें काम करनेका विचार पसन्द आया। उस पर १९२२ के आरंभमें अहमदाबाद आकर उन्होंने मजूर-महाजनका कार्य सम्भाल लिया।

खंडुभाईने कॉलेज छोड़ा

१९२२ में गुलजारीलाल अहमदाबादके मजूर-महाजनमें जुड़े उसके दो माह बाद खंडुभाई देसाई भी उस संस्थाके कामके लिए अहमदाबाद आ गये। असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ उस समय खंडुभाई देसाई बंबईके विल्सन कॉलेजमें बी० ए० के अंतिम वर्षमें पढ़ते थे। उनका खास विषय अर्थशास्त्र था। उस समय प्रो० वाड़िया वहां अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। खंडुभाई बड़े तेजस्वी विद्यार्थी थे और अर्थशास्त्रकी उनकी समझ और उनके अध्ययनसे प्रो० वाड़िया उन पर बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि खंडुभाई बी० ए० की परीक्षामें युनिवर्सिटीमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। परन्तु असहयोग आन्दोलन छिड़ने पर खंडुभाईने कॉलेज छोड़ देनेका निर्णय किया। जब प्रो० वाड़ियाने यह बात सुनी तो उन्होंने खंडुभाईको समझाया कि यह विचार तुम छोड़ दो। किसी भी तरह बी० ए० की परीक्षा दे दो; फिर आन्दोलनमें शामिल हो जाना — यह बात उन्हें समझानेमें प्रो० वाड़ियाने जमीन-आसमान एक कर दिया। परन्तु खंडुभाई तो असहयोग करनेका दृढ़ निश्चय कर चुके थे। अतः अपने निश्चयके अनुसार कॉलेज छोड़कर वे आन्दोलनमें शरीक हो गये।

मजूर-महाजनमें जुड़े

उस समय बम्बईकी राष्ट्रीय शाला आरंभ हो गई थी। खंडुभाई उसमें अध्यापक बन गये। कुछ माह उन्होंने इस शालामें काम किया। लेकिन १९२२ के आरंभमें प्रधानाध्यापकके विषयमें असंतोष पैदा होनेसे शाला छोड़ देनेका निश्चय किया। वे दूसरा कोई अनुकूल कार्य मुझसे मिले। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये भी के कार्यमें लग जायं तो अच्छा हो। इसलिए मैंने उनसे कहा। मेरी बात उन्हें पसन्द आई और वे बंबई छोड़कर आ गये। खंडुभाई अहमदाबाद आये उस समय 'यंग :काशित लेखोंके सम्बन्धमें गांधीजीको और मुझे गिरफ्तार

करके मुकदमा चलने तक साबरमतीकी हवालातमें रखा गया था। उस समय सबको हमसे मिलनेकी छूट थी। इसलिए अनसूयाबहन खड़ुभाई-को लेकर जेलमें आईं। वहां हमने मजूर-महाजनके कामकाजके बारेमें उनके साथ बातें की। उसके फलस्वरूप यह तय हुआ कि खड़ुभाई देसाई मजूर-महाजनका कार्य करें।

अनसूयाबहनको मजूर-महाजनके कामके लिए इन दो भावनाशील मित्रोंकी मदद मिल गई, इसके पीछे शायद कोई दैवी संकेत भी रहा हो। दोनों १९२२ में इस संस्थामें जुड़े। तबसे आज तक दोनों मित्र मजदूर-प्रवृत्तिको अपनी ही मानकर तथा गांधीजीके सिद्धान्तोंके अनुसार एकनिष्ठासे उसका विकास करके मजदूर जनताकी तथा देशकी बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं।

२२
जेलसे मुक्ति

'यंग इंडिया' के लेखोंके लिए अदालतमें न्यायाधीश ब्रूमफील्डके सामने हम पर मुकदमा चला। उसमें गांधीजीको छह वर्षकी और मुझे एक वर्षकी जेलकी सजा मिली। इसके अलावा, मुझ पर एक हजार रुपयेका जुर्माना भी हुआ था। यह जुर्माना न भरने पर मुझे छह मास-की अधिक कैद भोगनी थी। सरकार मानती थी कि मैं यह जुर्माना नहीं भरूंगा। इसलिए वर्ष पूरा होने पर सरकारने मेरी मोटर-कार जब्त कर ली और उसे नीलाम करके जुर्मानेकी रकम वसूल कर ली। जुर्मानेकी रकम इस प्रकार वसूल हो जानेके बाद सरकारने मुझे जेलसे मुक्त करनेका निर्णय किया और मुक्तिकी तारीख मुझे बता दी गई। मैंने अनसूयाबहनको इसकी सूचना कर दी थी, इसलिए वे पूना पहुंच कर उस दिन मुझे यरवडा जेल पर लेने आ गई थी। मेरे जेलसे छूटनेकी तारीखका पता राजगोपालाचार्यको तथा गंगाधरराव देश-[illegible] लग गया था, इसलिए वे भी मुझे लिवाने आये थे।

करके मुकदमा चलने तक साबरमतीकी हवालातमें रखा गया था। उस समय सबको हमसे मिलनेकी छूट थी। इसलिए अनसूयाबहन खंडुभाई-को लेकर जेलमें आईं। वहां हमने मजूर-महाजनके कामकाजके बारेमें उनके साथ बातें कीं। उसके फलस्वरूप यह तय हुआ कि खंडुभाई देसाई मजूर-महाजनका काम करें।

अनसूयाबहनको मजूर-महाजनके कामके लिए इन दो भावनाशील मित्रोंकी मदद मिल गई, इसके पीछे शायद कोई दैवी संकेत भी रहा हो। दोनों १९२२ में इस संस्थामें जुड़े। तबसे आज तक दोनों मित्र मजदूर-प्रवृत्तिको अपनी ही मानकर तथा गांधीजीके सिद्धान्तोंके अनुसार एकनिष्ठासे उसका विकास करके मजदूर जनताकी तथा देशकी बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं।

२२

जेलसे मुक्ति

'यंग इंडिया' के लेखोंके लिए अदालतमें न्यायाधीश ब्रूमफील्डके सामने हम पर मुकदमा चला। उसमें गांधीजीको छह वर्षकी और मुझे एक वर्षकी जेलकी सजा मिली। इसके अलावा, मुझ पर एक हजार रुपयेका जुर्माना भी हुआ था। यह जुर्माना न भरने पर मुझे छह मास-की अधिक कैद भोगनी थी। सरकार मानती थी कि मैं यह जुर्माना नहीं भरूंगा। इसलिए वर्ष पूरा होने पर सरकारने मेरी मोटर-कार जब्त कर ली और उसे नीलाम करके जुर्मानेकी रकम वसूल कर ली। जुर्मानेकी रकम इस प्रकार वसूल हो जानेके बाद सरकारने मुझे जेलसे मुक्त करनेका निर्णय किया और मुक्तिकी तारीख मुझे बता दी गई। मैंने अनसूयाबहनको इसकी सूचना कर दी थी, इसलिए वे पूना पहुंच कर उस दिन मुझे यरवडा जेल पर लेने आ गई थीं। मेरे जेलसे मुक्त होनेकी तारीखका पता राजगोपालाचार्यको तथा गंगाधरराव देश-पांडेको लग [illegible] इसलिए वे भी मुझे लिवाने आये थे।

जेलसे पूना जाते हुए कारमें मैंने राजगोपालाचार्यसे कहा कि वर्तमान परिस्थितिके बारेमें गांधीजीके विचारोंका एक वक्तव्य तैयार कर लेना जरूरी है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि यह वक्तव्य गांधीजीने स्वयं जेलमें मुझसे लिखवाया था, जो मुझे याद हो गया है। घर पहुंचनेके बाद वह वक्तव्य लिखकर मैंने उन्हें सौंप दिया।

राजगोपालाचार्यको वह वक्तव्य पढ़कर बड़ा सन्तोष हुआ।

तत्कालीन परिस्थितिके बारेमें गांधीजीके विचार

पूनामें राजगोपालाचार्य और गंगाधरराव देशपांडेके साथ वहांके प्रमुख कार्यकर्ताओंसे भी मेरा मिलाप हुआ था। उन लोगोंने मेरे भोजनकी व्यवस्था की। भोजनके बाद उनसे मेरी बातचीत हुई, जिसमें गांधीजीके विचार मैंने उन लोगोंके सामने प्रस्तुत किये। गांधीजीका मत यह था कि आजकी परिस्थितिमें खादीको केन्द्रमें रखकर रचनात्मक कार्य ही पूरी शक्तिसे किया जाय। गांधीजीका यह विचार मजूर-महाजनके लिए भी महत्त्वपूर्ण था, इसलिए खादी और रचनात्मक कार्यको आगे बढ़ानेका महाजन भी यथाशक्ति प्रयत्न करता रहा।

२३

वेतन-कटौतीके बारेमें लड़ाई

मैं पूनासे बम्बई होकर अहमदाबाद पहुंचा तब यहां मजदूरोंकी हड़ताल चल रही थी। जेलमें मुझे बाहरके कोई समाचार नहीं मिलते थे। उस जमानेमें राजनीतिक कैदियोंके लिए अखबारों पर सरकारका कड़ा प्रतिबन्ध लगा रहता था। पत्रोंमें भी कोई सार्वजनिक आन्दोलनके बारेमें हमें कुछ लिख नहीं सकता था। मौकेसे कोई उड़ती खबर आ पहुंचे या कोई मुलाकाती अपनी बातोंमें किसी घटनाका उल्लेख कर दे तो बात अलग थी, वर्ना जेलमें किसी भी राजनीतिक कैदीको राजनीतिक परिस्थिति या अन्य किसी कार्यके बारेमें कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिलती थी।

मजदूरोंकी हड़तालके समाचार

१९२३ के मार्चमें मेरी जेलकी मियाद पूरी होती थी। उसी अरसेमें मुझे जेलमें यह खबर मिली थी कि अहमदाबादमें मजदूरोंकी हड़ताल चल रही है। मिल-मालिकोंने वेतनमें कटौती करनेकी जो घोषणा की थी, उसके विरोधमें यह हड़ताल की गई थी। यह बात मैंने गांधीजीको बताई और जेलसे मेरे छूटनेका समय हो रहा था, इसलिए इस सम्बन्धमें मैंने उनकी सलाह भी मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर निकलनेके बाद तुम्हे कठिनाई अनुभव करनेवाले बेकार मजदूरोंको राहत देनेके लिए किसी कामका प्रबन्ध करना चाहिये तथा सारी परिस्थितिका अध्ययन करके समझौतेका प्रयत्न करना चाहिये।

मिल-उद्योगकी स्थिति

जेलसे बाहर निकल कर मैं अहमदाबाद आया। यहां हड़ताल-सम्बन्धी परिस्थितियोंकी जाच करने पर मालूम हुआ कि १९२२ के आखिरमें मिल-उद्योगकी स्थितिमें थोड़ी मदी आने लगी थी। १९१७-१८ में अहमदाबादकी मिलोंका मुनाफा १४७ लाख था, जो १९२१ में बढ़कर २५२ लाख तक पहुच गया था। लेकिन १९२२ में विश्वयुद्ध नहीं चलता था, इस कारणसे विदेशी कपड़ा फिरसे भारतमें आने लगा था, कपड़ेके भाव उतरने लगे थे और इसके फलस्वरूप मिलोंका मुनाफा घटने लगा था। इसलिए मिल-मालिक मडल तथा उसके अध्यक्ष सेठ मगलदासको लगा कि मिलोंको टिकाये रखनेके लिए मज-दूरोंके वेतनमें बड़ी कटौती करनी ही पड़ेगी और इस विचारके अनुसार उन्होंने मजदूरोंके वेतनमें २० प्रतिशत कटौतीकी माग की।

गांधीजीसे मिलनेका प्रयास

वेतन-कटौतीके बारेमें सेठ मंगलदासके विचार निश्चित थे, फिर भी वे मानते थे कि यह कटौती दोनों पक्षोंकी सम्मतिसे हो सके तो ज्यादा अच्छा है। मजूर-महाजन अपने-आप तो यह कटौती स्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु यदि गांधीजीकी सम्मति इसके लिए प्राप्त की जा सके, तो कटौतीके लिए मार्ग सरल हो जायगा। इस विचारसे

खड़ी हुई कि मजूर-महाजनके संचालक कटौतीके विचारको व्यर्थ ही लम्बानेका प्रयत्न कर रहे हैं और उसे लटाईमें डालना चाहते हैं। इसलिए पचकी बातको छोड़कर उन्होंने मिल-मालिक मडलकी ओरसे मजदूरोंके वेतनमें २० प्रतिशत कटौतीकी घोषणा कर दी। इस घोषणा-से सम्बन्धित नोटिसें मिलोंके प्रवेश-द्वार पर लगा दी गईं, इसलिए मजूर-महाजनने मजदूरोंके वोट इस प्रश्न पर लेकर हड़तालकी घोषणा कर दी। हड़ताल करनेके लिए जो मतदान लिया गया, उसमें लगभग शत-प्रतिशत मजदूरोंने हड़तालके पक्षमें अपना मत दिया था। हड़ताल करनेके लिए मजदूरोंका लिखित मत लेनेका यह प्रयोग बिलकुल नया और पहला ही था। इस मतदानके समय गुलजारीलाल नंदा और खडूभाईने प्रत्येक मिलमें मजदूरोंकी सभा की, सभामें छपे हुए फार्म पर मजदूरोंके हस्ताक्षर लिये और इस तरह हड़तालका आन्दोलन शुरू किया। हस्ताक्षरके लिए जो फार्म छपाया गया था, उसमें कहा गया था कि मिल-मालिक मंडलने पच नियुक्त करनेकी बात स्वीकार नहीं की, इसलिए हड़ताल करना मजदूरोंका धर्म हो गया है। मजदूरोंने इन हड़तालको शांतिसे चलानेकी प्रतिज्ञा की और हड़ताल आरंभ हुई।

'आवश्यक सेवा'

इस हड़तालके बारेमें एक महत्त्वपूर्ण बातका उल्लेख यहां करना मुझे जरूरी लगता है। हड़तालके आरभमें ही मिल-मालिक मडलने मजूर-महाजनसे कहा कि मशीनोंको साफ-स्वच्छ रखकर उनकी सभाल रखनेके लिए और इंजीनियरिंग विभागकी सेवाओंको 'आवश्यक सेवा' (एसेन्शियल सर्विस) मानकर उन्हें चालू रखनेके खातिर जरूरी आदमियोंके लिए मिलोंमें आनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके फलस्वरूप हड़तालके दिनोंमें मिलोंकी मशीनों वगैराको अच्छी हालतमें रखनेकी व्यवस्थाको आवश्यक मानकर मजूर-महाजनके प्रतिनिधि-मडलने एक प्रस्ताव पास किया और मजदूरोंको महाजनके परवाने देकर हड़तालके दौरान मिलोंमें काम करनेकी छूट दी। इससे हड़तालके समयमें करीब तीन हजार मजदूर मशीनोंको साफ-सुथरी

रखनेके लिए तथा इंजन वगैराको ठीक हालतमें रखनेके लिए मिलोंमें काम करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि हड़तालका अंत हो जानेके बाद तुरन्त मिलोंमें हमेशाकी तरह काम शुरू हो गया और मशीनें इस तरह चलने लगीं मानो मिलें चालू ही रही हों।

इस हड़तालके सम्बन्धमें सारी बातें मजदूरोंको अच्छी तरह समझाने, रोज-रोजकी स्थितिसे उन्हें परिचित रखने तथा उन्हें प्रोत्साहन देनेके लिए घीकांटा रोड स्थित 'मगनभाईकी वाड़ी' में सभा होने लगी और उसमें अनसूयाबहन, गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई मजदूरोंका मार्गदर्शन करने लगे।

समझौतेकी वृत्तिका अभाव

यरवडा जेलसे छूटनेके बाद मैं १० या ११ अप्रैलको अहमदाबाद पहुंचा तब यह हड़ताल बड़े उत्साह और संपूर्ण शांतिसे चल रही थी। दोनों पक्ष अपने विचारों पर दृढ़ थे। ऐसी स्थितिमें गांधीजीसे हड़तालके सम्बन्धमें मेरी जो बातें हुई थीं और उन्होंने जो विचार प्रकट किये थे, वे सब मैंने अनसूयाबहन, गुलजारीलाल नंदा तथा खंडुभाई देसाईको बताये। गांधीजीकी सलाह यह थी कि दोनों पक्षोंमें समझौतेके लिए प्रयत्न किया जाय। उसके अनुसार मैं सेठ मंगलदाससे भी इस सम्बन्धमें मिला और उनसे बातें कीं। परन्तु उनका यह निश्चित मत था कि वेतनमें कटौती करना अनिवार्य है, इसलिए इस बारेमें वे बातचीत करनेके लिए राजी नहीं हुए। ऐसी स्थितिमें हड़ताल चालू रखना अनिवार्य हो गया। हड़तालके बारेमें जिस तरह गांधीजीने समझौतेके प्रयत्न करनेकी सलाह दी थी, उसी प्रकार उन्होंने यह भी सुझाया था कि बेकार मजदूरोंमें से जिन्हें कामकी जरूरत हो उनके लिए कामकी व्यवस्था की जाय। इसलिए हम सबने मिल कर इस प्रश्न पर सोचा कि जरूरतमंद मजदूरोंके लिए उचित कामकी व्यवस्था कैसे की जाय, यद्यपि बीसेक हजार मजदूर तो गांवोंमें जाकर खेतीका काम करने लग गये थे।

चरखे द्वारा राहत-कार्य

१९१८ में सत्याग्रह आश्रम साबरमतीमें नये मकान बन रहे थे, इसलिए हड़तालके दिनोंमें मजदूरोंको उस काममें लगानेकी व्यवस्था की गई थी। परन्तु इस हड़तालके समय ऐसी कोई अनुकूलता नहीं थी। जेलमें गांधीजीके साथ रहते हुए मुझे कातने और पीजनेका अनुभव मिला था और सत्याग्रहकी लड़ाईका अंत हो जाने पर जेलके बाहर भी चरखेका काम जोरोंसे चलने लगा था। इसलिए हमें बेकार मजदूरोंको चरखे द्वारा काम देनेकी व्यवस्था सुविधापूर्ण मालूम हुई। सत्याग्रह आश्रमके संचालक मगनलाल गांधी यह काम व्यवस्थित रूपसे चला रहे थे और इसके लिए कुशल कार्यकर्ता भी उनके पास थे। इसलिए यह विचार मैंने उनके सामने रखा। उन्हें मेरा विचार पसंद आया। उन्होंने न केवल मुझे प्रोत्साहन दिया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओंकी मददसे ऐसी सुन्दर व्यवस्था भी कर दी, जिससे यह काम उत्साहसे हाथमें लिया जा सके।

कताईका काम मजदूरोंके लिए नया था, फिर भी उन्होंने जल्दी ही चरखे पर कातना सीख लिया; और थोड़े समयमें अनेक मजदूर तथा उनके बाल-बच्चे कताईके जरिये रोजी कमाने लगे। इस कामके अलावा कुछ दूसरे कामोंका भी प्रबन्ध किया गया, जैसे सूतकी कुकड़िया उतारना, हाथ-करघा चलाना, गलीचे और शतरंजियां बुनना आदि। इस प्रकार लगभग २००० आदमियोंके लिए कामका प्रबन्ध हो गया, जिससे उन्हें अच्छी राहत मिलने लगी। हड़ताल चालू ही रही। जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे वैसे वैसे अधिकाधिक मजदूरोंकी ओरसे कामकी मांग की जाती थी। इससे 'मगनभाईकी वाड़ी'की जगह छोटी पड़ने लगी। इसलिए 'हठीसिंगकी वाडी'का बरामदा लेकर वहां भी यह काम शुरू किया गया।

इसी अरसेमें बम्बईके दादर नामक स्थानमें गटर खोदनेका काम चल रहा था। उसमें मजदूरोंको काम मिल सकता था। जिन मजदूरोंने वहां जानेकी इच्छा बताई उन्हें वहां भेजनेकी व्यवस्था कर दी गई।

सेठ कस्तूरभाईका सुझाव

दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सेठ मंगलदासने समझौता करनेकी जरा भी इच्छा नहीं बताई। मालिकोंमें कुछ लोग समझौता करनेकी बात सोचते थे। उनमें से सेठ कस्तूरभाईने सुझाया कि दोनों पक्ष १० प्रतिशत कटौती स्वीकार करके समझौता कर लें तो ठीक हो। गुलजारीलाल नंदा तथा खंडुभाई देसाईको तो वेतन-कटौतीकी बात बिलकुल अन्यायपूर्ण मालूम होती थी, इसलिए उनका यह मत था कि इस अन्यायके खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़नी चाहिये। सेठ मंगलदास भी अपनी बात पर दृढ़ थे। फिर भी सेठ कस्तूरभाईका सुझाव उनके सामने रखा गया। परन्तु वे उस पर विचार करनेको तैयार नहीं हुए। वे तो एक ही बात कहते थे: "छाछ बिलोनेसे ही मक्खन निकलेगा, पानी बिलोनेसे क्या लाभ होगा? मिलोंकी स्थिति ऐसी हो गई है कि मजदूरोंके वेतनमें यह कटौती किये बिना काम चल ही नहीं सकता, इसलिए समझौतेके लिए जरा भी गुंजाइश नहीं है।"

आनंदशंकर ध्रुवके प्रयास

१९१८की हड़तालके समय आनंदशंकर ध्रुवको पंचके रूपमें नियुक्त किया गया था। उस समयसे वे मजदूरोंके कार्य और आन्दोलनमें रस लेने लगे थे। इस हड़तालके समय वे बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीमें प्रो-वाइस चान्सलरके पद पर काम कर रहे थे। युनिवर्सिटीमें छुट्टियां शुरू होते ही वे अहमदाबाद आ पहुंचे। इस हड़तालके बारेमें सारी बातें जान लेनेके बाद उन्होंने भी दोनों पक्षोंमें समझौता करानेके प्रयास आरम्भ किये। परन्तु उन्होंने समझ लिया कि समझौतेकी दिशामें कुछ भी नहीं हो सकता।

मजदूरोंकी दुःखद स्थिति

हड़ताल शुरू हुएको लगभग दो महीने होने आये थे। मजदूर अनेक कष्ट भोगकर हिम्मतसे हड़ताल चला रहे थे। मालिकोंने मजदूरोंमें फूट डालनेके तो अनेक प्रयत्न किये, परन्तु मजदूरोंने अपनी

एकताको टूटने नहीं दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया था कि यदि हार कर हमें मिलोंमें वापिस जाना भी पड़ा, तो हम सब साथ मिलकर ही जायगे। परन्तु प्रश्न यह उठता था कि इस तरह हड़ताल कब तक चलाते रहे। हड़ताल बड़ी समझदारीसे और पूर्ण शांतिसे चल रही थी। एक भी मजदूर मिलमें जानेकी बात नही करता था। परन्तु उनकी हालत दयाजनी होती जा रही थी। हड़ताल अधिक लम्बी चले और मजदूरोंकी तकलीफें बढ़ती जायं, तो हड़तालको तोड़कर भी काम पर लौट जानेका विचार मजदूरोंके मनमें आ सकता है; और ऐसी स्थिति हो जाय तब तो मजूर-महाजनको नुकसान पहुच सकता है। परिणाम चाहे जो हो, फिर भी हड़ताल चालू रखी जाय या कटौती स्वीकार करके संस्थाको बचा लिया जाय — यह प्रश्न सबके सामने खड़ा हुआ।

कटौतीका स्वीकार

आनंदशंकर ध्रुव तथा अन्य मित्रोंकी सलाह ऐसी थी कि वेतन-कटौतीकी मांग अन्यायपूर्ण होते हुए भी हड़तालको अधिक चलानेका आग्रह नही रखना चाहिये। वेतनमें कटौती स्वीकार करके मजदूरोंकी संस्थाको बचा लेना हम सबका कर्तव्य है। यदि संस्थाका अस्तित्व बना रहेगा, तो भविष्यमें कभी इस अन्यायको दूर करानेके लिए फिरसे असरकारक कदम उठाये जा सकेंगे। अतमें परिस्थितियोंका विचार करने पर लाचारीसे हड़ताल बंद कर देनेका मार्ग हमें अपनाना पड़ा। इस बातको सब मजदूरोंके सामने रखनेके लिए मजदूरोंके प्रतिनिधि-मंडलकी एक सभा की गई। उस सभामें आनंदशंकरभाईने सारी स्थिति समझाई और प्रतिनिधियोंको कटौती स्वीकार कर लेनेकी सलाह दी। यह बात सुनकर मजदूर बड़े दु:खी हुए। इतना दु:ख और इतना कष्ट झेलने पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ, यह देख कर मजदूर सब खिन्न और उदास हो गये। मैं, गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई उस सभामें हाजिर थे। लगभग दो घंटे तक प्रतिनिधि-मंडलने खूब गरमागरम चर्चा की और अंतमें लाचार बनकर कड़वा घूंट गलेके नीचे उतारनेका निर्णय किया।

प्रतिनिधि-मंडलने कहा कि इस सम्बन्धमें मजदूरोंकी एक बड़ी सभा करके उनके सामने सारी बातें स्पष्ट समझाई जायं। मजदूरोंकी अहिंसक लड़ाईके साक्षी अमर बबूल वृक्षके नीचे यह विशाल सभा हुई। अनसूयाबहन, मैं, गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई उसमें उपस्थित थे। लगभग २० हजार मजदूर उसमें आये थे। अनसूयाबहनने और मैंने थोड़े शब्दोंमें मजदूरोंको हड़ताल समेट लेनेकी जरूरत समझाई। मजदूरोंने हमारी बात शांतिसे सुनी, परंतु उनके चेहरों पर घबराहट और निराशा तैरती दिखाई देती थी।

उनके नेता हमारे पास आये। उन्होंने हमसे विनती की कि इस विषयमें मजदूर स्वयं स्वतंत्र रूपसे सोचें-विचारें और चर्चा करें, यह अधिक उचित और वांछनीय होगा; इसलिए आप सभासे चले जायं तो ठीक होगा। आपकी गैर-हाजिरीमें मजदूर क्या निर्णय करते हैं, यह हम बादमें आपको बता देंगे। इस पर हम चारों सभासे बाहर आ गये। बाहर निकलनेके लिए मजदूरोंने हमें शांतिसे रास्ता दे दिया।

सभा पूरी हो जानेके बाद मजदूरोंके नेता हमसे मिले। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगोंने जो सलाह दी थी उसे लाचारीसे मजदूरोंने मान लिया है और हड़ताल बंद करना पसंद न होने पर भी उसे बंद करनेकी बात स्वीकार करके मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंमें अपना विश्वास प्रकट किया है।

हड़तालका अंत

दूसरे दिन गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई हर मिलके प्रवेश-द्वार पर जाकर मजदूरोंको अपने काम पर लग जानेकी बात समझाने लगे। मजदूर काम करनेके लिए तैयार हो गये। परन्तु गुलजारीलाल और खंडुभाईने 'जाओ' कहा तब तक सब मजदूर मिलके दरवाजे पर ही खड़े रहे और फिर 'महात्मा गांधीकी जय!' बोलकर साढ़े दस बजे उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस प्रकार मजदूरोंकी लंबी हड़तालका अंत हुआ।

इस हड़तालसे मजदूरोंको और मिल-उद्योगको बहुत नुकसान हुआ। मिलें कुल ६५ दिन तक बंद रहीं। मजदूरोंने मजदूरी खोई;

उद्योगने उत्पादन खोया। वास्तवमें दोनों पक्षोंको नुकसान उठाना पड़ा। इस सबकको एक भी पक्ष भूला नहीं। दोनों ही सोचने लगे कि भविष्यमें कभी ऐसी स्थिति खड़ी न होने दी जाय।

२४

फिर मजदूरोंके बीच

मार्च १९२४को पूनाके सासून अस्पतालमें गांधीजीका एपेन्डिसाइटीजका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्हें जेलसे मुक्त कर दिया गया। मुक्त होने पर वे आराम और स्वास्थ्य-सुधारके लिए बम्बईमें समुद्र-तट पर जूहू स्थित नरोत्तमदास गोकलदासके बंगलेमें कुछ समय तक रहे। अगस्तमें वे अहमदाबाद लौटनेवाले थे। इसलिए यहांके मजदूर आनंद और उत्साहमें आकर उनके स्वागतकी तैयारियां करने लगे।

विद्यार्थियोंको सलाह

गांधीजीके अहमदाबाद आने पर २३ अगस्तको शामके चार बजे मजदूर-शालाके विद्यार्थियों तथा शिक्षकोंने उनके स्वागतके लिए 'मगनभाईकी वाड़ी' में एक सभाका आयोजन किया। गांधीजीके गलेमें हाथकते सूतकी माला पहनाई गई और बुनकर-आश्रममें कते हुए सूतकी वहीं बुनी गई धोती उन्हें अर्पण की गई। उस सभामें प्रवचन करते हुए गांधीजीने स्वच्छता पर जोर दिया और थोड़ेमें सुन्दर ढंगसे शिक्षाका रहस्य समझाया। विद्यार्थियोंसे उन्होंने कहा: "आज तुम्हें जीवनको उन्नत बनानेकी ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षा तुम्हें इसलिए दी जाती है कि जो कुछ तुम पुस्तकोंमें पढ़ो उसीके अनुसार चलो। मैं चाहता हूं कि जब तुम खूब पढ़-लिखकर बड़े हो जाओ तब तुम्हारे बारेमें लोग कहें कि तुम सब प्रामाणिक हो, चरित्रवान हो; और ऐसा जहां भी तुम्हारे बारेमें कहा जाय वहां तुम गर्वके साथ कह सको कि प्रामाणिक और चरित्रवान बननेका पाठ हम लोग

मजूर-महाजनकी शालामें सीखे हैं।" उस समय शालाओंमें कताईका काम अच्छी तरह चलता था। उसे देख कर गांधीजी प्रसन्न हुए और बोले: "तुम लोग कातने, पींजने और बुननेका काम करते हो, इससे मुझे बड़ा आनंद होता है। यह विचार मेरे मनमें दिनोंदिन अधिक दृढ़ होता जा रहा है कि कताई या चरखेके बिना देशका भला कभी हो ही नहीं सकता।"

एक ही टेक

उसी दिन शामको पांच बजे इतिहासमें अमर बबूलके वृक्षके नीचे मजदूरोंकी एक बहुत बड़ी सभा हुई। उसमें करीब पन्द्रह हजार मजदूर उपस्थित थे। सभामें बड़े उत्साह और उमंगसे गांधीजीका स्वागत किया गया। गुलजारीलाल नंदाने मजूर-महाजनकी रिपोर्ट पढ़ सुनाई। अकबरखां और कचराभाईने प्रसंगोचित विवेचन किया। अनसूया-बहनने मजूर-महाजनकी ओरसे गांधीजीको रु० ३००५–४–० की थैली भेंट की। इसके बाद गांधीजीने अपने प्रवचनमें कहा: "यहां आप लोगोंने 'एक टेक' का झंडा लगाया है। इस एक टेकका अर्थ है अपने वचन पर डटे रहना, अपनी बात पर दृढ़ रहना। पुरुष हो या स्त्री, जो कोई अपनी टेककी रक्षा करता है, अपने वचन पर दृढ़ रहता है, उसकी कभी बेइज्जती नहीं होती, उसकी कभी हार नहीं होती। टेकका अर्थ है प्रतिज्ञा—वचन। अनुभवसे मैंने पाया है कि टेककी मनुष्यके जीवनमें बहुत बड़ी महिमा है।" मालिक-मजदूरोंके सम्बन्धोंके बारेमें उन्होंने कहा: "मालिकों और मजदूरोंके बीच बाप-बेटेका सम्बन्ध होना चाहिये। ऐसा समय नहीं आता तब तक हमें समझ रखना चाहिये कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें दोनोंके मार्गमें तरह तरहकी असुविधायें और कठिनाइयां आती ही रहेंगी। इन कठिनाइयोंके होते हुए भी हमें समझदारीसे काम करना आये, तो दोनोंके सम्बन्धोंमें हम कभी कड़वाहट पैदा नहीं होने देंगे। इसीमें हमारी होशियारी है, इसीमें हमारा विवेक है, इसीमें हमारी परीक्षा है। इसमें भी एक टेककी बात है। आप अपनी टेकको रखें, अपनी बात दृढ़ रहें, तो मालिक आपसे जरा भी दूर नहीं जा सकेंगे।"

१९२३ में मिल-मालिकोंने वेतन-कटौतीकी जो घोषणा की थी, उसके खिलाफ मजदूरोंने हड़ताल की थी। परन्तु कुछ समय बाद हड़ताल वापिस खींच कर वेतन-कटौतीको मान लेनेकी स्थिति खड़ी हो गई थी। यह घटना अभी बहुत ताजी ही थी। इसके सम्बन्धमें अभी भी वातावरण साफ नहीं हुआ था, किसी हद तक मजदूरोंमें हार और निराशाकी भावना भी दिखाई पड़ती थी। अत. इस विषयमें मजदूरोंका मार्गदर्शन करते हुए गांधीजीने कहा:

दुःख-सहन और श्रद्धाका महत्त्व

"आपकी पिछली हड़तालमें आप हार गये, फिर भी आपके मालिक आपसे दूर नहीं जा सके। परन्तु आपकी इस हड़तालकी बात जब मैंने जेलमें सुनी थी तब मेरे मनने आपको अनेक धन्यवाद दिये थे। इस हड़तालमें पूरी शांतिसे काम करने पर भी आप हार गये। इस हारका कारण आप खुद हैं। आप लोग अधिक दुःख बरदाश्त नहीं कर पाये, इसलिए आपकी हार हुई। अधिक दुःख बरदाश्त न कर सकनेके कारण आपकी हार हुई, लेकिन इसमें बदनामीकी कोई बात नहीं है। दु:खकी बात यह है कि इस मामलेमें पचकी नियुक्ति न हो सकी। जब तक हममें अधिकसे अधिक दुःख सहनेकी पूरी शक्ति नहीं आती तब तक हार तो हमारे नसीबमें ही लिखी हुई रहेगी। यदि हार शब्दको हमें अपने शब्दकोशसे हटा देना है, तो हमें अपने भीतर अतिशय दु:ख सहनेकी शक्ति बढ़ानी होगी। यह सहन-शक्ति उसीमें आ सकती है जिसका ईश्वर पर, खुदा पर विश्वास हो। हमें प्रतिदिन सुबह और रातमें ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये कि 'हे प्रभु, तू जो देगा वही मैं खाऊंगा। दुनियाका दिया हुआ मैं नहीं खाऊंगा।' जो मनुष्य ऐसा विश्वास रखता है, उसीकी जीत होती है। यह विश्वास आप लोगोंमें नहीं था, इसीलिए आप हार गये। इस विश्वासमें कुछ लोग कमजोर पड़ गये, इसीलिए आप हारे। अब जो भूल हो गई उसका शोक करनेसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो यही ध्यान रखना चाहिये कि भविष्यमें ऐसी भूल न हो। भविष्यमें किसी समय हड़तालकी नौबत आये, तो उस

सबका पूरा विचार करनेके बाद ही आवश्यक और उचित कदम उठाये जाने चाहिये।"

स्वतंत्र धन्धा

स्वतंत्र धन्धा सीख लेनेका महत्त्व समझाते हुए गांधीजीने मजदूरोंसे कहा: "आप लोगोंने चरखा चलाया, इसीलिए आप इतने दिनों तक हड़ताल चला सके। अगर हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो हमें कातना और पींजना सीख कर अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखना होगा। अगर आप सब लोग हाथमें चरखा या तकली लेकर बैठ गये होते, तो आपको हार न खानी पड़ती। अगर सब मजदूर ऐसा करते तो आप यह कह सकते थे कि मालिकोंको हमारी मांगकी परवाह न हो, तो हमने अपनी आजीविकाके लिए दूसरा धन्धा खोज लिया है।"

इस प्रकार गांधीजीने हारकी मनोदशासे बाहर निकलने और ली हुई प्रतिज्ञाके लिए सर्वस्वका बलिदान करनेका पाठ सिखा कर मजदूरोंको प्रोत्साहित किया।

२५

मजूर-महाजनके विकासकी प्रवृत्ति

[१९२३ से १९२९]

१९२३ की हड़तालका जो परिणाम निकला, उससे मजूर-महाजनको भारी धक्का लगा था। उससे मजदूरोंको गहरा आघात लगा था, उनमें निराशा फैल गई थी। इसके फलस्वरूप महाजनकी सदस्य-संख्या नहीं-जैसी हो गई थी।

पुनर्रचना और विकास

उस समय अहमदाबादकी मिलोंमें लगभग ५० हजार मजदूर काम करते थे। उनमें से करीब आधे यानी २०–२५ हजार मजदूर

मजूर-महाजनके सदस्य थे। इस हड़तालके समझौतेके बाद यह सदस्य-संख्या घट कर डेढ़-दो हजार पर पहुंच गई। लेकिन इससे निराश होकर हिम्मत हारनेके बजाय मजूर-महाजनके सञ्चालकों और नेताओंने महाजनको फिरसे मजबूत बना कर ठोस बुनियाद पर खड़ा करनेका दृढ़ निश्चय किया। यरवडा जेलमें रचनात्मक कार्यके महत्त्वके बारेमें गांधीजी जो विचार प्रकट करते थे, उनसे प्रभावित होकर मैंने सोचा था कि जेलसे छूटने पर मैं ग्रामसेवाका काम हाथमें लूंगा। बारडोली-में इसकी व्यवस्था भी हो गई थी। उसके अनुसार अहमदाबादकी हड़ताल पूरी हो जानेके बाद मैं बारडोली चला गया। लेकिन अह-मदाबादमें गुलजारीलाल नंदा तथा खंडुभाईने मजूर-महाजनकी पुनर्रचना और विकासका कार्य बड़ी लगन और निष्ठासे किया।

उस समय महाजनके दफ्तरमें कार्यकर्ताओंकी संख्या मर्यादित थी और वाहन वगैराकी भी कोई खास सुविधा नहीं थी। फिर भी ये दोनों मित्र हर मिलमें और हर मुहल्लेमें लगातार घूमने लगे और मजदूरोंको समझाने लगे कि कैसी परिस्थितियोंमें हड़ताल बंद करके मालिकोंने समझौता करना पड़ा। इसके सिवा, उन्होंने संगठन-की आवश्यकता और महत्त्वकी सच्ची कल्पना मजदूरोंको कराई तथा इससे सम्बन्धित कार्य आरंभ करनेके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मजदूर-नेताओंने मिलकर तथा मजदूरोंकी सभायें करके इन्होंने कहा कि वेतनकी कटौती हमें लाचारीसे स्वीकार करनी पड़ी, ताकि हमारी संस्था बची रहे। फिर भी यदि हम अपने संगठनको मजबूत बनायें, तो इस कटौतीको भी हम दूर करा सकते हैं। इसलिए निराश बन-कर संगठनको छोड़ने और मजूर-महाजनकी शक्तिको छिन्नभिन्न कर डालनेके बजाय अपने महाजनको बलवान बनानेमें आपको पूरा साथ देना चाहिये। इसके साथ ही आपका संगठन संपूर्ण बने, इसके लिए भी आप सबको भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

शिकायतोंसे सम्बन्धित कामकी व्यवस्था

गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई मजदूर-सेवाके काममें शरीक हुए उसके बाद उन्होंने मजदूरोंकी शिकायतोंके कामको अधि-

व्यवस्थित कर दिया, शिकायतोंका वर्गीकरण किया और उनके बारेमें उचित नियम बनाये। मजूर-महाजन गांधीजीके सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तोंके अनुसार काम करनेका प्रयत्न करता था। इसलिए जो शिकायतें महाजनके दफ्तरमें आतीं, उन्हें अच्छी तरह सुनकर सावधानीसे उनकी जांच की जाती थी, उनमें से जो सच्ची और उचित लगतीं उन्हींको हाथमें लिया जाता था और मिलोंके साथ सुलेहसे बातचीत करके शिकायतोंको दूर करानेका प्रयत्न किया जाता था।

शिकायतें दूर करानेकी पद्धति इस प्रकार थी। सबसे पहले जो शिकायतें आतीं उन्हें मजदूरोंके प्रतिनिधि मिलके अधिकारियोंके सामने रखते थे और जिन शिकायतोंका निबटारा इस तरह नहीं होता था उन्हें प्रतिनिधि मजूर-महाजनके दफ्तरमें लिखवाते थे। बादमें इन शिकायतोंके बारेमें महाजनके कार्यकर्ता मिलके अधिकारियोंसे और जरूरत पड़ने पर मालिकोंसे चर्चा करते थे; और अगर आवश्यक होता तो मिल-मालिक मंडलके सामने भी ये शिकायतें रखी जातीं थीं। वहां रखनेसे भी अगर वे दूर न होतीं, तो उन्हें पंचके सामने रखा जाता था। इस प्रकार मजदूरोंकी शिकायतें दूर करानेका कार्य पूर्णतया व्यवस्थित बना दिया गया था।

मजदूर-संगठनके सम्बन्धमें शिकायतोंका काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, इसलिए महाजनके विकासकी दृष्टिसे इस काम पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इस कामके व्यवस्थित हो जानेसे मजदूरोंकी तकलीफें दिनोंदिन अधिक संख्यामें दूर होने लगीं, जिससे महाजनके कार्यके प्रति मजदूरोंका उत्साह बढ़ने लगा। मजदूरोंमें उत्पन्न होनेवाली जागृतिके कारण उनकी कठिनाइयोंके बारेमें ज्यादा हकीकतें एकत्र होने लगीं और उनके निवारणके बारेमें किये जानेवाले सफल प्रयासोंके फलस्वरूप मजदूरोंकी स्थितिमें सुधार होनेसे उनकी शिकायतोंका प्रकार भी बदलने लगा। इसके सिवा, शिकायतोंके इस कामकी वजहसे महाजनके कार्यकर्ता मजदूरोंके संपर्कमें दिनोंदिन अधिक आने लगे। इससे मजदूरोंको महाजनके मूलभूत सिद्धान्त समझानेका, महाजनके लिए उनका विश्वास और प्रेम संपादन करनेका तथा उनके मानस-

निर्माणका कार्य स्वभावतः अच्छी तरह होने लगा। इसका फल यह हुआ कि मजदूर-संगठन उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली बनता गया।

सुमेल तथा पारिवारिक भावनाके लिए प्रयास

कुछ मिल-मालिक और अधिकारी समझदार थे और मजदूरोंके लिए हमदर्दी रखनेवाले थे। इसलिए शिकायतें दूर करानेके काममें उनकी ओरसे सहानुभूतिपूर्ण सहयोग मिलने लगा। मालिकों और मजदूरोंके सम्बन्ध मीठे और सुमेलपूर्ण हों तथा दोनोंके बीच पारिवारिक भावनाका विकास हो, इनके लिए महाजनके कार्यकर्ता सावधानीसे प्रयत्न करते थे। इनके परिणामस्वरूप मिल-उद्योगमें कुल मिलाकर शांतिका वातावरण बना रहने लगा। कुछ मिलोंमें मजदूरोंको मालिकोंसे दृढ़तापूर्वक लड़ना भी पड़ता था; परन्तु यह लड़ाई सत्य और अहिंसाके मार्ग पर लड़ी जाती थी, इसलिए अंतमें मालिकों और मजदूरोंके बीच सुखद सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे।

शिकायतें दूर करानेके कामके विषयमें ऐसी भावना रखनेसे तथा इस भावनाके अनुसार व्यवस्थित प्रयत्न करनेसे मजदूरोंको न्याय मिलने लगा और उनकी औद्योगिक स्थिति सुधरने लगी। मजदूर जनता तथा मजदूर-कार्यकर्ताओंके बीच पारिवारिक भावना बढ़ती गई, जो मजूर-महाजनके विकासके कार्यमें बड़ी सहायक सिद्ध हुई।

'मजूर-सन्देश'

मजदूरोंमें प्रचार करनेकी दृष्टिसे १९२३ में 'मजूर' नामक मासिकके तीन-चार अंक निकले थे, परन्तु उसके बाद परिस्थिति-वश वह बंद हो गया। १९२३ की हड़तालका अंत होने पर मैं सरभोण जाकर नरहरिभाई परीख वगैरा लोगोंके साथ वहांके काममें लग गया था। उस अरसेमें मजदूरोंके लिए एक साप्ताहिक पत्र निकालनेकी जरूरत गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाईको महसूस हुई। इसके लिए वे मेरी सलाह लेनेको सरभोण आये। उस समय अनसूयाबहन भी वहीं थीं। हमने चर्चा करके एक साप्ताहिक निकालनेका [illegible] किया और उसका नाम 'मजूर-संदेश' रखा।

दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

१९२२ में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें हुईं। एकका सम्बन्ध 'मतदाता-मंडल' की स्थापनासे था और दूसरेका सम्बन्ध 'मुहल्ला-महाजन' की स्थापनासे था। मजदूरोंके प्रतिनिधियोंने अभी अभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें प्रवेश पाया था। इसीलिए यह सोचा गया कि यदि मतदाताओंका एक मंडल स्थापित हो जाय, तो वह मजदूरोंके मुहल्लोंमें उनके आवश्यक कामोंका ध्यान रख सकता है। मिलोंमें महाजनोंकी स्थापना करने और चन्दा उगाहनेका काम तो चलता ही था। परन्तु वहाँ मिलके अधिकारी कठिनाइयाँ खड़ी करते थे, इसलिए स्वतंत्रतापूर्वक संगठनका काम हो नहीं पाता था। इसी कारणसे 'मुहल्ला-महाजन' का विचार उत्पन्न हुआ था। पहला 'मुहल्ला-महाजन' सरसपुरमें और दूसरा गोमतीपुरमें रखा गया था।

वार्षिक सभामें गांधीजी

१९२४ में गांधीजी जेलसे छूटे उसके बाद उन्होंने मजदूरोंकी सभा बुलाई थी और उसमें उन्हें प्रोत्साहन तथा उचित मार्गदर्शन

दिया था। उनके बाद भी वे समय समय पर मजदूरोंसे और उनके प्रतिनिधियोंसे मिलते रहते थे। ता० ६-९-'२५ की शामको मजदूरोंकी वार्षिक सभा रखी गई थी। उसी दिन सुबह उनके प्रतिनिधियोंकी भी एक सभा हुई थी। उस दिन गांधीजी मजदूर विद्यार्थियोंसे भी मिले थे।

सुबह प्रतिनिधियोंकी सभामें प्रतिनिधियोंने यह शिकायत की कि खराब सूत और उसकी वजहसे टूटनेवाले तारोंके सम्बन्धमें पंचने जो निर्णय दिये हैं, उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया जाता। इसके उत्तरमें गांधीजीने प्रतिनिधियोंसे कहा: "इस सबका इलाज आपके पास ही है। आप अपनी शक्तिको बढ़ाइये।" इसके बाद उन्होंने कहा: "मजूर-महाजनका सच्चा उद्देश्य लड़कर कुछ लेनेका नहीं, परन्तु स्वयं सुधर कर, अपनी शक्तिको बढ़ाकर लेनेका है। वैसे लड़ना तो आपको होगा ही। इतना मैंने इसलिए कहा कि आप फूलकर कुप्पा न हो जायं। फिर भी जितना कुछ आपने किया है, उसके लिए आप धन्यवादके पात्र हैं। अपने कामको आप लोग बढ़ाइये। आपकी वर्तमान स्थितिमें आप जो सुधार चाहते हैं, उसका आधार आपकी अपनी शक्ति पर है। इसलिए आप लोग अपनी शक्तिको बढ़ायें, अपने-आपको सुधारें।"

आगे सच्ची शिक्षा ग्रहण करनेका आग्रह करते हुए गांधीजीने मजदूरोंसे कहा: "शिक्षाका सच्चा अर्थ अक्षर-ज्ञान नहीं है। शिक्षाका अर्थ है जरूरी हिम्मत बढ़ाना, शिक्षाका अर्थ है आलसीपन छोड़ना। मजूर-महाजनको इसके लिए तैयार होना चाहिये। ऐसे गुणोंवाले दस मजदूर भी होंगे तो वे काफी होंगे।"

शामकी वार्षिक सभा बबूलके अमर वृक्षके नीचे हुई थी, जिसमें २५००० मजदूर उपस्थित थे। इस सभामें भी गांधीजीने मजदूरोंसे आग्रह किया कि वे अपनेको सुधारें और अपनी शक्तिको बढ़ायें। उन्होंने मजदूरोंको यह भी समझाया: "आप लोग मिलोंमें केवल मजदूर नहीं हैं। आप मिलोंकी हस्तीके लिए जिम्मेदार हैं। जब मिल-मालिकों पर सकट आ पड़े, जब उन्हें कम मुनाफा हो और वे बड़ी कठिनाईसे अपना व्यापार चला सकें, तब आपका यह फर्ज है कि

आप मालिकोंसे अधिक आशा न रखें। मैं ऐसे समयकी भी कल्पना कर सकता हूं, जब वफादार मजदूर पैसा लिये बिना अपने मालिककी सेवा करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको परेशान होनेकी जरूरत नहीं। हम जिन्दे हैं तब तक तो मिलको बन्द नहीं होने देंगे, तनख्वाह लिये बिना ही हम काम करेंगे।"

कटौती रद करनेकी मांग

१९२३ की वेतन-कटौती रद करानेके लिए मजदूरोंका मानस तैयार हो रहा था; वातावरण भी इसके अनुकूल बन रहा था। इसलिए मई १९२६ में थ्रॉसल-विभाग, बुनाई-विभाग, फ्रेम-विभाग, कार्ड-विभाग, ब्लो-विभाग और इंजीनियरिंग-विभागके प्रतिनिधियोंने एक प्रस्ताव पास किया और उसमें बताया कि अब १५॥ प्रतिशत कटौती रद करानेका समय आ गया है; और कटौतीके रद होनेसे जो रकम अधिक मिलेगी वह मजदूरोंको नकद न देकर उसका उपयोग मजदूरोंके लिए बनाये जानेवाले मकानोंकी योजनामें किया जाय।

समाज-सुधार संघकी स्थापना

१९२६ में 'मजदूर समाज-सुधार संघ' की स्थापना हुई। इस संघका उद्देश्य मजदूरोंमें व्यक्तिगत सुधारके लिए कार्य करना था। १२ वर्षसे ऊपरके कोई भी स्त्री-पुरुष चार आना वार्षिक चन्दा देकर इस संघके सदस्य हो सकते थे। ऐसे लोग भी इस संघके सदस्य बन सकते थे, जो मिल-मजदूर नहीं थे। सदस्य होनेकी यह शर्त थी: "सदस्य बननेके छह माह पूर्व जिसने शराब छोड़ दी हो, वही इस संघका सदस्य बन सकता है।" समाज-सुधारकी दिशामें इस संघने मजदूरोंमें काफी काम किया था।

बलवान कमजोरोंकी मदद करें

१८ अक्तूबर, १९२६ (रविवार) को सारे मजदूरोंकी सभाके बदले केवल प्रतिनिधि-मंडलकी वार्षिक सभा सत्याग्रह आश्रम साबरमती-में रखी गई। इसका कारण यह था कि उस वर्ष गांधीजीने यह [illegible] ली थी कि वे एक वर्ष तक सत्याग्रह आश्रम छोड़कर कहीं

जायेंगे नहीं। प्रतिनिधियोंकी इस सभामें मजूर-महाजनके आय-व्ययका प्रश्न उठने पर गांधीजीने सलाह दी : "मान लीजिये कि मिलके एक विभागमें अधिक आय हुई और दूसरेमें कम हुई, तो ऐसी स्थितिमें आपमें जो लोग अधिकसे अधिक बलवान हों वे कमजोरोंकी मदद करें। मजूर-महाजन इसीका नाम है। महाजनमें अगर बहुत पैसे इकट्ठे हो गये, तो आप उनका सदुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए मेरी तो आपको यह सलाह है कि जितने पैसे आप इकट्ठे करें उतने सब खर्च कर डालें। पाठशालामें या अस्पतालमें आप जितने भी पैसे खर्च करें उतने कम हैं।"

गांधीजीने प्रतिनिधियोंको यह सलाह भी दी कि वे अपनी शक्ति, योग्यता और कुशलताको बढ़ानेका प्रयत्न करें।

मजूर-महाजन आपका स्वराज्य है

गांधीजीने उनसे यह भी कहा "मजूर-महाजन आपका स्वराज्य ही है। ऐसा महाजन (संघ) भारतमें और कहीं नहीं है। परन्तु यह हमारे लिए अभिमानका कारण नहीं है। वीरान गांवमें एरंडका झाड़ भी महत्त्व धारण कर लेता है। यही बात हमें भी लागू होती है। आज हम एरंडके झाड़ जैसे हैं। हमारा यह झाड़ बड़के समान विशाल नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान वटवृक्ष बननेकी ओर रहना चाहिये।"

मजूर-महाजनकी रचनाका उद्देश्य समझाते हुए गांधीजीने कहा : "आप संस्थामें जितने अधिक होंगे उतने ही बलवान बनेंगे। लेकिन आपमें समझ कम है, इसलिए आप कमजोर हैं। इसीलिए आपको पैसे भी कम मिलते हैं। महाजनकी रचना इसलिए की गई है कि आपमें समझ आये। महाजनका अर्थ यह है कि महाजनकी मर्यादाको लांघकर कोई बाहर नहीं जा सकता। परन्तु यह काम किसीसे जबरन् थोड़े ही कराया जा सकता है? यह तो स्वेच्छासे करनेका काम है।"

कुमार-मंडल

वह जमाना ऐसा था जब छोटे छोटे, १२ वर्षसे भी कम आयुके लड़के मिलोंमें काम करने जाते थे। इससे बाल-मजदूरों और उनके

परिवारके लोगोंको पैसे तो मिलते थे, परन्तु लड़कोंका स्वास्थ्य खतरेमें पड़ जाता था और वे शिक्षाके लाभसे वंचित रह जाते थे। मजूर-महाजन और सरकारने इसे रोकनेका प्रयत्न किया, लेकिन यह प्रथा वंद नहीं हुई।

अनसूयावहनने इन बाल-मजदूरोंके लिए एक मंडलकी स्थापना-का विचार किया। इसके लिए उन्होंने जनवरी १९२७ में अहमदा-वादकी मिलोंमें काम करनेवाले बाल-मजदूरोंकी एक सभा अपने वंगले-के मैदानमें की। अनसूयावहनने उनसे कहा: "मजूर-महाजन वड़ी उमरके मजदूरोंके संपर्कमें आता है और उनके दुःख दूर करनेका यथाशक्ति प्रयत्न करता है। परन्तु यदि लड़के अपना मंडल स्थापित करनेकी इच्छा दिखायें, तो वह छोटे छोटे वालकोंके परिचयमें भी आ सकता है और उनके लिए कुछ कार्य भी कर सकता है। ऐसा हो तो आज लड़के अपना फुरसतका जो समय इधर-उधर भटकनेमें वरवाद करते हैं, उसका सदुपयोग हो और उन्हें अपनी जिन्दगी सुधारनेका, अच्छे मजदूर वननेका तथा सच्चे मनुष्य वननेके लिए प्रयत्न करनेका अव-सर प्राप्त हो।" इन लड़कोंने मंडलके लिए अपनी तैयारी वताई, इसलिए अनसूयावहनने उनका मंडल स्थापित करके उसका नाम 'मजूर कुमार मंडल' रखा तथा सवने छुट्टीके दिनोंमें मिलनेका निश्चय किया।

सारे मजदूर सदस्य वनें

१ सितम्बर, १९२८ को मजदूरोंके संयुक्त प्रतिनिधि-मंडलने कुछ महत्वके प्रस्ताव पास किये, जिनमें मिलोंमें मजूर-महाजनके विकासमें उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयोंका और उन्हें दूर करनेके उपायोंका उल्लेख किया गया। एक प्रस्तावमें कहा गया: "कुछ मिलोंके सतत विरोध-के कारण हमारे ऊपरी अधिकारियोंकी मनाहीके फलस्वरूप मजदूरोंकी इच्छा होते हुए भी वे मजूर-महाजनके सदस्य नहीं वन सकते। इसके साथ, कुछ मजदूर संगठनके रहस्यको न समझनेके कारण महाजनके कार्यमें भाग नहीं लेते, जिससे मजदूर-वर्गको वड़ा नुकसान होता है। इन परिस्थितियोंमें तात्कालिक प्रयत्न द्वारा एक-एक मजदूरको महाजनमें शामिल करके महाजनको मजवूत वनाना वहुत आवश्यक है। इसलिए

यह प्रतिनिधि-मंडल प्रस्ताव पास करता है कि जिन मिलोंमें ६० प्रतिशत-से अधिक मजदूर महाजनके सदस्य हों और बाकी मजदूर महाजनके सदस्य न हों, उनमें ऐसे मजदूरोंको समझा-बुझाकर महाजनके सदस्य बनानेका प्रयत्न किया जाय।"

स्वयंसेवक-दल

अब मजूर-महाजनका काम अनेक दिशाओंमें विकास कर रहा था। समाज-सुधारका काम भी, जिसमें मद्य-निषेध और ऋणमुक्तिको प्रधानता दी गई थी, वह भलीभांति करने लगा था। परन्तु केवल मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंसे यह काम पूरा नहीं हो सकता था। इसके सिवा, मजदूरोंमें भी उत्साही और सेवाभावी युवक थे, जो सेवा करनेके लिए उत्सुक थे। इसलिए मजूर-महाजनने एक स्वयंसेवक-दल खड़ा करनेका विचार किया। सितंबर १९२८में संयुक्त प्रतिनिधि-मंडलकी सभाने इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया।

इस स्वयंसेवक-दल अथवा सेवादलके तीन विभाग करनेकी योजना बनाई गई थी। इनमें से पहले विभागको कवायद और व्यायामकी तालीम देनेका निश्चय किया गया। दूसरे विभागको मजूर-महाजनके विकासकी जिम्मेदारी सौंपनेका निश्चय किया गया। तीसरे विभाग-को समाज-सुधारका काम देनेका निश्चय किया गया। दूसरे और तीसरे विभागको प्राथमिक तालीम देनेकी और तालीमके बाद उसे माहमें एक बार निर्धारित कार्यके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करनेके लिए बुलानेकी व्यवस्था की गई। इस दलमें भरती होनेके लिए वय-मर्यादा १६ वर्षकी और उससे ऊपरकी रखी गई थी। स्वयंसेवकोंको गणवेश देनेका भी निर्णय किया गया था।

आरंभमें इस दलमें २०० स्वयंसेवक भरती हुए। उन्होंने सुव्यव-स्थित तालीम लेना शुरू किया और इस तरह सेवाकी पूरी तैयारी की। दिनोंदिन स्वयंसेवक-दलकी प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसके द्वारा मजूर-महाजनकी तथा मजदूरोंकी विविध प्रकारसे सेवा होने लगी। नटवरलाल भट्ट १९२४में शिक्षकके रूपमें महाजनमें शरीक हुए। परन्तु बादमें

उन्होंने संचालनका काम खूबीसे किया, जिसे वे आज तक कुशलतासे कर रहे हैं।

१९२३ में जो हड़ताल हुई उसका शिक्षण-कार्य पर बुरा असर हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मजूर-महाजनकी स्थिति सुधरती गई वैसे वैसे शिक्षणका भी विकास होता गया। १९२३ के बाद शिक्षाके क्षेत्रमें दो उल्लेखनीय प्रवृत्तियां आरंभ हुईं : बाल-मंदिर और कन्यागृह।

बाल-मंदिर

१९२५ के अंतमें मजूर-महाजनने एक बाल-मंदिर भी खोला था। उसमें ३ से ७ वर्षके बालकोंको भरती किया जाता था और उन्हें मॉन्टे-सोरी पद्धतिसे शिक्षा दी जाती थी। जो बालक चलने-फिरने लगे हों और फिर भी जिनकी उमर प्राथमिक शालामें रखने जैसी न हो, उनके लिए यह बाल-मंदिर खोला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था : 'ऐसे जो बालक घरे रहते थे, मुहल्लोंमें या मिलोंमें भटकते फिरते थे और इस प्रकार जिन पर कुसंस्कार पड़ते थे, उन्हें बाल-मंदिरमें आनेसे अच्छे संस्कार मिलें और उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों-का विकास हो।' धीरे धीरे इस बाल-मन्दिरने प्रगति की। १९२८ में उसमें ४१ लड़के और २७ लड़कियां — कुल ६८ बालक हो गये थे।

इसी तरह केलिको और ज्युबिली मिलमें भी बाल-मंदिर शुरू किये गये थे। इन पर भी मजूर-महाजनके शिक्षा-विभागकी देखरेख रहती थी। बिलकुल छोटे बच्चोंकी शिक्षाका यह कार्य वास्तवमें मजदूर-जीवनके निर्माणका बुनियादी कार्य था।

कन्यागृह

शिक्षाके क्षेत्रमें दूसरी एक वृद्धि हुई कन्यागृहकी। अनसूयाबहनके मिरजापुरवाले बंगलेके सामने जो बाल-मंदिर चलाया जाता था, उसके साथ आमने-सामने बनी हुई कोठरियोंकी दो चालें थीं। उनमें इस कन्यागृहका आरंभ किया गया।

मेरे बहनोई जमनादास भगवानदासने कन्याशिक्षा तथा उपयोगी साहित्य तैयार करानेके लिए एक लाख रुपयेका ट्रस्ट स्थापित किया और मुझे उसका ट्रस्टी नियुक्त किया था।

१९२२ में मैं जेलमें था उस समय मेरे बहनोईकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु तथा ट्रस्ट सम्बन्धी सॉलिसिटरका पत्र मुझे जेलमें मिला था। मेरे मनमें यह विचार आया कि इस ट्रस्टके पैसेसे वनिता-विश्राम-की अथवा ऐसी किसी अन्य संस्थाकी सहायता की जाय। इस विषयमें मैंने जेलमें गांधीजीकी सलाह ली।

उन्होंने मुझसे कहा: "उच्च वर्णोंकी स्त्रियोंके लिए तो कोई न कोई व्यवस्था हो ही जाती है। इसलिए इस धनसे यदि हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियोंकी कन्याओंके लिए किसी शिक्षण-संस्थाकी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा।" गांधीजीका यह विचार मुझे पसंद आया और बहुत आकर्षक लगा। परन्तु ऐसी संस्थाकी स्थापना तथा संचालनके लिए कुशल और समझदार संचालक कैसे प्राप्त किया जाय? इस सम्बन्धमें मैंने गांधीजीसे सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि संस्थाका संचालन कर सके ऐसी कोई महिला तो मिल जायगी, परन्तु यदि अनसूयाबहन ही यह काम हाथमें ले लें और इस पर देखरेख रखें, तो सारी व्यवस्था तुरन्त हो जाय। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि जेलसे मुक्त होनेके बाद यह बात मैं अनसूयाबहनके सामने रखूं। अतः जेलसे छूटनेके बाद मैंने यह प्रस्ताव अनसूयाबहनके सामने रखा। कठिन होने पर भी यह बात उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने एक कन्या-छात्रालयकी स्थापनाका निश्चय किया।

आरंभमें कोई संचालिका प्राप्त करनेके बजाय छात्रालयके लिए कन्यायें प्राप्त करनेमें हमें अधिक कठिनाई हुई। माता-पिता दिन-रात छात्रालयमें रहनेके लिए अपनी कन्यायें सौंपें तभी न छात्रालय चले। इस सम्बन्धमें हम हरिजनोंके नेताओंसे बात किया करते थे। हमारी बात केशवजीके गले उतरी और उन्होंने अपनी तेजी और सविता नामकी पुत्रियोंको छात्रालयमें रखनेका निर्णय किया। इसी प्रकार राय-खड़ मुहल्लेमें रहनेवाले वीराजी भगतने अपनी पुत्रीको छात्रालयमें भेजनेकी सूचना हमें दी। बस, इन तीन लड़कियोंसे ही हमारे कन्या-छात्रालयका शुभ आरंभ हुआ। इसका नाम 'जमनादास .. कन्या-छात्रालय' रखा गया।

उन्होंने सेवादलका काम हाथमें ले लिया, जिसे वे आज तक कुशलतासे कर रहे हैं।

१९२३ में जो हड़ताल हुई उसका शिक्षण-कार्य पर बुरा असर हुआ था। लेकिन जैसे जैसे महाजनकी स्थिति सुधरती गई वैसे वैसे शिक्षाका भी विकास होता गया। १९२३ के बाद शिक्षाके क्षेत्रमें दो उल्लेखनीय प्रवृत्तियां आरंभ हुईं : बाल-मंदिर और कन्यागृह।

बाल-मंदिर

१९२५ के अंतमें मजूर-महाजनने एक बाल-मंदिर भी खोला था। उसमें ३ से ७ वर्षके बालकोंको भरती किया जाता था और उन्हें मॉन्टेसोरी पद्धतिसे शिक्षा दी जाती थी। जो बालक चलने-फिरने लगे हों और फिर भी जिनकी उमर प्राथमिक शालामें रखने जैसी न हो, उनके लिए यह बाल-मंदिर खोला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था : 'ऐसे जो बालक गंदे रहते थे, मुहल्लोंमें या मिलोंमें भटकते फिरते थे और इस प्रकार जिन पर कुसंस्कार पड़ते थे, उन्हें बाल-मंदिरमें आनेसे अच्छे संस्कार मिलें और उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियोंका विकास हो।' धीरे धीरे इस बाल-मंदिरने प्रगति की। १९२८ में उसमें ४१ लड़के और २७ लड़कियां — कुल ६८ बालक हो गये थे।

इसी तरह केलिको और ज्युबिली मिलमें भी बाल-मंदिर शुरू किये गये थे। इन पर भी मजूर-महाजनके शिक्षा-विभागकी देखरेख रहती थी। बिलकुल छोटे बच्चोंकी शिक्षाका यह कार्य वास्तवमें मजदूर-जीवनके निर्माणका बुनियादी कार्य था।

कन्यागृह

शिक्षाके क्षेत्रमें दूसरी एक वृद्धि हुई कन्यागृहकी। अनसूयाबहनके मिरजापुरवाले बंगलेके सामने जो बाल-मंदिर चलाया जाता था, उसके साथ आमने-सामने बनी हुई कोठरियोंकी दो चालें थीं। उनमें इस कन्यागृहका आरंभ किया गया।

मेरे बहनोई जमनादास भगवानदासने कन्याशिक्षा तथा उपयोगी साहित्य तैयार करानेके लिए एक लाख रुपयेका ट्रस्ट स्थापित किया और मुझे उसका ट्रस्टी नियुक्त किया था।

१९२२ में मैं जेलमें था उस समय मेरे बहनोईकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु तथा ट्रस्ट सम्बन्धी सॉलिसिटरका पत्र मुझे जेलमें मिला था। मेरे मनमें यह विचार आया कि इस ट्रस्टके पैसेसे वनिता-विश्राम-को अथवा ऐसी किसी अन्य संस्थाको सहायता की जाय। इस विषयमें मैंने जेलमें गांधीजीकी सलाह ली।

उन्होंने मुझसे कहा: "उच्च वर्गोंकी स्त्रियोंके लिए तो कोई न कोई व्यवस्था हो ही जाती है। इसलिए इस धनसे यदि हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियोंकी कन्याओंके लिए किसी शिक्षण-संस्थाकी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा।" गांधीजीका यह विचार मुझे पसंद आया और बहुत आकर्षक लगा। परन्तु ऐसी संस्थाकी स्थापना तथा संचालनके लिए कुशल और समझदार संचालक कैसे प्राप्त किया जाय? इस सम्बन्धमें मैंने गांधीजीसे सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि संस्थाका संचालन कर सके ऐसी कोई महिला तो मिल जायगी, परन्तु यदि अनसूयाबहन ही यह काम हाथमें ले ले और इस पर देखरेख रखें, तो सारी व्यवस्था तुरन्त हो जाय। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि जेलसे मुक्त होनेके बाद यह बात मैं अनसूयाबहनके सामने रखूं। अतः जेलसे छूटनेके बाद मैंने यह प्रस्ताव अनसूयाबहनके सामने रखा। कठिन होने पर भी यह बात उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने एक कन्या-छात्रालयकी स्थापनाका निश्चय किया।

आरंभमें कोई संचालिका प्राप्त करनेके बजाय छात्रालयके लिए कन्यायें प्राप्त करनेमें हमें अधिक कठिनाई हुई। माता-पिता दिन-रात छात्रालयमें रहनेके लिए अपनी कन्यायें सौंपें तभी न छात्रालय चले। इस सम्बन्धमें हम हरिजनोंके नेताओंसे बात किया करते थे। हमारी बात केशवजीके गले उतरी और उन्होंने अपनी तेजी और सविता नामकी पुत्रियोंको छात्रालयमें रखनेका निर्णय किया। इसी प्रकार रायखड़ मुहल्लेमें रहनेवाले वीराजी भगतने अपनी पुत्रीको छात्रालयमें भेजनेकी सूचना हमें दी। बस, इन तीन लड़कियोंसे ही हमारे कन्या-छात्रालयका शुभ आरंभ हुआ। इसका नाम 'जमनादास भगवानदास कन्या-छात्रालय' रखा गया।

विकास व सुधार

१९३१ के दिसंबर महीनेमें मजूर-महाजनकी सदस्य-संख्या २५,००० थी, जो घटकर १९३२ में १९२९० हो गई थी। परन्तु उत्साह और लगनसे मजदूरोंमें जोरदार प्रचार करनेके कारण १९३६ के अंतमें महाजनकी सदस्य-संख्या २९,०३० तक पहुंच गई और १९३८ के अंतमें १००७५ हो गई थी।

१९२९ में भाई खंडूभाई और शामप्रसाद वसावड़ा मजूर-महाजनमें शरीक हुए। इनकी सेवा महाजनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। संस्थाके कामकाजमें उसके कार्यकर्ताओंका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। सौभाग्यसे इस संस्थाके कामकाजके लिए समय समय पर ऊंची भावनावाले शक्ति-संपन्न कार्यकर्ता मिलते रहे हैं, जो उसके कार्यकी उत्तरोत्तर प्रगतिमें सहायक सिद्ध हुए हैं।

१९२३ की वेतन-कटौतीको रद करनेकी बात गांधीजी तथा सेठ मंगलदासके बने पंचके सामने रखी गई। लेकिन दोनों पंच कटौती रद करनेके प्रश्न पर सहमत न हो सके, इसलिए अंतिम निर्णयके लिए यह प्रश्न सरपंच दीवान बहादुर कृष्णलाल झवेरीके सामने रखा गया।

मिलों द्वारा खड़ी की जानेवाली बाधा

इस वर्षके अंतिम महीनोंमें ऐसी अनेक मिलोंमें, जहां अभी तक महाजनकी स्थापना नहीं हुई थी, महाजन बनने लगे और उनका तेजीमें विकास होने लगा। किन्तु कुछ मिलोंमें महाजनकी स्थापनाके लिए सीधी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। ३० अक्तूबरको महाजनके संयुक्त प्रतिनिधि-मंडलने इस बारेमें एक प्रस्ताव पास किया कि कुछ मिलें महाजनकी रचनामें बाधक बनती हैं और यह प्रस्ताव मिल-मालिक मंडलके पास भेज दिया। परन्तु मिल-मालिक मंडलने मिलोंमें मजूर महाजनका चंदा न उगाहने देनेके बारेमें मिलोंको छूट दी, इसलिए यह प्रश्न पंचोंके सामने रखनेका निर्णय किया गया।

उस समय पंचोंके रूपमें गांधीजी और सेठ मंगलदास काम कर रहे थे। इन पंचोंने यह फैसला दिया कि कोई भी मिल मजदूर-संगठन-के काममें विघ्न खड़ा न करे और संगठनका काम स्वतंत्रतासे होने दे। महाजनकी सदस्यताका चंदा हर वेतन पर उसकी दरके मुताबिक मिल वसूल कर ले और महाजन जो रसीद दे वह मिल अपने मज-दूरोंको दे दे।

इस प्रकार मजूर-महाजनकी सदस्य-संख्यामें जो भाटा आया था, वह धीरे धीरे ज्वारमें बदलता गया।

२६

मजदूर-मुहल्लोंकी स्थिति और उसमें सुधार

गांधीजीने स्वराज्य-प्राप्तिके लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया उनके बाद कांग्रेसके कामकाजकी जिम्मेदारी असहयोगी कार्यकर्ता उठाने लग गये थे। इसके अलावा, उन्होंने म्युनिसिपैलिटीकी स्थानीय स्वराज्यकी संस्थाओंके कामकाजमें भी सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। कांग्रेसने जनताकी सेवा भलीभांति करनेके लिए ही स्थानीय स्वराज्यके क्षेत्रमें प्रवेश किया था। १९२४ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके सदस्योंका चुनाव होनेवाला था। इस चुनावमें कांग्रेसकी शहर-समितिने कांग्रेसकी ओरसे उम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय किया।

मजदूरोंकी मुश्किलें

अहमदाबादमें आधी आबादी मजदूरोंकी थी। म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे दी जानेवाली सुख-सुविधायें मजदूर-मुहल्लोंमें बहुत कम पहुंच पाती थीं। पानी, पाखाने, सफाई, दीया-बत्ती, अस्पताल, दवाखाने, प्रसूति-गृह, शिक्षा आदि नागरिकोंकी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेका काम म्युनिसिपैलिटीका होता है। सामान्य स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि शहरके जिन लोगोंमें उपर्युक्त बातोंकी उचित सुविधा न हो और इस कारण जहां लोगोंको कष्ट भोगना पड़ता हो, वहां ये सुविधायें जल्दीसे जल्दी खड़ी करनेका प्रयत्न होना चाहिये। गांधीजी तो चाहते थे कि जीवनकी प्राथमिक जरूरतोंसे सम्बन्धित सुविधायें किसी भी प्रकारके भेदभावके बिना सब नागरिकोंको मिलनी चाहिये। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि मजदूरों और गरीबोंकी तरफ म्युनिसिपैलिटीके सदस्यों और अधिकारियोंका ध्यान शायद ही जाता था। इसलिए जीवनकी प्राथमिक जरूरतोंके बारेमें भी उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ते थे। मजूर-महाजनके ध्यानमें यह बात आई कि यदि मजदूरोंके प्रतिनिधि म्युनिसिपैलिटीमें हों तो मजदूर-मुहल्लोंमें भोगी जाने-

वाली तकलीफोंकी ओर ध्यान खींचकर उन्हें दूर करानेके लिए उचित कदम उठाये जा सकते हैं।

प्रथम मजदूर उम्मीदवार

इसलिए इस चुनावमें मजूर-महाजनने कचराभाई भगन नामक एक हरिजन मजदूरको उम्मीदवारके रूपमें खडा करनेका निर्णय किया। मजदूर भी नागरिकोंके नाते म्युनिसिपैलिटीके कामकाजमें दिलचस्पी लेने लगें, उसके सम्बन्धमें अपनी जिम्मेदारियोंको समझें, अपने मतका अच्छा उपयोग करना सीखें और आगे चलकर राजनीतिक क्षेत्रमें धारा-सभाओंमें भी समझदारीसे अपना मत देने लगें — ऐसी सामाजिक और राजनीतिक तालीम मजदूरोंको मिले, इसी दृष्टिसे इस दिशामें प्रयत्न करनेके लिए मजूर-महाजन प्रेरित हुआ।

स्वराज्यकी लड़ाईके सम्बन्धमें अस्पृश्यता-निवारणका कार्य बडा महत्त्वपूर्ण माना जाता था। १९२२ में सामुदायिक सत्याग्रहकी योग्यताका निर्णय करनेके लिए जो शर्तें रखी गई थी, उनमें इस कार्यका भी समावेश किया गया था। फिर भी अस्पृश्यता-निवारणकी स्थितिमें अभी तक वाछनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। चुनावके इस वर्षमें काग्रेसके कार्यकर्ताओंके मनमें भी भीतर ही भीतर अस्पृश्य मानी जानेवाली जातियोंके बारेमें कुछ अरुचि तो थी ही, इसलिए जब मजूर-महाजनने एक हरिजनके नामकी सिफारिश की, तो काग्रेसी मडलमें थोडा असतोष पैदा हुआ।

वल्लभभाई पटेल तो अस्पृश्यताके विरोधी थे ही। परन्तु उनके साथियोंमें हरिजन उम्मीदवारको लेकर असतोष पैदा हुआ, इसलिए उसका स्वीकार न होनेकी स्थिति खड़ी हो गई। इधर मजूर-महाजनका निश्चय तो पक्का ही था और वल्लभभाई इसे जानते थे। वे यह भी जानते थे कि यदि हरिजन उम्मीदवार कचराजीका उम्मीदवारी-पत्र स्वीकार न किया गया, तो मजूर-महाजन मजदूरोंके मुहल्लोंने अपने अलग उम्मीदवार खड़े करनेको प्रेरित हो सकता है। उस समयका वातावरण कुछ ऐसा ही था। इन सारी परिस्थितियोंकी कल्पना वल्लभभाईने अपने साथियोंको कराई और कचराजीको उम्मीदवारके रूपमें स्वीकार कर लेनेके लिए उन्हें समझाया।

निर्विरोध चुनाव

कचराजी लक्ष्मी कॉटन मिलके थ्रॉसल-विभागमें 'पीसर' के रूपमें काम करते थे। वे सरसपुर वार्डसे खड़े हुए थे और एक ब्राह्मण मिल-मजदूर तथा एक पाटीदार मिल-मजदूरने उनका समर्थन किया था। उस वार्डसे कचराजीके साथ दो कांग्रेसी उम्मीदवार भी खड़े हुए थे। कचराजीके खिलाफ दूसरे कोई उम्मीदवार खड़े ही नहीं हुए, इसलिए अन्य दो उम्मीदवारोंके साथ कचराजी निर्विरोध चुन लिये गये। किसी हरिजनका म्युनिसिपैलिटीका सदस्य बनना उन दिनों बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कार्यकर्ताओं तथा मजदूरोंमें आनन्द और उत्साहकी बाढ़ आ गई।

इस चुनावके कामके समय मजदूर-मुहल्लोंमें स्थापित किये गये 'मजदूर मतदाता मंडलों' के चार हजार सदस्य दर्ज किये गये थे।

परिवर्तन होने लगे

कचराजी म्युनिसिपैलिटीके सदस्य बने उसके बाद मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंने भरसक ऐसे प्रयत्न शुरू किये, जिससे मजदूर-मुहल्लोंमें मजदूरोंको म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों। कचराजीके म्युनिसिपैलिटीमें पहुंच जानेसे मजदूर-मुहल्लोंमें जिन सुविधाओंकी जरूरत थी, उनके सम्बन्धमें काम करना सरल हो गया। विभिन्न बातोंकी ओर कांग्रेस पार्टीका तथा म्युनिसिपल अधिकारियोंका ध्यान खींचकर यथासंभव सुधार करानेका प्रयत्न किया गया। कभी कभी मजदूरोंकी शिकायतें दूर करानेमें कठिनाई होती थी, परन्तु कुल मिलाकर म्युनिसिपल अधिकारियोंका रुख शिष्टता-पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रहता था। मजदूर-मुहल्लोंमें रास्तों, दीया-बत्ती, पानी, पाखानों वगैराके बारेमें कुछ दूर तक कदम उठाये जाने लगे। इनसे मजदूर-वर्गमें भी जागृति आने लगी और म्युनिसिपल कामोंके लिए उनमें रस पैदा होने लगा। मजदूर म्युनिसिपैलिटीकी जिम्मेदारी और कामोंके विषयमें अजान थे और म्युनिसिपैलिटीसे [illegible] हो गये थे। आरंभमें जब महाजनकी ओरसे [illegible] [illegible]ोंको अनुकूलताके [illegible] बारेमें [illegible]:

"चलता है, यह तो ऐसा ही चलता है। हमारी कोई शिकायत नहीं है।" लेकिन अब उनकी इस वृत्तिमें वांछनीय परिवर्तन होने लगा।

प्रचारसे जागृति आई

चुनावके लिए मतदाताओंके रूपमें मजदूरोंके नाम दर्ज किये जायं और चुनावके समय उम्मीदवारकी योग्यताका खयाल करके मत दिया जाय, तो ही चुनावका उद्देश्य पूरा हो सकता है। परन्तु उस समय अनेक मजदूरोंके नाम मतदाताके रूपमें दर्ज ही नहीं हो पाते थे। जिनके नाम सूचीमें दर्ज न हुए हों, उनके नाम दर्ज करानेका प्रयत्न कौन करे? चुनावके समय उम्मीदवारोंको इस विषयमें दिलचस्पी हो, तो वे इस दिशामें प्रयत्न करते थे। हो सकता है कि जिनके नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज हो चुके हों, उन्हें अपने मतके महत्त्वका ज्ञान भी न हो। और स्वतंत्र रूपसे अपना मत देनेकी स्थिति भी उस समय मतदाताओंकी नहीं थी। मिलके अधिकारी, चालके मालिक या जमादार जिसे मत देनेको कहते, उसे ही मजदूरोंको अपना मत देना पड़ता था। सामान्यतः कोई मजदूर उनकी बातका निरादर करके स्वतंत्र रूपसे किसी उम्मीदवारको मत देनेकी हिम्मत नहीं कर सकता था। धीरे-धीरे इस स्थितिमें परिवर्तन होने लगा। महाजनके प्रचारसे मजदूरोंमें जागृति आई और ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें समझदार मजदूर स्वतंत्र रूपसे अपना मत दे सकें।

शहरकी आबादीमें मजदूरोंकी संख्या काफी होनेके कारण यदि वे समझ-बूझकर अपना मत दें, तो चुनाव पर अच्छा असर डाल सकते हैं—यह बात मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओं तथा धीरे धीरे कांग्रेसके कार्यकर्ताओंकी समझमें भी आने लगी थी। इसलिए चुनावमें मजदूर मतदाताओंके मतकी कीमत होने लगी थी।

१९२७ का चुनाव

१९२७ में फिर चुनावका मौका आया। उस वर्ष भी कांग्रेसकी शहर-समितिकी ओरसे उम्मीदवार खड़े करनेका निश्चय हुआ। १९२४ के चुनावके समय असहयोग आन्दोलनके कारण वातावरण कांग्रेसके पक्षमें था। इसलिए साधारण तौर पर कांग्रेसी उम्मीदवारके खिलाफ खड़े

होनेकी वृत्ति लोगोंमें वहुत कम थी; और यदि कोई खड़े भी होते, तो उन्हें मत मिलनेकी वहुत कम संभावना थी। परन्तु इसके तीन वर्ष वाद वातावरण वदल गया था। उस जमानेमें कुछ सदस्य तो म्युनिसिपैलिटीमें सरकारकी ओरसे नियुक्त किये ही जाते थे, लेकिन उनके साथ सरकारके प्रति सहानुभूति रखनेवालों अथवा स्वतंत्र शहरियोंके भी अच्छी संख्यामें खड़े होनेकी संभावना रहती थी। इनमें मिल-मालिक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर आदि धनी और बुद्धिशाली नागरिक भी थे, जिनका चुनावमें कांग्रेसी उम्मीदवारोंको सामना करना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियोंमें विचारशील कार्यकर्ताओंको लगने लगा कि मजदूर-मतदाताओंका साथ चुनावमें सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके फलस्वरूप मजूर-महाजनका साथ लेनेका कांग्रेसने फैसला किया और वल्लभभाईने इस विषयमें अनसूयावहनसे वातचीत भी की। उन्होंने सद्भावसे सुझाया कि मजूर-महाजन चुनावमें कांग्रेसकी मदद करे और अनसूयावहन स्वयं इस चुनावमें खड़ी रहें।

प्रलोभनसे दूर

मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंको इससे वड़ी प्रसन्नता हुई, परन्तु थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। महाजनके साथ कांग्रेसका सम्वन्ध कुल मिलाकर अच्छा था। महाजनके सभी कार्यकर्ता कांग्रेसके सदस्य थे। असहयोगकी लड़ाईमें उन लोगोंने भाग भी लिया था। इसलिए दोनोंके सम्वन्ध अच्छे होना स्वाभाविक माना जायगा। किन्तु महाजनके कार्यके प्रति जितनी और जैसी सहानुभूति कांग्रेसकी होनी चाहिये वैसी मालूम नहीं होती थी। फिर भी यह विचार स्वागतके योग्य तो था ही। कांग्रेस और मजूर-महाजन एक-दूसरेसे मिलकर प्रयास करते, तो स्पष्ट था कि दोनोंका कार्य अधिक कार्यक्षम वनता। इसलिए इस सुझावसे महाजनके कार्यकर्ताओंके मन पर अच्छा असर पड़ा। वल्लभभाईके सुझावके लिए अनसूयावहनने उनका आभार माना, परन्तु कहा कि उम्मीदवारके रूपमें खड़े रहनेकी उनकी इच्छा नहीं है। उनकी दृष्टिके सामने तो गांधीजीकी यह सलाह हमेशा वनी रहती थी कि मजदूरोंका काम शुद्ध सेवाकी भावनासे ही किया

जाना चाहिये। मजदूरोंका काम करनेसे उनका पृष्ठबल आसानीसे खड़ा हो सकता है और उस पृष्ठबलसे प्रतिष्ठा, स्थान, पद आदि प्राप्त करनेकी वृत्ति स्वभावतः किसीकी भी हो सकती है। परन्तु अनसूयाबहनका मन तो शुरूसे ही इससे दूर था, और गांधीजीने सेवा तथा सरदारीका भेद उन्हें समझाया, उसके बाद तो उनके मनमें यह प्रलोभन कभी आया ही नहीं। इसलिए उन्होंने चुनावमें उम्मीदवारके रूपमें खड़े होनेसे इनकार कर दिया। वल्लभभाईका आग्रह इसलिए था कि यदि अनसूयाबहन म्युनिसिपैलिटीमें होंगी, तो मजदूरोंकी पानी, पाखाने वगैराकी जरूरतें पूरी करनेका काम अच्छी तरह हो सकेगा। यह दलील समझमें आने जैसी थी, परन्तु इससे अनसूयाबहनका मन उम्मीदवार बननेको तैयार नहीं हुआ। उन्होंने सरल भावसे कहा: "आप सब म्युनिसिपैलिटीमें जा रहे हैं; आप मजदूरोंकी जरूरतें पूरी करनेका काम अवश्य ही करेंगे। तब मेरे वहां जानेसे अधिक क्या हो जायगा?" यह उत्तर सबके मनको संतोष देनेवाला था और उसका असर भी सब पर अच्छा ही हुआ।

स्नानघरोंका प्रबन्ध

अनसूयाबहनके इस उत्तरके बाद वल्लभभाईने अधिक आग्रह नहीं किया, परन्तु उनसे कहा कि अपने अनुभवके आधार पर वे बतायें कि मजदूरोंकी किन किन जरूरतों पर विचार किया जाना चाहिये। अनसूयाबहनने एक बात तुरन्त उनके सामने रखी, जो उनकी आंखोंके सामने तैर रही थी। उन्होंने वल्लभभाईसे कहा कि मजदूर-मुहल्लोंमें नहाने-धोनेके ऐसे कोई सुविधापूर्ण स्थान नहीं हैं, जहां मजदूर स्त्रियां अपनी मर्यादाकी रक्षा करते हुए स्नान कर सकें। इससे उन्हें अपार कष्ट होता है। इसलिए दूसरी जो भी सुविधायें आप खड़ी कर सकें करें, परन्तु स्नानघरोंका प्रबन्ध तो हर मुहल्लेमें होना ही चाहिये। वल्लभभाई इस प्रबन्धकी आवश्यकताको तुरन्त समझ गये। उन्होंने इस दिशामें भरसक प्रयत्न करनेका वचन दिया और कहा कि इसके सिवा जो जो बातें विचार करने जैसी हों, उनकी एक सूची बनाकर उनके पास भेज दी जाय।

की थी। म्युनिसिपैलिटीमें प्रवेश करनेके बाद इन लोगोंने वल्लभभाईकी सम्मतिसे स्वतंत्र पार्टी (इंडिपेन्डेन्ट पार्टी) की रचना की और उसके द्वारा म्युनिसिपैलिटीके कार्यके विकासके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। उस समय कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टीके सदस्योंके सिवा म्युनिसिपैलिटीमें सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए कुछ पुराने सदस्य भी थे। ये सदस्य कांग्रेस तथा स्वतंत्र पार्टीके सदस्योंके साथ मिलकर सहयोगसे काम करने लगे।

स्वतंत्र पार्टीके अध्यक्ष अंबालालभाई थे और पेस्तनशा वकील तथा गुलजारीलाल नंदा उसके मंत्री थे। मजूर-महाजनकी ओरसे म्युनिसिपैलिटीमें चुने गये प्रतिनिधि वल्लभभाईकी इच्छासे नंदाके साथ स्वतंत्र पार्टीमें जुड़ गये थे। इन दोनों पार्टियोंके सहयोगसे म्युनिसिपैलिटीके कामके बारेमें कुछ प्रगतिकारक विचार-विमर्श हो सका, अच्छी योजनायें बनाई जा सकी और उनके अनुसार कार्य भी होने लगा।

वल्लभभाईका त्यागपत्र

परन्तु कुछ समय बाद इन दोनों पक्षोंके बीच कुछ बातोंको लेकर मतभेद खड़ा हो गया। जब गांधीजीके कानों पर यह बात आई तो उन्होंने यह मत प्रकट किया कि मजूर-महाजनकी ओरसे चुने गये सदस्य कांग्रेस पक्षके साथ ही रहने चाहिये। दीर्घ दृष्टिसे सोचने पर गांधीजीकी यह बात उचित ही थी। परन्तु उस समयके कलुषित वातावरणमें हमें इस बातका महत्त्व समझमें नहीं आया और कांग्रेसके सदस्योंके साथ सुमेल स्थापित नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप स्थिति विषम हो गई। अप्रैल १९२८ में म्युनिसिपैलिटीके चीफ ऑफिसरकी नियुक्तिके विरोधमें वल्लभभाई पटेलने म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष-पदसे त्यागपत्र दे दिया। यह घटना सचमुच खेदजनक थी।

कांग्रेस और इन्टुकके सम्बन्ध

आज इस प्रश्नका विचार करने पर लगता है कि कांग्रेस और मजूर-महाजन दोनों स्वतंत्र संस्थायें होते हुए भी दोनों गांधीजीकी भावना, उनके सिद्धान्तों और नीतिमें श्रद्धा रखती हैं। इसलिए इन

दोनों संस्थाओं तथा इनके सदस्योंके बीच परस्पर प्रेम और सद्भाव बना रहे और दोनों संस्थायें म्युनिसिपैलिटी तथा आम जनताके हितके कार्योंके लिए परस्पर सहयोगसे प्रयत्न करें, तो इससे दोनों संस्थाओंका और आम जनताका भी कल्याण होगा। गांधीजीके इस विचारका महत्त्व बादमें धीरे धीरे कांग्रेस और इन्टुककी मजदूर-संस्थाओंके ध्यानमें आने लगा। इन संस्थाओंकी कार्यकारिणी समितियोंने ऐसी नीति अपनानेके नियम बनाये, जिससे ये दोनों संस्थायें और इनके सदस्य एक-दूसरेके सहायक हो सकें, और इन नियमोंके अनुसार चलनेके प्रयत्न भी होते रहे।

सुधारोंकी दिशामें प्रगति

उपर्युक्त घटना हो जानेके बाद भी मजदूर-मुहल्लोंकी स्थितिको सुधारनेके प्रयत्न म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे होते रहे। १९२७ के बाद मजदूरोंके मकानोंके प्रश्नने बड़ा विकट रूप धारण कर लिया। इसके लिए म्युनिसिपैलिटीने एक योजना बनाई। मजदूरोंके मुहल्लोंमें गंदा पानी कहीं भी गिरा दिया जाता या उलीच दिया जाता था और सफाई बराबर नहीं होती थी। इस ओर भी सदस्योंका ध्यान खींचा गया। इन मुहल्लोंमें मलेरियाकी भी पीड़ा रहती थी। इसके लिए खास आदमियोंको रखकर मजदूर बालकोंको मूल कीमत पर कुनैन देनेका प्रबन्ध किया गया। कुछ जगहों पर दवाखाने खोले गये। अहमदाबादमें बालकोंकी मृत्युएं भयंकर संख्यामें होती थीं। इसका एक कारण तो यह था कि मुहल्लोंमें प्रसूति-गृहोंकी व्यवस्था नहीं थी। इस प्रश्न पर म्युनिसिपैलिटीमें खूब चर्चायें हुई, जिससे प्रसूति-गृहोंकी आवश्यकताकी ओर सदस्योंका ध्यान आकर्षित होने लगा। मजदूर-मुहल्लोंमें पानी, पेशाब-घर, पाखानों और शालाओंकी अधिक व्यवस्थाकी ओर ध्यान दिया जाने लगा। कुछ रास्तों पर बिजलीकी बत्तियां लगाई गईं। कभी कभी मजदूरोंकी शिकायतें दूर करनेमें कठिनाई खड़ी होती थीं। परन्तु म्युनिसिपैलिटीके अधिकतर अधिकारियोंका रुख सभ्यतापूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण रहता था। स्त्रियोंके लिए स्नानघर बनानेकी बात अनसूयाबहनने वल्लभभाईसे की ही थी। स्नानघरोंके

बारेमें भी विचार किया गया और १९२९ के म्युनिसिपल बजटमें इसके लिए १२ हजार रुपये मंजूर किये गये।

उत्तरोत्तर अधिक विकासके मार्ग पर

इस प्रकार १९२४ से १९२९ तकके छह वर्षोंमें मजदूर-मुहल्लोंकी खेदजनक स्थितिकी ओर म्युनिसिपैलिटीके सदस्यों और अधिकारियोंका ध्यान खींचनेके लिए तथा उस स्थितिमें सुधार करनेकी योजनायें बनवा कर उन पर अमल करानेके लिए कांग्रेस और मजूर-महाजनके सदस्य लगनके साथ प्रयत्न करते रहे और इसके फलस्वरूप मुहल्लोंकी स्थिति सुधरनेकी दिशामें कुछ काम होने लगा। उसके बाद तो जैसे जैसे इन मुहल्लोंके निवासियोंमें जागृति आती गई और उनके प्रतिनिधि अधिकाधिक संख्यामें म्युनिसिपैलिटीमें जाने लगे, वैसे वैसे इस कामका दिनोंदिन अधिक विकास होने लगा।

२७

अतिवृष्टि

१९२७ में गुजरातमें अत्यधिक वर्षा हुई। अनेक स्थानोंमें बाढ़ आई, पानी भर गया और लोग संकटमें फंस गये। उस समय अहमदाबादके निचले भागोंमें भी पानी भर गया था। कुछ मजदूरोंके घर नष्ट हो गये थे, इसलिए उनके रहनेका प्रश्न बड़ा कठिन बन गया था। इस संकटमें आम लोगोंकी मदद करनेके लिए सरकार तथा जनताकी ओरसे व्यवस्था की गई थी। एक राहत-कमेटीकी रचना करके उसके द्वारा फंड इकट्ठा किया गया था। अहमदाबादके मिल-मालिकोंने भी इस फंडमें अच्छी रकम दी थी।

मजदूर-मुहल्लोंकी तकलीफ

मजदूर-मुहल्लोंमें बहुतसे मकान अतिवृष्टिके कारण गिर गये थे, इसलिए मजदूरोंके सामने रहनेकी भारी कठिनाई खड़ी हो गई थी।

इन लोगोंकी मदद करनेके लिए इस राहत-कमेटीके संचालकोंके सामने एक अरजी पेश की गई। कमेटी उनकी मदद करेगी, ऐसी आशा भी रखी गई थी। परंतु संचालकोंने इस अरजी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मजदूर-मुहल्लोंकी मदद करनेसे इनकार कर दिया।

असंतोष फैला

मजदूर जनताकी जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके साथ अन्याय हुआ, इस कारणसे मजदूर जनता तथा मजदूर संस्थाके संचालकोंमें भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। इस अन्यायका कारण समझमें नहीं आया। शहरकी दूसरी जनताको राहत दी जाती है, तब मजदूर जनताको उससे अलग रखनेका क्या कारण हो सकता है? —ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे। कुछ लोगोंको ऐसा भी लगने लगा कि मजदूर जनताके लिए शहरके दूसरे लोगोंमें हमदर्दीका बिलकुल अभाव है। यदि ऐसा न होता तो मजदूर जनता पर अतिवृष्टिके कारण जो संकट आ पड़ा है, उसका खयाल क्या उन्हें नहीं होता? जो भी हो, लेकिन उचित प्रचार किया जाय तथा राहत-कमेटी और आम जनताका ध्यान मजदूरोंके संकटकी ओर खींचा जाय, तो मदद जरूर मिल सकती है—ऐसा विचार मजदूर कार्यकर्ताओंके मनमें आया और इस दिशामें प्रयत्न शुरू किये गये। परन्तु अहमदाबाद शहरके दैनिक पत्रोंने इस मामलेमें कोई रस नहीं लिया। इसलिए 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के संपादक ब्रेलवीके ध्यानमें यह बात लाई गई। वे वैकुंठलाल महेता और लक्ष्मीदास तेरसीके साथ अहमदाबाद आये, मजदूर-क्षेत्रोंमें घूमे, अतिवृष्टिके कारण मजदूरोंको जो कष्ट भोगने पड़े उनकी सावधानीसे उन्होंने जांच की और उसके बारेमें सारी बातें उचित आलोचनाके साथ अपने दैनिकमें प्रकाशित की।

गांधीजीकी सलाह

गांधीजी उस समय अहमदाबादमें नहीं थे। यदि होते तो यह मामला उनके सामने पेश किया जाता और राहत-कमेटीके संचालकोंको उनका उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता। परन्तु 'बॉम्बे क्रॉनिकल'

तथा गुजराती 'जन्मभूमि' में मजदूरोंके कष्टोंकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उससे अहमदाबादकी कांग्रेस राहत-कमेटीको बुरा लगा। उसने इस बारेमें गांधीजीसे शिकायत की कि इस मामलेमें मजूर-महाजन-की ओरसे जो प्रचार होता है वह उचित नहीं है। इस सम्बन्धमें गांधीजीका एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके प्रचारसे राहत-कमेटीके सदस्योंको दुःख होता है, इसलिए इस बारेमें प्रचार न करके कमेटीके संचालकोंसे मिला जाय और उन्हें मजदूरोंकी स्थिति समझाई जाय। इसके बाद गांधीजी अहमदाबाद आ गये, इसलिए इस प्रश्नसे सम्बन्धित सारे तथ्य उनके सामने रखकर उनसे कहा गया कि मज-दूरोंको तकलीफ होते हुए भी राहत-कमेटी मजदूरोंके संकट-निवारणके लिए आवश्यक सहायता करनेसे इनकार करती है।

गांधीजीने सारी बात सहानुभूतिसे सुन ली। वे भी इस बातको समझ नहीं पाये कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों खड़ी हुई। उन्हें लगा कि इस मामलेमें कोई गलतफहमी पैदा हुई होनी चाहिये। वर्ना यह हो ही नहीं सकता कि अहमदाबादके मिल-मालिक बाढ़-राहत-फंडमें इतना अच्छा दान दें और फिर भी अहमदाबादके मजदूरोंको कोई मदद न मिले। गांधीजीके साथ हमारी यह बात हो रही थी, उसी बीच वल्लभभाई साबरमती आश्रममें आ पहुंचे। इसलिए गांधीजीने उनसे पूछा कि मजदूरोंके बारेमें राहत-कमेटीकी नीति क्या है। वल्लभभाई-ने कहा कि "राहत-कमेटी जानती है कि मजदूरोंको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। परन्तु उसे लगता है कि मजदूरोंकी मददके लिए मिल-मालिकोंको स्वतंत्र प्रबन्ध करना चाहिये।"

गांधीजीने यह बात सुनी, परन्तु उनके गले उतरी नहीं। उनके मुख पर ग्लानिका भाव उभर आया। वे मानते थे कि राहत-फंड समग्र जनताके लिए है, इसलिए जिस किसीको राहतकी जरूरत हो उसे जरूरी मदद देना राहत-कमेटीका कर्तव्य माना जायगा। इसलिए उन्होंने तुरन्त कहा कि इस नीतिमें मुझे विचार-दोष लगता है। मिल-मालिक मजदूरोंको राहत पहुंचानेके लिए स्वतंत्र व्यवस्था करें तो अच्छी बात है; परन्तु वे ऐसा करें या न करें, राहत-कमेटीका यह कर्तव्य

तथा गुजराती 'जन्मभूमि' मे मजदूरोंके कष्टोंकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उससे अहमदाबादकी कांग्रेस राहत-कमेटीको बुरा लगा। उसने इस बारेमें गांधीजीसे शिकायत की कि इस मामलेमें मजूर-महाजन-की ओरसे जो प्रचार होता है वह उचित नही है। इस सम्बन्धमें गांधीजीका एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके प्रचारसे राहत-कमेटीके सदस्योंको दु ख होता है, इसलिए इस बारेमें प्रचार न करके कमेटीके संचालकोंसे मिला जाय और उन्हे मजदूरोंकी स्थिति समझाई जाय। इसके बाद गांधीजी अहमदाबाद आ गये, इसलिए इस प्रश्नसे सम्बन्धित सारे तथ्य उनके सामने रखकर उनसे कहा गया कि मज-दूरोंको तकलीफ होते हुए भी राहत-कमेटी मजदूरोंके सकट-निवारणके लिए आवश्यक सहायता करनेसे इनकार करती है।

गांधीजीने सारी बात सहानुभूतिसे सुन ली। वे भी इस बातको समझ नही पाये कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों खडी हुई। उन्हे लगा कि इस मामलेमें कोई गलतफहमी पैदा हुई होनी चाहिये। वर्ना यह हो ही नहीं सकता कि अहमदाबादके मिल-मालिक बाढ-राहत-फडमे इतना अच्छा दान दें और फिर भी अहमदाबादके मजदूरोंको कोई मदद न मिले। गांधीजीके साथ हमारी यह बात हो रही थी, उसी बीच वल्लभभाई साबरमती आश्रममें आ पहुंचे। इसलिए गांधीजीने उनसे पूछा कि मजदूरोंके बारेमें राहत-कमेटीकी नीति क्या है। वल्लभभाई-ने कहा कि "राहत-कमेटी जानती है कि मजदूरोंको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। परन्तु उसे लगता है कि मजदूरोंकी मददके लिए मिल-मालिकोंको स्वतत्र प्रबन्ध करना चाहिये।"

गांधीजीने यह बात सुनी, परन्तु उनके गले उतरी नही। उनके मुख पर ग्लानिका भाव उभर आया। वे मानते थे कि राहत-फंड समग्र जनताके लिए है, इसलिए जिस किसीको राहतकी जरूरत हो उसे जरूरी मदद देना राहत-कमेटीका कर्तव्य माना जायगा। इसलिए उन्होंने तुरन्त कहा कि इस नीतिमें मुझे विचार-दोष लगता है। मिल-मालिक मजदूरोंको राहत पहुचानेके लिए स्वतत्र व्यवस्था करें तो अच्छी बात है; परन्तु वे ऐसा करें या न करें, राहत-कमेटीका यह कर्तव्य

है कि वह मिल-मजदूरोंको भी इस फंडमें से राहत दे। इसलिए मजदूरोंकी उचित मददकी व्यवस्था कमेटीको करनी ही चाहिये।

राहत-कमेटीकी मदद

गांधीजीकी इस सूचनाके अनुसार राहत-कमेटीने मजदूरोंकी मदद करनेका निर्णय किया और जिन जिन मुहल्लोंमें अतिवृष्टिके कारण नुकसान हुआ था वहां वहां मजूर-महाजनके मंत्रियोंके साथ घूमकर उसके सदस्योंने स्थितिकी जांच की तथा संकट-ग्रस्त लोगोंको उचित मदद देनेकी व्यवस्था की। राहत-कमेटीने इस कामको अपना कर्तव्य समझ कर हाथमें लिया था, इसलिए उसके पहलेके रुखकी वजहसे मजदूरोंमें जो दुःख और असंतोष उत्पन्न हुआ था वह कुछ हद तक दूर हो गया।

महाजनने कमरे बंधवाये

राहत-कमेटीकी ओरसे मजदूर जनताको मदद दिलानेका प्रयत्न हो रहा था, उसी बीच महाजनकी ओरसे स्वतंत्र रूपसे उन्हें मदद पहुंचानेका विचार किया जा रहा था। जिन भाइयोंके मकान गिर गये थे उनके लिए किरायेसे अनुकूल स्थानों पर जमीन लेकर टाटके कमरे बनाये गये और कामचलाऊ उपयोगके लिए वे कमरे भाड़से मजदूरोंको देनेकी व्यवस्था की गई। ये कमरे १२ फुट लंबे, १२ फुट चौड़े और ९ फुट ऊंचे थे। हवा-प्रकाशके लिए उनमें जालियां भी रखी गई थीं। पाखाने और पानीकी व्यवस्था भी म्युनिसिपैल्टिी द्वारा की गई थी। उस समय चालोंमें एक कमरेका मासिक किराया ४ से ५ रुपये था। इस बातको ध्यानमें रखकर टाटके एक कमरेका किराया २ रुपये मासिक रखा गया।

यह व्यवस्था संकटमें फंसे हुए मजदूर परिवारोंके लिए आशीर्वाद सिद्ध हुई। जैसे जैसे कमरे तैयार होते गये वैसे वैसे संकट-ग्रस्त मजदूर भाड़से कमरे लेकर उनमें रहने लगे। इन कमरोंकी मांग इतनी बढ़

की इतनी तंगी थी कि इनमें से कुछ मजदूर अन्य कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं कर पाये और चौमासेमें भी इन्हीं कमरोंमें पड़े रहे। चौमासा पूरा होनेके बाद समझा-बुझाकर उनसे ये कमरे खाली करवाने पड़े।

उस समय अहमदाबादमें ठीक मकान पानेमें मजदूरोंको कठिनाई होती थी, इसका थोड़ा-बहुत खयाल तो हमें था ही। परन्तु अतिवृष्टिके कारण जो परिस्थिति खड़ी हो गई थी, उसकी वजहसे इस कठिनाईका हमें प्रत्यक्ष और विशेष अनुभव हुआ।

२८

रायपुर मिलमें गांधीजी

मजदूर-मुहल्लोंमें मजदूरोंके जीवन-विकास तथा उनकी सामाजिक स्थितिमें सुधारके लिए प्रयत्न किया जाता था। खास तौर पर पिछड़े हुए वर्गोंके मुहल्लोंमें, जहां संभव होता, बालकोंकी शिक्षाके लिए शालायें खोली जाती थी। परन्तु मजदूर स्त्रियां छोटे बच्चोंको लेकर मिलोंमें आती थी और वहां पेड़की डालोंसे या जहां कहीं सुविधा होती वहां झोली बांधकर उन्हें सुलाती थी। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती थी। इन शिशुओंके लिए 'पालना-घर' की खास जरूरत थी। इसके सिवा, जो लड़के मिलोंमें आधे समय तक काम करते थे, उनके लिए मिलोंमें ही शाला चलानेकी जरूरत महसूस हो रही थी। ये दोनों सुविधायें मिलोंमें पैदा करनेका प्रयत्न चल रहा था। इस सम्बन्धमें जो सुझाव दिये जाते थे उन्हें कुछ प्रगतिशील मिलोंने अपना लिया था और ये दोनों जरूरतें पूरी करनेकी अच्छी व्यवस्था भी कर दी थी। ऐसा एक बालगृह तथा आदर्श पालना-घर सेठ कस्तूरभाईने रायपुर मिलमें तैयार कराया था। अपनी यूरोपकी यात्रामें उन्होंने पोर्ट सनलाइटका साबुन बनानेका कारखाना देखा था। वहां साबुन-उद्योगने अपने मजदूरोंको जो सुविधायें दी थी, उन्हें देखकर सेठ कस्तूरभाई प्रभावित हुए थे। उसीके फलस्वरूप उन्होंने रायपुर

कहा: "सेठोंको अपने धन, सत्ता और बुद्धिका उपयोग उस मनुष्यके हितके लिए करना चाहिये, जो अपने अज्ञानके कारण अथवा हमारे भ्रमके कारण मजदूर कहलाता है। जो लोग मजदूर हैं, जिनकी मेहनतके कारण ही मालिकोंकी शोभा बढती है और वे गुलछर्रे उडा सकते हैं, उन्हींके लिए आपके सारे कमाये हुए पैसेका उपयोग होना चाहिये। आप लोग मजदूरोंको अपने धनके साझेदार बनायें। हम जैसे जैसे दुनियाका अनुभव लेते जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि मजदूरोंको हम जितना अधिक देंगे उतना ही हमें अधिक मिलेगा। तब आपको मजदूरोंके लिए चौकीदार नही रखने पडेंगे। मजदूर समझेंगे कि यह जायदाद हमारी है, हमारे भाइयोंकी है, इसे हम नुकसान नही पहुंचा सकते।"

बालगृहके बारेमें बोलते हुए गांधीजीने कहा कि मजदूरों और मालिकोंके बालकोंमें कोई भेद न रहे, ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करनी चाहिये। फिर उन्होंने कहा: "लेकिन मैं तो अपने मनसे इतना ही पूछता हू कि क्या कोई धनी माता अपने बालकोंको ऐसे बालगृहोंमें भेजेगी? हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये, जिसमें किसी भी मजदूर माताको अपने बालकसे अलग पडनेकी संभावना ही खड़ी न हो। हम अपने बालकोंको जैसी शिक्षा दे सकते हैं वैसी ही उनके बालकोंको भी मिलनी चाहिये।"

गांधीजी उस दिनका स्वप्न देखा करते थे जब मजदूरोंके कल्याण-से सम्बन्ध रखनेवाले कार्य मिल-मालिक स्वयं करेंगे और मजदूरोंकी कठिनाइयां वे स्वयं ही दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा: "ऐसा प्रयत्न होना चाहिये जिससे अहमदाबादके मिल-मालिक मेरे सपनेको सच्चा साबित कर दें और अनसूयाबहन तथा शंकरलालभाई जो काम कर रहे हैं उसे समेटनेका समय आ जाय; और जब तक इस कामको समेटनेका समय न आये तब तक इनके प्रयत्नको आप प्रोत्साहन देते रहें, इतनी ही आपसे मेरी प्रार्थना है।"

इस प्रकार अपने इस भाषणमें गांधीजीने इस बात पर प्रकाश डाला कि मालिकों और मजदूरोंके सम्बन्ध, औद्योगिक सम्बन्ध, कैसे

होने चाहिये और मजदूरोंकी स्थितिमें क्या क्या सुधार किया जाना चाहिये।

२९

भंगियोंका महाजन

भंगियोंके मुहल्ले हरिजनोंके मुहल्लोंके पास ही बसे थे, इसलिए हरिजनोंके समाजमें जो सुधार हो रहे थे उनकी ओर भंगियोंका ध्यान जाता रहता था और वे भी अपनी स्थितिको सुधारनेका विचार किया करते थे। इन भंगियोंमें से अधिकतर लोग अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके सफाई-विभागमें काम करते थे और उसीसे अपना पेट भरते थे। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अनसूयाबहन तथा मजूर-महाजनके कार्यकर्ता भंगियोंकी करुण स्थितिको सुधारनेके लिए कुछ करना चाहते थे और इस कौमके नेताओंके संपर्कमें आकर उन्हें सुधारकी दिशामें मोड़नेका प्रयत्न करते थे। उस अरसेमें मिल-मजदूरोंके मुहल्लोंकी स्थितिको सुधारनेकी दृष्टिसे मजूर-महाजनने म्युनिसिपैलिटीके कार्यमें भी हिस्सा लेना शुरू किया था। इससे स्वाभाविक रूपमें ही भंगी भाइयोंका ध्यान संगठनके महत्त्व तथा लाभकी ओर खिंचा। उनके मनमें भी महाजन (संघ) रचनेकी उत्कट अभिलाषा जागी और उनके नेता इसके लिए अनसूयाबहन तथा मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंसे मिलने लगे। दोनोंके बीच जो सलाह-मशविरा हुआ उसके फलस्वरूप १९२७ में भंगियोंके महाजनकी स्थापना हुई और उस जातिके सुधारके लिए व्यवस्थित प्रयत्न होने लगे। इस महाजनकी स्थापना तथा उसके कार्यमें केशवजी वाघेला और मूलदास वैश्यने भी मदद की थी।

भंगियोंकी सभामें गांधीजी

भंगियोंके इस महाजनकी सारी बातें गांधीजीके सामने पेश की जाती थीं। इस कार्यके विकासके बारेमें गांधीजीकी प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करनेके लिए उनकी संमतिसे मार्च १९२८ में घीकांठा रोड पर

स्थित 'मगनभाईकी वाडी' के विशाल मैदानमें भंगियोंकी एक बडी सभा की गई। गांधीजीने उस सभामें इस कामके लिए भंगी भाइयों तथा कार्यकर्ताओंका उचित मार्गदर्शन किया। शुरूमें गांधीजीने भंगियोंकी स्थितिके बारेमें पूछताछ की। यह जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई कि महाजन बननेके बाद भंगियोंमें शराबकी बुराई कम हो गई है। बुनकरोंकी तरह भंगियोंकी भी भजन-मंडलियां थीं, जो बड़े मीठे भजन गाती थीं। इस सभामें भी उन्होंने दो भजन गाये।

स्वयं अपना सुधार करें

भंगियोंकी दशा बड़ी ही कष्टपूर्ण थी और इसकी वजहसे उनके दिलमें इसकी कुछ प्रतिक्रियायें भी हुई थीं। वे लोग सड़कों व गली-कूचों तथा पाखानोंकी सफाईका काम करते थे। समाजमें उनके प्रति अस्पृश्यताका सख्तीसे पालन किया जाता था। शहरमें कोई आदमी उन्हें छूता नहीं था, इसलिए दूसरा कोई काम तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। इसलिए स्वभावतः उनका यह आग्रह रहता था कि उनके काममें दूसरा कोई हाथ न बटायें। वे इस कामको अपना एकाधिकार मानते थे। मिलोंके विभागोंमें भी जातियोंके बाड़े जैसे बन गये थे। बुनाई-विभागमें मुसलमान और पाटीदार वगैरा ऊंची जातिके हिन्दू ही काम करते थे। किसी हरिजनको उसमें घुसने नहीं दिया जाता था। अतः गांधीजीने भंगियोंके सामने इस परिस्थितिकी छानबीन की और सफाई-कामको अपना एकाधिकार न माननेका उनसे अनुरोध किया। गांधीजीने उनसे यह भी कहा कि वे सफाई-कामको बेगार नहीं किन्तु सेवा मानें। मद्य-निषेधके कामको तेजीसे आगे बढ़ाने तथा कर्जसे दूर रहनेकी बात भी गांधीजीने उन्हें समझायी। संघ (महाजन) का सच्चा अर्थ समझाते हुए गांधीजीने उनसे कहा "संघका सच्चा अर्थ यह है कि आप अपना सुधार करें, पैसेको संभालना सीखें और उसका हिसाब रखना सीखें।"

समस्त-शक्ति बढ़ायें

उस समय भंगियोंमें शिक्षा नहीं-जैसी ही थी। साधारण शालाओंमें उन्हें कोई प्रवेश भी नहीं करने देता था। इसके सिवा, अपने

बच्चोंको शिक्षा दिलानेकी वृत्ति भी उनमें कम थी। अतः शिक्षाके विषयमें उचित व्यवस्था करनेके लिए विशेष प्रयत्न जरूरी था। लेकिन केवल अक्षर-ज्ञानसे ही मनुष्यमें समझ-शक्ति नहीं आ जाती। गांधीजीका झुकाव पढ़नेकी अपेक्षा गुनने पर अधिक था। इसलिए वे चाहते थे कि भंगियोंका सर्वांगीण विकास हो। भंगी लोग पिछड़े हुए थे और शिक्षण-रहित थे, इसलिए लोग उन्हें आसानीसे ठग लेते थे। गांधीजीने उनसे कहा: "आप लोग पढ़े हुए नहीं हैं, इसका मुझे कोई दुःख नहीं है; मुझे दुःख इस बातका है कि आप गुने हुए नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप समझदार बनें। आपके बालकोंके लिए महाजनने शालायें खोली हैं, उनमें आप अपने बच्चोंको भेजें। परन्तु केवल उन्हें अक्षर-ज्ञान मिल जाय, इतनेसे ही मुझे संतोष नहीं होगा। वे अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, तो ही मुझे संतोष होगा।"

गांधीजीने भंगियोंको सिखावन दी कि वे रातमें मांगी हुई जूठन न खायें, स्त्रियोंको बालकोंके पालन-पोषणका ज्ञान करायें, स्त्रियोंका आदर करें, स्वच्छता बनाये रखें और पैसेका सदुपयोग करें। खास तौरसे व्यक्तिगत सुधार पर जोर देते हुए गांधीजीने कहा: "आप लोग अपने-आपको ऊंचा उठा लेंगे उसके बाद आपकी वेतन-वृद्धिमें मुझे जरूर रस आयेगा।"

इसके बाद वल्लभभाई पटेलको लक्ष्य करके उन्होंने कहा: "आप भंगी भाइयोंकी स्थितिकी जांच कीजिये। जब आप बड़े नौकरोंका विचार करते हैं, तो आपको भंगियोंका भी विचार करना चाहिये।"

३०

महाजन-विरोधी हठ

१

१९२८ के वर्षके अंतिम चार मास अहमदाबादकी गुजरात जिनिंग मिलकी घटनाके लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। मजूर-महाजनका विकास-कार्य तेजीसे प्रगति कर रहा था। इस कार्यके लिए एक स्वयंसेवक-दल भी खड़ा किया गया था। उसमें इस मिलके कुछ मजदूरोंने अपने नाम दर्ज कराये। इसलिए मिलके सत्ताधारियोंने उन मजदूरोंको बारी बारीसे नौकरीसे अलग कर दिया। इस सम्बन्धमें मजूर-महाजनके मंत्री उनसे व्यक्तिगत रूपमें मिले, उस समय उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया गया। इस पर १ सितंबर, १९२८ को मजूर-महाजनने मिल-मालिक मंडलको एक पत्र लिखकर इस मामलेमें उससे मध्यस्थ बननेको कहा।

पंचके सुझावकी उपेक्षा

मिल-मालिक मंडलने दोनों पक्षोंके बीच समझौता करानेका प्रयत्न आरंभ किया। परन्तु फ्रेम-विभाग तथा थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंका विश्वास था कि मजूर-महाजनकी रचनाका मिलके सत्ताधारी उग्र विरोध करते हैं, इसलिए वे समझौतेकी बात मानेंगे नहीं। किन्तु महाजनकी नीति तो यह थी कि ऐसे मामले पंचके हाथमें सौंपे जायं और जब पंचकी बात अस्वीकार कर दी जाय तभी लड़ाई छेड़ी जाय। इसलिए उसने उतावलीमें कोई कदम नहीं उठाया। बादमें मिल-मालिक मंडलके मंत्री और मजूर-महाजनके मंत्री मिलके एजेन्टसे मिले। एजेन्टने कहा कि जिन मजदूरोंको नौकरीसे अलग किया गया है, उन्हें महाजन रचनेके कारण बरखास्त नहीं किया गया है। इसके सिवा, मिल महाजनकी रचनाके खिलाफ नहीं है। इस पर यह तय हुआ कि इन

प्रश्नको पंचके सामने रखा जाय। परन्तु मालिकने या मिलने अपने दिये हुए वचनका पालन नहीं किया। निर्णयके अनुसार न तो मजदूरोंको बरखास्त करनेके कारण भेजे गये और न पंचकी नियुक्ति की गई। मिलके एजेन्ट बंबई चले गये और दूसरी ओर मिलके अधिकारी अधिक सख्त बनकर महाजनकी रचनाको रोकनेका प्रयत्न करने लगे।

दूसरी एक बेहूदी, मनमानी और भयंकर बात यह हुई कि मिलकी चालमें मार्शल लॉकी स्थिति उत्पन्न कर दी गई। वहां दो आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे; न रात सात बजेके बाद उस चालमें कोई जा सकता था। लेकिन मजदूरोंने इसकी परवाह नहीं की, इसलिए यह स्थिति तो ज्यादा नहीं चली। मिलने बरखास्त किये हुए मजदूरों पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा चलानेकी भी कोशिश की।

परन्तु यह सब लम्बे समय नहीं चल सकता था। सारी हवा ही बदल रही थी। इसलिए अंतमें मजूर-महाजनने मिल-मालिक मंडलको बताया कि यदि मिल सोमवार (१-१०-'२८) तक पंचकी नियुक्तिकी बात स्वीकार नहीं करेगी, तो मजदूरोंको मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ेगी। इस झगड़ेको चलते हुए एक माहका समय हो गया था, इसलिए मजदूर भी ऊब गये थे।

समझौता हुआ

अंतमें ता० २-१०-'२८ को समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि "गुजरात जिनिंग मिलके साथ खड़े हुए झगड़ेके सम्बन्धमें मंगलवार सुबह दोनों पक्षोंने निजी तौर पर समझौता किया है। कुछ मित्रोंके बीचमें पड़नेसे यह फैसला किया जाता है कि बरखास्त किये गये मजदूरोंमें से १२ मजदूरोंको आपसके समझौतेसे पुनः काम पर रख लिया जाता है। बाकी ५ मजदूरोंके बारेमें ये मित्र जांच करेंगे; और वे मजदूर यदि मिलमें संतोषप्रद ढंगसे काम करनेका विश्वास दिलायेंगे, तो उन्हें भी फिरसे काम पर रख लिया जायगा।"

इस तरह यह झगड़ा तो निबट गया।

२

उपर्युक्त मामला निबटा न निबटा, इतनेमें लगभग दो माहका समय बीत गया। इसी समय उस मिलमें एक नीचतापूर्ण घटना हुई। शायद मिल-उद्योगके इतिहासमें भी वह अनोखी घटना मानी जायगी।

मुंह काले किये गये

बात इस तरह थी। १२ दिसम्बर, १९२८ को थ्रॉसल-विभागके दो मजदूरों—बीरा सवा और मीठा—को जॉबरने बुलाया। उन पर अपराधका झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें एक कोठरीमें बन्द करके पीटा गया। इसके बाद मिलके अधिकारियोंने भी उन्हें मारा। उस जमानेमें मजदूरोंको मारना-पीटना एक मामूली बात थी। मार मारनेके बाद कुछ अधिकारियोंके कहनेसे जॉबरने दोनों मजदूरोंके मुह काले कर दिये, कैदियोंकी तरह उनके हाथ बाध दिये और मिलमें सब जगह उन्हें घुमाया। बीरा सवा नामक मजदूरने बीचमें अपना मुंह साफ कर डाला। जॉबरने फिर उसका मुह काला कर दिया। बीरा सवा वृद्ध था, भगत था और प्रतिष्ठित आदमी था। इस अपमान और बेइज्जतीसे बीरा भगतको इतना बुरा लगा कि वह आत्महत्या करनेके लिए सवा तोला अफीम घोलकर पी गया। जब उसके रिश्तेदारोंको इसका पता लगा तो वे अफीम पीनेके चार घंटे बाद उसे मजूर-महाजनके दफ्तरमें ले आये। वहासे बीरा सवाको सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहा समय पर अच्छा इलाज होनेसे उसकी जान बच गई।

मजदूर-जगत पर गंभीर असर

इस घटनाका अहमदाबादके समग्र मजदूर-जगत पर गभीर असर हुआ। मजूर-महाजनके प्रतिनिधि-मडलने इस घटनाके लिए अपनी सख्त नाराजी दिखाई और यदि मिल इस मामलेमें न्याय न करे तो हड़ताल करनेका प्रस्ताव पास किया। उसने मिल-मालिक मडलको भी इस घटनासे परिचित किया। दूसरी ओर, जिन लोगोंने दोनों मजदूरोंके मुह काले किये थे या इस काममें मदद अथवा प्रोत्साहन दिया था, उन पर पुलिस केस किया गया था। यह कृत्य एक फौजदारी अपराध ही

बेहूदी मांग

यह हड़ताल सवा महीने चली। उस बीच इस प्रश्नको पंचके समक्ष रखनेका मजूर-महाजनने प्रयत्न किया। इस सम्बन्धमें उसने मिल-मालिक मंडलसे भी सतत संपर्क बनाये रखा। मिल-मालिक मंडलने महाजनका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसी अरसेमें गांधीजी भी कांग्रेस-अधिवेशनमें भाग लेकर अहमदाबाद लौट आये। गुजरात जिनिंग मिलके एजेन्ट सेठ माणेकलाल गांधीजीसे मिलने गये, तब उन्होंने पंचकी बात एजेन्टके सामने रखी। सेठ माणेकलालने उनसे कहा, "मैं कहूं वैसा निर्णय यदि पंच दे, तो मैं पंचकी बात स्वीकार कर सकता हूं।" यह मांग न केवल बेहूदी थी, बल्कि पंचके सिद्धान्तकी जड़ पर ही कुठाराघात करनेवाली थी। इसलिए उसे स्वीकार करनेका प्रश्न ही नहीं उठता था। गांधीजीके बहुत समझानेसे सेठने पंचकी नियुक्तिकी बात तो स्वीकार की, परन्तु इसमें आठ-दस दिन निकाल दिये। कोई समझौता होनेकी आशा न रह जाने पर गांधीजी तथा सेठ मंगलदासके बने हुए स्थायी पंचने नीचे लिखा प्राथमिक निर्णय दे दिया।

स्थायी पंचका निर्णय

"पंच इस मामलेके गुण-दोषका विचार करें और पक्षोंके बीचके झगड़ेका विचार करके अपना निर्णय दें, इसके पहले जिन मजदूरोंने महाजनकी संमतिके बिना हड़ताल की है उन्हें काम पर लग जाना चाहिये तथा जो मजदूर काम पर हाजिर हों उन्हें मिल-मालिकको हड़तालके पहलेकी शर्त पर काम पर लगा लेना चाहिये। मजदूरोंके काम पर लग जानेकी सूचना मिलनेके बाद पंच इस मामलेके गुण-दोषकी चर्चा करेंगे।"

ऊपर कहा गया है कि मिलके मजदूरोंने मजूर-महाजनकी सलाह लिये बिना ही हड़ताल कर दी थी। मजदूरोंका यह कदम ठीक नहीं है, ऐसा पंचोंको लगा। अतः उन्होंने ऐसी परिस्थिति निर्माण की, जिससे मूल प्रश्न पर वे अपना निर्णय दें, उसके पहले मजदूर काम पर चले जायं और मिल उन्हें काम पर लगा ले।

गैर-कानूनी रुकावट

इस हड़तालके दिनोंमें दो उल्लेखनीय घटनायें हुईं। मजूर-महाजनके दफ्तरके इन्स्पेक्टर वीरमजी मिलकी चालमें मजदूरोंसे मिलने जा रहे थे, तब मिलके पहरेदारोंने उनके साथवाले मजदूर गोविन्दको तो अंदर जाने दिया, लेकिन वीरमजीको रोक दिया। ऐसी गैर-कानूनी रुकावट पैदा करनेके लिए पहरेदारों पर फौजदारी की गई थी। दूसरी ओर, महाजनके मंत्री खंडुभाई देसाई पर उस मिलके हेड जॉबर गुलाम रसूलने मानहानिका दावा किया था।

बेहूदी मांग

यह हड़ताल सवा महीने चली। उस बीच इस प्रश्नको पंचके समक्ष रखनेका मजूर-महाजनने प्रयत्न किया। इस सम्बन्धमें उसने मिल-मालिक मंडलसे भी सतत संपर्क बनाये रखा। मिल-मालिक मंडलने महाजनका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसी अरसेमें गांधीजी भी कांग्रेस-अधिवेशनमें भाग लेकर अहमदाबाद लौट आये। गुजरात जिनिंग मिलके एजेन्ट सेठ माणेकलाल गांधीजीसे मिलने गये, तब उन्होंने पंचकी बात एजेन्टके सामने रखी। सेठ माणेकलालने उनसे कहा: "मैं कहूं वैसा निर्णय यदि पंच दे, तो मैं पंचकी बात स्वीकार कर सकता हूं।" यह मांग न केवल बेहूदी थी, बल्कि पंचके सिद्धान्तकी जड़ पर ही कुठाराघात करनेवाली थी। इसलिए उसे स्वीकार करनेका प्रश्न ही नहीं उठता था। गांधीजीके बहुत समझानेसे सेठने पंचकी नियुक्तिकी बात तो स्वीकार की, परन्तु इसमें आठ-दस दिन निकाल दिये। कोई समझौता होनेकी आशा न रह जाने पर गांधीजी तथा सेठ मंगलदासके बने हुए स्थायी पंचने नीचे लिखा प्राथमिक निर्णय दे दिया।

स्थायी पंचका निर्णय

"पंच इस मामलेके गुण-दोषका विचार करें और पक्षोंके बीचके झगड़ेका विचार करके अपना निर्णय दें, इसके पहले जिन मजदूरोंने महाजनकी संमतिके बिना हड़ताल की है उन्हें काम पर लग जाना चाहिये तथा जो मजदूर काम पर हाजिर हों उन्हें मिल-मालिकको हड़तालके पहलेकी शर्त पर काम पर लगा लेना चाहिये। मजदूरोंके काम पर लग जानेकी सूचना मिलनेके बाद पंच इस मामलेके गुण-दोषकी चर्चा करेंगे।"

ऊपर कहा गया है कि मिलके मजदूरोंने मजूर-महाजनकी सलाह लिये बिना ही हड़ताल कर दी थी। मजदूरोंका यह कदम ठीक नहीं है, ऐसा पंचोंको लगा। अत: उन्होंने ऐसी परिस्थिति निर्माण की, जिससे मूल प्रश्न पर वे अपना निर्णय दें, उसके पहले मजदूर काम पर चले जायं और मिल उन्हें काम पर लगा ले।

सबको काम पर रख लिया

पंचोंके इस प्रस्तावको सेठ माणेकलालने पहले तो स्वीकार किया, लेकिन बादमें उन्होंने अपना विचार बदल दिया। इसलिए गांधीजीने उन्हें एक कड़ा पत्र लिखा: "आपने अब अपना विचार बदल दिया है, इससे मुझे बड़ा दुःख होता है। अब मजूर-महाजन कलसे या जल्दीसे जल्दी जो भी कदम उठाना चाहेगा वह उठायेगा।" इससे सेठ शिथिल पड़ गये, उन्होंने पंचोंके निर्णयके अनुसार चलनेकी बात स्वीकार की और धीरे धीरे उस दिशामें काम शुरू हुआ। इसमें भी मिलने थोड़ी देर जरूर की, परन्तु अंतमें सब मजदूरोंको काम पर रख लिया। जिन जॉबरों, जमादारों और मशीनोंमें तेल देनेवालोंको मिलने हड़तालके दिनोंमें नौकरीसे अलग कर दिया था, उन्हें लेनेमें आनाकानी करते करते बीसेक दिन निकाल दिये। लेकिन अंतमें उन्हें भी नौकरी पर रख लिया।

अदालतमें जो मुकदमे दायर किये गये थे, उनमें वीरा भगतका मुंह काला करनेवाले हेड जॉबर रसूलमियां और असिस्टेन्ट मास्टर सोमनाथको अदालतने १००–१०० रुपये जुर्माना किया और जुर्माना न भरने पर दो दो माहकी सख्त कैदकी सजा दी।

मजूर-महाजनके इन्स्पेक्टरको मिलकी चालमें जानेसे रोकनेवाले पहरेदार कालूमियां और नादरखांको पच्चीस पच्चीस रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर पन्द्रह-पन्द्रह दिनकी सख्त कैदकी सजा दी गई।

महाजनके मंत्री खंडुभाई तथा प्रतिनिधियों और मजदूर-नेताओं पर हेड जॉबर गुलाम रसूलने मानहानिका दावा दायर किया था, लेकिन उसमें सब लोग निर्दोष छूट गये।

विकासकी गति बढ़ी

इस तरह इस सारे मामलेका अंत हुआ। लेकिन मजदूरोंने इस घटनासे पाठ सीख लिया। उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि संगठनके अभावमें मिल-मालिक और मिलके अधिकारी मजदूरोंको हैवान या हैवानसे भी बदतर मान सकते हैं और उन पर मनमाने जुल्म ढा सकते हैं। यह घटना मजदूर-संगठनके इतिहासमें स्मरणीय बन गई। मिलें मजदूरोंका संगठन न होने देनेके लिए या बने हुए संगठनको

तोड़नेके लिए जो व्यर्थका प्रयत्न कर रही थी, उसे भी इस घटनासे भारी धक्का पहुंचा। १९२३ के बाद मजदूर-संगठनके कार्यमें जो आलस्य और शिथिलता घुस गई थी, वह भी इस घटनासे दूर हो गई। इससे मजदूर खूब जाग्रत हो गये और मजूर-महाजनके विकास-कार्यको गति मिली।

एक ओर मजूर-महाजन अहमदाबादकी मिलोंके सब मजदूरोंको संगठित करनेका यह दृढ़ और व्यवस्थित प्रयत्न कर रहा था और मजदूर भी संगठनके महत्त्वको समझ कर अपना महाजन रखनेके लिए उत्सुक हो रहे थे, जब कि दूसरी ओर उसी समय कुछ मिलें अत्यन्त प्रतिगामी रुख अपना कर ऐसी तरकीबें आजमा रही थीं, जिनसे मजदूर किसी भी तरह महाजनके सदस्य न बनें। ऐसा यहां देने लायक एक उदाहरण दूसरी एक मिलका है। इस मिलके मजदूरोंने अनेक कष्ट झेलकर मिलके खिलाफ छह महीने तक सतत लड़ाई चलाई और अंतमें विजयी होकर अपनी मिलमें महाजनकी रचना की।

दृढ़ निश्चय

यह मिल अहमदाबादकी पुरानीसे पुरानी मिलोंमें से एक है। परन्तु उसकी व्यवस्था इतनी पुराने ढंगकी थी कि १९२८ तक भी वहां महाजनकी रचना नहीं हुई थी। परन्तु जैसे जैसे अहमदाबादमें मजदूर-संगठनकी हवा फैलती गई वैसे वैसे पुरानी मिलोंके मजदूर भी जाग्रत होते गये। इस मिलके मजदूर खुद मजूर-महाजनके दफ्तरमें गये और वहां उन्होंने अपनी मिलमें महाजन खड़ा करनेका दृढ़ निश्चय प्रकट किया। इस मिलके एजेन्ट तथा व्यवस्थापकोंके संगठन-विरोधी रवैयेको मजूर-महाजनके कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने मजदूरोंसे कहा कि ऐसा करनेके लिए आपको अनेक कष्ट सहनेकी तैयारी रखनी होगी। मजदूर इसके लिए भी तैयार थे।

मजूर-महाजनको तोड़नेका प्रयत्न

इस पर महाजनके मंत्री मिल-एजेन्टसे मिले और उनसे सारी कही। एजेन्टने उनसे कहा कि मजदूर अपना महाजन बनायें,

कोई विरोध नहीं है। परन्तु यह बात केवल बाहरसे कहनेको ही थी। भीतरसे तो वे महाजनके विरोधी थे। इसलिए वे महाजनकी बातसे चौंक उठे। उन्होंने दूसरे ही दिनसे ऐसी तरकीबें आजमानी शुरू कर दीं, जिससे किसी भी हालतमें महाजन बन न सके। पहले तो उन्होंने अपने मजदूरोंसे कहा कि अगर तुम लोग महाजनके सदस्य न बनो, तो हम तुम्हारी सब मांगें पूरी कर देंगे। इसके फलस्वरूप मजदूरोंने अपनी कुछ मांगें एजेन्टके सामने रखीं, जो इस प्रकार थीं: मजदूरोंका वेतन बढ़ाया जाय, उन्हें बोनस दिया जाय और मजदूरोंको नौकरी देने व नौकरीसे अलग करनेके सम्बन्धमें सारी सत्ता मजदूरोंकी एक कमेटीको सौंपी जाय। परन्तु ये मांगें स्वीकार नहीं की गईं।

'महाजन नहीं बनने दूंगा'

इससे महाजन रचनेका मजदूरोंका निश्चय और दृढ़ हो गया और थ्रॉसल-विभागके मजदूरोंने १९ अक्तूबरको एक सभा बुलाई। उसमें मजूर-महाजनके मंत्रीको भी निमंत्रित किया गया। इस सभाने मजूर-महाजनमें शरीक होनेका प्रस्ताव पास किया और दो नेताओंको अपने प्रतिनिधिके रूपमें चुन लिया। परन्तु मिलके विरोधी और तूफानी रवैयेने अपना सच्चा रूप इस सभामें ही दिखा दिया। मिलका एक जॉबर इस सभामें हाजिर था। वह सभामें खड़ा हुआ और महाजनके प्रति अपना विरोध खुले शब्दोंमें प्रकट करते हुए उसने कहा कि मैं किसी भी हालतमें इस मिलमें महाजनकी रचना नहीं होने दूंगा। किन्तु मजदूर—पुरुष और स्त्री दोनों—अपनी बात पर दृढ़ थे। जॉबरने भरी सभामें जो कुछ कहा था वह सब मजूर-महाजनके मंत्रीने दूसरे दिन मिल-मालिकको कह सुनाया। मालिकने मंत्रीसे कहा कि जॉबर मजदूरोंको काम देता है, इसलिए वह मिलमें महाजन नहीं बनने देगा।

तालाबंदी

इसके बाद तो मजदूरोंको नौकरीसे अलग करने तथा उनके भीतर फूट डालने और मतभेद पैदा करनेकी तरकीबें आजमाई जाने लगीं। फिर भी मजदूरोंने मजूर-महाजनके लिए चन्दा इकट्ठा किया।

मिलने जब तालाबंदी जाहिर की, तो मजदूरोंने मिलके दरवाजे पर शांत पिकेटिंग शुरू कर दिया। मजूर-महाजनके सदस्योंने इन लोगोंकी सहायता करनेके उद्देश्यसे हर महीनेके वेतन पर प्रति मजदूर एक आना हड़ताल-फंड वसूल करनेका निर्णय किया तथा अन्यायके खिलाफ अंत तक अडिग रहकर लड़नेका निश्चय किया।

इस मिलके मजदूर मजूर-महाजनके सदस्य नहीं बने थे, इसलिए जॉबर और अधिकारी मजदूरोंके साथ चाहे जैसा अन्याय और अत्याचार कर सकते थे। पर महाजनकी रचना हो जानेके बाद उनकी यह मनमानी नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने भी 'मिल चल है' यह दिखानेके लिए थोड़े-बहुत आदमियोंसे मिल चलाना शुरू किया, वे बाहरसे मजदूर बुलाने लगे और उन्हें रोज नकद वेतन देने लगे। परन्तु जब अहमदाबादके और बाहरसे आये हुए मजदूरोंको इस मिलके मजदूरोंकी लड़ाईका रहस्य समझमें आया, तो वे भी मिल छोड़कर आने लगे। मिलवालोंने उनके लिए मिलके कंपाउन्डमें ही कोठरियां बना दी, दूसरे अनेक प्रलोभन दिये। शराब तक पिलाई। परन्तु कोई आदमी स्थायी रूपसे टिकता नहीं था।

इस मिलके मजदूरोंमें से कुछ तो दूसरी मिलोंमें मजदूरी करने भी गये थे। मिलको बेहद नुकसान हो रहा था। फिर भी उसके अधिकारी कुछ स्थानीय और कुछ बाहरके मजदूरोंकी मददसे आंशिक रूपमें मिल चलाये जा रहे थे। इतनेमें गुजरात जिनिंग मिलके साथ झगड़ा पैदा हुआ। इससे मजूर-महाजनका मन उसकी ओर भी मुड़ा। इसके फलस्वरूप यह लड़ाई थोड़ी मंद पड़ गई। लेकिन पिकेटिंग व समझाने-बुझाने वगैराके कारण मिलकी परिस्थिति ऐसी बनी रहती थी कि न तो मजदूर उसमें स्थायी रूपसे रहते थे और न उसमें स्थायी काम हो पाता था।

मिलने समझौता किया

ऐसा करते करते छह महीनेका समय चला गया। इतनी लंबी दूसरी कोई भी हड़ताल नहीं चली थी। अंतमें मजदूरोंकी दृढ़ता और अडिग निश्चयके सामने मिलवालोंको झुकना पड़ा और

साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता इस प्रकार था: "इस समझौतेके अनुसार अब मिल मजदूरोंके महाजनको मान्य करती है और मिल महाजनके सदस्योंका चंदा वसूल करवा देगी। जो दिन नियत किया जाय उस दिन जितने मजदूर काम पर आयेंगे उतनोंको काम पर रख लिया जायगा।"

इस लंबी लड़ाईसे मिलको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, मजदूरोंको भी बहुत बड़ी कुरबानी करनी पड़ी थी। परन्तु महत्त्वकी बात यह है कि ऐसा करके मजदूरोंने संगठित होनेका अपना अधिकार हासिल कर लिया था।

मजूर-महाजनने मजदूरोंको यह आदेश दिया कि वे बीती बातोंको भूलकर मिलमें संपूर्ण सद्भाव और सहयोगसे काम करें। इस प्रकार एक लंबी लड़ाईका सुखद अंत हुआ।

३१

दीवान बहादुर झवेरीका निर्णय

गांधीजी १९२४ में जेलसे मुक्त होकर अहमदाबाद आये उस समय १९२३में वेतन-कटौतीके सम्बन्धमें जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी उन्हें दी गई थी। परन्तु उस समय मिलोंकी स्थितिमें कोई खास सुधार नहीं हुआ था, इसलिए वेतन बढ़ानेकी बात नहीं की गई थी। गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई मजूर-महाजनमें शरीक हुए उसके पूर्व मिल-उद्योगकी जानकारी रखनेवाले मित्रोंका मत प्राप्त करके उद्योगकी स्थितिके बारेमें विचार किया जाता था। परन्तु ये दोनों मित्र महाजनमें काम करने लगे उसके बाद इन्होंने प्रतिवर्ष मिलोंके मुनाफे और नुकसान सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करनेकी व्यवस्था की। इन आंकड़ोंकी जांचसे पता चला कि मिल-उद्योगकी स्थितिमें उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। इसलिए १९२८ में वेतन-वृद्धिकी मांग करनेके बारेमें गांधीजीसे बात की गई और उनकी सलाह मांगी गई।

उद्योगकी स्थितिसे सम्बन्धित तथ्य

हमारी बातें ध्यानसे सुननेके बाद गांधीजीने कहा कि उद्योगकी स्थितिसे सम्बन्धित सारे तथ्य एकत्र करके स्थायी पंचके सामने रखे जायं। इसलिए गुलजारीलाल और खंडूभाईने स्थायी पंचों — गांधीजी और सेठ मगलदासके सामने मिलोंके नफा-नुकसानके आकड़े पेश किये और मिलोंके बढ़ते हुए नफेकी ओर पचका ध्यान खीचकर वेतनकी कटौती रद करने तथा वेतनमें उचित वृद्धि करनेकी बात कही। दोनों पंचोंने सारी बातोंकी जाच की और एकमत होकर यह निर्णय दिया "मजदूर-पक्षने यह दलील की है कि मिलोंकी वर्तमान स्थिति इतनी अच्छी है कि १९२३ की कटौती रद करके कमसे कम १९२३ के वेतन-स्तर पर आ जाना चाहिये। इस विषयमें दोनों पक्षोंकी बातें सुननेके बाद पच यह निर्णय देते हैं कि मजदूर-पक्ष अपनी दलील सिद्ध नही कर सका, इसलिए उसे खारिज किया जाता है।"

वेतन-वृद्धि कब?

१९२३ की कटौती और इस निर्णयके बीच लगभग ६ वर्षका समय निकल गया था। लेकिन मिलोंको जो नफा हुआ था वह गांधीजीको ऐसा नही लगा कि उसके आधार पर मजदूरोंका वेतन बढ़ाया जा सके। उनका यह मत था कि उद्योगकी स्थितिमें विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ हो, तो ही वेतनमें वृद्धि करना उचित माना जा सकता है। अपना यह मत गांधीजीने स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट किया, इससे सेठ मगलदासको बड़ा संतोष हुआ। परन्तु हम सबको उनकी वजहसे बड़ा दुःख हुआ। मजदूरोंकी वेतन-वृद्धिकी माग बढ़ती जाती थी और हमें तो यह आशा थी कि उद्योगकी आर्थिक स्थितिमें जो सुधार हुआ है, उसे देखते हुए मजदूरोंके वेतनमें थोड़ी-बहुत वृद्धि जरूर होगी। परन्तु जब गांधीजीने ही उसके विरुद्ध अपना मत दिया, तो हमें भारी आघात लगा। इसलिए हम सबने सोचा कि इस प्रश्न पर फिरसे गांधीजीके साथ बैठकर और उनसे बातचीत करके उनके विचार समझ लेने चाहिये। इसलिए अनुकूल अवसर मिलते ही हमने गांधीजीके साथ इस प्रश्नकी चर्चा कर ली।

कटौती रद करनेकी मांग

इस चर्चामें गांधीजीने अपने विचार हमें अच्छी तरह समझा दिये। उन्होंने कहा कि उद्योगकी आर्थिक स्थितिमें खास सुधार हुआ हो, तो हीं वेतन बढ़ानेकी मांग मिल-मालिकोंसे की जा सकती है और तभी तटस्थ विचार करनेवालेकी दृष्टिमें वह मांग टिक सकती है। थोड़ासा नफा बढ़नेसे वेतन-वृद्धिका हमारा केस सिद्ध नहीं होता। जब अपनी बात गांधीजी हमें समझा चुके तब हमने उनके सामने यह प्रश्न रखा कि १९२३ में मजदूरोंके वेतनमें जो कटौती की गई थी वह अन्यायपूर्ण थी और यदि ऐसा हो तो उस अन्यायको चालू कैसे रहने दिया जा सकता है। इस पर गांधीजीने कहा: "ये दो बातें बिलकुल अलग हैं। १९२३ की वेतन-कटौती अन्यायपूर्ण है और इसलिए वह रद होनी चाहिये, ऐसी मांग यदि आप लोगोंकी होती तो कहा जा सकता कि यह केस विचार करने योग्य है। लेकिन वेतनमें वृद्धि तो तभी मांगी जा सकती है जब मिलोंको बहुत अच्छा नफा हुआ हो।" इससे हमारी समझमें आ गया कि जिस मुद्देको दृष्टिमें रखकर हमें अपनी मांग पेश करनी चाहिये थी उसे हम भूल गये, इसीलिए हमारा केस बिगड़ गया। मांग हमें वेतन-वृद्धिकी नहीं परन्तु इस बातकी करनी चाहिये थी कि १९२३ की वेतन-कटौती अन्यायपूर्ण है इसलिए वह रद की जानी चाहिये।

इस चर्चाके बाद मजूर-महाजनने १९२३ की वेतन-कटौतीको रद करनेकी मांग स्थायी पंचके सामने रखी।

क्या वेतनसे पेट भर सकता है?

इस विषयमें गांधीजीने कहा: "मेरी दृष्टिसे मुख्य जांच इसी बातकी होनी चाहिये कि आज मजदूरोंको जो वेतन मिलता है, उससे उनका पेट भरता है या नहीं? यदि उससे मजदूरोंका पेट न भरता हो, तो जब तक मिलकी हालत इतनी खराब न हो जाय कि मूल पूंजी खर्च करके उसे चलाना पड़े तब तक नुकसान उठाकर मिलमें नौकरी करने-वाले मजदूरोंके वेतनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। पंचके सामने

जो सबूत पेश किये गये हैं, उनको देखकर मैं इस निर्णय पर पहुचा हूं कि बडी सख्याके मजदूरोंको पेट भरने लायक वेतन मिलता ही नही।"

मजूर-महाजनके मुद्दे

गाधीजीने अपना यह निर्णय दिया उससे पहले मजूर-महाजनने मिल-मालिक मडलकी दलीलके खिलाफ तीन मुद्दे पेश किये थे ·

१. १९२३ में पचका निर्णय दिया ही नही गया था।

२. मजदूर-पक्षने स्वेच्छासे कटौती स्वीकार नही की थी, बल्कि हड़तालको लम्बानेकी शक्तिके अभावमें उसे स्वीकार किया था।

३. जो भी हो, मजदूरोको १९२३ में जो वेतन मिलता था, उससे भी उनका पेट मुश्किलसे भरता था। लेकिन वेतनमे कटौती हो जानेसे तो मजदूरोको अधिक नुकसान उठाना पडा है।

गाधीजीने अपने निर्णयमें बताया था कि ये तीनों मुद्दे सच्चे हैं और इनमें से तीसरे मुद्दे पर भार देकर उन्होंने अपना निर्णय दिया था। सेठ मंगलदासके विचार गांधीजीसे भिन्न थे। उनसे सहमत होना गाधीजीके लिए असभव था, इसलिए यह मामला सरपचके सामने रखनेका निश्चय हुआ।

सरपंचकी नियुक्ति

इसके बाद यह सोचा गया कि सरपच किसे नियुक्त किया जाय। सेठ मंगलदासने दीवान बहादुर कृष्णलाल झवेरीका नाम सुझाया। इससे हमारे मनमें कुछ शंका होने लगी। श्री झवेरी सेठ मगलदासके मित्र थे। इसलिए हमारे मनमें यह प्रश्न उठता था कि यदि उन्हे सरपच नियुक्त किया गया, तो वे तटस्थतासे इस मामलेकी जाच करके अपना निष्पक्ष निर्णय दे सकेंगे या नहीं। हमने अपनी यह शका गाधीजीके सामने रखी। उन्होंने कहा: "दीवान बहादुर झवेरी हाईकोर्टके एक अनुभवी, प्रतिष्ठित और सज्जन न्यायाधीश हैं। वे सेठ मगलदासके मित्र हो सकते हैं, परन्तु उनके बारेमें यह शका अनुचित और अप्रस्तुत है कि वे न्याय करेंगे या नही। पचका तो ऐसा है कि उस पद पर बैठनेवाले मनुष्यका मन न्यायकी

हो झुकता है।" उन्होंने यह भी कहा: "यदि हमारा केस सच्चा और उचित हो और यदि हम उसे अच्छी तरह पेश कर सकें, तो न्यायाधीश कोई भी क्यों न हो हमें न्याय जरूर मिलेगा।"

मुहल्लोंकी मुलाकात

गांधीजीकी यह बात हमारे गले उतरती तो नहीं थी, फिर भी हमने उनकी सलाह मानकर कृष्णलाल झवेरीको सरपंचके रूपमें स्वीकार किया। उनके समक्ष दोनों पक्षोंने अपनी सारी बातें रखीं। उन्होंने दोनों पक्षोंसे जरूरी तथ्य और आंकड़े प्राप्त कर लिये। परन्तु अपना अंतिम मत बनानेसे पहले उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि अहमदाबादके मजदूर-मुहल्लोंमें घूमकर मजदूरोंकी स्थितिको उन्हें स्वयं देख लेना चाहिये और उनके साथ सीधी बात करके उनकी स्थितिको समझ लेना चाहिये। दी० ब० झवेरीकी इस बातसे हमारे मनकी शंका और बढ़ गई। मनमें तरह तरहके प्रश्न उठने लगे: "दी० ब० झवेरी किस उद्देश्यसे मजदूरोंकी स्थितिको स्वयं देखना चाहते हैं? उनसे सीधी बात करनेके पीछे झवेरीका क्या हेतु होगा?" लेकिन उनकी यह मांग सर्वथा उचित थी, इसलिए हमने उन्हें मजदूरोंके मुहल्लोंमें घुमाया। वे मजदूरोंसे उनकी स्थितिके बारेमें बारीकीसे प्रश्न पूछते थे और खुद उनकी परिस्थितियोंसे परिचित होकर मजदूरोंके जीवनको समझनेका प्रयत्न करते थे। उनके साथ हम लोग भी घूमे, परन्तु उनके विचारोंके बारेमें हम कुछ नहीं जान सके। इसलिए यह शंका तो हमारे मनमें बनी ही रही कि उनका निर्णय हमारे खिलाफ जायगा।

परन्तु बात इससे बिलकुल उलटी हुई। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि मिलोंकी आर्थिक स्थितिमें अवश्य ही सुधार हुआ है। इसका उल्लेख करके उन्होंने कहा: "टेरिफ बोर्डके शब्दोंको उद्धृत करें, तो १९२३ के बाद अहमदाबादने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार ली है। इस वस्तुस्थितिको देखते हुए कहा जायगा कि मिल-उद्योगकी स्थिति सुधरी है। इस बातको ध्यानमें रखकर ही इस प्रश्न पर विचार करना होगा।"

सरपंचका निर्णय

इस दृष्टिसे विचार करके दी० ब० झवेरीने यह निर्णय दिया कि बुनाई-विभागके मजदूरोंको ५ प्रतिशत वृद्धि और स्पिनिंग-विभागके मजदूरोंको, जिनका वेतन बुनाई-विभागसे कम है, ८ प्रतिशत वृद्धि मिलनी चाहिये। इस तरह उन्होंने मजदूरोंकी माग पूर्ण रूपमें नहीं किन्तु आंशिक रूपमें स्वीकार कर ली। उनके विचार इस प्रश्न पर गांधीजीसे भिन्न थे।

जीवन-निर्वाहके आंकड़े

१९२३ के वेतनमें जो कटौती की गई थी वह उचित थी या अनुचित, इस प्रश्नमें उतरना दी० ब० झवेरीको उचित नहीं लगा। उन्हें तो इसी प्रश्न पर विचार करना आवश्यक लगा कि १९२३ में जो कटौती की गई थी वह मजदूरोंको पूरी या कम-अधिक मात्रामें वापस मिलनी जरूरी है या नहीं? इस सम्बन्धमें मजदूरोंके जीवन-निर्वाहके जो आकड़े उनके सामने रखे गये थे, उनकी जांच करने पर उन्हें लगा कि मजदूर-पक्षने जिन बातोंका समावेश इन आकड़ोंमें किया है उनमें वार-त्योहार और शादी-गमीके खर्चका समावेश नहीं किया गया है। इस खर्चको झवेरी महत्त्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि यदि इस खर्चको हिसाबमें लिया जाय, तो गांधीजीने जो ५० रुपयेका मासिक खर्च दिखाया है उसमें भी खर्चके आकड़े बढ़ जायंगे। उनका मत था कि इन आकड़ोंसे तुलना करने पर मजदूरोंको जो वेतन मिलता है वह बहुत कम है और उससे मजदूरोंका पेट नहीं भरता। इसलिए १९२३ की कटौतीको रद करना बहुत जरूरी है।

उद्योगकी स्थितिमें सुधार

इसके बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ कि मिल-उद्योगकी स्थितिमें क्या ऐसा सुधार हुआ है, जिससे मजदूरोंकी कटौतीकी रकम वापस दी जा सके? उद्योगकी स्थिति-सम्बन्धी आंकड़ोंकी जांच करने पर झवेरीको लगा कि उद्योगकी स्थितिमें बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। इसलिए इन सुधारके अनुपातमें १९२

की वेतन-कटौती जिस हद तक रद्द की जा सके की जानी चाहिये, यह मानकर झवेरीने अपना निर्णय दिया था।

उनके निर्णयमें दी गई दोनों बातें बड़े महत्त्वकी थीं। एक यह थी कि उद्योगकी स्थितिमें यदि थोड़ा भी सुधार हुआ हो और मजदूरोंके जीवनकी जरूरतें पूरी करनेके लिए वेतनमें वृद्धि करना आवश्यक हो, तो इस सुधारके अनुपातमें उनका वेतन बढ़ाना चाहिये। किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह थी कि जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक खर्चकी रकमका आंकड़ा मजदूरोंके जीवनकी बारीक जांचके बाद तय किया जाना चाहिये। मालिकोंका विरोध होनेके बावजूद झवेरीने मजूर-महाजनकी यह बात स्वीकार की कि जीवन-निर्वाहके खर्चमें दूध और शिक्षा-सम्बन्धी खर्चका भी समावेश होना चाहिये। इसके सिवा, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें वार-त्योहार और शादी-गमी जैसे महत्त्वके अवसरों पर होनेवाले खर्चका भी समावेश करना चाहिये। दी० ब० झवेरीका यह सुझाव मजदूरोंकी जरूरतोंका हिसाब करनेमें बड़ा उपयोगी और महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

हमारी शंका दूर हुई

दी० ब० झवेरीके इस निर्णयसे हमें हर्ष और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। हमें इस बातका भान हुआ कि हमारी शंका निराधार थी। न्याय करनेके लिए बैठे हुए तटस्थ व्यक्तिको अपनी प्रतिष्ठा तथा अपनी जिम्मेदारीका भान रहता ही है और इसलिए न्यायकी दृष्टिसे जो कुछ उचित हो वही करनेके लिए वह प्रेरित होता है — गांधीजीका यह कथन कितना सत्य था यह भी हमारी समझमें आ गया। इसने हमारे लिए एक महत्त्वपूर्ण बोधपाठका काम किया। और यह पाठ केवल इसी अवसरके लिए नहीं, परन्तु मालिकों तथा मजदूरोंके मतभेदके बड़े बड़े प्रश्नोंका निपटारा करनेके बारेमें भी बड़ा मूल्यवान सिद्ध हुआ है। औद्योगिक प्रश्नोंकी चर्चाओंमें और उनके निपटारेकी बातचीतमें मालिकों और मजदूरोंके बीच मतभेदके मौके तो स्वाभाविक रूपमें आते ही रहते हैं। इस बातको सब कोई स्वीकार करेंगे कि ऐसे मतभेदको पंच अथवा सरपंचके द्वारा दूर करानेका मार्ग ही उत्तम

मार्ग है। लेकिन प्रश्न यह खडा होता है कि उससे सम्बन्धित सारी महत्त्वपूर्ण बातोंकी तटस्थ वृत्तिसे जाच करके न्यायपूर्ण निर्णय देनेवाले न्यायाधीश मिल सकते हैं या नही ? मजदूर-मडलोंमें सामान्य रूपमें यह शंका बनी रहती है कि न्यायाधीश पर मालिकोंके वसीले, प्रभाव आदिका असर पडता है और इस कारणसे मजदूरोंको पूरा न्याय नहीं मिल सकता; इसलिए पचकी प्रथा अच्छी होने पर भी व्यवहारमे मजदूरोंके लिए न्याय प्राप्त करनेमें वह उपयोगी सिद्ध नही हो सकती। परन्तु गाधीजीने पचकी नियुक्तिके बारेमें जो विचार हमारे सामने प्रकट किये तथा उनकी सचाईकी जो प्रतीति इस अवसर पर हमें हुई, उससे भविष्यमें खड़े होनेवाले ऐसे मौकों पर सोचने-विचारने और कार्य करनेमें हमें बड़ी मदद मिली।

सिद्धान्तकी स्वीकृतिसे गांधीजीको संतोष

सरपंचका निर्णय प्राप्त हो जाने पर ता० ९-१२-'२९ को गाधीजीने मजदूरोंको जो सदेश भेजा, उसमें उन्होंने कहा . "सरपच बम्बईकी स्मॉल कॉज कोर्टके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल झवेरी थे। उन्होंने जो निर्णय दिया है उसे आप लोग ध्यानसे पढ लीजिये। आपको इस बातका दु.ख होगा कि उन्होंने आपकी माग पूरी तरह स्वीकार नहीं की है। मुझे भी इसका दुःख है। परन्तु पचके निर्णयका सिद्धान्त स्वीकार करनेके बाद हमें पंच अथवा सरपंच द्वारा दिया हुआ निर्णय स्वीकार करना ही चाहिये — भले वह हमें पसंद हो या न हो। सरपचके निर्णयमें एक बात ऐसी कही गई है, जिसका मजदूरोंके लिए बड़ा महत्त्व है। अनेक वर्षोंसे हम मिल-मालिकोंसे यह कहते आये हैं कि मिलके मजदूरोंको खाने-पहनने जितना वेतन भी नही मिलता है, जब कि इतना वेतन पानेका उन्हें पूरा अधिकार है। हम यह भी कहते आये हैं कि उनके निर्वाह-वेतनमें कोई कमी नही की जा सकती। इस सिद्धान्तका हमारे सरपचने स्वीकार किया है। इसके सिवा, सरपंचने यह भी स्वीकार किया है कि आपने अपने खर्चके जो आकड़े बताये हैं वे उचित हैं और उनकी तुलनामें आप लोगोंका आजका वेतन औसतन् कम ही है। इस निर्णयके अनुसार तो आप लोगोंकी माग पूर्ण

रूपमें स्वीकार की जानी चाहिये थी। परन्तु सरपंचने जो कुछ दिलाया है उससे संतोष माननेकी मैं आपको सलाह देता हूं। उससे संतुष्ट रहना आपका धर्म है।

"परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि निर्वाह-वेतन तक पहुंचनेका प्रयत्न करनेका अपना अधिकार आपको छोड़ देना है। उचित रूपमें यह प्रयत्न हर तरहसे होता ही रहेगा और उचित अवसर आने पर इस ध्येयको सिद्ध करने जितनी मांग हम मालिकोंके सामने जरूर रखेंगे।"

पैसेका सदुपयोग

वेतनमें जो भी वृद्धि मिले उसे बरबाद न करके उसका सदुपयोग करनेकी बात पर जोर देकर गांधीजीने अपने संदेशमें कहा: "इस बीच आपका कर्तव्य यह है कि मिली हुई वृद्धिका आप सदुपयोग करें, अपनी सामाजिक स्थितिको सुधारें, बुरी आदतें और दुर्व्यसनोंको त्याग कर अपने काममें पूरा संतोष दिखायें और अपनी योग्यता तथा कार्य-क्षमता बढ़ायें।"

महत्त्वपूर्ण निर्णयकी छानबीन

इसके बाद १५ दिसम्बरके 'नवजीवन' में इस सम्बन्धमें एक विस्तृत लेख लिखकर गांधीजीने इस महत्त्वपूर्ण निर्णयकी छानबीन की। वे मानते थे कि मजदूरोंकी मांग बिलकुल सच्ची और उचित है। इसलिए जब कृष्णलाल झवेरीके निर्णयमें उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्हें दुःख और आश्चर्य हुआ। गांधीजी ऐसा मानते थे कि "मूल पूंजीमें से रकम निकाल कर खर्च करनी पड़े, यही मेरी दृष्टिसे घाटा माना जायगा। जो उद्योग कम नफा कमाता है, वह नुकसान या घाटा नहीं उठाता। कम नफा कभी मजदूरोंके वेतनमें कमी करनेका कारण नहीं होना चाहिये। यह स्थिति तभी आ सकती है जब मिल-के मजदूर भी शेयर-होल्डरोंके जैसे और जितने ही मिलके मालिक बन जायं।" १९२३ में मिलोंने १९२२ से कम नफा कमाया था, लेकिन नफा जरूर कमाया था। मजदूरोंका वेतन निर्वाह-वेतन नहीं था, इसलिए उसमें कटौती करना अनुचित था। इसलिए गांधीजीने अपने लेखमें कहा: "अतः आजीविका चलाने जितना वेतन प्राप्त करनेका सिद्धान्त

स्वीकार कर लेनेके बाद मजदूरोंको पूरी १५ प्रतिशत वृद्धि मिले, तो भी उन्हें इतना (आजीविका चलानेके लिए पर्याप्त) वेतन नहीं मिलता। ऐसी स्थितिमें मेरी नम्र मतिके अनुसार सरपंचके पास पूरी १५ प्रतिशत कटौती मजदूरोंको वापस न दिलानेका कोई कारण नहीं था। इतना हमें याद रखना चाहिये कि पूरी १५ प्रतिशत कटौती वापस मिल जाय, तो भी मजदूरोंका वेतन आजीविका चलाने जितना नहीं होगा। लेकिन इतनी रकम प्राप्त करनेकी माग अभी तुरन्त न करनेमें मजूर-महाजनने विवेकका परिचय दिया है।"

सरपंचको धन्यवाद

फिर भी सरपंचको धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा "इस प्रकार यद्यपि मैं मानता हू कि मजदूरोंका पूरा न्याय नहीं मिला है, फिर भी कृष्णलाल झवेरीके प्रति मेरा मन धन्यवादके उद्गार प्रकट करता है। उन्होंने इस मामलेमें जो परिश्रम किया वह ईश्वर-प्रीत्यर्थ था। फिर भी उन्होंने पूरा परिश्रम किया। सारे मामलेकी उन्होंने सावधानीसे जाच-पड़ताल की थी। उनकी ओरसे एक दिनकी भी देर नहीं हुई। उनके कार्यकी छाप मुझ पर केवल निष्पक्षताकी ही पड़ी है। अत उन्होंने स्वय जिसे न्याय माना उसीका अपने निर्णयमें प्रतिपादन किया है। इससे अधिक कुछ करनेकी आशा कोई उनसे रख ही नहीं सकता। सबको एकसा सन्तोष देना मानवकी शक्तिसे परे है। वह केवल इसका प्रयत्न ही कर सकता है। यह प्रयत्न हम सरपंचके निर्णयमें स्पष्ट रूपसे देख सकते है।"

मिल-मालिकोंको धन्यवाद और सलाह

दूसरी ओर गाधीजीने मिल-मालिकोंसे कहा "मालिकोंने सरपच-के निर्णय पर अमल किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हू। लेकिन उन्होंने इसके बारेमें असतोष प्रकट किया है। मैं उनके असतोषको समझ नहीं सका। उनकी यह बात भी मेरी समझमें नहीं आई कि सरपचके निर्णयसे मिल-उद्योगको नुकसान उठाना पड़ेगा। सरपच द्वारा स्वीकार किये गये निर्वाह-वेतनके सिद्धान्तको वे भी स्वीकार करते हों, और वे ऐसा करनेके लिए वचन-बद्ध हैं, तो उन्हें इस बातसे प्रसन्न होना चाहिये कि इस निर्णयसे उन्हें लगभग २० लाख रुपयेकी राहत

जाती है। उन्हें जानना चाहिये कि उचित अवसर आने पर उनकी वृद्धिकी मांग मजदूरोंकी ओरसे होने ही वाली है। उनकी शोभा इसीमें है कि वे मजदूरोंकी मांगसे पहले ही वृद्धिकी रकम निश्चित कर दें और वह रकम मजदूरोंको दे दें।"

शुद्ध भावनासे अमल करें

पंचके सिद्धान्तके बारेमें उन्होंने लिखा: "पंचके सिद्धान्तको स्वीकार करनेसे मित्रता तथा आपसका विश्वास बढ़ना चाहिये। और यह परिणाम उत्पन्न करनेके लिए दोनों पक्षोंको पंच अथवा सरपंचके निर्णयका अमल सच्चे मनसे तथा शुद्ध भावनासे करना चाहिये।"

इस तरह श्री० म० ओरीके इस निर्णयके बाद मामला निपटा गया तथा उसके निर्णयको सच्चे हृदयसे स्वीकार करनेकी बात सर्वमान्य हो गई।

३२

"अस्पृश्यताका बिलकुल नाश कर दें।

"विदेशी कपड़ेका एकदम त्याग कर दें।

"खादी पहनें।

"शराबका त्याग करें और दूसरोंसे करायें, जिससे शराबकी दुकानें सब बिलकुल बन्द हो जाय।

"बीड़ी-सिगरेट वगैरा व्यसनों पर और मौज-शौककी चीजों पर होनेवाला खर्च बचायें। शांति बनाये रखें और अहिंसाका पालन करें। जो लोग तैयार हों वे समय आने पर सत्याग्रहकी लड़ाईमें शरीक हों।"

बताये हुए काम शुरू किये गये

इसके पश्चात् गांधीजी तथा उनकी सेनाने असलाली गांवकी दिशामें प्रयाण किया और मजदूर गांधीजीका संदेश सुनकर छलछलाई आंखें लिये अहमदाबाद लौटे। दूसरे ही दिनसे मजदूरों और मजूर-महाजनने गांधीजीके बताये हुए काम हाथमें ले लिये। शराबबंदी और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके बारेमें जगह जगह सभायें होने लगीं और उनमें प्रस्ताव पास किये जाने लगे। मजदूर जनताने गांधीजीके संदेशको सार्थक बनानेके प्रयत्न आरंभ किये।

६ अप्रैलको गांधीजीने दांडीमें नमक पकाकर सत्याग्रहका आरंभ किया। उसीके साथ अहमदाबादमें मजदूरोंने भी सत्याग्रही नमक बेचना और खरीदना शुरू कर दिया। शराबकी दुकानों पर वे पिकेटिंग भी करने लगे।

गांधीजीको संतोष

मजदूरोंके इस कामसे गांधीजीको बहुत संतोष हुआ। उन्होंने कहा: "अहमदाबादके मिल-मजदूर स्वराज्य-यज्ञमें उत्तम रूपमें हिस्सा ले रहे हैं। उनमें से बहुतेरे मजदूर खादी पहनते हैं। वे नहीं तो उनके बालक सूत कातते हैं। वे शराबकी दुकानों पर पिकेटिंग करते हैं। कुछ मजदूरोंने नमक-कानूनका भंग भी किया है।"

गांधीजीकी गिरफ्तारीके बाद नमक-सत्याग्रहका रणक्षेत्र बना धरासणा गांव। वहां सत्याग्रह करनेके लिए मजदूरों और

कार्यकर्ताओंकी तीन टुकड़ियां भेजी गई थीं। धरासणामें सरकारने सत्याग्रहियों पर भयंकर जुल्म किये थे। वहांके सत्याग्रहमें भी मजदूर सैनिक शांत और अडिग रहकर लड़ाईमें जूझे थे।

अहमदाबादके मजदूरोंने शराब छोड़नेके लिए आंतरिक शुद्धि शुरू कर दी थी। शराबबंदीका जोरोंसे प्रचार किया जाता था; इसके साथ शराबकी दुकानों पर पिकेटिंग करनेका काम भी मजदूरोंने अपने हाथमें ले लिया। था। इसका मजदूरों पर अच्छा असर होने लगा था। इससे चिढ़कर शराबकी दुकानोंके मालिक पिकेटिंग करनेवाले स्वयंसेवकोंको पीटने लगे, चोरीसे शराब बेचने लगे और बादमें तो सरकार भी पिकेटिंग करनेवाले स्वयंसेवकोंको गिरफ्तार करके सजा देने लगी। लेकिन इस दमनसे सत्याग्रहकी लड़ाईका काम रुकनेके बजाय बड़े उत्साहसे चलने लगा। इसके फलस्वरूप शराबकी बिक्री बहुत घट गई। सरकारने भी स्वयंसेवकोंको पकड़ना छोड़ दिया।

१६ जुलाईको विशेष 'मजदूर-दिन' मनाया गया था और उस दिन अहमदाबादकी सभी मिलें बन्द रहीं थीं। उस दिन प्रभात-फेरी, जुलूस और सभाओंका कार्यक्रम रखा गया था। मद्य-निषेधके बारेमें जोरोंसे प्रचार किया गया था।

विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके बारेमें भी मजदूरोंने अच्छा उत्साह दिखाया था और अनेक लोगोंने खादी पहनना भी शुरू कर दिया था।

मजदूरोंने ये सब कार्य गांधीजी जेलसे छूटे तब तक बड़े उत्साहसे चलाये थे। उनमें काफी मात्रामें आंतरिक सुधार होने लगा था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन पर भी पड़ा था।

३३
अधिक विकास

१९३० की सत्याग्रहकी लडाईके दिनोंमें पंडित मदनमोहन मालवीय अहमदाबाद आये थे। उन्हें मजदूरोंके कार्यमें बडी दिलचस्पी थी। उनसे कहा गया था कि मजदूरोंको मकानों, पानी, पाखानों वगैराकी बड़ी कठिनाई है। सभामें जब उन्होंने मजदूरोंसे नहानेको कहा, तो मजदूर हंस पड़े। इसलिए मालवीयजीने पूछा "आप लोग हंसते क्यों हैं?" तब मजदूरोंने कहा. "हमें पीनेके पानीकी भी तंगी रहती है, तब नहानेके लिए हम पानीकी व्यवस्था भला कैसे करें?" दूसरे दिन मालवीयजीने चालोंमें जाकर मजदूरोंकी हालत देखी। एक ही नल पर पानी भरनेके लिए घड़े उठाये अनेक स्त्रियोंकी कतार लगी थी।

मिल-मालिक मंडलको सलाह

यह बात पं० मालवीयजीने मिल-मालिक मंडलके सामने अपने भाषणमें रखी:

"मैं दुबारा अहमदाबाद सार्वजनिक भाषण करने नहीं आया हूं, परन्तु *मजदूरोंकी स्थितिका निरीक्षण करने आया हूं।* मजदूर जिन चालोंमें रहते हैं उन्हें मैंने देखा है। इस बीसवीं सदीमें अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ऐसी चालोंको रहने ही क्यों देती है? मजदूरोंके लिए मकानोंकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। मजदूरोंके लिए जब पीनेका पानी भी नहीं है, तो नहानेका कहांसे होगा? पर नहाये बिना मजदूर अपना काम अच्छी तरहसे नहीं कर सकते। मजदूरोंको पाखानोंका भी कष्ट है। आप लोग मजदूरोंके लिए मकानोंकी योजना बनाइये।"

'मजूर-सन्देश' से जमानत मांगी

१९३० के सत्याग्रह-आन्दोलनके समय सरकार दैनिक अखबारों और सामयिक पत्रोंसे जमानत मांगती थी। 'मजूर-संदेश' से भी जमानत मांगी गई। परन्तु यह पत्र तो सत्याग्रहके सिद्धान्तोंका

पालन करनेवाला तथा मजदूर सरकारके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे उसका पुरस्कर्ता था। अतः उसके लिए जमानत देनेका प्रश्न ही नहीं उठता था। इस कारणसे लगभग छह महीने तक 'मजूर-संदेश' बन्द रहा। इसके बाद गांधी-इर्विन संधि हुई तब ता० २–२–'३१ को उसका प्रकाशन फिर आरंभ हुआ।

व्यवस्थाका आदर

गांधी-इर्विन संधिके बाद गांधीजी अहमदाबाद आये और ११ मार्च, १९३१ को उन्होंने अहमदाबादमें हुई एक विशाल मजदूर-सभामें भाषण दिया। दोपहरको स्त्रियोंकी एक सभा हुई, जिसमें अतिशय भीड़ होनेसे अव्यवस्था रही। लेकिन मजदूरोंकी सभामें ३० हजार मजदूर उपस्थित थे, फिर भी सुन्दर व्यवस्था रही। इससे गांधीजीको बड़ा संतोष हुआ। इस सभाकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा: "इस सभामें इतनी भारी संख्यामें मजदूर भाई और बहनें इकट्ठी हुई हैं, फिर भी शांति है। आपकी इस व्यवस्थाके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।"

मजदूरोंके साथ एकरूप

गांधीजीके भाषणके पहले सभामें उनके सामने मजूर-महाजनकी ओरसे एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस बातका उल्लेख किया गया था कि सत्याग्रहकी लड़ाईमें अहमदाबादके मिल-मजदूरोंने कैसा भाग लिया था।

मजदूरोंसे मिलकर गांधीजीको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा: "मैं परमेश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि आपके और मेरे बीच जो संबंध बंधा है वह दिनोंदिन दृढ़ बनता जाय और आप यह विश्वास करने लगें कि आपके और मेरे बीच कोई भेद नहीं है। मेरा मन सदा आपमें ही बसा रहता है। ईश्वरसे मेरा सबसे बड़ा आग्रह यह रहता है कि वह मुझे आपसे कभी अलग न करे। मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करते करते ही मरूं।"

गरीबसे गरीबको भी सुख मिले

इसके बाद मजूर-महाजनके बारेमें बोलते हुए गांधीजीने कहा: "जो लोग पश्चिमके देशोंसे यहां आते हैं, वे आपकी व्यवस्था और

आपके तंत्रका अध्ययन करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी यह संस्था अलौकिक है।"

उन्होंने मजदूरोंको उनकी जिम्मेदारीका स्मरण कराया और कहा कि उनसे वे कैसी कैसी अपेक्षायें रखते हैं: "मेरे मनमें हमेशा आपके ही विषयमें कल्पनायें और सपने बने रहते हैं। मुझे आपके समीप रहना और विचार करना अच्छा लगता है। यदि मैं आप लोगोंके साथ ओतप्रोत हो जाऊं, तो मुझे लगना चाहिये कि आप मिलोंका सारा ज्ञान प्राप्त करें। मैं यदि आपके साथ रहूं, तो मिलकी सारी बातें जान लूं और उसकी व्यवस्थामें भी सिर मारता रहूं। ये सब मेरे सपने हैं। ईश्वरसे मेरी यह प्रार्थना है कि कंगालसे कंगाल व्यक्तिको भी सुख मिले, फुरसत मिले और वह भारतके राजकाजमें भाग ले सके। मेरी यह कामना है कि मैं अपने इसी जीवनमें यह सब देख सकूं।"

दो पालियां

मिलोंके कपड़ा-उद्योगमें खूब प्रगति हो रही थी। कुछ नई मिलें अस्तित्वमें आई थीं और कुछ मिलोंने रात-पाली शुरू कर दी थी। आज तो मिलोंमें तीन पालियां चलती हैं। लेकिन उस समय रात-पालीकी बात नई थी। और कठिनाई तो यह थी कि दिन-पालीमें काम करनेवाले मजदूर रात-पालीमें भी जाते थे। इस तरह दिनमें और रातमें दुगुना काम करनेकी वजहसे स्वभावतः उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था। इसलिए मजूर-महाजनने इसका विरोध किया तथा मजदूरोंके प्रतिनिधि-मंडलने इस सम्बन्धमें एक प्रस्ताव भी पास किया। कुछ समय बाद दोनों पालियोंमें उन्हीं मजदूरोंका काम करना तो बंद हो गया, लेकिन रात-पाली एक मामूली बात हो गई।

रिश्वतकी बुराई

मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंसे वहांके जॉबर, जमादार वगैरा रिश्वत लेते थे। इसके सिवा, किसी न किसी बहानेसे मजदूरोंसे पैसा वसूल किया जाता था और मजदूर बेचारे अपनी नौकरी टिकाये रखनेके लिए लाचारीसे पैसे देते भी थे। मजूर-महाजनने इसके [illegible] आवाज उठाई और इस बातकी जांच करनेके लिए एक [illegible]

की। उसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि रिश्वत लेनेवालोंमें एक तरहका डर पैठ गया और रिश्वत देनेवालोंमें 'ना' कहनेकी हिम्मत आने लगी। धीरे धीरे यह बुराई कम होती गई और आज तो वह नहीं-जैसी हो गई है।

खादीहाटका उद्घाटन

१९३० के सत्याग्रहमें मजदूरोंने विदेशी कपड़ेके बहिष्कार-आन्दोलनमें अच्छा हिस्सा लिया था। कुछ मजदूर तो शुद्ध खादी भी पहनने लग गये थे। इससे खादीकी मांग बढ़ी थी। अब मजूर-महाजनके दफ्तरमें खादी बेचनेकी जो व्यवस्था की गई थी, उसमें विस्तार करनेकी जरूरत पैदा हो गई। इसलिए म्युनिसिपैलिटीने पानकोर नाके पर स्थित हंसराज प्रागजी हॉलके नीचे जो दुकानें बनाई थीं, उनमें से एक दुकान सस्ते किराये पर देनेकी उससे प्रार्थना की गई। दुकान मिल गई और ४ मई, १९३१ को उसमें आचार्य आनंदशंकर ध्रुवके हाथों खादीहाटका उद्घाटन किया गया। आचार्य ध्रुवने खादीहाटका उद्घाटन करते हुए कहा: "हमें गरीबोंकी मदद करनी है और उसके लिए खादीकी जरूरत है। गरीबोंको राहत दे सके ऐसी एक ही चीज है और वह खादी है।"

कारकुनोंमें जागृति

मजूर-महाजनकी स्थापनाको अब दस वर्षसे अधिक समय हो गया था, फिर भी मिलोंमें काम करनेवाले कारकुनोंके महाजनकी स्थापना नहीं हुई थी। अब उन लोगोंमें भी जागृति आने लगी। वे संगठनका महत्व समझने लगे थे। इस सबके फलस्वरूप ११ मई, १९३१ को कारकुनोंके महाजनकी स्थापना हुई और उसे मजूर-महाजनका एक अंग बना दिया गया। कारकुनोंके मजूर-महाजनमें शामिल होनेसे उसके विकासकी एक नई मंजिल शुरू हुई कही जायगी।

संयुक्त परिषद्की स्थापना

उद्योगसे संबंध रखनेवाले कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि यदि मिल[illegible] मजदूरों दोनों पक्षोंके आदमी एकसाथ बैठकर शुद्ध दृष्टिसे

उन्हें समझें-समझायें और हल करनेका प्रयत्न करें, तो वे हल हो जाते हैं। इस तरह अपने प्रश्नोंको हल करनेके लिए दोनों पक्षोंने एक संयुक्त परिषद्की स्थापना की और ता० ५-५-'३१ से उसकी बैठकें आरंभ हुईं।

व्हिटली कमीशन

मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेके लिए कुछ न कुछ करनेकी माग निरन्तर हुआ ही करती थी। इसलिए मजदूरोंकी स्थितिकी जाचके लिए सरकारने १९२९ में एक कमीशन नियुक्त किया। उसके अध्यक्ष व्हिटली नामक एक अंग्रेज थे, इसलिए उस कमीशनको व्हिटली कमीशन कहा जाता था। इस कमीशनमें मजदूरोंका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं था। केवल बम्बईके एक मजदूर-नेता एन० एम० जोशी उसमें थे। इसलिए अहमदाबादके मजूर-महाजन तथा भारतकी अन्य मजदूर-संस्थाओंका उस पर बहुत विश्वास नहीं था। इस कारणसे उसका बहिष्कार भी किया गया था। व्हिटली कमीशनने अपनी जाच पूरी करके १९३१ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

यह रिपोर्ट अनेक दृष्टियोंसे असंतोषकारक थी, फिर भी भारतकी मजदूर-प्रवृत्तिके इतिहासमें यह घटना महत्त्वपूर्ण मानी जायगी। एक विदेशी सरकारको भी मजदूरोंकी असुविधाओंके बारेमें कुछ उपयोगी सुझाव देनेकी बात सूझी। उस रिपोर्टको पढ़नेके बाद किसी तटस्थ व्यक्तिको भी ऐसा लगे बिना नहीं रह सकता था कि मजूर-महाजन मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेके बारेमें समय समय पर जो मागें करता रहता था उन्हें तुरन्त पूरा करना जरूरी है।

इस कमीशनकी रिपोर्टकी इंग्लैण्डके अखबारोंने भी कड़ी टीका की थी। उसमें कहा गया था कि भारतके मजदूरोंकी दुर्दशाके लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है; इसके लिए उसे लज्जित होना चाहिये और मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेका उसे तुरन्त प्रयत्न करना चाहिये।

व्हिटली कमीशनने अपनी रिपोर्टमें कामके घटे १० के बजाय ९ रखनेकी सिफारिश की थी। १० घंटेका कानून बना उसके पहले १९२० में मिल-मालिक मडलने मजूर-महाजनकी माग स्वीकार

कलोल, पेटलाद, नडियाद तथा भावनगरके और मध्यभारतसे इन्दौर तथा उज्जैनके प्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस सम्मेलनमें आये थे। अनसूयाबहनने स्वागत-समितिके अध्यक्ष-पदसे इन सब प्रतिनिधियोंका स्वागत किया। इसका एक विधान भी तैयार किया गया। एक तरहसे कहें तो अहमदाबादके मजूर-महाजनरूपी वटवृक्षको धीरे-धीरे जटायें फूटने लगीं और उनमें से एक भारत-व्यापी विशाल वृक्ष खड़ा होनेके आसार नजर आने लगे। इस सम्मेलनमें जिस मंडलकी स्थापना हुई, उसका नाम 'राष्ट्रीय मिल-मजदूर महामंडल' रखा गया।

म्युनिसिपैलिटीकी मकान-योजना

अहमदाबादके मजदूरोंके मकानोंका प्रश्न हमेशा मजूर-महाजनके ध्यानमें बना रहता था। मजदूर जिन मकानोंमें रहते थे, उनमें से अनेक मनुष्यके रहने लायक माने ही नहीं जा सकते थे। उस समय मजदूरोंके कुल २३७०६ मकानोंकी जांच की गई थी और उनमें से १६००० मकान मनुष्यके रहने लायक हालतमें नहीं थे। इसलिए उन्हें तुरन्त गिरा देनेकी सिफारिश की गई थी। देश-विदेशके नेताओंने भी इन मकानोंको देखा था और उनकी स्थितिमें जल्दीसे जल्दी फेरबदल करनेकी बात कही थी। १९२७ के बाढ़-संकटके समय कितने ही मजदूर निराश्रित बन गये थे। उसी समयसे मजूर-महाजनने इस प्रश्नको अपने हाथमें लिया था।

एक जोरदार आन्दोलन म्युनिसिपैलिटीको यह समझानेके लिए चलाया गया था कि वह भी मजदूरोंके लिए मकानोंकी सुविधा खड़ी करे और उससे विनती की गई कि वह मजदूरोंके लिए ५००० मकान बनवा दे। इसके फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटीने मकान बांधनेकी योजना तैयार की थी। साथ ही, मजूर-महाजनने म्युनिसिपैलिटीसे यह भी विनती की थी कि वह चालोंके मालिकोंको जरूरी सुविधायें दे।

जनताका आह्वान और गांधीजीकी गिरफ्तारी

लंदनमें गोलमेज परिषद्का काम पूरा करके गांधीजी सोमवार ता० २८-१२-'३१ को बम्बई आ पहुंचे। उस समय सरकारने दमनकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसी दिन बम्बईकी एक सभामें

[illegible] और जब [illegible] आर्डिनेंस निकाल [illegible] जाती है? अगर [illegible] नहीं [illegible] कहा : "हमारे [illegible] जगानेके लिए तैयार रहें।"

[illegible] १९३२ को सरकारने गांधीजीको जेलमें गिरफ्तार कर लिया। मजदूर भी गांधीजीके दुःखमें थे ही। अतः उन्होंने उसी दिन अहमदाबादके मजदूरोंको एक संदेश भेजा :

"आप सब दारूको त्याग दें। जुआ छोड़ दें। खादी पहनें। मिलजुलकर रहें। अस्पृश्यता और [illegible] जो कहीं रही हो [illegible] करें। अपने बच्चोंको शिक्षा दें। ईमानदारी और नेकीसे अपना काम करें। अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेमें मालिकोंसे वैर न बढ़ावें। स्वराज्य-यज्ञमें पूरा भाग लें।"

३४

वेतन-कटौतीके बारेमें मार्गदर्शन

१९२९ में दीवान बहादुर कृष्णलाल झवेरीने सरपंचके नाते जो निर्णय दिया था, उससे मजदूरोंको थोड़ा संतोष हुआ था। उसके बादका कुछ समय मजदूरों और मिल-मालिकोंके बीच किसी तरहके मतभेदके बिना शान्तिमें बीता। परन्तु १९३३ के सितम्बर महीनेमें मिल-मालिक मंडलने मजूर-महाजनको पत्र लिखकर बताया कि मंडल १६ अक्तूबर अर्थात् नये वर्षसे मजदूरोंके वेतनमें २५ प्रतिशत कटौती करनेका सोच रहा है।

पच्चीस प्रतिशत कटौतीकी मांग

[illegible] लिक मंडल जो २५ प्रतिशत कटौतीका विचार कर रहा [illegible] को लगभग पौन करोड़का लाभ और मजदूरोंको

इतना ही नुकसान होनेवाला था। इसलिए यह प्रश्न मजदूरों और मालिकों दोनोंके लिए महत्त्वका बन गया था। इस प्रश्नकी चर्चा पंचोंके सामने लगभग डेढ़ वर्ष तक चली, जिसमें अनेक छोटे-बड़े मुद्दोंकी छानबीन हुई। इस चर्चामें मिल-उद्योग तथा मजदूरोंकी उचित आवश्यकताओंके बारेमें अनेक उपयोगी तथ्य प्रस्तुत किये गये तथा ऐसे प्रश्नोंको उचित ढंगसे निबटानेके लिए सुमेलसे काम करने व न्याय-पूर्ण दृष्टिकोण रखनेके बारेमें गांधीजीकी कीमती सलाह मिली। यह दृष्टि और इसके सबधमें हुआ विचार-विमर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होनेके कारण तत्सम्बन्धी कुछ तथ्य साररूपमें यहा देना उपयोगी सिद्ध होगा।

मालिकोंका दृष्टिकोण

मिल-मालिक मंडलने मजदूरोंके वेतनमें २५ प्रतिशत कटौती करनेके लिए अनेक कारण बताये थे और अपने पत्रमें इस प्रश्नको २५ सितम्बर तक पंचके समक्ष रखनेकी सूचना भी की थी। वे कारण इस प्रकार थे: मिल-उद्योगकी स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई है, उत्पादनका खर्च बहुत ज्यादा आता है; उद्योगके दूसरे केन्द्रोंमें मजदूरोंके वेतनमें २५ प्रतिशत और इससे भी ज्यादा कटौती की गई है; दैनिक जीवनसे सबध रखनेवाली चीजोंके भाव बहुत ज्यादा गिर जानेके कारण मजदूरोंके जीवन-निर्वाहका खर्च काफी घट गया है, इसलिए मिल-उद्योगकी आजकी स्थितिमें यदि उसे टिकाये रखना हो, तो यह कटौती करनी ही पड़ेगी।

पंचके सामने रखी जानेवाली मांग

मिल-मालिक मडलका यह पत्र मिलते ही मजूर-महाजनके सयुक्त प्रतिनिधि-मंडलकी सभा हुई। उसने एक प्रस्ताव पास करके मिल-मालिक मडलको बताया कि "मजदूरोंके आजके वेतनमें कटौती करना अनुचित है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।" इस मामलेको पचके सामने ले जानेकी मिल-मालिक मडलकी सूचनाका इस सभाने स्वागत किया। इस समय स्व० सेठ मंगलदासके स्थान पर उनके छोटे भाई सेठ चमनलाल मालिकोंकी ओरसे नियुक्त पच और मजदूरोंके पंच गांधीजी थे।

सेठ मंगलदासका अवसान

६ दिसम्बर, १९३० को बम्बईमें सेठ मंगलदासका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बरसों तक अहमदाबादके मिल-उद्योगके नेताके रूपमें, मिल-मालिक मंडलके अध्यक्षके रूपमें तथा मालिकोंके एक पंचके रूपमें बड़ी सफलतासे कार्य किया था। उनकी व्यावहारिक बुद्धि, चतुराई, उद्योगके बारेमें उत्कृष्ट समझ-शक्ति, सज्जनता, गरीबोंके प्रति सहृदयता आदि गुणोंने अहमदाबादके मिल-उद्योगको समृद्ध बनानेमें बहुत बड़ा हाथ बंटाया था; उनके ये सब गुण मालिकों और मजदूरोंके संबंधोंको सुखद बनाये रखनेमें भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए थे। सेठ मंगलदासके कार्यकालमें पंचकी प्रथाका विकास हुआ, मिल-उद्योगकी दिनोंदिन अधिक प्रगति हुई और अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा मिल-उद्योगके क्षेत्रमें अधिक सुमेल और शांति बनी रही। इस परिणामको लानेमें सेठ मंगलदासके विवेक, सद्‌भावना तथा व्यवहार-कुशलताका बहुत बड़ा हाथ रहा।

मालिकोंके पंच सेठ चमनलाल

ऐसे सुयोग्य व्यक्तिके उठ जानेसे सबको शोक होना और उनकी कमी महसूस होना स्वाभाविक था। सेठ मंगलदासके अवसानके बाद जब मैं और खंडुभाई देसाई सेठ चमनलालसे मिलने गये, तब भाईकी यादसे उनका दिल भर आया, आंखें छलछला आईं। उन्होंने यह कहकर हमसे सहयोगकी मांग की कि बड़े भाईकी सारी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था, परन्तु बड़े भाईके अवसानके बाद उनकी जिम्मेदारी सिर पर आते ही वे बहुत नरम बन गये थे। सारी बातें वे धीरजसे सुनते थे, शांतिसे उन पर विचार करते थे और दूसरे पक्षके लिए अनुकूल बननेका भरसक प्रयत्न करते थे।

सेठ मंगलदासके स्थान पर वे पंचके सदस्य बने और वह काम उन्होंने सुंदर ढंगसे संभाल लिया। उनके व्यवहारमें सरलता थी। कुछ हद तक वे भोले भी थे। सेठ मंगलदासने पंचके नाते सद्‌भावकी जो प्रणाली बनाये रखी थी, उसका अनुसरण करनेका वे सतत प्रयत्न

करते थे। वेतन-कटौतीका जो गभीर प्रश्न उनके सामने आया, उसे हल करनेमें भी पंचके नाते उन्होंने उत्तम सेवा की।

मिल-मालिक मंडलका निवेदन

सितंबरमें पचकी पहली बैठक बबईमें हुई। दोनों पचोंके सामने जो बात रखी गई उसमे मिल-मालिक मडलने कहा कि १९३२ में मिल-उद्योगकी स्थिति अच्छी थी, किन्तु उस वर्षके अक्तूबर महीनेसे वह बिगड़ने लगी थी। अब तो दिनोंदिन वह अधिक बिगड़ती जा रही है और १९३३ के नौ महीनोंमें तो वह इतनी बिगड़ गई है कि घिसाई-फंडके लिए भी काफी रकम बचाई नही जा सकती।

कन्सिलियेशन बोर्ड

मतभेदके प्रश्नोंको हल करनेके सम्बन्धमे सबसे पहले दोनों पक्ष साथ बैठकर एक-दूसरेकी बातको समझें और निबटारा करनेका प्रयत्न करें तो अधिक अच्छा हो, इस खयालसे पंचके साथ साथ कन्सिलियेशन बोर्डकी भी व्यवस्था की गई। सेठ चमनलाल और मैं इस बोर्डके सदस्य थे। ऐसा सुझाया गया कि पचके समक्ष इस प्रश्नकी चर्चा होनेसे पूर्व इस बोर्डमें उस पर विचार कर लिया जाय। उस समय मिलोंके १९३२ के आय-व्यय विवरण प्रकाशित हो चुके थे। परन्तु १९३३ की निश्चित स्थिति जाननेके लिए कोई उपयोगी तथ्य प्राप्त नहीं हुए थे। बबईमें पचोंकी जो बैठक हुई उसमें कुछ मिलोंके नौ महीनोंके आय-व्यय विवरण नमूनेके रूपमें प्राप्त करनेका सेठ कस्तूरभाईका सुझाव स्वीकार किया गया था। परन्तु सोचने पर मजूर-महाजनको लगा कि २५ प्रतिशत कटौती मजदूरोंके लिए एक विकट प्रश्न है; इसलिए पूरी तफसीलें बतानेवाले तथ्य जब तक प्राप्त न हो तब तक सच्ची स्थिति समझमें आ ही नही सकती। अतः महाजनके मंत्रीने कन्सिलियेशन बोर्डसे कहा कि इस प्रश्न पर विचार करनेके लिए सारे प्रश्नोंका समावेश करनेवाला एक संपूर्ण लिखित केस हमें मिलना चाहिये और इसके लिए सभी मिलोंके आय-व्ययके वार्षिक विवरण हमारे सामने पेश किये जाने चाहिये। इस संबंधमें आवश्यक तथ्योंकी

सेठ मंगलदासका अवसान

६ दिसम्बर, १९३० को बम्बईमें सेठ मंगलदासका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बरसों तक अहमदाबादके मिल-उद्योगके नेताके रूपमें, मिल-मालिक मंडलके अध्यक्षके रूपमें तथा मालिकोंके एक पंचके रूपमें बड़ी सफलतासे कार्य किया था। उनकी व्यावहारिक बुद्धि, चतुराई, उद्योगके बारेमें उत्कृष्ट समझ-शक्ति, सज्जनता, गरीबोंके प्रति सहृदयता आदि गुणोंने अहमदाबादके मिल-उद्योगको समृद्ध बनानेमें बहुत बड़ा हाथ बंटाया था; उनके ये सब गुण मालिकों और मजदूरोंके संबंधोंको सुखद बनाये रखनेमें भी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए थे। सेठ मंगलदासके कार्यकालमें पंचकी प्रथाका विकास हुआ, मिल-उद्योगकी दिनोंदिन अधिक प्रगति हुई और अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा मिल-उद्योगके क्षेत्रमें अधिक सुमेल और शांति बनी रही। इस परिणामको लानेमें सेठ मंगलदासके विवेक, सद्भावना तथा व्यवहार-कुशलताका बहुत बड़ा हाथ रहा।

मालिकोंके पंच सेठ चमनलाल

ऐसे सुयोग्य व्यक्तिके उठ जानेसे सबको शोक होना और उनकी कमी महसूस होना स्वाभाविक था। सेठ मंगलदासके अवसानके बाद जब मैं और खंडुभाई देसाई सेठ चमनलालसे मिलने गये, तब भाईकी यादसे उनका दिल भर आया, आंखें छलछला आईं। उन्होंने यह कहकर हमसे सहयोगकी मांग की कि बड़े भाईकी सारी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था, परन्तु बड़े भाईके अवसानके बाद उनकी जिम्मेदारी सिर पर आते ही वे बहुत नरम बन गये थे। सारी बातें वे धीरजसे सुनते थे, शांतिसे उन पर विचार करते थे और दूसरे पक्षके लिए अनुकूल बननेका भरसक प्रयत्न करते थे।

सेठ मंगलदासके स्थान पर वे पंचके सदस्य बने और वह काम उन्होंने सुंदर ढंगसे संभाल लिया। उनके व्यवहारमें सरलता थी। कुछ हद तक वे भोले भी थे। सेठ मंगलदासने पंचके नाते सद्भावकी जो प्रणाली बनाये रखी थी, उसका अनुसरण करनेका वे सतत प्रयत्न

करते थे। वेतन-कटौतीका जो गंभीर प्रश्न उनके सामने आया, उसे हल करनेमें भी पंचके नाते उन्होंने उत्तम सेवा की।

मिल-मालिक मंडलका निवेदन

सितंबरमें पंचकी पहली बैठक बंबईमें हुई। दोनों पंचोंके सामने जो बात रखी गई उसमें मिल-मालिक मंडलने कहा कि १९३२ में मिल-उद्योगकी स्थिति अच्छी थी, किन्तु उस वर्षके अक्तूबर महीनेसे वह बिगड़ने लगी थी। अब तो दिनोंदिन वह अधिक बिगड़ती जा रही है और १९३३ के नौ महीनोंमें तो वह इतनी बिगड़ गई है कि घिसाई-फंडके लिए भी काफी रकम बचाई नहीं जा सकती।

कन्सिलियेशन बोर्ड

मतभेदके प्रश्नोंको हल करनेके सम्बन्धमें सबसे पहले दोनों पक्ष साथ बैठकर एक-दूसरेकी बातको समझें और निबटारा करनेका प्रयत्न करें तो अधिक अच्छा हो, इस खयालसे पंचके साथ साथ कन्सिलियेशन बोर्डकी भी व्यवस्था की गई। सेठ चमनलाल और मैं इस बोर्डके सदस्य थे। ऐसा सुझाया गया कि पंचके समक्ष इस प्रश्नकी चर्चा होनेसे पूर्व इस बोर्डमें उस पर विचार कर लिया जाय। उस समय मिलोंके १९३२ के आय-व्यय विवरण प्रकाशित हो चुके थे। परन्तु १९३३ की निश्चित स्थिति जाननेके लिए कोई उपयोगी तथ्य प्राप्त नहीं हुए थे। बंबईमें पंचोंकी जो बैठक हुई उसमें कुछ मिलोंके नौ महीनोंके आय-व्यय विवरण नमूनेके रूपमें प्राप्त करनेका सेठ कस्तूरभाईका सुझाव स्वीकार किया गया था। परन्तु सोचने पर मजूर-महाजनको लगा कि २५ प्रतिशत कटौती मजदूरोंके लिए एक विकट प्रश्न है; इसलिए पूरी तफसीलें बतानेवाले तथ्य जब तक प्राप्त न हों तब तक सच्ची स्थिति समझमें आ ही नहीं सकती। अतः महाजनके मंत्रीने कन्सिलियेशन बोर्डसे कहा कि इस प्रश्न पर विचार करनेके लिए सारे प्रश्नोंका समावेश करनेवाला एक संपूर्ण लिखित केस हमें मिलना चाहिये और इसके लिए सभी मिलोंके आय-व्ययके वार्षिक विवरण

एक सूची भी मंत्रीने बोर्डके पास भेज दी। परन्तु यह सारी सामग्री तैयार हो इस बीच जितने तथ्य प्राप्त हो सकें उन्हींके आधार पर आगे बढ़नेकी तैयारी उन्होंने दिखाई।

प्रश्नोंकी लंबी सूची देखकर सेठ चमनलाल बहुत घबराये। उन्होंने कहा कि ऐसे तथ्य कभी दिये ही नहीं जा सकेंगे; और कन्सिलियेशन बोर्डकी सदस्यतासे अलग होनेके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा गांधीजीको लिख भेजा। अंतमें २५ प्रतिशत वेतन-कटौतीका प्रश्न स्थायी पंचोंके सामने आया।

गांधीजीकी सलाह

गांधीजी पंचके कार्यसे संबंध रखनेवाली कठिनाइयोंको अच्छी तरह समझते थे। उन्हींकी प्रेरणासे मालिकों और मजदूरोंने पंचकी प्रथा स्वीकार की थी। परन्तु पंचके कार्यके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियोंकी दोनों पक्षोंको जैसी चाहिये वैसी वास्तविक कल्पना नहीं थी। इस वजहसे पंचके कामकाजमें कठिनाइयां पैदा होती थीं। गांधीजी उचित सलाह देकर धैर्यके साथ ये कठिनाइयां दूर करते थे और दोनों पक्षोंके विचारोंको उचित दिशामें मोड़ते रहते थे।

मजदूरोंके वेतनमें कटौती करनेकी मांग मिल-मालिकोंने की थी, इसलिए कटौतीका औचित्य सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी उनकी थी और इस सम्बन्धमें आवश्यक तथ्य, आंकड़े, स्पष्टीकरण आदि उन्हींको देने चाहिये थे। अतः यह स्पष्ट था कि इस मामले पर सोचने-विचारनेके लिए मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओं या पंचोंके मनमें जो भी प्रश्न उठें और उनके बारेमें जो भी तथ्य उनकी ओरसे मांगे जायें, वे सब मालिकोंको मुहैया करने चाहिये थे। परन्तु यह सब करनेके लिए मालिक तैयार नहीं थे। उनका मन इस तरह सोच ही नहीं सकता था। इस सम्बन्धमें उन लोगोंका मानस ऐसा बन गया था कि व्यापार-उद्योगकी बातें गुप्त मानी जाती हैं; वे किसीको बताई नहीं जा सकतीं। इस कारण मजूर-महाजन ब्योरेवार तथ्योंकी जो मांग मालिकोंसे करता था, उसे पूरा करना मालिकोंको कठिन मालूम होता था। परन्तु पंचोंकी ...क होने पर गांधीजीने उन्हें समझाया कि दोनों पक्षोंकी दलीलें तो

पंचोंके पास होनी ही चाहियें। इस पर मिल-मालिक मंडलके मंत्री गोरधनभाई पटेल और मजूर-महाजनके मंत्री खंडुभाई देसाई इस मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंके विषयमें गांधीजीके सुझाव लेनेके लिए वर्धा गये। इस अवसर पर आरंभमें गोरधनभाईने गांधीजीसे कहा कि गुल-जारीलाल नंदा जो तथ्य हमसे मांगते हैं, वे व्यापार-उद्योगके सम्बन्धमें गुप्त माने जायंगे, इसलिए वे दिये नहीं जा सकते। इस पर गांधीजीने इस विषयमें अपने विचार बताते हुए कहा :

"२५ प्रतिशत कटौतीकी बात आप लेकर आये हैं, इसलिए आपको अपना केस प्रस्तुत करना चाहिये; मजदूरोंके वेतनमें कटौती की जानी चाहिये, यह आपको सिद्ध करना होगा।" इसके बाद उन्होंने कहा: "बम्बईमें कटौती की गई है इसलिए अहमदाबादमें भी की जानी चाहिये, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा।"

इसके बाद हम गांधीजीसे मिले तब भी उन्होंने मालिकोंके प्रतिनिधिसे यही कहा: "आप अपना केस मेरे सामने इस तरह रखें कि उसमें सारे सबूत आ जायं। उसके बाद मैं गुलजारीलालका उत्तर ले लूंगा और सेठ चमनलालके साथ दो-चार घंटे बैठकर सारी बातका निबटारा कर दूंगा।" उसके बाद गांधीजीने यह बात बहुत भारपूर्वक कही कि मिल-मालिकोंको कटौतीके बारेमें अपना केस पंचके सामने और मजूर-महाजनके सामने भी रख देना चाहिये, जिससे वे सच्ची स्थितिको समझ सकें और मजदूरोंको उसे समझा सकें। मालिकोंसे गांधीजीने यह भी कहा कि आप लोग अपना केस वकील द्वारा तैयार करवा कर प्रस्तुत करें। यह सूचना उन्होंने इस कारणसे की थी कि मिल-मालिक अपनी बात सुव्यवस्थित रूपमें तफसीलवार रख सकें।

निर्भयताका मार्ग

मजदूरों और मालिकोंके बीच मीठा संबंध और सुमेल बना रहे इस बातको गांधीजी बहुत महत्त्व देते थे और इस मार्ग पर इन दोनोंको मोड़नेके लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। इस बातकी ओर दोनोंका ध्यान खींचते हुए उन्होंने कहा: "अभी तक मैं अकेला ही 'अखिल भारत मजदूर कांग्रेस' से अलग रहा हूं। लेकिन जब हम — यानी

मिल-मालिक मंडल और मजूर-महाजन दोनों — बिलकुल निर्भय बन चुके होंगे, उस समय तो सारे भारतमें हम इसी पद्धतिसे कार्य करेंगे।"

मिल-मालिक मंडलने भी इस बातको स्वीकार करते हुए कहा: "हम अहमदाबाद मजूर-महाजनके साथ काम करते आये हैं। सरकारके दफ्तरमें और लेबर कमीशनकी रिपोर्टोंमें भी अहमदाबादके मजूर-महाजनको आदर्श कहा गया है।"

उनकी यह बात सुनकर गांधीजीने कहा: "भारतमें ऐसा एक भी दूसरा यूनियन (मजदूर-संघ) नहीं है। हमारे बीच चाहे जितना संघर्ष चलता हो, परन्तु बाहर तो यही छाप है कि अहमदाबादमें मालिक और मजदूर एक-दूसरेके पूरक हैं। यह मेल अन्यत्र भी सिद्ध करने जैसा है। अहमदाबादमें मालिकों और मजदूरोंके बीच जो मेल है, वह चिरस्थायी बना रहे यही कामना हमें करनी चाहिये।"

गोरधनभाईने भी इस बारेमें गांधीजीको विश्वास दिलाते हुए कहा: "कमसे कम १० वर्ष तक तो यह मेल बना ही रहेगा।"

यह सुनकर गांधीजीको बड़ा संतोष हुआ। वे बोले: "बस, अगर दस वर्ष तक यह मेल निभ गया, तो समझ लो कि सदा ही निभता रहेगा। आजका समय ही जरा कठिन है।"

दुनियामें मजदूरों और मालिकोंके बीच चलनेवाले संघर्षको तथा उससे उत्पन्न होनेवाले मनमुटावको देखकर दोनों पक्षोंके बीच शांति, सुमेल और परस्पर सहयोगके वातावरणमें सारे ही प्रश्नोंका सुखद निराकरण करनेके लिए गांधीजीने जो प्रयोग आरंभ किये थे, उनका रहस्य उन्होंने अपने ऊपरके उद्‌गारोंमें प्रकट कर दिया। इस प्रकार गांधीजी प्रेमकी शक्तिसे उस विषम कालमें दोनों पक्षोंकी नाव खेते रहे।

मिल-मालिक मंडलका निवेदन

इसके बाद दो माहका समय निकल गया। दिसंबरमें मिल-मालिक मंडलने एक निवेदन प्रस्तुत किया। उसमें मंडलने कहा:

१. अहमदाबादमें मिल-मजदूरोंका वेतन उत्पादन-खर्चके ५० प्रतिशत जितना है और यहांकी मिलोंमें स्पिनिंग-विभाग तथा बुनाई-विभागके मजदूरोंको देशके किसी भी केन्द्रसे अधिक वेतन मिलता है।

२. इसके सिवा, १९१४ तथा १९२१ की तुलनामें चीजोंके भाव घटनेसे जीवन-निर्वाहका खर्च ५० प्रतिशत घट गया है, जब कि मजदूरोंका वेतन ढाई गुना बड़ा हुआ है। मिल-उद्योगकी स्थिति जब अच्छी थी तब पंचने वेतनमें जो वृद्धि और बोनस दिलाया, वह हमने दिया है। इसलिए अब उद्योगकी स्थिति बिगड़ने पर वेतनमें कटौती भी करनी ही चाहिये।

निश्चित नियमकी सूचना

मजूर-महाजनने इसका जो उत्तर दिया उसमें दो-तीन बड़े महत्त्वकी और बुनियादी बातें थीं। मिल-मालिक मंडलकी मुख्य दलील यह थी कि उद्योगकी स्थिति खराब है। परन्तु थोड़े समयकी नफेकी घट-बढ़से निश्चित अनुमान नहीं निकाला जा सकता। इसलिए महाजन-की ओरसे यह कहा गया कि इस तरहकी बातोंके लिए कोई नियम निश्चित कर दिया जाना चाहिये। वह इस प्रकार निश्चित किया जाय: अमुक प्रतिशतसे कम नफा मिलेंगे तो ही मजदूरोंके वेतनमें कटौती की जाय और अमुक प्रतिशतसे अधिक नफा हो तो मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि की जाय। लेकिन मजदूरोंके लिए कमसे कम — न्यूनतम — वेतन तो निश्चित होना ही चाहिये। उद्योगकी स्थिति चाहे जैसी हो, फिर भी मजदूरोंको निश्चित किया हुआ न्यूनतम वेतन मिले तो ही वे जी सकते हैं।

मालिकोंका कमीशन

इसके सिवा, मजूर-महाजनने कहा कि मालिकोंने अपने लाभको ध्यानमें रखकर कमीशन लेनेकी पद्धतिमें भी परिवर्तन किये हैं। पहले वे मालके उत्पादन पर कमीशन लेते थे, अब वे उसकी बिक्री पर कमीशन लेते हैं। १९१८ में वे एक रतल पर तीन पाई कमीशन लेते थे, अब बिक्रीकी कीमत पर ३॥ प्रतिशत कमीशन लेते हैं। इस तरह पुरानी पद्धतिकी अपेक्षा इस नई पद्धतिसे उन्होंने इन वर्षोंमें ५ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त किये हैं। कमीशनके रूपमें अगर वे एक बड़ी रकम ले, तो उसके बाद स्वाभाविक रूपसे नफा कम दिखाई

भविष्यको ध्यानमें रखकर घिसाई-फंड काटता है, अपनी साखकी रक्षाके लिए डिविडेंड और ब्याज देनेमें नहीं चूकता और मिलोंके मालिक कम-ज्यादा नफा तो लेते ही हैं। ऐसी स्थितिमें जो हजारों मजदूर दिन-रात मेहनत करके उद्योगके संचालनमें अपनी जानकी बाजी लगाते और पसीना बहाते हैं और फिर भी जिन्हें जीविका चलाने लायक वेतन भी नहीं मिलता, उनके उस अपर्याप्त वेतनमें २५ प्रतिशत कटौती करनेकी बात सचमुच बड़ी दुःखद थी। गांधीजी मालिकोंके हृदयमें मानवताकी यही दृष्टि उतारनेका जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। गांधीजी द्वारा प्रकट किये गये इन विचारों तथा उनकी इस भावनाकी ओर सबका ध्यान खींचते हुए गुलजारीलाल नंदाने कहा "उद्योगकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो, आज मजदूरोंको निर्वाह चलाने लायक वेतन नहीं मिलता। इसलिए उसमें कटौती करनेकी गुंजाइश ही नहीं है।"

आय-व्ययके वार्षिक विवरण दिखाने ही चाहिये

इसके बाद जनवरी १९३४ में स्थायी पंचकी बैठक बंगलोरमें हुई। उस बैठकमें मिल-मालिक मंडलने जो निवेदन प्रस्तुत किया, उसमें यह दलील दी कि मिलोंका नफा चुकता पूंजी पर नहीं परन्तु मूल पूंजी पर गिना जाना चाहिये और उसी तरह गिना जाता है। मंडलके प्रतिनिधि कुछ मिलोंके १९३३ के नौ महीनोंके आय-व्यय विवरण भी तैयार कराकर लाये थे। ये विवरण गांधीजीको दिखलानेकी इच्छा उन्होंने प्रकट की। परन्तु यह सारी जानकारी व्यापार-उद्योगसे सम्बन्धित गुप्त और निजी जानकारी थी, इसलिए इसे नंदाको दिखानेसे उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन गांधीजीने उनसे कहा कि ये विवरण आपको नंदाको भी जरूर ही दिखाने चाहिये। उन्होंने कहा: 'लेबर एसोसियेशन (मजूर-महाजन) को आप ये बातें न बतायें, तो उसकी स्थिति बड़ी विषम हो जाय।" इसके सिवा, मालिकोंने एक यह दलील भी दी थी कि लंकाशायर और जापानके मजदूरोंको भी अहमदाबादके मजदूरोंसे कम वेतन मिलता है। मालिकोंकी इस दलील-को गलत सिद्ध करनेवाले तथ्य प्रस्तुत करके गांधीजीने कहा: "अह-मदाबादकी मिलें यदि सुखी हैं, तो यहांके मजदूरोंको भी सुखी

होगा। फिर, बम्बईमें या विदेशोंमें मजदूरोंको चाहे जो वेतन मिलता हो, परन्तु मैं तो अहमदावादमें हमें जो कुछ करना है उसको सामान्य लोग समझ सकें ऐसा हिसाब ही करूंगा।"

सामान्य लोगोंकी समझमें आनेवाला हिसाब

मजदूरों और मालिकोंके मतभेद पर विचार करते समय गांधीजीकी दृष्टि बड़ी व्यावहारिक रहती थी और वे ऐसी मोटी बातोंको ध्यानमें रख कर अपना मत बनाते थे, जो साधारण विचार करने पर भी आसानीसे समझमें आ सकती थीं। अपने विचारकी इस पद्धतिको गांधीजी सामान्य लोगोंकी समझमें आनेवाली पद्धति कहते थे और इस पद्धति पर बार-बार जोर देते रहते थे: "मजदूरोंको कम वेतन लेना चाहिये या नहीं, यह मेरे लिए एक सामान्य लोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाला — प्राकृत — प्रश्न है। ६० मिलोंका इतना घाटा और इसके लिए मजदूरोंसे मांगी जानेवाली इतनी कुरबानी — इसे आपको मेरे सामने सिद्ध करना होगा। आप लोग अपनी दृष्टिसे कहें, मजदूर अपनी दृष्टिसे कहें; उसके बाद मैं सामान्य लोगोंकी समझमें आनेवाला हिसाब करूंगा।"

न्यूनतम वेतन

गांधीजीने यहां भी मजदूरोंके लिए न्यूनतम वेतनकी बात कही: "हम न्यूनतम वेतन तय कर सकें, तो मजदूरोंको निर्भय बना सकेंगे।" मजदूरों और मालिकोंके बीच कभी कभी मतभेद खड़े हो सकते हैं, परन्तु दोनोंके सम्बन्ध तो सुमेलवाले ही होने चाहिये। इस विषयमें भी उन्होंने फिर कहा: "मालिकों और मजदूरोंके बीच वैरभाव होना ही चाहिये ऐसा नहीं है। मतभेद दोनोंके बीच हो सकता है। हमें अहमदाबादके उदाहरणसे सारे भारतको सबक सिखाना है।"

उद्योगके हितकी चिन्ता

गांधीजीकी दृष्टि सर्वथा निष्पक्ष थी और सबके हितकी चिन्ता करनेवाली थी। उनका यह आग्रह था कि मिल-मालिक सारी बातोंकी जानकारी गुलजारीलालको दें। उन्होंने यह भी कहा कि "गुलजारी-

लालकी कोई बात मुझे अनुचित लगी, तो उन्हें भी मुझे दबाना होगा।" जैसे मुझे मजदूरोंके हितकी चिन्ता है वैसे ही उद्योग तथा मालिकोंके हितकी भी मुझे चिन्ता है, यह बात समझाते हुए उन्होंने मालिकोंसे कहा: "आप लोगोंको नुकसान हो, यह मुझे अच्छा थोड़े ही लगता है। आपकी समृद्धिमें मेरी भी समृद्धि है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिलोंको यदि नुकसान होता हो, तो उन्हें इस नुकसानको सिद्ध करना होगा।

स्पष्ट हिसाब

इसी बैठकमें गुलजारीलाल नदाने बताया कि कुछ बातोंमें मुझे निष्णातोंकी सलाह लेनी होगी। गांधीजीको यह बात अनुचित लगी। उन्होंने तुरन्त गुलजारीलालसे कहा. "यह ठीक नहीं है। आप स्वय ही जो कुछ समझ सकें समझ लें। आपको ऐसी तैयारी करके आना चाहिये कि आप स्वय ही अपने पक्षके बारेमें निश्चित बातें कह सकें।" मिल-मालिक अमुक तथ्य अलग अलग निकाल कर मुहैया करनेमें आनाकानी करते थे। उनमें गांधीजीने यह आग्रह किया कि आपको सारे तथ्य अलग अलग करके गुलजारीलालको स्पष्ट समझाने चाहिये। उन्होंने मालिकोंसे कहा "जिस प्रकार आपका कमीशन गुप्त वस्तु नहीं है, उसी तरह मजदूरोंका वेतन भी गुप्त नहीं रहना चाहिये। *यह बात एक क्षणके लिए भी बरदाश्त नहीं की जा सकती।* यदि मैं मजदूर होऊं तो सोचूंगा कि मिलनेवाले वेतनका निश्चित आंकड़ा बताये बिना मेरे वेतनमें कटौती कैसे की जा सकती है? मुझे तो आप स्पष्ट हिसाब निकाल कर बता दीजिये। मुझे इतना तो समझाने दीजिये कि वेतनमें कटौती करनेके बाद मिल-उद्योग कहा तक निभ सकेगा? कुछ तो आपको भी 'मिनिमम वेज' (न्यूनतम वेतन) निश्चित करना ही पड़ेगा। पहले तो आपको मजदूरोंके लिए 'लिविंग वेज' (जीवन-वेतन) निश्चित करना पड़ेगा और फिर यह तय करना होगा कि उसके ऊपर अथवा नीचे आप वेतनको नहीं ले जायंगे। मैं भी एक छोटा शेयर-होल्डर हूं। मिलें चलें इसमें मेरा भी स्वार्थ है। आप लोग मेहनत करते हैं। मजदूर भी कड़ी मेहनत करके वेतन लेते हैं। बुद्धि

आपकी है। मजदूर संख्यामें बहुत हैं, उनका बड़ा समुदाय है। मजदूरोंके एक प्रतिनिधिके नाते मैं कह सकता हूं कि आपकी यह अपील टिक नहीं सकती। मजदूरोंसे त्याग कराना हो तो उनके सामने आप यह सिद्ध तो कीजिये कि मिल-उद्योग इस कटौतीके बिना निभ नहीं सकता। वे इसे समझ लेंगे तो स्वयं ही इस बारेमें सोचेंगे।"

वेतनमें कटौती कब हो सकती है?

गांधीजीने मालिकोंसे यह भी कहा कि इस प्रश्न पर विचार करते समय आपको कमीशन और घिसाई-फंडकी बातको छोड़ ही देना चाहिये। डिविडेन्डका भी बिलकुल विचार नहीं करना चाहिये। परन्तु मालिकोंने कहा कि शेयर-होल्डरोंको डिविडेन्ड तो देना ही चाहिये; यदि न दिया जाय तो बाजारमें मिलोंकी साख नहीं रह जायगी और डिपोजिटर (अमानत रखनेवाले लोग) मिलोंमें ब्याजसे अपना पैसा रखनेमें हिचकेंगे। गांधीजी मालिकोंकी कठिनाई पर भी सहानुभूतिसे विचार करते थे। उन्हें मालिकोंकी इस दलीलमें कुछ सत्य मालूम हुआ, इसलिए डिविडेन्डके बारेमें उन्होंने अपवाद करनेकी तैयारी बताई। लेकिन मालिकोंके कमीशनके विषयमें तो वे दृढ़ थे। उन्होंने मालिकोंसे कहा: "यदि आप अपना कमीशन न छोड़ें, तो आपको मजदूरोंके पास जानेका अधिकार ही नहीं आता।"

नफेके बंटवारेकी योजना

इसके बाद गांधीजी पटना गये। वहां मजदूरों और मालिकोंके प्रतिनिधि उनसे मिले। वेतनकी कटौतीके बारेमें यह सुझाया गया कि मिलोंके कम या अधिक नफेके अनुसार मजदूरोंके वेतनमें घट-बढ़ हो सके ऐसी 'प्रॉफिट शेयरिंग' की — नफेके बंटवारेकी — योजना तैयार की जाय, तो यह इस उलझन भरे प्रश्न पर विचार करनेमें सहायक होगा। इस सुझावके सम्बन्धमें गांधीजी द्वारा प्रकट किये विचारोंको [illegible]
[illegible]

मालिकोंकी सूचनायें ये थी :

१. भारतके अन्य केन्द्रोंमें दिये जानेवाले वेतनको ध्यानमें रखा जाय।

२. दूसरे केन्द्रोंकी तुलनामें अहमदावादमें जीवन-निर्वाहका जो खर्च आता हो उसे ध्यानमें रखा जाय।

३. मजदूरोंकी कार्य-दक्षताको ध्यानमें रखा जाय।

४. हिसाबके लिए स्पष्ट नफा नीचे बताये ढंगसे ही निकाला जाय :

(क) घिसाई-फंड अलग कर दिया जाय।

(ख) कमीशन मालिकोंको दे दिया जाय।

(ग) डिविडेंड बांट दिया जाय। उसकी दरें निश्चित कर दी जायें। उसके बाद जो रकम बाकी रहे उसमें से मजदूरोंको कितना भाग दिया जाय, यह निश्चित किया जाय।

मजूर-महाजनके प्रतिनिधिने नीचेकी सूचनायें कीं :

१. सबसे पहले मजदूरोंको निर्वाह-वेतन दिया जाय।

२. उनकी कार्य-दक्षताको ध्यानमें लिया जाय।

३. भारतके तुलना करने योग्य दूसरे केन्द्रोंमें मजदूरोंको मिलनेवाले वेतनको ध्यानमें लिया जाय।

वकीलकी सलाह लें

इसके बाद पंचोंकी बैठक अहमदाबादमें हुई। उसमें नफेके बटवारेकी योजनाके बारेमें सेठ चमनलालने कहा कि यह विचार मैंने सब मिल-मालिकोंके सामने रखा था, परन्तु ऐसी योजना कराना कठिन मालूम होता है। इस बैठकमें वेतन-कटौतीके बारेमें गांधीजीने मालिकोंसे स्पष्ट कहा कि कमीशन और घिसाई-फंडको छोड़कर ही आप मजदूरोंकी वेतन-कटौतीकी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा "मजदूरोंके वेतनमें आप तभी कोई कटौती कर सकते हैं जब आपका व्यापार चल ही न सके। इसके बिना आप मजदूरोंको कटौतीकी बात न्यायपूर्वक समझा नहीं सकेंगे। कटौतीकी बात तो अंतिममें अंतिम हो सकती है, पहली नहीं हो सकती। किसी अपंग आदमी पर कटौती लादना क्या हमें कैसे शोभा देगा? हमारे धर्ममें

ऐसी परिस्थितिमें मेरा निर्णय प्राप्त करनेमें भी मालिकोंका हित नहीं है, ऐसा गांधीजीको लगता था। इसलिए उन्होंने मालिकोंसे कहा :

"मेरा निर्णय आपके विरुद्ध जाय, यह आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा निर्णय लेनेमें आपकी शोभा नहीं रहेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहीं बैठा रहूं और आपको समझाता रहूं कि या तो आप मुझे निरुत्तर कर दें या मैं आपको निरुत्तर कर दूं। यह सच है कि मुझे आपके कामके लिए बहुत समय देना चाहिये, लेकिन आज मैं इसके लिए लाचार हूं।"

अन्तमें गांधीजीके स्थान पर दूसरा पंच नियुक्त करके कामको आगे बढ़ानेका निश्चय किया गया। जैसा मजूर-महाजनका गांधीजीमें विश्वास था वैसा ही मालिकोंका भी उनमें विश्वास था। मालिकोंका यह दृढ़ विश्वास था कि गांधीजी कभी हमारा अकल्याण चाहेंगे ही नहीं, हमारे साथ कभी अन्याय करेंगे ही नहीं। इसलिए सेठ चमनलालने गांधीजीसे कहा : "दूसरे पंचके साथ चर्चा करनेके बाद अगस्तमें यदि आपके पास समय हो, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको १५–२० प्रतिशत कटौती करना उचित लगे, तो आप वैसा करनेकी इजाजत हमें दीजिये।" यह सुनकर गांधीजी हंस पड़े। उन्होंने सेठ चमनलालसे कहा : "हां, १५–२० प्रतिशत ही क्यों ?" इस पर गुलजारीलाल नंदाने कहा : "आप मजदूरोंको खाने, पीने और रहनेकी सुविधा दे दीजिये; उसके बाद उनका सारा वेतन आप ले लीजिये।"

इस प्रकार बड़े प्रेमसे सबकी बातें हुईं। गांधीजीने सेठ चमनलाल-का अगस्तमें मिलनेका प्रस्ताव मान लिया। इससे सब लोगोंको सन्तोष हुआ। इस प्रकार गांधीजीके सामने चली वेतन-कटौतीकी यह चर्चा पूरी हुई।

३५

नया पंच, गांधीजीकी सलाह और समझौता

दृष्टिसे जो कुछ कहने लायक हो उसे आप बताते रहें। इसके उत्तरमें सूबेदारने निखालिस दिलसे कहा : "इस कामके बारेमें कानून-कायदेकी दृष्टिसे सोचना-विचारना जरा भी जरूरी नहीं है। दोनों पक्षोंको जो कुछ कहना हो कहें, जो कुछ पूछना हो पूछें या जो भी जानकारी लेनी हो लें। पंचोंको भी जो कुछ कहना हो कहें। इसके बाद दोनों पंच मिलकर उस पर विचार करें।" सूबेदारकी इस स्पष्टताके बाद संकोचके लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई और हर बातकी उन्मुक्त भावसे चर्चा होने लगी। सूबेदारकी वृत्ति सारी बातोंको अच्छी तरह समझ लेनेकी थी, इसलिए हर बातकी बारीकीसे छानबीन होने लगी। सारी जरूरी और महत्त्वपूर्ण बातोंके विषयमें सूबेदारके साथ पंचकी जो बैठकें हुईं, उनमें सेठ चमनलाल भी कुछ अधिक दिलचस्पी लेकर चर्चामें उतरने लगे और मदद करने लगे।

ब्योरेवार तथ्योंकी चर्चा

चर्चामें उन प्रश्नोंके सम्बन्धमें दोनों पक्षोंकी ओरसे अनेक तथ्य ब्योरेवार प्रस्तुत किये गये, जो पहलेके पंचोंकी बैठकोंमें उपस्थित हुए थे। चर्चामें नफा और नफेका प्रमाण, कमीशन और कमीशनका हिसाब, घिसाई और घिसाईका हिसाब, डिविडेन्ड और उसका उचित प्रमाण, मजदूरोंके लिए जीवन-वेतन और उसका प्रमाण, मजदूरोंकी कुशलता, मिलोंका उत्पादन और उसकी बिक्री, मिलोंमें उपयोग किया जानेवाला कच्चा माल और उसके भाव तथा इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक छोटी-बड़ी बातें ब्योरेवार दोनों पक्षोंकी ओरसे पंचोंके समक्ष रखी जाने लगीं। साथ ही साथ इन सबके बारेमें सवाल-जवाब भी होते रहे।

इन चर्चाओंमें मालिकोंकी ओरसे सेठ साकरलाल, सेठ शांतिलाल तथा मिल-मालिक मंडलके मंत्री गोरधनभाई पटेल और मजूर-महाजनकी ओरसे गुलजारीलाल नंदा तथा खंडुभाई देसाईने प्रमुख भाग लिया। सूबेदार तथा सेठ चमनलाल भी ये सारी चर्चायें बड़े ध्यानसे सुनते थे, उनके सम्बन्धमें उचित सलाह देते थे और जरूरी मालूम होता वहां दोनों अपने विचार भी प्रकट करते थे।

दोनों पक्षोंको मान्य आंकड़े

ये चर्चायें कई दिन तक चलीं। दोनों पक्षोंकी ओरसे बड़ी ज़ोरदार दलीलें पेश की गईं और उन परसे इस बातका खयाल हुआ कि दोनों-के बीच कितना बड़ा अंतर है। इन चर्चाओंसे सम्बन्ध रखनवाले बुनि-यादी तथ्यों और आंकड़ोंके बारेमें भी दोनोंके बीच भारी फर्क दिखाई देता था। इस कारणसे सूबेदारने यह सुझाया कि किसी महत्त्वपूर्ण मामलेसे सम्बन्ध रखनेवाले आंकड़े ऐसे ही होने चाहिये, जिन्हें दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। इसके लिए दोनों पक्षोंके ऑडिटर साथमें बैठकर आंकड़ोंकी जांच करें और उन्हें पेश करें, ताकि उनके बारेमें किसीको कोई प्रश्न ही न करना पड़े। ये आंकड़े प्राप्त करनेकी रीतियोंमें भी दोनों पक्षोंके बीच बड़ा फर्क मालूम हुआ। इसलिए सूबेदारने कहा कि यदि हिसाबके लिए दो भिन्न पद्धतियां अपनाई गई हों, तो उनके बारेमें भी उल्लेख किया जाय, जिससे सब कोई भलीभांति समझ सकें कि आंकड़े किस प्रकार और कौनसी पद्धतिसे तैयार किये गये हैं। मज-दूरोंके वेतनकी कटौतीके इस प्रश्नके सम्बन्धमें अत्यन्त महत्त्वकी बात तो थी उद्योगकी स्थितिकी; और उसके बारेमें यह कहा गया कि मिलोंके नफा-नुकसानके एक-दो वर्षके आंकड़ोंके आधार पर उद्योगकी स्थितिका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः इस बारेमें भी यह तय हुआ कि ४–५ वर्षके आंकड़े ऐसे ढंगसे पंचोंके सामने रखे जायं कि उनकी तुलना आपसमें की जा सके।

परस्पर विचार-विनिमयकी सूचना

उद्योग-सम्बन्धी आंकड़े और तथ्य पंचके सामने रखनेके बारेमें जो निर्णय किये गये, उनसे वेतन-कटौतीके प्रश्न पर सोचने-विचारनेका काम कुछ सरल बन गया। फिर भी जब यह पता चला कि दोनों पक्षोंके बीचका अंतर तो पहले जितना ही है, तो सूबेदारने १४ सित-म्बरकी पंचोंकी बैठक शुरू करते हुए यह सुझाया कि दोनों पक्ष आपसमें मिलकर विचार-विनिमय करें और एक मत पर आनेका प्रयत्न करें। उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक निर्णय पर पहुंच सकें, तो पंच उनके इस निर्णयको ही अपने निर्णयके रूपमें घोषित कर

सकते हैं। बेशक, इस प्रश्नके सम्बन्धमें पेश किये गये तथ्यों, आकड़ों तथा दलीलों आदिकी जाच करनेमें स्वभावतः बहुत समय लगेगा। लेकिन यदि दोनों पक्ष एक मत पर आ सकें, तो यह समय बच जाय। यदि पचोंको ही निर्णय देना पड़ा, तो वह किसी एक पक्षके विरुद्ध अवश्य ही जायगा। परन्तु यदि दोनो पक्ष मिलकर उचित निर्णय पर पहुंचे, तो इस स्थितिसे भी बचा जा सकता है। सूबेदारका यह सुझाव पच-प्रथाके पीछे रही भावनाके अनुरूप था, जिसे दोनो पक्षोंने स्वीकार कर लिया। इसलिए पंचोंकी बैठक दूसरे दिनके लिए स्थगित रहीं।

दूसरे दिन जब पचोंकी बैठक शुरू हुई तब मनु सूबेदारके प्रश्नके उत्तरमें सेठ साकरलालने कहा कि यथासभव प्रयत्न करने पर भी दोनों पक्ष एकमत नही हो सके हैं। इस पर पंचोंको लाचारीसे अपना काम आगे बढ़ाना पड़ा। बादकी चर्चामें मनु सूबेदारने स्वय दोनों पक्षोंसे कुछ महत्त्वकी बातों पर प्रश्न पूछे, जिससे उनके बारेमें अच्छी स्पष्टता हो सकी।

जीवनकी जरूरतोंके भाव

वेतन-कटौतीकी मागमें मिल-मालिकोंका एक मुद्दा यह था कि जीवनकी जरूरतोंके भावोंमें ५० प्रतिशत कमी हो गई है। परन्तु इस बारेमें सूबेदारने मालिकोंसे जो प्रश्न पूछे उनके उत्तरोंसे यह स्पष्ट हो गया कि जीवन-निर्वाहके आकड़ोंमें १९३० तक ही २५ प्रतिशत कमी हो चुकी थी और उस कमीके बावजूद दीवान बहादुर कृष्णलाल झवेरीने मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि कर दी थी। १९३० के बाद भावोंमें जो कमी हुई वह बहुत मामूली थी, इसलिए मालिकोंकी उपर्युक्त दलीलमें कोई खास सचाई नहीं रह जाती थी।

कमीके आंकड़ोंका हिसाब

मिल-मालिकोंने मजदूरोंके वेतनमें २५ प्रतिशत कटौतीकी माग की थी। सूबेदारने प्रश्न किया कि यह २५ प्रतिशतका आकड़ा किस हिसाबसे *तय किया गया था? प्रश्न यह था कि आकड़ा १५ या २० या* २४ प्रतिशत न रखा जाकर २५ प्रतिशत ही क्यों तय किया गया? इसके उत्तरमें मिल-मालिक मंडलकी ओरसे यह कहा गया कि १९३२ के

आखिरी महीनेसे उद्योगकी स्थिति बिगड़ती मालूम हुई, इसलिए उस स्थितिको टिकाये रखनेके लिए जरूरी वेतन-कटौतीका हिसाब लगाकर २५ प्रतिशतका आंकड़ा निश्चित किया गया। परन्तु इसके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट हिसाब पंचोंके सामने पेश नहीं किया गया।

मालिकोंकी दलील

इसके बाद मजदूरोंके जीवन-निर्वाहके लिए वेतनके न्यूनतम प्रमाणकी चर्चा हुई। मजूर-महाजनका यह कहना था कि मजदूरोंको आजीविकाके लिए पर्याप्त हो सके ऐसा न्यूनतम वेतन अवश्य मिलना चाहिये। अपनी इस दलीलमें महाजनने गांधीजी और दीवान बहादुर झवेरीके विचारोंकी ओर पंचों तथा मालिकोंका ध्यान खींचा था। मालिकोंने इस विषयमें अपना स्पष्ट मत प्रकट किया कि हम ऐसा कोई न्यूनतम प्रमाण स्वीकार नहीं कर सकेंगे। हमारी जिम्मेदारी केवल उद्योगको चलानेकी और उसके हितोंका ध्यान रखनेकी ही है। मजदूरोंका वेतन तो हम आसपासके केन्द्रों तथा अन्य केन्द्रोंकी परिस्थितियोंका अध्ययन करके ही निश्चित कर सकते हैं। मजदूरोंकी अधिकता हो और वे कम वेतन पर मिल सकते हों, तो हम उन्हें कम वेतन भी देते हैं। और यदि मजदूरोंकी कमी हो और उन्हें अधिक वेतन देना पड़े, तो हम अधिक वेतन भी देते हैं। परन्तु इतना ध्यान हमें जरूर रखना पड़ता है कि अधिक वेतन उद्योगको पुसायेगा या नहीं। मालिकोंकी इस बातसे स्पष्ट पता चलता था कि उनका मन इस प्रश्नके विषयमें किस तरह काम कर रहा था।

वेतन-कटौतीके बारेमें मालिकोंकी खास दलील उद्योगकी स्थितिसे सम्बन्ध रखती थी। उनकी दलील यह थी कि घिसाई-फंडकी रकम अलग निकाले बिना कुल मूल पूंजी (ब्लॉक) पर यदि ८ प्रतिशत नफा हो, तो उद्योग टिक सकता है; इसलिए इतना नफा तो होना ही चाहिये। अपनी इस दलीलका समर्थन वे टैरिफ बोर्डकी १९३४ की रिपोर्टके आधार पर करते थे। परन्तु इस सम्बन्धमें किये गये प्रश्नोंके उत्तरमें जो हकीकतें सामने आईं, उनके आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि १९२७ के बादके अच्छे वर्षोंमें भी मिल-उद्योगको इतना नफा नहीं हुआ

था। १९२९ में उद्योगको जो नफा हुआ था वह बहुत अच्छा माना गया था; और उस वर्षके नफेको देखकर दीवान बहादुर सर्वेरने मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि करनेका निर्णय किया था। उस वर्ष भी उद्योगको ७½ प्रतिशत ही नफा हुआ था। इसलिए मंदीके समयमें भी ८ प्रतिशत नफेका आग्रह रखना कितना अनुचित था, इस बातकी ओर मनु सूबेदारके प्रश्न सबका ध्यान खींचते थे।

वेतन-सम्बन्धी स्पष्ट मर्यादायें

इन सारे सवालों और जवाबोंके बारेमें जो तथ्य सामने आते जा रहे थे, उनकी वजहसे सूबेदारके मनमें जो विचार उठे, उन्हें बिना किसी दुराव-छिपावके उन्होंने सबके सामने प्रकट कर दिया। पंच-प्रथाको स्वीकार करनेसे दोनों पक्षों पर जो जिम्मेदारी आती थी, उसकी ओर ध्यान खींचते हुए उन्होंने कहा: "दोनों पक्षोंको मजदूरोंके वेतनके बारेमें अमुक मर्यादायें निश्चित कर देनी चाहिये। किसी भी हालतमें मालिकोंको एक निश्चित मर्यादासे नीचे मजदूरोंके वेतनको ले जानेका विचार नहीं करना चाहिये। उसी प्रकार मजदूरोंको किसी भी हालतमें अमुक मर्यादासे अधिक वेतन पानेका विचार नहीं करना चाहिये।" उन्होंने यह मत प्रकट किया कि ऐसी स्पष्ट मर्यादाओंमें रहकर ही पंचों द्वारा वेतन-सम्बन्धी प्रश्नोंका निबटारा किया जा सकता है। उनका कहना था कि दोनों पक्षोंको इस बात पर सोच-विचार कर यथावसर पंचोंकी मदद करनी चाहिये।

भविष्यकी बात

इस विषयके अनुसंधानमें मनु सूबेदारने मालिकोंसे ये प्रश्न भी किये: "आज आप २५ प्रतिशत कटौती करें, तो फिर भविष्यमें तो ऐसा नहीं करेंगे न? और यदि उद्योगकी स्थिति सुधर जाय, तो जो कटौती आप करेंगे वह मजदूरोंको लौटा देंगे न?" इन प्रश्नोंका मालिकोंने जो उत्तर दिया वह तो इतना ही था कि यह सब भविष्यकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अंतमें सूबेदारके एक प्रश्नके उत्तरमें मालिकोंने यह भी कहा कि मिलोंकी स्थितिको सुधारनेका एकमात्र मार्ग हमारी रायमें वेतन-कटौती ही है।

इसके बाद भी मिल-मालिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों और दलीलोंके बारेमें सूबेदारने उनसे अनेक प्रश्न किये और उनमें जो कुछ अनुचित था उसकी ओर मालिकोंका ध्यान खींचनेका प्रयत्न किया। इससे मालिकों द्वारा अपनाई गई नीतिमें कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ, परन्तु इतना कहा जा सकता है कि मालिक भी इस विषयमें थोड़ा विचार करने लगे।

मजूर-महाजनके प्रतिनिधियोंसे प्रश्न

विचारोंकी स्पष्टताके लिए सूबेदारने जैसे मालिकोंसे अनेक प्रश्न किये, वैसे ही मजूर-महाजनके प्रतिनिधियोंसे भी किये। उन्होंने पूछा: "मालिकोंने जो २५ प्रतिशत कटौतीकी मांग की है उसके अनुसार यदि कटौती की जाय, तो मजदूरों पर उसका क्या असर होगा?" इस असरके बारेमें महाजनके मंत्री गुलजारीलाल नंदाने कहा कि यह कटौती यदि वेतनमें की जाय, तो मजदूरोंकी स्थिति असह्य हो जायगी। पहली बात यह है कि इससे उनका कर्ज बढ़ेगा। और कर्ज बढ़ानेकी शक्तिकी भी एक मर्यादा होती है, इसलिए अंतमें उन्हें अपने घर-बार, खान-पान और कपड़े-लत्तेके बारेमें भारी फेर-बदल करना पड़ेगा। इस सबके ब्योरेमें न जाकर उन्होंने कहा कि इस कटौतीसे मजदूरोंकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जायगी और उनके बालकोंको भी बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। परन्तु इसका सबसे ज्यादा बुरा असर तो मजदूरोंके मन पर पड़ेगा। आज उनके भीतर अपने जीवनको सुधारनेकी जो भावना जागी है, वह सर्वथा नष्ट हो जायगी; और यदि उनमें यह भावना उत्पन्न हो जाय कि आजकी समाज-रचनामें उनके लिए आशाका कोई स्थान नहीं है, तो उद्योगको चलाने तथा उसकी स्थितिको सुधारनेके जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वे सब व्यर्थ हो जायंगे।

सूबेदारके प्रश्नके उत्तरमें नंदाने यह भी कहा कि यदि उद्योगकी स्थिति अत्यन्त खराब हो जाय और अन्य कोई मार्ग न रहे, तो वेतनमें कटौती भी स्वीकार करनी पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बादमें यदि उद्योगकी स्थिति सुधर जाय, तो मजदूरोंको पहलेका वेतन दिलानेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य होगा।

इसके बाद सूबेदारने मजूर-महाजनके मंत्रीसे पूछा: "आज यदि मालिक वेतन-कटौतीकी मांग लेकर न आये होते, तो क्या आपने मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि करनेकी मांग की होती?" इस प्रश्नके उत्तरमें नंदाने कहा: "ऐसा हमें जरूर लगता है कि आज मजदूरोंको जो वेतन मिलता है, उससे उन्हें ज्यादा मिलना चाहिये। परन्तु १९२७ में गांधीजीने यह कहा था कि नफा जब तक अमुक हदसे ऊपर न जाय, तब तक वेतनमें वृद्धिकी मांग नहीं की जा सकती। और उस सलाह-को मानकर संयम रखना हमें अपना कर्तव्य मालूम होता है।"

इस मौके पर सूबेदारने पुनः पंचकी व्यवस्थाके उद्देश्यके विषयमें अपने विचार प्रकट करते हुए कहा. "आप पंचकी प्रथाको स्वीकार करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप दोनों एक-दूसरेके साथ शक्तिकी होड़ नहीं लगाना चाहते। इसका अर्थ यह हुआ कि लड़ाईके मानस-को त्यागकर मालिक और मजदूर एक-दूसरेकी स्थितिसे अनुचित लाभ उठानेके प्रयत्नसे दूर रहें।" जब इस बातको गुलजारीलालने स्वीकार किया, तो सूबेदारने इस विचारको आगे बढ़ाते हुए कहा: "मजदूरों और उद्योगकी एक-दूसरेके प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए जब उद्योगकी स्थिति खराब हो तो मजदूरोंको उद्योगकी मदद करनेकी बात स्वीकार करनी चाहिये।"

न्यूनतम वेतन

इस सम्बन्धमें गुलजारीलालने कहा: "मजदूरोंको एक निश्चित न्यूनतम वेतन देनेकी नीति स्वीकार की जानी चाहिये। वेतनका ऐसा न्यूनतम प्रमाण निश्चित करना दोनों ही पक्षोंके हितमें है। और यदि ऐसा प्रमाण निश्चित हो जाय, तो फिर उद्योगको टिकाये रखनेके लिए मजदूरोंको यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये।"

न्यूनतम नफा

इस पर सूबेदारने कहा: "जिस तरह मजदूरोंको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये, उसी तरह पूंजीको भी न्यूनतम नफा मिलना चाहिये।" इस सम्बन्धमें अपने विचार स्पष्ट करते हुए गुलजारीलाल नंदाने

कहा: "यह तो उचित ही माना जायगा। किन्तु इस सम्बन्धमें मजदूरोंके न्यूनतम वेतनको प्रथम स्थान मिलना चाहिये, क्योंकि उसी पर मजदूरोंके निर्वाहका आधार रहता है। मजदूर उद्योगको टिकाये रखनेमें मदद करते हैं, इसलिए मजदूर कार्यक्षम स्थितिमें बने रहें इसके लिए उन्हें न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिये। इसका उचित प्रबन्ध हो जानेके बाद यदि मजदूरोंको अपनी सुख-सुविधाके लिए अधिक वेतन चाहिये, तो उस पर विचार करनेसे पूर्व हमें इस बातका आवश्यक रूपमें विचार करना होगा कि उद्योगके लिए नफेका जो न्यूनतम प्रमाण निश्चित किया गया है वह उसे मिलता है या नहीं।"

इस विषयमें अधिक प्रश्नोत्तर होने पर मैंने कहा: "एक वर्षके लिए भी यदि उद्योगको चलानेमें मूल पूंजी खर्च करनी पड़े, तो यह स्थिति गंभीर मानी जायगी। वैसी स्थितिमें मजूर-महाजन भी जरूर उस पर सोचेगा।"

अंतर कम कीजिये

इस चर्चाके बाद सूबेदारने दोनों पक्षोंसे यह आग्रह किया कि वे एक-दूसरेके प्रति अपनी जिम्मेदारीको समझ कर उद्योग और मजदूरोंके लिए नफे तथा वेतनका निश्चित प्रमाण सूचित करें। उन्होंने कहा: "इस प्रश्न पर तो दोनों पक्ष यह चाहते मालूम होते हैं कि दोनोंको उचित मुआवजा मिले। दोनोंके विचारोंमें खास कोई बात परस्पर विरोधी मालूम नहीं होती। लेकिन जब हम विचारोंकी दुनियासे बाहर निकल कर आंकड़ोंके निश्चित प्रमाणके बारेमें सोचने लगते हैं, तब विषम स्थिति खड़ी हो जाती है। मालिक कुल मूल पूंजी (ब्लॉक) पर ८ प्रतिशत नफा चाहते हैं, परन्तु सामान्यतः उन्हें इतने प्रतिशत नफा मिलता मालूम नहीं होता। दूसरी ओर, मजूर-महाजन भी मजदूरोंके लिए वेतनका ऐसा स्तर चाहता है, जिससे आज वे १० प्रतिशतसे २५ प्रतिशत जितने दूर हैं। यदि दोनों पक्ष इस तरह अवास्तविक विचार पंचोंके समक्ष रखें, तो उनका काम अतिशय कठिन बन जाता है।" इसलिए उन्होंने दोनों पक्षोंसे यह विनती की कि "पंचोंकी कठिनाईका खयाल करके दोनों ही पक्ष उद्योग तथा

मजदूरोंके उचित मुआवजेके बारेमें अपने विचारोंके बीचका अंतर कम करके एक मत पर पहुंचें तो ठीक हो।" फिर भी दोनों पक्ष किसी समझौतेके आधार पर एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके।

अलग अलग निर्णय

अंतमें मिल-मालिक मंडलकी ओरसे गोरधनभाई पटेलने कहा : "उद्योगकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि उसे यह राहत मिलनी ही चाहिये। यदि यह राहत समय पर नहीं मिली, तो फिर उद्योगको उससे कोई भी लाभ नहीं होगा।" जब मिल-मालिकोंकी ओरसे यह बात पंचोंके सामने रखी गई, तो मनु सूबेदारको लगा कि इस प्रश्न पर तुरन्त ही पंचोंको अपना निर्णय देना चाहिये। अतः दोनों पंचोंने इस विषयमें विचार-विनिमय करके अपना अलग अलग निर्णय दिया। सूबेदारको इस लम्बी जांचके बारेमें ऐसा लगा कि मजदूरोंके वेतनमें कटौती करने जैसी स्थिति उद्योगकी नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्णय दिया कि मजदूरोंके वेतनमें बिलकुल कटौती न की जाय। इसके विपरीत, सेठ चमनलालने २५ प्रतिशत कटौतीके पक्षमें अपना मत दिया।

सूबेदारकी बारीक छानबीन

गांधीजीके स्थान पर मनु सूबेदार आये उसके बाद लगभग दो माह तक पंचोंका काम चला। अपने व्यवसायी जीवनमें इतने दिनोंका समय निकाल कर इस महत्वपूर्ण विषयकी चर्चा और विचार-विमर्शमें उन्होंने बड़ी कीमती मदद की। उनके मार्गदर्शनकी वजहसे ही इस प्रश्नसे सम्बन्धित अनेक छोटी-मोटी बातोंकी बारीक छानबीन हो सकी। परन्तु इस कार्यमें उन्होंने जो सहायता की उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उन्होंने पंचकी व्यवस्थाके बारेमें गांधीजीकी भावना तथा कार्य-प्रणालीकी उत्तम रक्षा की। परस्पर सद्भाव और एक-दूसरेके प्रति जिम्मेदारीकी भावना — ये दोनों भावनायें इस पंच-प्रथाकी प्राण हैं — को जाग्रत रखकर तथा उनका पालन करके सारी बातों पर सोचने-विचारनेकी प्रेरणा सूबेदार दोनों पक्षोंको देते रहे। पंचोंकी बैठकमें दोनों पंच एकमत न हो सके, फिर भी सूबेदारको

प्रेरणा और मार्गदर्शनके फलस्वरूप दोनों पक्ष एक-दूसरेके विचारों और दृष्टिबिन्दुओंको अधिक अच्छी तरह समझने लगे और इस प्रकार एक-दूसरेके निकट आने लगे।

सेठ चमनलालकी साफदिली

पंचोंके इस कार्यमें सेठ चमनलालने जो मदद की, वह भी विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। वेतनमें कटौती करनेका मालिक बहुत आग्रह करते थे, इसके लिए वे अत्यन्त अधीर बन रहे थे; फिर भी गांधीजीके साथ और बादमें सूबेदारके साथ पंचोंकी बैठकमें कई दिनों तक जो लंबी चर्चा चली, उसे धैर्यके साथ सुनकर सेठ चमनलाल शुद्ध हृदयसे उचित मार्गदर्शन देते रहे। इससे पंचोंका कार्य बड़ा सरल हो गया था। सेठ मंगलदासके बाद पंचकी इस प्रथाको सुरक्षित रखने तथा विकसित करनेमें मालिकोंकी ओरसे सेठ चमनलालका बड़ा कीमती हाथ रहा। इससे उद्योगकी और मजदूर जनताकी बड़ी सेवा हुई है।

नई परिस्थिति

इस कटौतीके प्रश्न पर जब दोनों पंचोंमें मतभेद खड़ा हुआ, तो यह मामला सरपंचको सौंपनेकी बात तय हुई। सरपंचके रूपमें बंबई हाईकोर्टके सेवा-निवृत्त न्यायाधीश पाटकरको पसंद किया गया। दोनों पंचोंने अपना अपना भिन्न निर्णय उनके सामने रखा। इस बीच एक नई परिस्थिति खड़ी हुई, यद्यपि चर्चाओंमें सूबेदारने उसके विषयमें पहलेसे ही संकेत कर दिया था। १९३५ के आरंभमें ही कारखानोंके कानूनके अनुसार कामके घंटे १० से ९ हो गये थे। इस परिवर्तनके फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितिको ध्यानमें रख कर मिल-मालिकोंने १० प्रतिशत कटौती करनेका निर्णय किया और ऐसी नोटिसें भी मिलोंमें लगा दीं। मजूर-महाजनने कहा कि इस प्रश्नका निबटारा भी पंचों द्वारा कराया जाय। परन्तु मिल-मालिकोंने उत्तर दिया कि इसमें पंचोंके सामने रखने जैसी कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, इस प्रश्नको लेकर यदि लड़ाई लड़नी पड़े, तो उसके लिए लड़ाईका संचालन करनेवाली एक संग्राम-समितिकी रचना भी मिल-मालिक मंडलने कर

दी। मजदूर-पक्षको भी इसमें खतरा दिखाई दिया और जनताके मनमें भी आशंका पैदा हुई कि न मालूम कैसी स्थिति इस प्रश्नके कारण खड़ी हो जाय।

सावधानीसे रखी जानेवाली संभाल

इस प्रश्न पर चर्चा करनेके लिए सेठ कस्तूरभाई, गुलजारीलाल नंदा और मैं जनवरी १९३५ में गांधीजीसे दिल्लीमें मिले। हमारी चर्चा हुई। कोई कुशल माली जिस तरह सावधानीसे छोटेसे पौधेको खाद-पानी देकर और उसके आसपासकी मिट्टीको खोदकर उसे बड़ा और अच्छा वृक्ष बनानेका प्रयत्न करता है, उसी तरह गांधीजी सावधानीसे पंचके बालवृक्षका लालन-पालन करके उसका विकास कर रहे थे। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि इस वृक्षके नीचे ही मिल-उद्योग, मालिक और मजदूर दोनों शीतल छाया प्राप्त कर सकते हैं। अतः गांधीजीने पुनः दोनों पक्षोंको समझौते पर लानेका प्रयत्न किया। इसका मालिकों और मजदूरों दोनों पर अच्छा असर भी हुआ। अहमदाबादसे सेठ चमनलाल और उनके साथी तथा खंडुभाई देसाई दिल्ली आये। दो दिन तक उनकी गांधीजीसे लम्बी बातचीत हुई, जिसके अंतमें गांधीजीकी प्रेरणासे दोनों पक्षोंके बीच सुखद समझौता हुआ।

समझौता

इसके पूर्व दोनों पक्षोंके अलग अलग निर्णय सरपंचको सौंप दिये गये थे। इसलिए दिल्लीमें हुए इस समझौतेकी सूचना उन्हें कर दी गई और उनसे यह विनती की गई कि इस समझौतेको स्वीकृति देकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें। न्यायमूर्ति पाटकरने १३-१-'३५ को इसके लिए अपनी अनुमति दी। इस समझौतेकी महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं:

१. १९३० में मजदूरोंके वेतनमें जो ६¼ प्रतिशत वृद्धि की गई थी, उसे मालिक वापस ले लें।

२. १९३६के आरम्भमें अमानी काम करनेवाले मजदूरों (पीस वर्कर्स) के वेतनका स्तर सब मिलोंके लिए एकसा कर दिया जाय।

३. परिस्थितियोंके अनुसार मजदूरोंके वेतनमें अपने-आप घट-बढ़ हो सके, ऐसी (ऑटोमेटिक एडजस्टमेन्टकी) योजना बनाई जाय।

४. जो मिल 'रेशनलाइज़ेशन' न करना चाहे, वह १ घंटेका दुगुना काम देकर १० घंटे काम चला सकती है। १ घंटेके दुगुने कामके लिए मजदूरोंको ४५ प्रतिशतके हिसाबसे वृद्धि दी जाय।

५. मिलोंको 'रेशनलाइज़ेशन' करनेकी छूट रहे, लेकिन वह इस शर्त पर कि उससे मजदूरोंका स्वास्थ्य न बिगड़े और उनमें बेकारी न फैले। मजदूरोंको नौकरीसे अलग करनेकी जरूरत पड़े तब जिन मजदूरोंको दुगुने कामका लाभ मिला हो उनकी पत्नियोंको और जिन्हें उद्योगमें काम पर लगे एक सालसे कम समय हुआ हो उन्हें ही अलग किया जाय। और इन खाली पड़ी हुई जगहोंको भरनेका मौका आये उस समय ऐसे मजदूरोंको पहले पसंद किया जाय, जिन्हें नौकरीसे अलग किया गया था। जो मजदूर दुगुना काम करते हों, उन्हें अतिरिक्त कामके लिए ३५ प्रतिशत वृद्धि दी जाय और किसी विशेष कामके लिए ४७½ प्रतिशत तक वृद्धि दी जाय। नये मजदूरोंको भरती न किया जाय, बल्कि अलग किये गये और काम पर लगाने लायक मजदूरोंकी सूची बनाई जाय। 'रेशनलाइज़ेशन' पर नियंत्रण और देखरेख रखनेके लिए मिल-मालिक मंडल तथा मजूर-महाजन एक संयुक्त समितिको रचना करें।

दोनोंके हितोंकी रक्षा

इस निर्णयके सम्बन्धमें मजदूरोंको एक संदेश भेजते हुए गांधीजीने कहा :

"मुझे आशा है कि आप लोगोंकी मजदूरीकी दरोंके बारेमें चल रहे झगड़ेके सम्बन्धमें जो समझौता हुआ है, उसका आप सब हर्षसे स्वागत करेंगे। आपकी ओरसे जो वेतन-कटौती स्वीकार की गई है, उसे आप भी खुशीसे स्वीकार करें। उसमें आपका हित ही है; और मेरा विश्वास है कि उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह कोई मामूली बात नहीं है कि जिस नीतिको हम वर्षोंसे स्वीकार कराना चाहते थे, उसीसे सम्बन्ध रखनेवाले तत्त्वोंका स्वीकार इस समझौतेमें हुआ है।

अब जल्दीसे जल्दी इसके अमलकी योजना तैयार करनी होगी। आपको यह समझानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये कि इस समझौतेके अमलका आधार अधिकतर आपकी शुद्ध नीयत और व्यवहार पर है। जो आदमी यह याद रखेगा कि मालिकों और मजदूरों दोनोंका हित मिल-उद्योगके टिके रहनेमें है, उसे इस समझौतेको समझनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं तो जबसे आपके सम्पर्कमें आया हूं तभीसे कहता रहा हूं कि मिल-उद्योग न तो अकेले मालिकोंका है और न अकेले मजदूरोंका। मालिकोंकी पूंजी यदि धन है, तो आपकी पूंजी आपका श्रम है। दोनोंका मिलाप न हो तब तक दोनों ही निकम्मे हैं। यह बात अगर आपके हृदयमें उतर गई हो, तो आप समझ जायंगे कि इस समझौतेमें दोनों पक्षोंके हितोंकी रक्षा हुई है, और जो सपना हम आज तक देखते आये हैं, उसे सिद्ध करनेकी दिशामें हम कुछ आगे बढ़े हैं और अपने ध्येयके निकट पहुंचे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सब मजदूर भाई-बहन सर्वानुमतिसे इस समझौतेको स्वीकार करेंगे।"

ध्येयकी दिशामें प्रगति

इस प्रकार गांधीजीके मार्गदर्शनमें एक महान औद्योगिक संकट टल गया और मालिकों तथा मिल-मजदूरोंके सम्बन्धोंमें फूट न पड़ने पाई। भारतके अनेक अखबारोंने भी इस समझौतेकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की। इस प्रकार लगभग डेढ़ वर्ष तक चर्चाओं और समझौतेकी बातचीतोंके भंवरमें उलझा हुआ यह एक बड़ा और विकट प्रश्न दोनों पक्षोंके सुमेलसे हल हो गया।

३६

सुमेल और शांतिका महत्त्व

ब्रिटेनके प्रधान मंत्री मैकडोनल्डने जब यह निर्णय घोषित किया कि धारासभाओंके चुनावमें हरिजनोंको पृथक् मताधिकार मिलना चाहिये, तो गांधीजीको गहरी वेदना हुई। यह निर्णय हिन्दुओंकी तथा देशकी एकता पर वज्राघातके समान है, ऐसा मानकर इसे रद करानेके लिए गांधीजीने आमरण उपवास आरंभ कर दिया। लंदनकी गोलमेज परिषद्से भारत लौटते ही सरकारने गांधीजीको गिरफ्तार करके यरवडा जेलमें रख दिया था। वहीं इस उपवासके दिनोंमें मताधिकारके बारेमें समझौता हुआ और गांधीजीने अपना आमरण उपवास छोड़ दिया। उसके बाद हरिजन-कार्यमें लगे हुए कार्यकर्ता अपना काम अधिक सच्ची भावनासे करने लगें, इस उद्देश्यसे गांधीजीने २१ दिनका आत्मशुद्धिका उपवास शुरू किया। इस पर सरकारने गांधीजीको जेलसे मुक्त कर दिया। जेलसे बाहर आनेके बाद उन्होंने अपने हरिजन-कार्यकी गति बढ़ा दी और इसके लिए सारे देशका दौरा किया। अहमदाबाद वे २६ जून, १९३४ को आये और यहां चार-पांच दिन रुके। उस समय उन्होंने मजूर-महाजनकी मुलाकात ली और उसके द्वारा चलाई जा रही प्रवृत्तियोंका निरीक्षण किया।

कल्याण-ग्राम

मजदूरोंकी मकानों सम्बन्धी दिक्कतोंका खयाल करके मजूर-महाजनने १९३२–३३ में सहकारी पद्धतिसे मजदूरोंके लिए मकान बनानेवाली सोसायटीका सर्व-प्रथम प्रयोग किया। उसने शाहपुर दरवाजेके बाहर एक ऊंचे खेतमें ४० मकान आरंभमें बनवाये। उनमें २५ मकान और भी बांधनेकी गुंजाइश रखी गई थी। १९३३ में ये ४० मकान बनकर तैयार हो गये थे और ४० मजदूर-परिवार उनमें आकर बस गये थे। इस सोसायटीका नाम 'कल्याण-ग्राम' रखा गया था। इस

मकानमें एक परिवारके लिए दो बड़े कमरे, एक रसोई-घर और एक बरामदेकी व्यवस्था की गई थी। ऊपर पक्की छत थी और मकानके पीछे बगीचा लगा सकने जितनी खुली जगह भी छोड़ी गई थी। साबरमती नदी इन मकानोंके बहुत निकट थी।

इन मकानोंके बारेमें ऐसी योजना बनाई गई थी कि यदि मजदूर २५ वर्ष तक नियमित रूपमें किस्त चुकाता रहे, तो इस अवधिके अंतमें वह मकानका संपूर्ण मालिक बन सकता था। २९ जून, १९३४ को सवेरे गांधीजी इन मकानोंको देखने गये और इन्हें देखकर उन्होंने संतोष प्रकट किया। उस सोसायटीमें चल रहे बालगृहके बालकोंसे उन्होंने भेंट की। वहां गांधीजीने एक बड़का पौधा भी लगाया।

हम सब समान हैं

वहांसे ८॥ बजे वे मजूर-महाजनमें आये। यहां एक सभा हुई, जिसमें गांधीजीको मानपत्र और थैली अर्पण की गई।

इसका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा था "हमें समाजमें ऊंच-नीचके भेद मिटा देने चाहिये। हम सब एक ही वृक्षके पत्ते हैं। ये पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, परन्तु एक पत्ते और दूसरे पत्तेमें कोई भेद नहीं है। वे सब समान हैं। उसी तरह हमें अपने विचारोंमें, मनमें और हृदयमें किसी मानवके प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिये। इस भेदभावको दूर करनेके लिए ही अस्पृश्यता-निवारणका आंदोलन चल रहा है।"

मजदूरोंका कल्याण-धाम देखनेके बाद गांधीजीके मन पर जो असर हुआ, उनके बारेमें उन्होंने कहा: "यहांके मकान कितने सुन्दर हैं! उनके जैसे स्वच्छ मकान मैंने बहुत कम देखे हैं।"

इसके सिवा, उन्होंने हरिजन मजदूरोंको शराब तथा मुरदा ढोरोंका मांस छोड़ने और बालकोंको शिक्षा देनेकी सीख दी।

मजदूरोंका सेवक

इस सभामें साम्यवादी लोग भी आये थे। उन्होंने गांधीजीको एक छपा हुआ पर्चा दिया था तथा सभाके लोगोंमें भी वह पर्चा बांटा

था। उसमें गांधीजीको पूंजीपतियोंका मित्र कहा गया था। इस आक्षेपका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा: "मुझे पूंजीपतियोंका मित्र कहा गया है। लेकिन यह एक ऐसी बात है, जिसका मेरे विषयमें कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। मेरे सब कार्योंके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि पूंजीपति मजदूरोंका शोषण न करें।"

इतनेमें किसीने गांधीजीको मंच पर जाकर एक चिट्ठी दी और साम्यवादी मजदूर यूनियनके मंत्री मुहम्मद यूसुफने उनसे प्रश्न किया: "बम्बईमें मजदूर जब कष्ट भोग रहे थे और उन पर जुल्म ढाये जा रहे थे, उस समय आपने उनके लिए क्या किया?" इसका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा: "भाई मुहम्मद यूसुफ तो अभी अभी मजदूरोंके काममें शरीक हुए होंगे, लेकिन मैं पिछले ५० वर्षसे यह काम कर रहा हूं। पूंजीपतियोंके साथ मेरी मित्रता और मीठा संबंध है, परन्तु वह मजदूरोंके हितके लिए ही है। मैं तो मजदूरोंका सेवक हूं।"

जांच-समिति

१९३३-३४ में बम्बई प्रान्तके मिल-उद्योगमें वेतन-कटौती तथा कम आदमियोंसे ज्यादा काम लेनेकी मालिकोंकी नीतिके कारण शोलापुरमें मजदूरोंने हड़ताल कर दी थी और बम्बई तथा अन्य स्थानोंमें भी हड़ताल करनेकी बात सोची जा रही थी। उस समय बंबई सरकारने इस प्रान्तके मिल-उद्योगकी वेतन तथा बेकारी-सम्बन्धी स्थितिकी जांच करनेके लिए एक जांच-समिति नियुक्त की थी। उस समितिने जो तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किये उनके साथ यह बताया था कि बम्बईकी मिलोंकी तुलनामें अहमदाबादकी मिलोंने बहुत अच्छी प्रगति की है। समितिने अपनी रिपोर्टमें लिखा था: "गत आठ वर्षोंमें अहमदाबादमें २० मिलें बढ़ी हैं तथा २५,०११ मजदूर बढ़े हैं। पिछले चार वर्षोंमें सारी दुनियामें भारी मंदी फैली हुई है, फिर भी उसी अरसेमें अहमदाबादके मिल-उद्योगका विकास हुआ है, वहांकी मिलोंने नफा कमाया है और डिविडेंड भी बांटा है। दूसरे केन्द्रोंकी तुलनामें अहमदाबादका मिल-उद्योग मजबूत है, इसका कारण अहमदाबादमें [illegible] [illegible] औद्योगिक शांति है।"

इस प्रकार सरकारी समितिने तटस्थ दृष्टिसे अहमदाबादके मिल-उद्योगकी समृद्धिका स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया था। इसलिए यहा उद्योगकी मदी और वेतन-कटौतीकी कोई दलील टिक ही नही सकती थी।

व्हिटली कमीशनने प्रतिदिन नौ घटेके कामकी सिफारिश की थी। बड़ी धारासभाने इस सिफारिशके अनुसार नौ घटेके कामका बिल पास किया और मिलोंमें कामके घटे दसके बजाय नौ हो गये। दूसरी एक उल्लेखनीय प्रगतिका सूचक उस बिलको माना जा सकता है, जिसे बबईकी सरकारने प्रान्तीय धारासभामें औद्योगिक झगडोंको शाति और सुमेलसे निबटानेके बारेमें पेश किया था।

साम्यवादियोंको चेतावनी

गाधीजीकी जून महीनेकी सभामें साम्यवादियोंने पत्रिकायें बाटी थी और उनसे प्रश्न पूछे थे। उसी प्रकार गाधी-सप्ताहके दिनोंमें ३ अक्तूबरको मजूर-महाजनके दफ्तरके कपाउन्डमें हुई वल्लभभाई पटेलकी सभामें भी साम्यवादियोंने पत्रिकायें बाटी थी। उस सभामें भाषण करते हुए वल्लभभाईने कहा. "गाधीजी यहा आये थे तब उन्हें भी ऐसी पत्रिका दी गई थी। मुझे भी ऐसी पत्रिका दी गई है। इससे मेरा सम्मान बहुत बढ गया है। मुझे इस बातकी खुशी है कि इन भाइयोंने गाधीजीके साथ मुझे भी पत्रिका भेंट करनेकी कृपा की है।"

इस सभामें मजूर-महाजनके बारेमें अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा. "मजूर-महाजन पिछले पन्द्रह वर्षोंसे अहमदाबादके मजदूरोंमें काम कर रहा है। उसने सच्चे दिलसे मजदूरोंकी निःस्वार्थ सेवा की है। ये मजदूर इतने भोले नही हैं कि पूजीपतियोंको गालिया देनेसे धोखा खा जायें। सारे हिन्दुस्तानमें अहमदाबादके मजूर-महाजन जैसी दूसरी कोई सस्था नही है। पूजीपतियोंके नाशका दावा करनेवाले लोग इनसे अच्छी मजदूर-सस्था खडी करके दिखायें तो मैं जानू। वे ऐसी सस्था खड़ी कर दें, तो मैं उनकी सिपाहीगीरी करनेको तैयार हू।"

अहमदाबादके मजदूरों और मालिकोंके बीच जो कौटुम्बिक सबध थे, उनके बारेमें भी उन्होंने साम्यवादियोंको चेतावनी दी: "यहाके मिल-मालिकोंमें दुर्बुद्धि होगी, तो ही आप लोग सफल होंगे। परन्तु

यहांके मालिकोंमें सद्बुद्धि है। यहां मालिकों और मजदूरोंके बीच प्रेम है, सद्भावना है, निखालिसपन है तथा एक-दूसरेके प्रति कौटुम्बिक भावना है। यह मीठा सम्बन्ध यदि टूटा, तो दोनोंके बीच जहरीली, आसुरी, केवल हलाहल विषसे भरी हवा ही बढ़ेगी।"

गवर्नरके उद्गार

अहमदाबादके मिल-मालिक फिरसे वेतन-कटौतीकी हिमायत करने लगे थे, जिससे वातावरण क्षुब्ध हो गया था। इसी अरसेमें बम्बईके गवर्नर लॉर्ड ब्रेबोर्न अहमदाबाद आये। उन्होंने मिल-मालिक मंडलको सम्बोधित करते हुए जो उद्गार प्रकट किये, वे अहमदाबादके मिल-उद्योग, पंचकी प्रथा तथा मालिक-मजदूरोंके बीचके मीठे संबंधोंका स्पष्ट दर्शन कराते हैं। उन्होंने अपने भाषणमें कहा था :

"भूतकालमें अहमदाबादने औद्योगिक झगड़ोंके बारेमें बम्बईकी तुलनामें अधिक शांतिका अनुभव किया है। यहां हड़तालोंके न होनेसे अहमदाबादके पूंजीपतियों और मजदूरोंने करोड़ों रुपये बचाये हैं।"

इस समृद्धिके कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने भाषणमें कहा : "ऐसी सुखद स्थितिका मुख्य श्रेय समाधानकी और पंचकी उस पद्धतिको है, जिसकी स्थापना मालिकों और मजदूरोंके बीचके झगड़ोंका निबटारा करनेके लिए दीर्घदृष्टिसे की गई थी।"

अहमदाबादके मजूर-महाजनके बारेमें गवर्नरने यह मत व्यक्त किया : "यहांका मजदूर-संघ (मजूर-महाजन) भारतके किसी भी अन्य मजदूर-संघसे अधिक संगठित और सुव्यवस्थित है और इसका विधान संपूर्णतया लोकतांत्रिक है। मुझे जानकारी मिली है कि उसने अपने सदस्योंसे सदा अनुशासनका पालन करानेका प्रयत्न किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी तरहके झगड़ेके बिना संघ और आपके मंडलके बीच हुए समझौतों पर अच्छी तरह अमल हुआ है।"

'मजदूर-दिन'का आरंभ

एक ओर वेतन-कटौतीकी हवा चल रही थी, तो दूसरी ओर मजदूर अधिक व्यवस्थित और अधिक संगठित होनेका प्रयत्न कर

रहे थे। ता० २२–११–'३६ को जमालपुर विभागमें खड़ुभाई देसाईकी अध्यक्षतामें मजदूरोंकी एक बड़ी सभा हुई। उस सभामें ४ दिसम्बर, १९१७ को अनसूयाबहनके मार्गदर्शनमें आरंभ हुई लड़ाईकी स्मृतिमें प्रतिवर्ष चौथे दिसम्बरको 'मजदूर-दिन' मनानेका निश्चय हुआ। इसके अनुसार ४ दिसम्बर, १९३६ को शामके ४ बजे मजदूर-ऑफिसके मैदानमें प्रथम मजदूर-दिन मनाया गया। वह दिन अनसूयाबहनके मजदूर-कार्यका फल और प्रतीक था। उस दिनकी सभामें बोलते हुए उन्होंने अपने हृदयकी उमंग और उत्साह इस तरह प्रकट किये: "मेरा पहला परिचय आपसे मार्च १९१४ में हुआ था, जिसे आज चौबीस वर्ष पूरे होने आये हैं। आपके बीच कार्य करनेकी वृत्ति जिस क्षण मेरे भीतर पैदा हुई थी, उस क्षणको मैं अपने जीवनका धन्य क्षण मानती हूं। १९१७ में मिलोंके ताना-विभागके मजदूरोंने वेतन बढ़ानेकी मांग की। उन्हें सलाह देने तथा उनकी सहायता करनेके लिए मुझे बुलाया गया था। यह लड़ाई दो महीने चली, जिसमें मजदूरोंको सफलता मिली थी।"

प्रान्तीय स्वराज्यकी ओर

कांग्रेसने अमुक शर्तों पर प्रान्तीय स्वराज्य स्वीकार करनेका लगभग निर्णय कर लिया था। इस संबंधमें धारासभाकी प्रान्तवार तथा स्थानवार बैठकोंके लिए जो विभाजन हुआ था, उसमें अहमदाबादके मजूर-महाजनके हिस्से दो बैठकें आई थी और चुनावके समय गुलजारीलाल नंदा और खड़ुभाई देसाई निर्विरोध चुने गये थे। उसी वर्ष म्युनिसिपैलिटीका जो चुनाव हुआ उसमें मजूर-महाजनके पांच उम्मीदवार जीते। इनमें तीन थे खड़ुभाई देसाई, शामाप्रसाद वसावड़ा और केशवजी वाघेला। दूसरे दो सफल उम्मीदवार थे दूधाभाई त्रिकमजी तथा नारणभाई रणछोड़भाई चौहान।

शर्तों पर अमल होना चाहिये

मिल-मालिक मंडलका ऐसा पत्र पाकर मजूर-महाजनको आश्चर्य हुआ। १९३५ में जो दिल्ली-करार हुआ था उसमें वेतन-कटौतीके सिवा दूसरी जो शर्तें थीं, उनका पालन मिल-मालिक मंडलने नहीं किया था। इसके बावजूद एक वर्षकी अल्प अवधिमें ही पुनः २० प्रतिशत कटौतीकी मांगके लिए मजूर-महाजनको कोई कारण मालूम नहीं हुआ। अकुशलता, अव्यवस्था अथवा अन्य किन्हीं कारणोंसे कोई मिल घाटेमें चलती हो या कम नफा कमाती हो, तो उसकी वजहसे मजदूरोंके वेतनमें कटौती करना उचित नहीं था। और वस्तुस्थिति तो यह थी कि उद्योग कुल मिलाकर नफा ही कर रहा था। मिल-मालिक मंडलकी इस मांगने सारे वातावरणको अस्थिर बना दिया।

मालिकोंके पंच सेठ कस्तूरभाई

अंतमें यह प्रश्न पंचोंके समक्ष रखा गया। सेठ मगलदासके अवसानके बाद सेठ चमनलाल उनके स्थान पर स्थायी पंच बनाये गये थे। परन्तु इस बार उन्होंने पंचके स्थानसे त्यागपत्र दे दिया। अपनी मिलमें उन्होंने पंचोंका निर्णय प्राप्त होनेके पहले ही कटौती जाहिर कर दी थी और पंचका निर्णय मिलने तक इस कटौतीकी रकमको जमा रखनेकी बात कही थी। पंचके नाते उनके त्यागपत्रका यही कारण रहा हो या अन्य कोई, लेकिन गांधीजीको भी यह कहना पड़ा कि उनकी कमी सबको खटकती है। इस स्थितिमें मिल-मालिक मंडलने सेठ चमनलालके स्थान पर सेठ कस्तूरभाईको अपनी ओरसे पंच नियुक्त किया। इस समय सेठ कस्तूरभाई मिल-मालिक मंडलके अध्यक्ष भी थे।

नोटिस वापस ले ली जाय

यह सब चल रहा था उसके पहले न्यू माणेकचोक मिलने बुनाई-विभागके मजदूरोंके वेतनमें २५ प्रतिशत कटौती करनेकी नोटिस लगाई थी। सेठ चमनलालकी राजनगर वगैरा चार मिलोंमें भी ऐसी नोटिस लगा दी गई थी कि आजकल मजूर-महाजन तथा मिल-

मालिक मंडलके बीच विनिमय समान स्तर पर करनेकी बातें चल रही हैं; वे पूरी हों न हों, बुनाईविभागके मजदूरोंके वेतनोंमें से हर महीने चार रुपये काटकर सुरक्षित रखे जायंगे और विनिमयका नया स्तर निश्चित होने पर उसका अमल शुरू किया जायगा। ये दोनों ही कदम असंतोषपूर्ण थे, महाजनके विधानका भंग करनेवाले थे और पंचकी प्रथाकी अवगणना करनेवाले थे। न्यू माणेकचौक मिलने तो लॉक-आउट भी घोषित कर दिया था। बादमें उसने लॉक-आउट वापस ले लिया था। इस बीच मिल-मालिक मंडलकी बैठकें होती रहीं और परिस्थितिकी गंभीरताको कम करनेके लिए मजूर-महाजन मंडलके साथ पत्रव्यवहार चलता रहा। इस स्थितिसे गांधीजीको भी परिचित करा दिया गया। उन्होंने सेठ कस्तूरभाई तथा सेठ चमनलालको तार किया: "मिलोंमें जो नोटिसें लगाई गई हैं, उन्हें आप वापस ले लीजिये और आजके उग्र वातावरणको शांत बनाइये।" इसके बाद मिल-मालिक मंडलकी कार्यकारिणी समितिकी बैठक हुई। उसने तार द्वारा गांधीजीको बताया: "हम समझौतेका प्रयत्न कर रहे हैं।"

न्यू माणेकचौक मिलने अपनी नोटिस वापिस ले ली। सेठ चमनलालकी चारों मिलोंमें मजदूरोंने ४ रुपयेकी वेतन-कटौतीके कारण हड़ताल कर दी थी। लेकिन जब सेठ चमनलालने यह विश्वास दिलाया कि वेतनसे ४ रुपये नहीं काटे जायंगे, तो मजदूरोंने हड़ताल रोक दी और चारों मिलें फिर चालू हो गईं।

इस झगड़ेको निबटानेके लिए भी मजूर-महाजनने पंचकी ही मांग की थी। वेतन-कटौतीके लिए मालिकोंने जो दलीलें दी थीं, वे तो १९३३–३४ की ही दलीलें थीं। पंचकी प्रथा तथा महाजनके विधानके टूटनेकी स्थितिमें सामान्य हड़ताल करनेका प्रस्ताव मजूर-महाजनने पास किया था। लेकिन मालिकोंकी ओरसे पंचकी प्रथा और विधानका पालन करनेका विश्वास दिलाया गया और यह प्रश्न गांधीजी तथा सेठ कस्तूरभाईको पंचके नाते सौंपा गया। पंचोंके सामने विचारके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा वह था, जिसमें मिल-मालिक मंडलने

ता० १२-९-'३६ को २० प्रतिशत वेतन-कटौतीकी बात कही थी। दूसरे तीन-चार मुद्दे भी इसके साथ जुड़े हुए थे।

३० नवम्बरकी रातको मिल-मालिक मंडलके तथा मजूर-महाजन-के प्रतिनिधि सेगांवके लिए रवाना हुए। २ दिसम्बरको वर्धामें पंचोंकी एक बैठक हुई। उसके बाद ३ और ४ दिसम्बरको सेगांवमें उनकी बैठक हुई, जिसमें सारे प्रश्नोंकी विस्तृत चर्चा हुई। किन्तु दोनों पंच एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने १५ दिसम्बरको अपने अलग अलग निर्णय देनेकी घोषणा की।

सत्यके लिए उत्कट आग्रह

इस मौके पर गोरधनभाई पटेल तथा एक मिल-मालिक मित्र गांधीजीसे मिलने वर्धा गये थे। इस प्रश्नसे सम्बन्धित चर्चामें उन्होंने गांधीजीसे कहा: "गुलजारीलाल नंदाने आपके सामने मजदूरोंका केस रखते हुए जो बातें कही हैं वे झूठी हैं।" उनकी यह बात सुनकर गांधीजी चौंक उठे। उन्होंने मिल-मालिक मित्रसे कहा: "आपके कहे अनुसार यदि गुलजारीलालने सचमुच मेरे सामने झूठी बातें रखी होंगी, तो मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगा। परन्तु आपको पहले यह सिद्ध करना होगा कि उन्होंने जान-बूझकर मेरे सामने झूठी बातें पेश की हैं।"

वास्तवमें गुलजारीलालने कोई झूठी बात गांधीजीके सामने रखी ही नहीं थी। मालिक मित्रने यह बात कह तो दी; लेकिन जब इस प्रश्न पर गांधीजीको उन्होंने इतनी उग्र मुद्रामें देखा, तो वे बोले: "नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहनेका मतलब यह है कि उन्होंने जो कुछ आपसे कहा है वह मुझे उचित नहीं लगता।"

इस पर गांधीजीने कहा: "यह बात अलग है कि आपको उनकी अमुक बात ठीक नहीं लगती। वह उचित है या नहीं, इसका निर्णय पंचोंको करना है। परन्तु यदि मजदूर-पक्षकी ओरसे गुलजारीलालने या दूसरे किसीने उनके केसको सिद्ध करनेके लिए जान-बूझकर मेरे सामने झूठी बातें रखी हों, तो मैं उन्हें बरदाश्त नहीं करूंगा। ऐसा यदि उनमें से कोई करे, तो मैं उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता।"

इस छोटीसी घटनासे उन मित्रको और हम लोगोंको भी इस बातकी स्पष्ट कल्पना हो गई कि गांधीजी सत्यके लिए कितना आग्रह रखते थे। यह चीज सब लोगोंकी समझमें आ गई कि गांधीजीके साथी अगर असत्यका आचरण करें, तो गांधीजी उनका त्याग किये बिना नहीं रहेंगे। मिल-मालिक मित्रने तो सहज भावसे उन्हें जो कुछ लगा वह गांधीजीसे कह डाला। सामनेवाले पक्षका केस झूठा है, यही बताना उनका हेतु रहा होगा। परन्तु इस बातकी कल्पना भी उन्हें कैसे होती कि गांधीजी सत्य-पालनके विषयमें इतने उग्र और दृढ़ होंगे।

अलग अलग निर्णय

१५ दिसंबरको अपना निर्णय देते हुए गांधीजीने कहा: "मिल-मालिक मंडल मजदूरोंके वेतनमें कटौती करनेका अपना केस सिद्ध नहीं कर सका, इसलिए वह रद किया जाता है।" सेठ कस्तूरभाईने अपने निर्णयमें कहा: "१ जनवरी, १९३७ से मजदूरोंके वेतनमें कमसे कम १० प्रतिशत कटौती होनी चाहिये। परन्तु बुनाई-विभागमें यह कटौती इस प्रकार की जाय कि रु० १७–१२–० से अधिक वेतन देने-वाली सब मिलें अपने मजदूरोंको रु० १७–१२–० तक दें।"

गांधीजीने अपने निर्णयमें कहा था कि मिल-मालिकोंने १९३५में जो शर्तें स्वीकार की थीं, उनका पालन उन्होंने नहीं किया। इसके सिवा, उस समय हुई चर्चाओंमें तथा उससे पहले १९२९में भी वेतन-कटौतीके बारेमें गांधीजीने कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किये थे। इस बार उन सिद्धान्तोंको उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूपमें सबके सामने रखा। इन सिद्धान्तोंको वे बुनियादी मानते थे। इन्हें वे इतना महत्त्व देते थे कि सरपंचका अंतिम निर्णय घोषित हो जानेके बाद उन्होंने 'हरिजनबंधु'में एक लेख लिखकर इन सिद्धान्तोंको फिरसे समझाया। वे इस प्रकार हैं:

१. "जब तक नफा मिलना बिलकुल बंद न हो जाय और उद्योगको चलानेके लिए मूल पूंजीका उपयोग न करना पड़े, तब तक मजदूरोंके वेतनमें कटौती नहीं की जा सकती।

२. "मजदूरोंको आजीविका चलानेके लिए पर्याप्त वेतन (निर्वाह-वेतन) न मिले तब तक उनके वेतनमें कटौती नहीं की जा सकती।

उद्योगका अस्त होनेका समय आने पर मजदूर मिलोंको अपनी समझसे और सूखी रोटी खाकर भी स्वेच्छासे दिन-रात उनमें काम करें — ऐसी परिस्थितिका विचार करना यहां अप्रस्तुत होगा।

३. "इस बातका निर्णय होना चाहिये कि आजीविकामें किन किन वस्तुओंका समावेश होता है।

४. "मजदूरोंके वेतनमें की जानेवाली कटौतीका विचार करते समय किसी विशेष मिलकी गिरती जानेवाली स्थिति अप्रस्तुत मानी जानी चाहिये।

५. "मिल-उद्योगके हितके खातिर इस सिद्धान्तका स्वीकार होना अत्यन्त आवश्यक है कि मजदूर भी शेयर-होल्डरोंके जितने ही मिलोंके मालिक हैं और उन्हें भी मिलकी व्यवस्थासे सम्बन्धित सारी जानकारी, सारा ज्ञान बारीकीसे प्राप्त करनेका अधिकार है।

६. "मजदूरोंका एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिये, जो दोनों पक्षोंको मान्य हो और मजूर-महाजनसे बाहरके मजदूरोंको काम पर लेनेका रिवाज बन्द होना चाहिये।"

अपने निर्णयकी १७ वी धारामें गांधीजीने कहा. "ये सिद्धान्त यहां मैंने इस आशासे नहीं प्रस्तुत किये हैं कि उन्हें मेरे साथी कार्यकर्ता, मिल-मालिक मंडल अथवा मजदूर लोग स्वीकार करेंगे। मेरे निर्णयके साथ इन सिद्धान्तोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन सिद्धान्तोंको स्वीकार किये बिना मिल-उद्योगकी अर्थात् मालिकों और मजदूरों दोनोंकी हस्ती खतरेमें है।"

मिल-मालिक मंडलकी जो २० प्रतिशत कटौतीकी मांग थी, उसे सेठ कस्तूरभाईने १० प्रतिशत कर दिया। इस सम्बन्धमें उन्होंने जो दलीलें दीं, वे कोई नई नहीं थीं। खूब घुमा-फिराकर उन्होंने एक ही बात कही कि मिल-उद्योग मंदीका शिकार हो गया है, अतः उसे यदि टिकाये रखना हो तो मजदूरोंके वेतनमें इतनी कटौती अनिवार्य रूपमें करनी होगी। मिल-मालिक मंडलने १९३५ के दिल्ली-करार पर उचित और पूरा अमल नहीं किया; जब तक मंडल उस करार पर पूरा

वे मार्गमें दो-तीन दिन पूना रुक जायें। इसके अनुसार गांधीजी, सेठ कस्तूरभाई, गुलजारीलाल नंदा और मैं चारों पूना गये, जहां न्यायाधीश मडगावकरके साथ इस प्रश्न पर अंतिम विचार-विमर्श हुआ। अंतमें २४ जनवरी, १९३७ को सर गोविन्दराव मडगावकरने सरपंचके नाते अपना यह निर्णय दिया: "गुणवत्ताकी दृष्टिसे मिल-मालिक मंडल यह सिद्ध नहीं कर सका कि समग्र मिल-उद्योगके लिए मजदूरोंके वेतनमें सामान्य कटौती करना आवश्यक और उचित है। मेरा यह निर्णय सेठ कस्तूरभाईके निर्णयके साथ नहीं किन्तु गांधीजीके निर्णयके साथ सहमत होता है।" इस प्रकार उन्होंने १० प्रतिशत वेतन-कटौतीके विरुद्ध अपना मत दिया।

मिलोंकी पंच-सम्बन्धी जिम्मेदारी

न्यायाधीश सर गोविन्दराव मडगावकरने सरपंचके रूपमें अपना निर्णय देते हुए इस प्रश्नकी और इस प्रसंगकी अपनी दृष्टि और अपने ढंगसे छानबीन की। सबसे पहले उन्होंने मिल-मालिक मंडलकी सदस्य-मिलोंकी और खास करके न्यू माणेकचोक मिलकी आलोचना की। न्यू माणेकचोक मिल भी मिल-मालिक मंडलकी एक सदस्य थी। परन्तु जिस क्षण उसे मंडलकी सदस्यता छोड़ देनेमें अपना स्वार्थ मालूम हुआ उसी क्षण वह मंडलसे बाहर हो गई। ऐसी नीतिके बारेमें दुःख प्रकट करते हुए सरपंचने कहा: "पंचकी यह व्यवस्था गत १८ वर्षसे चली आ रही है और उसने अनेक निर्णय दिये हैं। इसलिए झगड़ा पैदा होने पर यदि कोई मिल मिल-मालिक मंडलसे अलग हो जाय, तो उससे वह पंचके वचनसे मुक्त नहीं हो सकती। और पंचकी रचना किसी लिखित दस्तावेजके आधार पर नहीं, किन्तु लम्बी परम्पराके आधार पर हुई है। इस कारण न्यू माणेकचोक मिलके मंडलका त्याग कर देनेसे उसकी स्थितिमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मिल या मजदूरको मनमाने ढंगसे पंचकी व्यवस्था और करारसे बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। विरोध करनेवाली सदस्य-मिलोंके खिलाफ मजूर-महाजन या मिल-मालिक मंडलको क्या कदम उठाने चाहिये और पंचके निर्णय पर उनसे कैसे अमल कराना चाहिये, यह पंचों अथवा सरपंचका नहीं

परन्तु संस्थाका अपना विषय है। इसलिए न्यू माणेकचोक मिलको वेतन-कटौतीकी नोटिस और बुनाई-विभागके मजदूरोंकी तालाबंदी वापस खींच लेनी चाहिये।"

मिल-उद्योग तथा मजदूरों और मालिकोंके सच्चे हितकी दृष्टिसे पंचकी व्यवस्थाके महत्त्वको अपनी नजरके सामने रखकर उन्होंने इस विषयमें जो मार्गदर्शन किया, वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और ध्यानमें रखने जैसा है।

सरपंचने नम्रतासे कहा: "दोनों पंचोंको अहमदाबादके मिल-उद्योगका जो सीधा परिचय है वह मुझे नहीं है। इसलिए मुझे तो अपने पास आयी हुई अथवा मेरे सामने रखी हुई सामग्री पर ही मुख्य आधार रखना पड़ता है। लेकिन एक बात है। अहमदाबादकी सारी मिलोंके १९२६ से आज तकके वार्षिक आय-व्यय विवरण और वार्षिक रिपोर्टें मेरे सामने पेश की जानी चाहिये थीं, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके सिवा, कुछ प्रमुख, प्रगतिशील और अद्यतन मिलें मिल-मालिक मंडलकी सदस्य नहीं हैं; कुछ मिल-मालिकोंकी पुरानी मिलें तो मिल-मालिक मंडलकी सदस्य हैं, परन्तु अपनी नई मिलोंको उन्होंने जान-बूझकर मंडलकी सदस्यतासे अलग रखा है। साथ ही, किसी भी मिलको चाहे जब बिना किसी रोक-टोक या सजाके मिल-मालिक मंडलका त्याग करनेकी स्वतंत्रता रही है। इस बातका उल्लेख मैं इसलिए करता हूं कि अहमदाबादकी ८३ मिलोंमें से ३० मिलोंके आंकड़े मेरे सामने पेश नहीं किये गये हैं; इसलिए प्रस्तुत प्रश्नका विचार करनेके लिए जितने तथ्य मेरे सामने रखे जाने चाहिये थे उतने नहीं रखे गये।"

स्थायी पंचके सदस्योंको जिस बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा, वह थी "परम्परा या सिद्धान्तोंकी समान भूमिका" के अभाव-की। सरपंचको भी इसी कठिनाईका सामना करना पड़ा।

औद्योगिक शांतिका महत्त्व

अहमदाबादमें अन्य औद्योगिक केन्द्रोंकी अपेक्षा कहीं अधिक मात्रामें मालिकों और मजदूरोंके बीच शांति बनी रही है, इसीसे यहांका

मिल-उद्योग समृद्ध हुआ है। सरपंचने इस औद्योगिक शांतिका महत्त्व समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने अपने निर्णयमें कहा: "देशके और देशकी समृद्धिके हितमें औद्योगिक शांतिकी परंपराको टिकाये रखनेमें सहायक होना हम सबका कर्तव्य है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह भावना मनमें होनेके कारण ही मैंने सरपंचका यह कठिन कार्य स्वीकार किया है।

दिल्ली-करारका उद्देश्य

दिल्ली-करारके बारेमें भी मिल-मालिकोंकी ओरसे अपने अनुकूल अर्थ लगाया गया था। इसलिए सरपंचने अपना स्पष्ट मत प्रकट करते हुए करारके बारेमें कहा: "दोनों पक्षोंका यह उद्देश्य था कि ६¼ प्रतिशत कटौती कुछ समयके लिए ही है और लगभग एक वर्ष तक ही वह चालू रहेगी। स्थायी व्यवस्था तो ऐसी योजनाकी होनी चाहिये, जिसमें वेतनका उचित स्तर तय किया गया हो, परिस्थितियोंके अनुसार वेतनमें अपने-आप घट-बढ़ निश्चित की जा सके (स्टैण्डर्डाइज़ेशन और ऑटोमेटिक एडजस्टमेन्ट) और मिलें चाहें वहां 'रेशनलाइज़ेशन' हो सके।" सर गोविन्दराव मडगावकरने कहा कि दिल्ली-करारको हुए दो वर्षका समय बीत गया, फिर भी ऐसी योजना अमलमें नहीं आई है। इसकी सारी जिम्मेदारी मिल-मालिक मंडलकी है।

विशाल और समग्र दृष्टिकी आवश्यकता

सरपंचने अपनी स्वतंत्र दृष्टिसे सारे प्रश्नका अवलोकन करके अपने निर्णयमें कहा कि मालिकों और मजदूरोंको संकुचित दृष्टि न रखकर सारी परिस्थितिका विशाल और समग्र दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये। उन्होंने कहा. "भारतके कपड़ा-उद्योगके सामने लंकाशायर और जापानकी तीव्र स्पर्धा तो खड़ी हो है। इसके सिवा, ब्रिटिश सरकारकी नीति यह है कि भारतकी मिलों पर जकात डाल कर भी लंकाशायर तथा मांचेस्टरका कपड़ा भारतके बाजारोंमें भर दिया जाय। इस स्थितिमें भारतके मिल-उद्योगके सभी अंगोंको ऐसे विरोधी बलोंके सामने एकराग बनकर टिके रहना चाहिये। यह उद्योग सबके सहयोगसे ही समृद्ध हो सकता है।"

उद्योगके हितका विचार

भारतका मजदूर लंकाशायर या जापानके मजदूरसे कम उत्पादन करता है, इस बातको स्वीकार करते हुए सरपंचने कहा: "उन देशोंमें मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेके लिए बड़ी सावधानी रखी जाती है।" परन्तु भारतका मजदूर अधिक काम नहीं कर सकता, इसका "कारण है उसकी गरीबी, पर्याप्त तथा उचित पोषणका अभाव, शरीरकी कमजोर गठन और भारतकी अत्यंत गरम आबोहवा।" मजदूरोंकी स्थिति अच्छी हो तो ही उद्योगकी उन्नति हो सकती है, ऐसा कहकर सरपंचने उनकी स्थितिके सुधारकी ओर सबका ध्यान खींचा।

गांधीजीने अपने निर्णयमें एक बात स्पष्ट की थी कि मजदूरको "जीवन-निर्वाहके लिए पर्याप्त वेतन" तो देना ही चाहिये, वर्ना वह जिन्दा नहीं रह सकता। अतः सबसे पहले ऐसे वेतनकी व्यवस्था करनी चाहिये; उसके बाद ही दूसरी सब बातोंके बारेमें सोचा जा सकता है। सर गोविन्दरावने कहा कि "गांधीजीके ये विचार आदर्श-रूप हैं तथा मानवताकी भावनासे ओतप्रोत हैं। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, परन्तु इनके साथ मैं सहमत नहीं हो सकता। कोई भी उद्योग नफेके लिए चलाया जाता है। उसे खुले बाजारमें तीव्र स्पर्धाका सामना करना पड़ता है। इन बातोंको ध्यानम लें, तो इनके साथ गांधीजीके आदर्श विचारोंका मेल नहीं बैठता।" उन्होंने सुझाया कि "शेयर-होल्डर, मजदूर, मिल-एजेन्ट सभी लोग यंत्रोंके जितने ही मिल-उद्योगके आवश्यक अंग हैं और उद्योगकी चिरंजीविता, कार्य-क्षमता और प्रगतिके लिए इन सबको उत्तम स्थितिमें रखना चाहिये।"

यंत्र शत्रु नहीं हैं

यंत्रोंके बारेमें सरपंचने कहा: "यंत्र मजदूरोंके शत्रु या समाजके वैरी नहीं हैं। दोषयुक्त मानवीय संस्थाओंमें मानव-भावनाके अभावके कारण यंत्र यदि मनुष्यके स्वामी न बन जायं, तो वे जितने कार्यक्षम होंगे उतना ही मानव-जातिको लाभ होगा।" उन्होंने आगे कहा: "वेतन अथवा मेहनताना चुकानेकी पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि उत्पादनमें लगे हुए तीनों वर्गोंको उद्योगकी समृद्धिसे लाभ हो और उद्योगकी

कठिनाईके दिनोंमें तीनों वर्ग आवश्यक बलिदान देनेमें अपना हिस्सा अदा कर सकें।"

मजदूरोंके प्रति मानवताकी दृष्टि

सर गोविन्दराव मडगांवकरने सुझाया कि मजदूरको मानव समझकर उसके साथ मानवोचित व्यवहार करना चाहिये। "मिल-एजेन्टों या पूंजी लगानेवाले लोगोंके नफेके लिए जीते-जागते मजदूरोंको निर्जीव यंत्रों जैसा माननेका, उनका उपयोग करनेके बाद कूड़े-करकटकी तरह उन्हें फेंक देनेका और सरकार या स्थानीय संस्थायें उनकी देखभाल करें तो ठीक वर्ना वे जहन्नुममें जायं ऐसी वृत्ति रखनेका समय कभीका बीत चुका है।" इसलिए उन्होंने कहा कि मजदूरोंके वेतनमें कटौती करनेकी मांग तो बिलकुल अंतिम उपायके रूपमें ही सामने आनी चाहिये।

सरपंचने यह भी कहा: "इन ४५ मिलोंने संकुचित नहीं परन्तु दीर्घ दृष्टि अपनाई थी, यह जाननेके लिए मेरे सामने कई वर्षोंके आंकड़े होने चाहियें। मुझे इस बातकी भी जांच करनी चाहिये कि इन मिलोंने कमजोर वर्षोंके लिए पैसा बचाया है या नहीं और घिसाई-फंड तथा रिजर्व-फंडकी परवाह किये बिना शेयर-होल्डरों तथा एजेन्टोंको हदसे बाहर डिविडेन्ड और कमीशन दिया है या नहीं।"

अच्छा नफा

"आठ मिलोंने स्टॉक (मूल पूंजी) पर ५ प्रतिशत जितना अच्छा नफा कमाया है और दूसरी २३ मिलोंने २.१ प्रतिशत नफा कमाया है। और यह जो नफा हुआ है उसके बारेमें ऐसा नहीं कहा गया है कि यह मजदूरोंका वेतन कम होनेके कारण ही हुआ है। अतः मैं यह अनुमान नहीं निकाल सकता कि जिन २१ मिलोंको बहुत नुकसान हुआ है, उनके नुकसानका मुख्य कारण मजदूरोंका ऊंचा वेतन ही था और इन मिलोंकी स्थिति सुधारनेका एकमात्र उचित उपाय मजदूरोंके वेतनमें कटौती करना ही है। अतः बाकी ३१ मिलोंके लिए अथवा सभी मिलोंके लिए तो इस उपायकी बिलकुल जरूरत नहीं है।"

मालिकोंकी ओरसे नुकसानमें चलनेवाली मिलोंकी बात सरपंचके सामने रखी गई थी। उनके बारेमें सर गोविन्दरावने कहा: "जिन

मिलोंने नफ़ा नहीं किया, क़म नफा किया या नुक़सान उठाया, उनके बारेमें जांच करके कारणोंका पता लगाना चाहिये और वे कारण शेयर-होल्डरोंको बताने चाहिये, और मजदूरोंके वेतनमें कटौती करने जैसे छिछले उपाय न आजमा कर सही और ठोस उपाय करने चाहिये। लेकिन यदि थोड़ीसी मिलोंकी कठिनाईकी वजहसे सभी मिलोंमें वेतन-कटौती की गई, तो उससे मजदूरोंके दिलको गहरी चोट लगेगी, अहमदाबादके मिल-उद्योगकी समृद्धिके आधार-रूप मजदूरों और मालिकोंके मतभेदोंको सद्भाव और मित्रभावसे दूर करनेकी प्रथा टूट जायगी, देर-सबेर उद्योगका वातावरण कलुषित होगा और ब्रम्बईके मिल-उद्योगका जो करुण परिणाम आया वैसा ही यहां भी आयेगा।"

जो मिलें घाटेमें चल रही हैं और मृतप्राय हो गई हैं, उन्हें मजदूरोंको हानि पहुंचा कर जीनेका मौका देनेके बजाय उनकी बुरी स्थितिके कारणोंका पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहिये — इस प्रश्नकी चर्चा करते हुए सरपंचने अपने निर्णयमें लिखा: "कुछ ऐसी मिलोंको, जो सारी परिस्थितियोंको देखते हुए जीनेके लायक ही नहीं हैं, अधिक जिलानेके लिए ही सारी मिलोंमें वेतन-कटौती करना मुझे उचित उपाय नहीं मालूम होता। उनके एजेन्टोंको अपनी स्थिति सुव्यवस्थित कर लेनी चाहिये और शेयर-होल्डरों तथा मजदूरोंके सामने वस्तु-स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। इसके सिवा, उन्हें अपना कमीशन छोड़ कर त्यागका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये तथा जरूरी हो तो पूंजी अथवा यंत्रोंकी कीमत हिसाबमें बट्टेखाते लिख देनी चाहिये। यह सब करनेके बाद अंतमें मिलको बंद होनेसे बचाने और चालू रखनेका एकमात्र हेतु पूरा करनेकी दृष्टिसे ही एक मर्यादित समयके लिए अमुक शर्तों पर वेतनमें कमसे कम कटौती स्वीकार करनेकी बात मजदूरोंके सामने रखनी चाहिये। लेकिन यह निश्चित करना मेरी शक्तिसे बाहर है; इसके लिए मेरे पास जरूरी साधन-सामग्री भी नहीं है। ऐसी मिलें बन्द न हों और चलती रहें, इसके लिए मिल-मालिक मंडल तथा मजूर-महाजनको साथ बैठकर विचार करना चाहिये, क्योंकि इसमें दोनोंका समान हित समाया हुआ है।"

गांधीजीसे सहमत

अन्तमें सर गोविन्दरावने अपना निर्णय देते हुए कहा: "मुझे लगता है कि मिल-मालिक मण्डल यह सिद्ध नहीं कर सका है कि सामान्य वेतन-कटौती समग्र मिल-उद्योगके लिए आवश्यक और योग्य है। मेरा यह निर्णय सेठ कस्तूरभाईके निर्णयके साथ नहीं, परन्तु महात्मा गांधीके निर्णयके साथ सहमत होता है।"

देशभक्तके हृदयकी भावना

अपने निर्णयके अन्तमें सर गोविन्दराव मडगांवकरने जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे एक देशभक्तके हृदयकी भावनाको व्यक्त करते हैं: "मेरी दलीलों अथवा निर्णयके बारेमें दोनों पक्षोंका जो भी मत हो, परन्तु मुझे विश्वास है कि अहमदाबादके मिल-उद्योग जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्योगके एक अंगके कल्याण तथा उसमें काम करनेवाले सारे वर्गोंके हितके प्रति मेरे मनमें जो सच्ची और समान भावना है, उसके सम्बन्धमें दोनोंमें से एक भी पक्षको शंका नहीं होगी। मैं सच्चे हृदयकी इस भावनाके साथ अपने निर्णयका समापन करता हूं कि मजदूरों और मालिकोंके बीच परस्पर मित्रताकी भावना तथा सहयोगकी परम्परा बनी रहेगी, एक-दूसरेकी कठिनाइयोंको समझनेका दोनों प्रयत्न करेंगे तथा आंतरिक झगड़ोंको टालनेका दृढ़ निश्चय रखकर उसके लिए पंचकी प्रथाको ही पसंद करेंगे। आशा है कि यह परम्परा और नीति हमेशा बनी रहेगी, इसे कानूनी रूप दिया जायगा और यह व्यवस्था चिरजीव सिद्ध होगी। मुझसे पहलेके सरपंचोंकी तरह मेरा यह कार्य यदि इस परिणामको उत्पन्न करनेमें थोड़ा भी सहायक हुआ, तो मैं समझूंगा कि मुझे इसका बहुत बड़ा बदला मिल गया।"

गांधीजीके अभिनंदन

इसके बाद गांधीजीने 'हरिजनबंधु' में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने सभी सम्बन्धित लोगोंको अभिनन्दन दिये। गांधीजीने अपने निर्णयकी सोलहवीं धारामें जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे, उन्हें

सरपंच सर गोविन्दराव मडगांवकरने आदर्श सिद्धान्त मानकर अपने निर्णयमें कहा कि इन्हें व्यवहारमें नहीं उतारा जा सकता। इस विषयमें गांधीजीने लिखा: "ये सिद्धान्त मैंने अपने निर्णयमें स्वयंके संतोषके लिए और इसलिए प्रतिपादित किये थे कि भविष्यमें दोनों पक्षोंके लिए ये सब सहायक सिद्ध होंगे।" इसके सिवा उन्होंने कहा: "मुझे इस आक्षेपको तो स्वीकार करना ही चाहिये कि मैं आदर्शको अपना मापदण्ड बनाकर चलता हूं। लेकिन इतना मुझे कहना चाहिये कि मैं व्यवहारका शत्रु नहीं हूं। मजदूरोंके वेतनमें अपने-आप होनेवाली घट-बढ़की योजनामें सबसे पहले तो मजदूरोंके अल्पतम वेतनकी अंतिम मर्यादाका विचार अनिवार्य रूपमें किया जाना चाहिये। इस एक बातका विचार करते समय मेरे छहों सिद्धान्तोंका विचार करना ही पड़ेगा।"

इस प्रकार अंतमें औद्योगिक आकाशमें छाये हुए काले बादल दूर हो गये।

३८

औद्योगिक अदालतकी राह पर

१९३९ में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ जानेसे महंगाई बढ़ने लगी। कुछ चीजोंके भाव ४० से ५० प्रतिशत तो कुछके ७५ प्रतिशत तक बढ़ गये। मिल-मजदूरोंका सामान्य वेतन इतना कम था कि वे बड़ी मुसीबतसे अपना और अपने परिवारका भरण-पोषण कर पाते थे। उसमें इस आसमानसे बातें करनेवाली महंगाईने तो उन्हें भुखमरीके किनारे ला पटका।

मजूर-महाजनकी मांग

इस सम्बन्धमें मजदूरोंके प्रतिनिधि-मंडलने ८ जनवरी, १९४० को एक प्रस्ताव पास किया और मजूर-महाजनने ९ जनवरी, १९४० को एक पत्र लिख कर सरकार तथा मिल-मालिक मंडलसे यह मांग की कि सामान्य जीवनकी जरूरतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली चीजोंके भाव

युद्धसे पूर्व जितने थे उतने ही करा देनेका प्रयत्न किया जाय; और यदि ऐसा न हो सके तो उन भावों पर माल देनेकी व्यवस्था की जाय अथवा इस महंगाईसे निबटनेके लिए मजदूरोंके वेतनमें नकद रकम बढ़ाई जाय।

समाधान-कर्ताकी सिफारिश

मजूर-महाजनने औद्योगिक झगड़ेकी एक धाराके अनुसार मिलोंको महंगाई-भत्तेके बारेमें १५ जनवरीको एक नोटिस दी। उसके बाद मिल-मालिक मंडलने महाजनके मंत्रियोंको चर्चा और विचार-विमर्शके लिए बुलाया। लेकिन कोई मार्ग निकल नहीं पाया। इसलिए अंतमें मजूर-महाजनको यह प्रश्न सरकारी समाधान-कर्ताके पास ले जाना पड़ा। उसके बाद मालिकोंकी मांगके फलस्वरूप सरकारने न्यायाधीश राजाध्यक्षकी विशेष समाधान-कर्ताके रूपमें नियुक्ति की।

पंचकी प्रथा बड़ी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण थी। परन्तु मिल-मालिक मंडलने एक नोटिस देकर मार्च १९३८ से इस प्रथाका अंत कर दिया था। सरकारी समाधान-कर्ता तटस्थ पंच जैसे ही थे। उन्होंने इस केसकी सारी बातें ध्यानसे सुनी और उनके बारेमें बारीकीसे जांच की। उसके बाद उन्होंने यह सिफारिश की कि मालिक मजदूरोंको प्रतिमास रु० १-१३-८ अर्थात् वेतनके पांच प्रतिशत जितनी रकम नकद दें और निश्चित की हुई २२ चीजें उन्हें युद्धके पहलेके भावों पर मुहैया करनेकी व्यवस्था करें।

महाजनने सिफारिशें स्वीकार कीं

महाजनने तो अपनी मांग पूर्णतया पूरी न होने पर भी समाधान-कर्ताकी सिफारिशें स्वीकार कर लीं। किन्तु मालिकोंने उनकी सिफारिशें स्वीकार नहीं कीं। उन्होंने एक दूसरी ही बात समाधान-कर्ताके समक्ष रखी। वह यह कि जो चीजें मजदूरोंको मुहैया करनी हैं, उनमें घी और कपड़ा भी शामिल कर दिया जाय और नकद रकम तो उन्हें १२ आना ४ पाई ही दी जाय। मजूर-महाजनने कहा कि जो २२ चीजें मजदूरोंको सस्ते भावसे देनी हैं, उन्हें देनेकी शुरुआत मालिक

करें। इस बीच मालिकोंकी बात पर विचार किया जायगा और अनुभवसे अन्य दो चीजें बढ़ाने जैसी लगेंगी तो बढ़ा दी जायेंगी। परन्तु यह सुझाव मालिकोंको पसंद नहीं आया।

लड़ाई अनिवार्य हो गई

इन परिस्थितियोंमें लड़ाई छेड़ना मजूर-महाजनके लिए अनिवार्य हो गया। यह लड़ाई थी सामान्य हड़तालकी। इस विषयमें महाजनके संयुक्त प्रतिनिधि-मंडलने ३ फरवरीको यह प्रस्ताव पास किया कि आम हड़ताल की जाय, परन्तु इससे पहले मजूर-महाजनके विधानके अनुसार सब मजदूरोंका मत लेकर उनकी इच्छा और निर्णय जान लिया जाय। लेकिन इसके साथ महाजनने अपने सिद्धान्तके अनुसार समझौतेका द्वार भी खुला रखा।

यह एक बड़ी लड़ाई द्वार खटखटाती हुई आई थी। इसके बारेमें गांधीजीकी सलाह लेनेके लिए गुलजारीलाल वर्धा गये और सारी परिस्थिति उन्होंने गांधीजीको समझाई। गांधीजीने अहमदाबादके मजदूर भाई-बहनोंको नीचेका संदेश भेजा :

गांधीजीका संदेश

"मजदूर भाइयो और बहनो,

"गुलजारीलालने मुझे सारी स्थिति समझाई है। आपकी मांग मुझे उचित लगती है। यदि पंचके द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे आपको न्याय न मिले, तो फिर हमारे पास एकमात्र उपाय हड़तालका ही रह जाता है। इस हथियारका उपयोग हमें सोच-समझ कर ही करना चाहिये। अगर हममें ताकत न हो, तो चुप बैठे रहनेमें कोई शरम नहीं है। परन्तु यदि एक बार हम यह हथियार उठायें, तो हमें तब तक इसे नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि न्याय न मिले। मैं तो वर्षों पहले इसका उपाय बता चुका हूं।

"आप सबको एक दूसरा धंधा भी सीख लेना चाहिये, जिससे आपका बेकारीका समय सुखके साथ कट जाय। सब लोग जिसे कर सकें ऐसा एक धंधा कताई-बुनाईका तो मैंने बताया ही है। लेकिन आप लोग कोई दूसरा धंधा खोज लें, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

"इसके सिवा, जो मजदूर अधिक शक्तिशाली हैं, उन्हें अपने निर्बल भाइयोंकी सहायता करनी चाहिये। ऐसा किया जाय तो ही मजदूर निर्भय हो सकते हैं। इस बार अगर हड़ताल टल जाय, तो आप मेरी दूसरे धंधेकी सलाह पर अमल शुरू कर दें।"

साम्यवादियोंकी फजीहत

यहां अहमदावादमें जब मिल-मजदूर गांधीजीकी राह पर चलकर अहिंसक लड़ाईके द्वारा न्याय प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे थे, उसी समय भारतके दूसरे शहरोंमें भी मजदूर महंगाई-भत्तेकी मांग करने लगे थे। साम्यवादी ऐसे मौकेको हाथसे क्यों जाने देते? उन्होंने १ दिसम्बर, १९३९ को बम्बईमें एक 'महंगाई परिषद्' की और उसमें यह तय किया कि मजदूर मिल-मालिकोंसे ४० प्रतिशत महंगाई-भत्ता मांगें। इस मांगके अनुसार महंगाई-भत्ता पानेके लिए उन्होंने १२ दिसवरको सामान्य हड़ताल करनेका फैसला किया। बम्बईके साम्यवादियोंके साथ अहमदाबादके साम्यवादी मिले हुए थे ही। इसलिए उन्होंने अहमदावादमें भी १२ दिसवरको हड़ताल करनेकी घोषणा की। इसके लिए उन्होंने मजदूरोंमें खूब प्रचार किया, उन्हें धमकाया-चमकाया भी, परन्तु अहमदाबादके एक लाख सात हजार मजदूरोंमें से केवल ढाई-तीन सौ मजदूरोंने ही हड़ताल की। इस प्रकार साम्यवादियोंको अपने प्रयत्नमें पूरी विफलता मिलनेके बावजूद उन्होंने मजदूरोंमें भयका वातावरण फैलाना चालू रखा।

विराट् सभाको उद्‌बोधन

अंतिम उपायके रूपमें हड़ताल की जाय या न की जाय, इस विषयमें मजूर-महाजनके मार्गदर्शनमें मजदूर भाई-बहनोंके मत लिये जाते रहे और प्रतिज्ञा-पत्र पर सहियां भी होने लगीं। हड़तालकी व्यवस्थाके लिए ६ हजार मजदूर स्वयंसेवकोंके नाम दर्ज किये गये। बड़े जोरोंसे प्रचार किया गया। अलग अलग विभागोंके मजदूरोंकी सभायें करके उन्हें आनेवाली लड़ाईका रहस्य समझाया गया। अंतमें २५ फरवरी, १९४० (रविवार)को शामके साढ़े छह बजे मजदूर-ऑफिसके कंपाउन्डमें

६०–७० हजार मजदूर भाई-बहनोंकी एक विराट् सभा हुई। उस सभाको संबोधित करते हुए अनसूयाबहनने कहा:

"हमारी लड़ाईका आधार हमारे सिद्धान्तोंके पालन पर, हमारे अनुशासन पर और हमारे संयमपूर्ण व्यवहार पर है। यह लड़ाई हमारी अग्नि-परीक्षाकी लड़ाई है; यह हमारी आत्मशुद्धिकी भी लड़ाई है। १९१८ के धर्मयुद्धकी तरह यह लड़ाई भी आप सब ऐसे ढंगसे चलायें कि वह वर्षों तक मजदूरोंको अनेक प्रकारकी प्ररणा देती रहे।"

इस सभामें मैंने भी दो शब्द कहे। हमारी लड़ाई शुरू होनेको केवल एक रात बाकी रही है, फिर भी मालिक यदि पंचकी प्रथाको स्वीकार करें तो उनके साथ समझौता करना चाहिये — ऐसा सुझाकर मैंने कहा:

"आजकी कठिन परिस्थितिमें इस प्रश्नको हल करनेमें विलम्ब क्यों किया जाय? आज अंतिम दिन है। परन्तु अभी एक पूरी रात हमारे सामने है; और यदि दोनों पक्षोंको मेरा सुझाव पसंद आये, तो अंतिम क्षणमें भी पंचकी व्यवस्थाका निर्णय करके इस भारी आफतको टाला जा सकता है। मजूर-महाजन तो इसके लिए तैयार ही रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि मिल-मालिक मंडल भी मेरे इस सुझाव पर विचार करे।"

गांधीजीकी यह नीति हमारे सामने थी कि लड़ाई छेड़नी हो या लड़ाई लड़ी जा रही हो, उस समय भी समझौतेके प्रयत्न करनेके लिए हमें तैयार रहना चाहिये। इस सभाके लिए गांधीजीने अपना संदेश भेजा था।

अंतमें समझौता हुआ

अहमदाबादकी प्रजा भी इस आफतको टालनेके लिए बड़ी उत्सुक थी। सरकारी अधिकारी भी इसके लिए प्रयत्नशील थे। इसके सिवा, बम्बईके गवर्नरने भी इस संकटको टालनेके लिए २५ फरवरीकी रातको दोनों पक्षोंके नाम एक संदेश भेजा था। इसके फलस्वरूप २६ फरवरीको, जिस दिन आम हड़ताल शुरू होनेवाली थी उसी दिन, प्रातः पांच बजे दोनों पक्षोंके बीच सम्मानपूर्ण समझौता हुआ

और उस पर मिल-मालिक मंडलके अध्यक्ष हरिदास जचरतलाल तथा मजूर-महाजनकी अध्यक्षा अनसूयाबहनने अपने हस्ताक्षर किये।

समझौतेकी शर्तें

समझौतेमें औद्योगिक अदालतकी मध्यस्थता स्वीकार की गई थी। उसमें तीन बातें तय करनी थी

(१) मजदूरोंको कितनी राहत नकद पैसेके रूपमें दी जाय और कितनी चीजोंके द्वारा दी जाय, इसका अनुपात निश्चित करना।

(२) किस तारीखसे राहत देना शुरू करना।

(३) अगर चीजों द्वारा राहत देनेकी बात तय हो, तो इस हेतुको पूरा करनेके लिए पर्याप्त और आवश्यक व्यवस्था करना।

इसमें फिरसे जाच करनेकी व्यवस्था भी रखी गई थी।

गांधीजीके सिद्धान्तोंकी सार्थकता

इस घटनासे मजूर-महाजनको लगा कि पचकी व्यवस्थाको पुन. सजीव करना चाहिये। इस दिशामें प्रयत्न करनेके लिए महाजनके मंत्रीने कहा भी। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने तथा समस्याको हल करनेका प्रयत्न करनेवाले सब लोगोंका आभार माना और अहिंसाके मार्ग पर अडिग रहकर लड़ाईकी व्यवस्थित तैयारी करनेके लिए मजदूर भाई-बहनोंको हार्दिक धन्यवाद दिया। अनसूयाबहनने भी उन्हें अभिनन्दन दिये और कहा. "ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि इस शहरके मिल-उद्योगके लिए पूज्य गाधीजी द्वारा बताये गये तथा अनुभवसे अत्यन्त उपकारक सिद्ध हुए उच्च सिद्धान्तोंका सदा पालन करनेकी शक्ति मिल-मालिकों तथा मजूर-महाजनमें उत्पन्न हो और पूज्य गाधीजीने दोनो सस्थाओंसे आपसके सद्भाव और सहयोगके बल पर समाजकी सेवाके लिए जो आशायें रखी थी वे पूरी हों।"

गांधीजीकी अपेक्षा

अहमदाबादके मजदूरों पर गाधीजीका बहुत विश्वास था। अहमदाबादके मिल-मजदूरोंने सक्रिय अहिंसाकी तालीम ली थी, इसलिए गाधीजीकी दृष्टि भविष्यके लिए भी इन मजदूरों पर लगी हुई थी।

गांधीजीने अहिंसाके सम्बन्धमें 'हरिजन' में एक लेख लिखा था, जिसमें कहा था:

"आज सब कोई इसे स्वीकार करते हैं कि अहमदावादका मजदूर-वर्ग समग्र भारतमें सबसे अधिक संगठित है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह आरंभसे अपनाई गई पद्धतिसे काम करता रहेगा, तो अंतमें मजदूर आजके मालिकोंके साथ ही मिलोंके मालिक बन जायंगे। यदि उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसक पद्धतिका यह स्वाभाविक परिणाम न आये, तो उनकी अहिंसा कच्ची सिद्ध होगी।"

गांधीजीके इस कथनके मर्मको समझकर अहिंसाके मार्ग पर ही चलनेमें मजदूरोंका सच्चा कल्याण समाया हुआ है।

३९

प्रान्तीय स्वराज्यमें प्रगतिके मार्ग पर

१९३७ का वर्ष भारतके इतिहासमें एक नये युगके उदयका प्रतीक बन गया। उस वर्ष भारतमें प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापना हुई। और, उसकी वजहसे देशमें जो अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई, उसके फलस्वरूप आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रोंमें भी स्वाभाविक रूपमें कुछ शुभ कार्य हुए।

१९३५ का शासन-विधान कांग्रेस द्वारा स्वेच्छासे स्वीकार नहीं किया गया था। गांधीजीने गोलमेज परिषद् (लन्दन) में बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमें यह बता दिया था कि भारतकी उत्कट अभिलाषा क्या है। उस समय भारतकी यह मांग पूरी करनेकी नीयत ब्रिटिश सरकारकी नहीं थी, इसलिए १९३५ में उसने भारतके लिए जो शासन-विधान बनाया उसका कांग्रेसने विरोध किया। १९ अप्रैल, १९३७ को इसके विरोधमें देशव्यापी हड़ताल करनेका निर्णय हुआ और इस आदेशका पालन करके अहमदावादकी सभी मिलोंके मजदूरोंने हड़ताल की थी।

मंत्रि-मंडलोंकी रचना

नये शासन-विधानका इस तरह विरोध करने पर भी कांग्रेसको लगा कि यदि भारत सरकार प्रान्तोंके शासन-कार्यमें गवर्नरोंका गलत हस्तक्षेप न होने देनेका वचन दे, तो इस दोषयुक्त विधानमें भी प्रवेश करके प्रान्तीय स्वराज्यमें मंत्रि-मंडलोंकी रचना की जाय और प्रान्तोंका राजकाज चलाया जाय। इसके अनुसार बम्बई प्रान्तमें जो कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बना, उसके मुख्यमंत्री बालासाहब खेर हुए। उन्होंने अपने हाथमें शिक्षा-विभाग और श्रम-विभागका कार्य रखा था।

गुलजारीलालके प्रयास

प्रान्तीय धारासभाओंके चुनावके समय गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई भी चुनकर बम्बईकी धारासभामें आ गये थे। नंदा खेर साहबके पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बने थे और उन्होंने श्रम-विभागकी बहुत-कुछ जिम्मेदारी संभाल ली थी। बादमें नंदा बंबई प्रान्तके श्रममंत्री भी हो गये थे।

राष्ट्रीय सरकारोंकी स्थापना हो जाने पर उन्होंने एक-एक करके मजदूरोंके प्रश्नोंको हाथमें लेना शुरू किया। इसका आरंभ बम्बई प्रान्तमें हुआ। गुलजारीलाल नंदा अहमदाबाद मजूर-महाजनके कार्यका संचालन करते थे, इसलिए वे गांधीजीके विचारों, कार्यनीति तथा सिद्धान्तोंका पूरा अनुभव प्राप्त करनेके बाद धारासभामें मुख्यमंत्रीके पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी बने थे। अपने अनुभवके आधार पर मजदूर जनताकी जरूरतों, औद्योगिक शांति और उद्योगकी समृद्धिके लिए जो जो बातें आवश्यक थीं, उनके सम्बन्धमें उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिये।

मजूर-महाजनके प्रयत्न

सरकारने मजदूरोंके जीवनका स्पर्श करनेवाले प्रश्नोंको हल करनेके जो प्रयत्न आरंभ किये, उनके साथ मजूर-महाजनका अपना प्रयत्न तो चालू था ही। महाजनके ये कार्य उल्लेखनीय माने जायंगे।

बाल-विवाहोंके बारेमें सावधानी

अनसूयाबहन आरंभसे ही मजदूरोंकी सामाजिक उन्नतिके लिए अदम्य उत्साहके साथ निरन्तर कार्य किया करती थीं।

उस जमानेमें बाल-विवाहोंके विषयमें शारदा कानून पास हो जाने पर भी लोग स्वयं ही इस बुराईमें फंसे रहते थे। अनसूयाबहनके ध्यानमें तो यह बात थी ही कि बाल-विवाहसे बालिकाओंका जीवन बरबाद हो जाता है। उन्हें पता चला कि जमनादास भगवानदास कन्यागृहकी एक बाला मणिका विवाह उसके माता-पिता छोटी उमरमें करनेवाले हैं। इसलिए उन्होंने लड़कीके माता-पिताको समझानेका प्रयत्न किया। परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। इस पर कोर्टमें अरजी की गई। कोर्टसे इस विवाहके लिए मनाही-हुक्म निकला और सरकारने उसे रोक दिया।

इस घटनाका प्रभाव मजदूर-समुदाय पर डालनेके लिए मजूर-महाजनके थ्रॉसल-विभागसे सम्बन्धित प्रतिनिधि-मंडलने बहुत विचार-विमर्श किया और मजदूरोंसे इस बातकी सावधानी रखनेकी अपील की कि भविष्यमें बाल-विवाह न हों। जमनादास कन्यागृहके बारेमें अनसूयाबहनने यह कड़ा नियम बना दिया कि जो लड़की गृहमें भरती होने आये, उसके माता-पिता या पालकोंसे यह वचन लिया जाय कि जब तक लड़की कन्यागृहमें पढ़ेगी तब तक उसकी सगाई नहीं की जायगी। यह संतोषकी बात है कि आज भी मजदूर माता-पिता अधिकतर समझ-बूझ कर उस नियमका पालन करते हैं।

सहायक उद्योग-सम्बन्धी आग्रह

गांधीजीने मजदूरोंको यह सीख दी थी कि औद्योगिक प्रश्नोंका निबटारा करानेके लिए मजदूरोंको कोई लड़ाई छेड़नी पड़े, तब हड़तालके दिनोंमें अन्य कोई काम खोजकर उसके जरिये रोटी कमानी चाहिये और इस हेतुको सिद्ध करनेके लिए दूसरा कोई उद्योग भी मजदूरोंको सीख लेना चाहिये।

इस दृष्टिसे २५ मई, १९३७ को दूसरे उद्योगकी शिक्षा देनेके मजदूर-ऑफिसमें एक वर्ग शुरू किया गया। उसमें कपास साफ

कपाससे लेकर सूत कातने तककी सब क्रियाएं मजदूरोंको सिखाई जाने लगीं। सालमें ही मजदूरोंके प्रतिनिधि-मंडलने इस सम्बन्धमें एक प्रस्ताव भी पास किया था। गांधीजीने इस वर्गके बारेमें 'एक व्यवस्थित कदम' नामक लेख 'हरिजनबंधु' में लिखकर मजदूरोंका मार्गदर्शन करते हुए कहा:

"मजदूरोंको ऐसे नये धंधे सिखाने चाहिये, जिन्हें वे फुरसतके समय अथवा बेकारीके समय करके अपनी जीविका चला सकें। धंधोंकी इन पसंदगीमें रुईसे सम्बन्धित सारी क्रियाओंका — अर्थात् रुई साफ करना, धुनना, पींजना, कातना, बुनना — तथा सीना, साबुन बनाना, कागज बनाना, बजाज करना वगैराका समावेश हो सकता है।

"यदि मजदूरोंको स्वतंत्र बनना हो, अपने स्वाभिमानकी रक्षा करनी हो, आर्थिक संकटके विषयमें निर्भय बनना हो, तो उन्हें रोटी कमानेके अनेक साधन खड़े करने होंगे।

"पैसा दुनियामें सब-कुछ कर सकता है और मजदूर पैसेका दास है, ये दोनों बातें भ्रामक हैं, अज्ञानकी निशानी हैं। मजूर-महाजनके सेवक इन दोनों भ्रांतियोंको दूर करनेका प्रयास कर रहे हैं।"

अधिक संख्यामें विकास-मंदिर

मजदूरोंका संगठन मजबूत बने और उसका विकास हो, इसके लिए गुलजारीलाल नंदा और खंडुभाई देसाई अविरत प्रयत्न कर रहे थे। 'मुहल्ला-महाजन' की स्थापना अधिकाधिक मुहल्लोंमें होती जा रही थी। इसके सिवा, गांधीजीने मजदूरोंका सर्वांगीण विकास करनेका जो आदेश दिया था, उसके पालनके लिए विकास-मंदिरोंकी स्थापना की जा रही थी, जिनके द्वारा मजदूर भाई-बहनोंके अधिक संपर्कमें आया जा सके और उनकी शैक्षणिक तथा सामाजिक उन्नति सिद्ध की जा सके। १९३७ में रखियाल, रायपुर और असारवामें नये विकास-मंदिर आरंभ किये गये थे।

म्युनिसिपल शिकायत-विभाग

ज्यों ज्यों अहमदाबादका विकास होता जाता था, मिलोंका क्षेत्र बढ़ता जाता था और मजदूरोंकी आबादीमें वृद्धि होती जाती थी,

त्यों त्यों मजूर-महाजन मजदूरोंकी सुविधाओंका भी विचार करता जाता था। मजदूर लोग पानी, पाखाने, दीयावत्ती तथा सफाईके बारेमें म्युनिसिपैलिटीकी शिकायतें लेकर आते थे। उन्हें सुनने और उनका निबटारा करनेके लिए महाजनकी ऑफिसमें म्युनिसिपल शिकायत-विभाग भी इस वर्ष खोला गया था।

उद्योगमें काम करनेवाले मजदूरोंके लिए चाय-कॉफी, नाश्ता वगैराकी दृष्टिसे होटलकी अच्छी व्यवस्था होना जरूरी है। परन्तु उस समय होटल-मालिकों ओर मिल-मालिकोंका उद्देश्य केवल पैसा कमाना रहता था। मिल-मालिक होटलवालोंसे अपनी जगहका ज्यादा ाड़ा वसूल करते थे। नतीजा यह होता था कि होटल चलानेवाले मालिक रद्दी सामग्रीका उपयोग करके स्वास्थ्यको हानि पहुंचानेवाले खाद्य-पदार्थ मजदूरोंको वेचते थे। मजूर-महाजनने इस बुराईका भी विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी।

महिला-मंदिर

एक ओर मजदूर भाई-बहन आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक क्षेत्रमें प्रगति कर रहे थे, तो दूसरी ओर वे सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रमें भी आगे बढ़नेका प्रयत्न कर रहे थे। मजदूर बहनोंके सर्वांगीण विकासमें सहायक होनेके लिए ता० ४–८–'३९ के दिन 'मजूर महिला-मंदिर' की स्थापना की गई। मजदूर बालकोंको शिक्षा तथा उद्योगकी तालीम देने और उनमें सुसंस्कारोंका सिंचन करनेके लिए तो प्रयत्न चल ही रहे थे, लेकिन अब बहनोंके लिए भी इस दिशामें कार्य आरंभ हुआ था। महिला-मंदिरकी स्थापनाके अवसर पर शिक्षाका महत्त्व समझाते हुए अनसूयाबहनने कहा:

"किसी मकानमें सुन्दर चीजें तो रखी गई हों, परन्तु वहां प्रकाशका अभाव हो या दीपक रखा ही न गया हो, तो वे सुन्दर वस्तुएं किसीको दिखाई नहीं पड़ेंगी और न उनकी उपयोगिता किसीकी समझमें आयगी। इसी प्रकार योग्य शिक्षाके अभावमें मजदूरोंका जीवन भी अंधकारमय रहता है। बहनें यदि शिक्षा ग्रहण करें, तो वे पत्र पढ़ सकती हैं, अखबार पढ़ सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें, संतोंकी वाणी

तथा अच्छे भजन आदि भी पढ़ सकती हैं। साथ ही वे गिनती करना और हिसाब रखना भी सीख सकती हैं, ताकि प्रतिदिनके व्यवहारमें तथा लेन-देनमें कोई उन्हें धोखा न दे सके।"

इस वर्गमें मुझसे ही पचास बहनें शरीक हुई थी। मजदूर-ऑफिसके कम्पाउन्डमें एक मकान था, जिसमें यह 'महिला-मंदिर' खोला गया था। अनसूयाबहन भी उसी कम्पाउन्डमें रहती थी, इसलिए इस कार्यमें उनके मार्गदर्शनका हमें निरन्तर लाभ मिला करता था।

मजूर-महाजनका विकास

रात-पालीके मजदूरोंका अभी अच्छी तरह संगठन नहीं हो पाया था। उस समय २३००० मजदूर रात-पालीमें काम करते थे। इनमें से १९३९ के आरम्भमें केवल २५०० मजदूर ही मजूर-महाजनके सदस्य थे। इसलिए इस दिशामें अधिक प्रयत्न करनेके लिए मजदूरोंने अपील की गई, जिसके फलस्वरूप यह काम आगे बढ़ने लगा।

मजदूरोंके विकासका कार्य जोरशोरसे चलनेके कारण वाइंडिंग-विभागकी मजदूर बहनोंमें भी जागृति आई। मिलोंके अन्य विभागोंमें भी स्त्रियां काम करती हैं, परन्तु अधिकसे अधिक स्त्रियां वाइंडिंग और रीलिंग-विभागमें होती हैं। उनका व्यवस्थित महाजन नहीं बना था, इसलिए अन्य मजदूरोंकी तुलनामें ये स्त्रियां प्रगतिमें बहुत पिछड़ गई थीं। उनका वेतन बहुत कम था, उन्हें पूरा काम नहीं मिलता था और कष्ट भी उन्हें बहुत भोगने पड़ते थे। उद्योगमें मंदीकी स्थिति आते ही मालिकोंकी वृत्ति इन विभागोंकी स्त्रियोंके वेतनमें कटौती करनेकी हो आती थी। लेकिन १३ जून, १९३९ को इनका व्यवस्थित महाजन बना।

वेतनके भुगतानका कानून

अब राज्यकी ओरसे भी मजदूरोंकी उन्नतिके लिए अच्छे प्रयत्न किये जाने लगे। मिल-उद्योगमें काम करनेवाले मजदूरोंको कितना वेतन दिया जाय, कब दिया जाय, कितना जुर्माना किया जाय, उनके वेतनसे जुर्माने वगैराकी रकम काटी जा सकती है या नहीं — इन सबके लिए

नोटिस दिये बिना किसी मजदूरको नौकरीसे मुक्त नहीं किया जा सकता, यह बात भी मजदूरकी नौकरीकी सलामतीके लिए सहायक सिद्ध होनेवाली थी। इस कानूनका अच्छी तरह अमल हो, इसके लिए मजूर-महाजन द्वारा मिलोंमें सभायें की गई थी और मजदूरोंको इस कानूनकी सारी बातें समझाई गई थीं।

साम्यवादियोंको नेहरूजीकी चेतावनी

प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापना हुई उस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसके अध्यक्ष थे। वे ता० १६–९–'३७ को अहमदाबाद आये थे। उस दिन रातको ९ बजे मजदूर-ऑफिसके कम्पाउन्डमें मजदूरोंकी एक सभा बुलाई गई थी। गांधीजी तथा सरदार पटेलकी सभाओंमें साम्यवादियोंने जैसा हस्तक्षेप किया था वैसा ही पं० नेहरूकी सभामें भी किया। यह तो एक प्रकारसे साम्यवादियोंका दैनिक व्यवसाय बन गया था। किसी भी प्रकारका रचनात्मक काम करनेके बजाय वे शुरूसे ही धांधली मचाकर मजूर-महाजनको तोड़नेका प्रयास करते आये थे। अतः पंडितजीने अपने भाषणमें यह बात छेड़ी

"मुझे दो मानपत्र मिले हैं। एक मजदूर-यूनियनका और दूसरा मजूर-महाजनका। मैंने सुना है कि इन दोनोंके बीच अच्छा संबंध नहीं है। दूसरी कोई बात मैं नहीं जानता। पहले जब मैं अहमदाबाद आया था तब यूनियन नहीं था। इस यूनियनमें बहुत कम लोग हैं। इसके विपरीत, महाजनमें बहुतसे मजदूरोंका विश्वास है। यूनियनकी कुछ बातोंसे मैं चौंक उठा हूं। जुलूसके जुलूसमें सुन्दर व्यवस्था थी। किन्तु लाल झंडेवाले उस व्यवस्थाको तोड़कर आगे आ गये और उन्होंने जुलूसमें गड़बड़ी पैदा की। यह बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा कि मैं राष्ट्रपति (कांग्रेसके अध्यक्ष) के रूपमें यहां आया हूं। कांग्रेसके झंडेको सारा संसार जानता है। कोई जबरन् दूसरा झंडा उसके स्थान पर लायेगा, तो मैं उसे बरदाश्त नहीं करूंगा। कांग्रेस भी उसे बरदाश्त नहीं करेगी। आप लोग यह जान लें कि कांग्रेस एक जबरदस्त शक्ति है। वह जो निर्णय करेगी उस पर हर हालतमें अमल करेगी।'

"आज मैं यह स्पष्ट कह दूं कि लाल झंडेको कोई जवरन् आगे लाना चाहेगा और यदि वह झंडा राष्ट्रीय झंडेका मुकावला करेगा, तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी, उसे खतम कर देगी।"

पंडित नेहरूने इस पर भी जोर दिया कि गांधीजीने मजदूरोंको हिंसाके मार्गसे दूर रहनेकी जो सलाह दी है, उस पर चलनेका वे पूरा ध्यान रखें।

वम्बई सरकारकी जांच-समिति

मजदूरोंके वारेमें कांग्रेसकी नीति सहानुभूतिपूर्ण थी। उनकी स्थितिमें सुधार करनेके प्रश्न पर विचार करनेके लिए कांग्रेसने एक 'मजदूर उपसमिति' भी नियुक्त की थी। प्रान्तीय स्वराज्यकी स्थापनाके वाद यह उपसमिति विभिन्न प्रान्तोंमें घूमकर वहांके श्रममंत्रियों तथा उनके पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरियोंसे भी मिलने लगी थी। इस प्रकार देशके मजदूरोंके विषयमें एक निश्चित राष्ट्रीय नीति रचनेका प्रयत्न हो रहा था। वम्बई प्रान्तमें कांग्रेस सरकारकी ओरसे श्रम-विभागका कार्य वालासाहव खेर और गुलजारीलाल नंदाने संभाला, उसके वाद कपड़ा-मिलोंमें काम करनेवाले मजदूरोंके वेतनके वारेमें जांच करनेके लिए एक जांच-समिति नियुक्त की गई थी। उसके अध्यक्ष थे जयरामदास दौलतराम और सदस्य थे वैकुंठलाल महेता, डी० आर० गाडगील और एस० ए० ब्रेलवी। इस समितिको सलाह देनेके लिए मालिकोंकी ओरसे सेठ साकरलाल वालाभाई और एस० डी० सकलातवाला तथा मजदूरोंकी ओरसे खंडुभाई देसाई और आर० ए० खेडगीकर सदस्यके रूपमें नियुक्त किये गये थे। इस जांच-समितिको नीचेके मुद्दों पर जांच करके अपनी सिफारिशें वम्वई सरकारके सामने रखनी थीं: (१) मजदूरोंका कमसे कम वेतन, (२) वेतनका स्तर ऊंचा उठानके लिए मालिकों, मजदूरों और सरकारको क्या करना चाहिये, (३) रात-पालीके मजदूरोंके वेतन तथा कामके वारेमें नियम, (४) वेतनका समान स्तर और हाजिरी-रजिस्टर, और (५) ऐसी व्यवस्था जिससे भविष्यमें मजदूरोंके वेतन परिस्थितियोंके अनुसार अपने-आप निश्चित हो सकें।

मजूर-महाजनकी मांग

मजूर-महाजनने जाच-समितिके सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करके मजदूरोंके वेतनमें १० से १५ प्रतिशत वृद्धिकी माग की। इसके कारणोंके रूपमें मजूर-महाजनने मिल-उद्योगकी स्थितिमें हुए नीचेके परिवर्तन बताये थे:

१. रूईके भावमें हुई कमी।

२. *रात-पाली चलनेके कारण उत्पादन-खर्चमें हुई कमी।*

३. कपड़ेकी बढी हुई माग और इसके फलस्वरूप स्टॉकमें रुकनेवाली पूंजीकी मात्रामें हुई कमीके कारण दिया गया कम ब्याज।

मैंने भी इस जाच-समितिके सामने ता० १७–१२–'३७ को गवाही दी थी। उसमें मुझसे पूछा गया था कि आप मजदूरोंके वेतनमें १० से १५ प्रतिशतकी वृद्धि किस आधार पर मागते हैं? हमारे मनमें यह स्पष्ट था कि १९२३ में हुई वेतन-कटौती बिलकुल अनुचित थी; इसलिए मैंने कहा कि "हमारी माग यह है कि १९२३ में की गई वेतन-कटौती पूरी-पूरी वापस ले ली जाय। और १० प्रतिशत वृद्धिकी हमारी माग तो आसानीसे पूरी की जा सकती है।" इस जाचके समय कुछ मालिकोंकी ओरसे यह प्रश्न उठाया गया था कि इस समितिके समक्ष उपस्थित होकर मजूर-महाजन क्या पंचकी प्रथाका भंग नहीं करता? इस प्रश्नको अनुचित बताकर मैंने कहा: "यदि सरकारने यह समिति नियुक्त न की होती, तो इस प्रश्नको लेकर हम पंचके पास ही गये होते।"

पंचकी व्यवस्थाका उद्देश्य यह है कि मतभेदके प्रश्नोंका निपटारा तटस्थ पद्धतिसे हो। इस जाच-समितिमें निष्पक्ष वृत्तिके सदस्य थे; साथ ही उनकी सहायताके लिए दोनों पक्षोंके सदस्योंकी नियुक्ति भी हुई थी। परन्तु गांधीजीके प्रयत्नोंके फलस्वरूप पंचकी जो प्रथा स्थापित हुई थी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि दोनों पक्ष अपना अपना एक पंच नियुक्त करें और इन दो पंचोंके बीच यदि मतभेद खड़ा हो तो दोनों पंच मिलकर एक सरपंच नियुक्त करें। इस व्यवस्थाको देखते हुए सरकारी जांच-समितिकी रचनासे मिल-मालिकोंको थोड़ा असतोष हुआ

हो, तो उसे समझा जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलोंमें सरकार स्वतंत्र समिति नियुक्त करके जांच कराये और अपना उचित निर्णय दे, इसे किसी भी दृष्टिसे अनुचित नहीं माना जा सकता — बल्कि ऐसा करना सरकारका कर्तव्य माना जायगा। इसलिए सरकारका यह कदम सर्वथा उचित था, ऐसा कहनेमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है।

इस जांच-समितिकी सिफारिशें प्रकाशित होने पर मालिकोंने उन्हें स्वीकार कर लिया और मजदूरोंको वेतनके अनुसार रुपये पर एक आनेसे लेकर तीन आने तककी वृद्धि दे दी।

इसके बाद बुनाई-विभागके मजदूरोंके वेतनके समान स्तरके संबंधमें गांधीजीके सामने दिल्लीमें जो विचार-विमर्श १९३५ में हुआ था, उसे हाथमें लेकर मिल-मालिक मंडल तथा मजूर-महाजनने एक करार किया। सरदार वल्लभभाई पटेलने इस मामलेमें दिलचस्पी लेकर उचित निर्णय करनमें दोनों पक्षोंकी कीमती मदद की।

हिंसक हड़तालें

एक ओर प्रान्तोंमें राष्ट्रीय सरकारें मजदूरोंके हितके लिए उचित कदम उठा रही थीं, जब कि दूसरी ओर लाल झंडेवाले साम्यवादी हड़तालें करवा कर, हिंसा करवा कर और अंधाधुंधी फैला कर मिल-उद्योग तथा मजदूरोंको नुकसान पहुंचा रहे थे। शोलापुरमें उन्होंने ऐसी हड़ताल करवा दी थी। कानपुरमें भी मिलोंके मजदूरोंने हड़ताल कर दी थी। उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री पंतजीने समझौता कराकर हड़तालका अंत कराया था, फिर भी उसे तोड़कर साम्यवादियोंने वहां संकटकी स्थिति उत्पन्न कर दी और हिंसाका सहारा लिया था।

ऐसी ही परिस्थिति साम्यवादियोंने १९३७ के अंतमें अहमदाबादमें खड़ी कर दी थी। पंडित जवाहरलालजीकी सभामें उन्होंने धांधली मचानेका प्रयत्न किया। उसके बाद उन्होंने अहमदावादमें वेतन-वृद्धिके नाम पर आम हड़ताल करानेका प्रयत्न किया। यहांकी मिलोंके बुनाई-विभागके कुछ मजदूर गुजरातसे बाहरके थे, जो मजूर-महाजनमें नहीं जुड़े थे और संगठनके महत्त्वको समझ नहीं पाये थे। गांधीजीकी अहिंसक पद्धतिसे लड़ने पर मजदूरोंकी उचित मांगें पूरी हो जाती

हैं, इसका उन्हें अनुभव नहीं था। इसलिए वे साम्यवादियों द्वारा फैलाई हुई उत्तेजनाके शिकार हो गये। इसके फलस्वरूप १६ नवम्बर, १९३७ तक अहमदाबादकी लगभग तैंतीस मिलोंमें हड़ताल पड़ी और आम हड़तालकी हवा फैलने लगी।

सरकारको लगा कि साम्यवादी दंगा-फसाद करेंगे और मिलोंमें जानेवाले मजदूरोंको रोकेंगे, इसलिए उसने शहरके कुछ खास भागोंमें १४४वीं धारा घोषित कर दी। फिर भी साम्यवादियोंने मिलोंमें जाना चाहनेवाले मजदूरोंको रोका, उन्हें मारा-पीटा, उन पर पत्थरबाजी की। इसलिए १४४वीं धाराका क्षेत्र बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लगी और मजूर-महाजनके प्रचारके फलस्वरूप मिलें चालू होने लगीं।

हड़तालियोंके प्रतिनिधि मुख्यमंत्रीके पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी गुलजारीलाल नंदासे मिले। उन्होंने प्रतिनिधियोंसे कहा कि वे तुरन्त हड़ताल बन्द कर दें। मिल-मालिक भी गुलजारीलालसे मिले। धीरे-धीरे परिस्थिति अंकुशमें आती गई। गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भी इन हड़तालके बारेमें बहुत सावधानी रखी। वल्लभभाई पटेल स्वयं परिस्थितिका निरीक्षण करने अहमदाबाद आये। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब कि सरकारने मजदूरोंके वेतनके बारेमें जांच करनेके लिए एक जांच-समिति नियुक्त की है, इस तरहकी हिंसक हड़तालें करना और दंगा-फसाद करना बेहूदी बात और अन्याय है। मिल-मालिक मंडल तथा मजूर-महाजनको उन्होंने सलाह दी कि दोनोंको ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देनेके लिए सुमेलसे काम करना चाहिये तथा शांति बनाये रखनेके लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिये। इसके बाद २९ नवम्बर तक तो सभी मिलें पूरी तरह काम करने लग गईं। इस प्रकार साम्यवादी सारे देशमें मजदूरोंके बीच अधाधुंधी फैलानेके जो प्रयत्न कर रहे थे, उसमें उनका उद्देश्य हालमें ही प्रान्तोंमें स्थापित हुई राष्ट्रीय सरकारोंको परेशान करना था। परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

'गांधी-सेवा-संघ' की समिति

साम्यवादी सभी औद्योगिक क्षेत्रोंमें दंगा-फसाद करानेका प्रयत्न कर रहे थे, जिससे मजदूरों, उद्योगों और प्रजाको अपार नुकसान हो रहा था। इसलिए मजदूरोंके प्रश्नों पर विचार करनेके लिए, उनके कष्ट दूर करनेके लिए और सारे देशमें गांधीजीके सिद्धान्तों और प्रणालीके अनुसार मजदूर-प्रवृत्ति चलानेके लिए 'गांधी-सेवा-संघ' ने भी १९३८ के आरंभमें एक समिति नियुक्त की थी। वल्लभभाई, राजेन्द्र-बाबू, गंगाधरराव देशपांडे, शंकरराव देव, आचार्य कृपालानी और डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष उसके सदस्य थे तथा जयरामदास दौलतराम और मैं उसके मंत्री थे। उस समितिका कार्यक्षेत्र इस प्रकार था:

"यह समिति पूरी सावधानीसे मिल-मजदूरोंके हितोंका विचार करेगी और उनके आर्थिक हितों तथा अन्य प्रकारके हितोंकी रक्षाके लिए संघके सिद्धान्तोंके अनुसार उनका संगठन करेगी, उनकी सेवा करेगी और इस कार्यके लिए तालीम देकर योग्य सेवक तैयार करेगी।"
इस समितिका मुख्य कार्यालय मजूर-महाजनके दफ्तरमें ही रखा गया था। इस समिति द्वारा सर्व-प्रथम बम्बई प्रान्तके कुछ कार्यकर्ताओंको तालीम देनेका प्रबन्ध किया गया। इन कार्यकर्ताओंमें बम्बईके राष्ट्रीय कामदार संघके समर्थ संस्थापक और संचालक स्व० आंबेकर भी थे।

अहमदाबादमें शराबबन्दी

इसी अरसेमें बम्बईकी राष्ट्रीय सरकारने प्रान्तमें शराबबंदी दाखिल करनेका बड़ा महत्त्वपूर्ण निर्णय किया। सबसे पहले इसका आरंभ अहमदाबादसे करना तय हुआ। मजदूर लोग १९३० से शराबबंदीके लिए श्रम कर रहे थे। इसके लिए सबसे पहले अहमदाबादको पसंद किया जायगा, यह जानकर शराबबंदीके लिए यहां व्यवस्थित प्रचार भी किया जाने लगा था। १ जून, १९३८ से अहमदाबादमें संपूर्ण शराबबंदीका आरंभ हुआ। शहरमें एक भारी जुलूस निकला; एक विराट् सभा हुई, जिसमें वल्लभभाई पटेल तथा शराबबंदी विभागके मंत्री डॉ० गिल्डरके भाषण हुए। भारतके किसी औद्योगिक शहरमें शराब-बंदी करनेका यह पहला ही मौका था। सरदार पटेलने मजदूरोंको

शराबबंदीके लाभ बताते हुए कहा: "अहमदाबादमें शराबबंदी आरंभ होनेसे यहांके मजदूरोंको वेतनमें दूसरी वृद्धि मिली है। शराबका ठेका नीलाम करनेसे सरकारको प्रतिवर्ष १६ लाख रुपये मिलते हैं। लेकिन जनता शराब पीकर ६० लाख रुपये बरबाद कर देती है। शराब-बंदीसे सरकारकी यह आय बंद हो जायगी और मजदूरोंके ४० से ५० लाख रुपये बचेंगे। मजदूर-वर्ग सरकारके इस कदमकी प्रशंसा करेगा। मजदूर बहनोंको इससे आनंद होगा। उनकी बहुतसी मुसीबतें दूर हो जायगी। वे कांग्रेसको आशीर्वाद देंगी।"

अहमदाबादमें एक शराबबंदी विभाग खोला गया और उसमें मजूर-महाजनके कार्यकर्ताओंको लिया गया।

'ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट'

मजदूरोंके प्रश्नोंकी जांचके लिए जांच-समिति नियुक्त करनेके बाद २ सितम्बर, १९३८को बालासाहब खेरने बम्बईकी धारासभामें 'औद्योगिक झगड़ोंसे संबंधित बिल' (ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल) पेश किया। धारासभामें उसका विरोध हुआ और बाहर भी जमनादास महेता तथा डॉ० आंबेडकरने हड़ताल करानेका प्रयत्न किया। लेकिन मजदूर अच्छी तरह समझ गये थे कि यह बिल उनके हितके लिए तथा मिल-उद्योग और जनताके हितके लिए ही बनाया गया है। इसलिए धमकियोंके बावजूद ७५ प्रतिशत मजदूर इस हड़तालसे दूर रहे थे।

इस बिलको धारासभामें पेश करते समय मुख्यमंत्री खेरने इसके मर्मको समझाते हुए कहा कि "मजदूरों और मालिकोंके बीचके तमाम झगड़ोंका शांतिसे निबटारा कराने तथा नये झगड़े पैदा न होने देनेके लिए यदि सरकारकी ओरसे कोई बिल पेश किया गया हो, तो यह पहला ही बिल है। सरकार आशा रखती है कि प्रान्तके औद्योगिक मजदूरोंके नेता, उद्योगपति और जनता इसका स्वागत करेंगे।"

इस बिलके बारेमें कुछ लोग ऐसा मानते थे कि इससे मजदूरोंका मालिकोंके खिलाफ लड़ाई चलाने अथवा हड़ताल करनेका अधिकार चला जाता है। और दूसरे कुछ लोग यह मानते थे कि इससे पंचको

[illegible] जाता है। परन्तु ये कानून तो अल्पकालीन [illegible] परिणाम था।

इस 'बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल' में ऐसी व्यवस्था भी रखी गई थी, जिसमें मिल-मालिक, मजदूर और सरकारके प्रतिनिधि [illegible] नियुक्त किये गये [illegible] द्वारा किसी औद्योगिक झगड़ेका निपटारा कराया जाता था। इसके सिवा, औद्योगिक झगड़ा पैदा होने पर मजदूरोंके हड़ताल करनेके अधिकारको [illegible] था और ऐसे झगड़ेके निपटारेके लिए समझौता-समितिके समक्ष [illegible] कार्रवाई करनेकी व्यवस्था भी की गई थी। मजदूरोंकी किसी भी मामलेका निपटारा यदि पंचके द्वारा या समझौता-समितिके समक्ष [illegible] प्राप्त न हो, तो उसके बादके ही मामलेमें मजदूरोंको हड़ताल करनेकी छूट दी गई थी।

अन्तमें इस बिलको कानूनका रूप दिया गया और उसकी कुछ धाराओंका अमल १ जून, १९३९ से तथा कुछ अन्य धाराओंका अमल १ अगस्त, १९३९ से करनेका निश्चय हुआ।

गांधीजी भी इस बिल तथा कानूनमें की गई व्यवस्थाओंमें दिलचस्पी लेते थे। बंगालके मजदूर-नेता सुरेशचन्द्र बेनर्जीके मनमें इस कानूनके संबंधमें शंका पैदा हुई, जिसकी चर्चा गांधीजीके साथ करनेके लिए वे बम्बई आये थे। पहले इस संबंधमें उनकी चर्चा बालासाहब खेरके साथ हुई। उसके बाद गांधीजीने इस कानूनका सच्चा मर्म उन्हें समझाया। इस प्रकार मजदूरों और मिल-उद्योगके हितके लिए एक युग-प्रवर्तक कानून अस्तित्वमें आया। वल्लभभाईने इस कानूनके बारेमें कहा था: "इस कानूनकी वजहसे कुछ लोगोंको अपनी नेतागिरीकी कुरबानी करनी पड़ेगी। इससे गैर-जिम्मेदार शोषकोंके हाथसे मजदूरोंका उद्धार हो जायगा, मजदूरोंको तथा करदाताओंको होनेवाला आर्थिक नुकसान बंद हो जायगा तथा मिल-उद्योग और प्रांतकी शांति सुरक्षित रहेगी।"

और वल्लभभाईका यह कथन सच था।

बम्बईकी कांग्रेसी सरकारने इस कानूनके द्वारा जल्दी ही औद्योगिक झगड़ोंके उचित निवटारेके लिए तथा मिल-उद्योगमें शांति और

सुमेळ बनाये रखनेके लिए प्रयत्न आरंभ कर दिये थे। दूसरी ओर, कांग्रेस-अध्यक्षने सातों कांग्रेसी प्रान्तोंके मुख्यमंत्रियोंकी एक परिषद् बुलाकर उनके साथ ग्रामोद्योगों और गृहोद्योगोंकी समृद्धिके बारेमें, नये उद्योग खड़े करनेके बारेमें और औद्योगिक क्षेत्रमें देशकी प्रगति साधनेके बारेमें विचार-विमर्श आरंभ कर दिया था।

मकान-किरायेकी जांच

औद्योगिक शहरोंमें मकानोंका किराया बहुत ही अधिक था। मकान-मालिक मनमाने ढंगसे किराया बढ़ाते रहते थे और किरायेदारोंसे मकान खाली भी करा लिया करते थे। इस बुराईके सबसे बुरे शिकार मजदूर बनते थे, इसलिए बम्बई सरकारने मथुरादास त्रिकमजीकी अध्यक्षतामें सात सदस्योंकी एक जांच-समिति नियुक्त की थी। यह समिति १७ और १८ दिसम्बर, १९३८ को अहमदाबाद आयी और वहां उसने मजदूरोंके मुहल्लोंको देखा तथा उनकी गवाही भी ली। इस समितिके सामने खंडुभाई देसाईने कहा कि मकानोंके किरायेमें ३३ $\frac{1}{3}$ प्रतिशत कमी की जानी चाहिये और ऐसी व्यवस्था सरकारको करनी चाहिये जिससे उद्योगके संचालक मजदूरोंके रहने लायक मकान अनिवार्य रूपमें बनवा दें। म्युनिसिपैलिटी और शहर कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षोंने मकान-किरायेमें २५ प्रतिशत कमी करनेकी बात सुझाई। इस जांच-समितिकी सिफारिशोंके फलस्वरूप अन्तमें १९३९ में 'रेन्ट एक्ट' (किराया कानून) बना था।

प्रौढ़शिक्षाका आन्दोलन

बम्बई सरकारका शिक्षा-विभाग मुख्यमंत्री बालासाहब खेरके हाथमें था। सरकार प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षाके लिए तो प्रयत्न कर ही रही थी। अब लोकतंत्रके सफल संचालन तथा देशके समग्र उत्कर्षके लिए प्रौढ़ वयके लोगोंको पढ़ाना तथा उनमें शिक्षाका प्रचार करना बहुत जरूरी होनेसे सरकारने अप्रैल १९३९ से 'प्रौढ़-शिक्षा' के लिए भी उचित प्रबन्ध किया।

अहमदाबादमें प्रौढ़शिक्षाका कार्य आरंभ होनेवाला है, यह जानकर मजूर-महाजन हरएक मिल और हरएक मुहल्लेमें प्रचार करके मज-

दूरोंको शिक्षाका महत्त्व समझाने लगा। सरकार चाहे जितने पैसे खर्च करे, तो भी प्रौढ़शिक्षाके लिए पर्याप्त संख्यामें शिक्षक नहीं मिल सकेंगे, सरकारी पैसे भी आवश्यकताको देखते हुए पर्याप्त नहीं होंगे, यह सोचकर मजूर-महाजनने इस कार्यको अपना मानकर एक 'प्रौढ़शिक्षा समिति' नियुक्त की, मजदूरोंमें से ही प्रौढ़ोंको शिक्षा देनेवाले स्वयं-सेवक भाई-बहन खड़े किये और उन्हें तालीम देनेके लिए 'स्वयंसेवक तालीम वर्ग' चलाये। प्रौढ़ पुरुषोंके साथ साथ प्रौढ़ स्त्रियोंके लिए भी वर्ग शुरू किये गये। उस समय इस कार्यके लिए मजदूरोंके उत्साह और प्रयत्नोंको देखकर ऐसा लगता था, मानो मजदूरोंने अपने बीच फैली हुई निरक्षरताको दूर करनेका जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है। आज १९६८ में भी प्रौढ़शिक्षाका यह कार्य चल रहा है और इस सम्बन्धमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अहमदाबादके सभी मजदूर भाई-बहनोंको लिखना-पढ़ना आता है। इसलिए यह प्रयत्न आज भी लगनके साथ जारी रखना होगा।

गुमाश्ता-कानून

कांग्रेस प्रान्तोंके शासन-प्रबंधकी जिम्मेदारीको छोड़कर धारा-सभाओंसे बाहर निकली उससे पहले उसने जो दो कार्य किये, उनका उल्लेख भी यहां किया जाना चाहिये। कारखानोंमें मशीनों पर काम करनेवाले श्रमजीवी मजदूरोंके संघ अनेक कठिनाइयोंका सामना करके स्थापित हुए थे; परन्तु दुकानों या पेढ़ियोंम काम करनेवाले साधारण मध्यमवर्गके लोगोंकी स्थिति भी अनेक तरहसे बहुत कठिन थी। उनकी इस कठिनाईको दूर करनेके लिए बम्बईकी धारासभामें एक 'गुमाश्ता बिल' पेश किया गया था, जो पास हुआ था। इस बिलके पास होनेसे मजदूर-प्रवृत्ति संगठनकी दिशामें एक कदम और आगे बढ़ी।

मजदूर-कल्याण-विभाग

अहमदाबादका मजूर-महाजन पिछले बीस वर्षोंसे मजदूर भाई-बहनोंके लिए रचनात्मक कार्य कर रहा था और इन कार्योंका मजदूरोंके जीवनके उत्कर्षमें बहुत बड़ा हाथ रहता था। इस समय गुलजारीलाल

नंदा प्रांतीय सरकारके श्रम-विभागका संचालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इन रचनात्मक कार्योंको अधिक वेग देनेके लिए 'मजदूर-कल्याण-विभाग' खोला। गांधीजी ठेठ १९१८ से कहते आ रहे थे कि मजदूरोंको कोई सहायक उद्योग सीख लेना चाहिये। इसलिए जब जब मालिकोंसे लडनेके अवसर आये और बेकारीका प्रश्न खड़ा हुआ, तब तब मजदूरोंके लिए सहायक कार्यका प्रबन्ध करनेका प्रयत्न किया गया।

इस बातको ध्यानमें रखकर सरकारने मजदूर-कल्याण-विभागके प्रयत्नसे अहमदाबादमें 'औद्योगिक कला-भवन' स्थापित किया। उसका उद्देश्य था औद्योगिक बेकारीका प्रश्न हल करनेमें सहायक बनना और मिल-उद्योगमें काम करनेवाले मजदूरोंकी कुशलता और कार्य-क्षमताको बढ़ाना। इसमें गृह-उद्योगों तथा यंत्र-उद्योगों दोनोंकी व्यवस्था रखनेकी घोषणा की गई थी। यह 'औद्योगिक कला-भवन' मजदूरोंके लिए आशीर्वाद सिद्ध हुआ है। इस भवनने पिछले २५ वर्षोंमें ८२०० मजदूरोंको तालीम देकर उल्लेखनीय प्रगति की है।

समृद्धिके चार सूत्र

ता० १६–६–'३९ को 'मस्कती कापड महाजन' में दिये गये अपने भाषणमें मिल-उद्योगके बारेमें बहुमूल्य मार्गदर्शन करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेलने कहा: "किसानों और मजदूरोंके शोषण पर निभनेवाला व्यापार मिट जायगा।" उन्होंने यह भी कहा: "यहां उद्योगमें यदि फोड़े जैसी कोई मिलें हों, तो उन्हें काटकर फेंक दीजिये। अहमदाबादमें यदि २५ कमजोर कारखाने हों और वे सारे उद्योगके लिए बोझ बन रहे हों, तो उन्हें खतम कर देना चाहिये। ५० कारखाने यदि नफा करें और २५ कारखाने घाटेमें चलें, तो जायत मजदूर २५ कारखानोंके अनुसार वेतनकी दर स्वीकार नहीं करेंगे। मिल-उद्योगको अच्छी तरह चलानेके लिए जमानेके साथ चलनेवाला मालिक चाहिये। ऐसे दो-चार मालिक नहीं परन्तु उनका एक बड़ा समूह चाहिये और वह समूह भी ऐसा हो जिसमें समझदार लोगोंका प्रभाव हो।"

अहमदाबादके मिल-उद्योगकी समृद्धि सुमेलके कारण ही टिकी रही है, यह बताते हुए वल्लभभाईने मजदूरों और मालिकोंके संबंधों

पर प्रकाश डाला और कहा: "पूंजीवादकी आवरू मैली है। कोई भी उसका पक्ष नहीं लेता। इसकी वजह यह है कि पूंजी जड़ है। पूंजीपति दूसरोंके दुःखोंको जल्दी समझ नहीं सकते, इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें जाग्रत रखना चाहिये। भारतमें ऐसी जड़ता नहीं आनी चाहिये, क्योंकि गांधीजी कहते हैं कि हम तो धार्मिक लोग हैं। मालिकों और मजदूरोंके बीच पिता-पुत्रका संबंध रहना चाहिये। यदि ऐसा संबंध हो तो मालिक मजदूरोंसे अपने मनकी बात करवा सकते हैं। यहां अहमदाबादमें यह स्थिति किस हद तक मौजूद है, इसका विचार हमें करना चाहिये।"

वल्लभभाईने व्यापारकी उन्नतिके चार सूत्र बताये: "१. लोगोंको खुशहाल रखकर व्यापार होता है। २. जो व्यापार किसानों और मजदूरोंके शोषण पर आधार रखता है, वह अंतमें मिट जाता है। ३. आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे ये लोग खुशहाल रहें और हमारे व्यापारका विकास हो। ४. उनके कल्याणमें ही आपका कल्याण है। आप लोग एक-दूसरेका विचार करेंगे तो ही काम चलेगा।"

भरती-विभाग

बम्बई सरकारने एक दूसरा महत्त्वका काम भी हाथमें लिया। मिलें चाहें तब मजदूरोंको काम पर रखती थीं और चाहें तब उन्हें निकाल देती थीं। बदली पर काम करनेवाले मजदूरोंको तो इस मिलसे उस मिलमें भटकनेके मौके आया ही करते थे। अतः इस स्थितिको दूर करने और मजदूरोंके काम तथा बदलीवालोंके कामको व्यवस्थित रूप देनेके लिए अक्तूबर १९३९ में सरकारकी ओरसे 'भरती-विभाग' खोला गया। आज इस विभागका काफी विकास हो गया है।

विश्व-युद्ध

इस प्रकार प्रान्तीय सरकार धीरे धीरे मजदूरोंके क्षेत्रमें करने योग्य सुधार कर रही थी। इतनेमें दुनिया पर मानो बिजली गिरी हो, ऐसी एक घटना हो गई। सितंबर १९३९ में जर्मनीने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैण्डने जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा की

और इस प्रकार पाच-छह वर्ष तक चलनेवाले हत्याकाडके बीज बो दिये गये। इग्लैण्डने युद्धकी घोषणा की, इसलिए वह भारतको अपने युद्धमें खीचे बिना कैसे रहता? अक्तूबरके पहले सप्ताहमें काग्रेस कार्यकारिणीकी बैठक वर्धामें हुई, जिसमें उसने अहिंसा और शातिमें अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया और युद्धके कारण खडी हुई परिस्थितियोंमें भारतको स्वतत्र राष्ट्र घोषित करने तथा तत्कालीन परिस्थितिमें अपनी इस घोषणा पर यथासभव अमल करनेकी बात भारत-सरकारसे कही। साथ ही उस समयकी परिस्थितियों पर बार-बार चर्चा और विचार-विमर्श करनेके लिए एक 'युद्ध उपसमिति' की रचना की। युद्धकी स्थिति दिनोदिन बिगडती जा रही थी। ऐसी स्थितिमें काग्रेस कार्यकारिणीने सूचना की कि सारे काग्रेसी मत्रि-मडल अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें।

मजूर-महाजनकी अधिकाधिक प्रगति

१९२३ की हडतालके समझौतेके बाद मजूर-महाजनकी सदस्य-संख्या बहुत घट गई थी। यह स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और प्रतिवर्ष महाजनकी सदस्य-सख्यामें वृद्धि होने लगी। १९३८–३९ में और उसके बादके कुछ महीनोंमें महाजनके इतने सदस्य हो गये जितने पहले कभी नही रहे थे।

१९३८–३९ के आरभमें मजूर-महाजनके कुल २१८७४ सदस्य थे, जो १९३९–४० में बढ कर २८३९८ तक पहुच गये थे — यानी अहमदाबादकी मिलोंके मजदूरोंकी कुल संख्याके २७ प्रतिशत मजदूर महाजनके सदस्य हो गये। सदस्यताकी फीसमें २५ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी महाजनकी सदस्य-सख्या बढती जा रही थी। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अहमदाबादके मिल-मजदूर दिनोदिन अपने सगठनके महत्त्वको समझने लगे थे। सितबर १९६७ में मजूर-महाजनकी सदस्य-संख्या १०८८१७ थी।

मजदूर-प्रवृत्तिकी प्रगति

मजदूरोंका कार्य दिन-प्रतिदिन आगे बढ रहा था। १९१७ में ताना-विभागके मजदूरोंकी हड़तालके बाद इन २३ वर्षोंमें अहमदाबादके

मजदूरोंने गांधीजीके मार्गदर्शनके अनुसार चल कर अपनी संगठन-शक्ति और समझ-शक्तिका विकास किया और उसके द्वारा अपने तथा अपने परिवारके सर्वांगीण जीवन-विकासमें सुन्दर प्रगति की। साथ ही साथ, उन्होंने अहमदावाद शहर, उसके मिल-उद्योग तथा देशकी समृद्धि और उन्नतिके कार्योंमें कीमती मदद की। दूसरी ओर, मालिकोंके मानस और विचारोंमें भी परिस्थितियोंके अनुसार सहज रूपमें प्रशंसनीय परिवर्तन होता गया, पंचकी प्रथा अधिकाधिक सुदृढ़ वनती गई और औद्योगिक प्रश्नोंके शांतिपूर्ण निराकरणमें उसका उत्तरोत्तर अधिक उपयोग होता गया। इसके फलस्वरूप उद्योगमें शांति वनी रही, औद्योगिक संवंध मित्रतापूर्ण रहे तथा मिल-उद्योगका दिनोंदिन अधिक विकास होता गया।

विचारों और भावनाओंका वहुत वड़ा महत्त्व है, परन्तु वे कार्यान्वित हों और हमारे जीवनमें उतरें तभी उनका प्रभाव समझमें आता है। गांधीजीके विचारों और भावनाओंकी यह विशेषता थी कि वे उनकी विविध प्रवृत्तियों द्वारा भावनाकी दुनियासे आगे वढ़ कर उनके जीवन और कार्योंमें निरन्तर प्रकट होते रहे और इसलिए वे मानव-जातिके लिए अत्यन्त कल्याणकारी सिद्ध हुए।

देशव्यापी वटवृक्ष

राष्ट्रीय सरकारोंके प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप प्रान्तोंमें अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होने लगा था; किन्तु विश्व-युद्धके कारण जव कांग्रेस १९३९ में सत्तास्थानसे हट गई, तो कुछ समयके लिए इसमें कुछ विक्षेप पड़ गया। फिर भी मजदूरोंकी प्रवृत्ति तो उनके संगठनों द्वारा चलती ही रही। १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके वाद एक देशव्यापी मजदूर-संस्थाका जन्म हुआ। गांधीजी अहमदावादके मजूर-महाजनको मजदूर-प्रवत्तिकी अपनी प्रयोगशाला कहा करते थे; वे यह भी कहते थे कि भविष्यमें यह प्रयोग ऐसी भूमिका पर पहुंच जायगा कि इसमें से एक विशाल राष्ट्रव्यापी संस्था खड़ी होगी। गांधीजीका यह स्वप्न उनके जीवन-कालमें ही १९४७ में 'राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस' (इन्टुक) की स्थापना होने पर सिद्ध हो

गया। यह संस्था वटवृक्षकी तरह दिनोदिन देशव्यापी बनती गई। मितंबर १९६७ में इन्टुकके कुल २००३३५४ सदस्य थे। आज भारतके सभी प्रान्तो और सभी उद्योगोंमें इस संस्थाके द्वारा गांधीजीके सिद्धान्तोके अनुसार मजदूर भाई-बहनोंकी सेवा हो रही है।

४०

उपसंहार

१९१८ में गांधीजीने अहमदाबादकी मिलोंके बुनाई-विभागके मजदूरोंकी वेतन-वृद्धिके लिए लड़ाई लड़ी थी। उस समयसे मजदूर-प्रवृत्तिके बारेमें गांधीजीके विचारो तथा प्रयोगोंके अनुभवोंका लाभ मुझे मिलता रहा था।

१९२२ में गाधीजीको कारावासकी सजा मिली थी। उनके साथ मुझे भी यह सजा मिली और इस तरह जेलमें उनके साथ रहनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस बीच गुलजारीलाल नंदा और खड़ुभाई देसाई अनसूयाबहनके साथ रहकर मजदूर-प्रवृत्तिसे सबधित सारा कार्य अच्छी तरह चला रहे थे। इसलिए जेलसे छूटनेके बाद मैं गाधीजीकी सलाहसे खादी और ग्रामसेवाके कार्यकी ओर मुड़ा और कुछ समय पश्चात् खादीबोर्ड और चरखा-सघके काममें एकाग्रतासे लग गया। परन्तु इसके साथ मैं अहमदाबादकी मजदूर-प्रवृत्तिमें भी भाग लेता रहा।

इस प्रकार मैं १९४० के आरंभ तक इस मजदूर-प्रवृत्तिमें योग देता रहा। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुधारनेके अनेक उपाय मैंने किये, परन्तु तबीयत सुधरी नहीं। मेरी कमजोरी बढ़ती गई और मुसाफिरी करना तथा हाथमें लिया हुआ कोई कार्य पूरा करना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया। इससे मुझे लगा कि चरखा-सघ तथा ग्रामोद्योग-सघसे मझे त्यागपत्र दे देना

१९१७ में मिलोंके ताना-विभागके मजदूरोंकी हड़तालके बाद इन २३ वर्षोंकि समयमें अहमदाबादके मजदूरोंने गांधीजीके मार्गदर्शनके अनुसार चलकर अपनी संग-ठन-शक्ति और समझ-शक्तिका विकास किया और इन शक्तियोंके द्वारा अपने तथा परिवारके सर्वांगीण जीवन-विकासमे सुन्दर प्रगति की। इसके साथ उन्होंने अहमदाबाद शहर, उसके मिल-उद्योग तथा देशकी उन्नति और समृद्धिके कार्योंमें भी कीमती मदद की।

दूसरी ओर, मिल-मालिकोंके मानस और विचारोंमें भी परिस्थितियोंके अनुसार सहज रूपमे प्रशंसनीय परिवर्तन होता गया, पंचकी प्रथा अधिकाधिक सुदृढ बनती गई तथा औद्योगिक प्रश्नोंके निराकरणमें उसका उत्तरोत्तर अधिक उपयोग होता गया। इसके फलस्वरूप मिल-उद्योगमें शांति बनी रही, औद्योगिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहे तथा मिल-उद्योगका दिनोदिन अधिक विकास होता गया।

—शंकरलाल बेंकर